माला, खंड 10, अंक 26

बुधवार, 1 अप्रैल, 1992
12 चैत्र 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

63
7/4/93

मूल्य : चार रुपये

जी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित
ही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दसवीं माला, खंड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 26, बुधवार, 1 अप्रैल, 1992/12 चैत्र, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		5—31
*तारांकित प्रश्न संख्या :	490 से 495 और 499	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		31—282
तारांकित प्रश्न संख्या :	496 और 498 से 510	31—48
अतारांकित प्रश्न संख्या :	5463 से 5492, 5494 से 5516, 5518 से 5557, 5559 से 5572, 5574 से 5576, 5578 से 5615, 5617 से 5689 और 5691 से 5706	48—260
सभा पटल पर रखे गए पत्र		283—285
राज्य सभा से सन्देश		285
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		285
आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
प्राक्कलन समिति		286
चौदहवां प्रतिवेदन और पन्द्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले		286—290
(एक) तमिलनाडु में पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए पम्बाई नदी को तम्बराबरम और वैगाई नदियों से जोड़े जाने की आवश्यकता		
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन		286

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) तुंगभद्रा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने और इसके लिए धन प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	287
(तीन) असम में लीलाबाड़ी के लिए बोइंग विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री बालिन कुली	287
(चार) टेलीफोन के बिलों को हिन्दी में तैयार किए जाने की आवश्यकता	
डा० लाल बहादुर रावल	287
(पांच) पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती गिरिजा देवी	288
(छः) पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के आवेदन-कर्त्ताओं को गैस के और अधिक कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	289
(सात) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो० प्रेम धूमल	289
मन्त्री द्वारा वक्तव्य	290—295
(एक) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद में हुआ बम विस्फोट	
श्री एम० एम० जैकब	290—291
(दो) बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति	
श्री शरद पवार	291—295
नियम 193 के अधीन चर्चा	295—380
बोफोर्स तोप सौदे की जांच	
श्री अमल दत्त	295
श्री पवन कुमार बंसल	310

विषय	पृष्ठ
श्री जसवन्त सिंह	316
श्री जार्ज फर्नान्डीज	325
श्री मणि शंकर अय्यर	335
श्री सोमनाथ चटर्जी	341
श्री के० पी० सिंह देव	346
श्रीमती मार्गरेट अल्वा	349
श्री गुमान मल लोढा	352
श्री इन्द्रजीत गुप्त	356
श्री पी० चिदम्बरम	361
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	371
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	374
श्री चित्त बसु	375
श्री पी० वी० नरसिंह राव	377
श्री शरद पवार	378

लोक सभा

बुधवार, 1 अप्रैल, 1992/12 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। संसद के दोनों सदनों के प्रश्न-काल का टी० वी० प्रसारण होता है। जिस समय यह तय किया गया था, उस समय यह सोचा गया था कि इसका निष्पक्ष प्रसारण होगा, लेकिन टी० वी० प्रसारण को देख कर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दूरदर्शन के प्रसारण, खासकर प्रश्न-काल के प्रसारण में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। कल इसी सदन में बिहार का मामला उठाया गया, बोफोर्स का मामला उठाया गया, लेकिन दूरदर्शन ने बिहार के मामले को एकतरफा दिखाया, जबकि वृशिण पटेल और नीतीश कुमार को ब्लैक-आउट किया गया। इसी तरह से बोफोर्स के पूरे मामले को खत्म करके एक तरफ से, उधर से श्रीमती कृष्णा साही और इधर से श्रीमती रीता वर्मा को दिखाया गया। यह जो कांग्रेस और बी० जे० पी० का मेल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से टी० वी० प्रसारण में पक्षपात होगा तो यह ठीक नहीं है।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने कल मामले को उठाया था परन्तु दूरदर्शन पर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। (व्यवधान) मैंने बोफोर्स के बारे में जो कुछ भी कहा था, दूरदर्शन द्वारा इसे कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। (व्यवधान) दूरदर्शन द्वारा ऐसा किया जा रहा है। (व्यवधान) महोदय, हमें दूरदर्शन का बहिष्कार करने के बारे में निर्णय लेना होगा। (व्यवधान) यदि दूरदर्शन द्वारा ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है तो हमें दूरदर्शन का बहिष्कार करने का निर्णय लेना पड़ेगा। (व्यवधान) कल मैंने श्रीमती कृष्णा साही द्वारा मामला उठाने के पूर्व इस मामले को उठाया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, टी० वी० से शिकायत हमको भी है, लेकिन इस तरह से टी० वी० को ब्लैकमेल करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, टी० वी० प्रसारण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, टी० वी० प्रसारण पर आपका नियंत्रण है। इसलिए इस प्रकार यह आपके ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आग लगी हुई है, उस आग में ये लोग घी डालने का काम कर रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : देखिए अध्यक्ष महोदय, अब भी सिर्फ उधर का ही माइक ऑन है।···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठेंगे ? मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या पहले आप बैठने का कष्ट करेंगे ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि दोनों पक्ष के सभी सदस्य खड़े रहेंगे और बोलते रहेंगे, तो आप यह आशा कैसे करते हैं कि दूरदर्शन पर हर मामले को दिखाया जाएगा ?

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा कल किया गया था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन पर जो दिखाया गया है आप उसका लिखित रिकार्ड के साथ मिलान कर लीजिए और तत्पश्चात् आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको सारा देश देख रहा है, लेकिन आप एक-एक करके नहीं बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं, तब भी आप लोग बोल रहे हैं, इसको सारा देश देख रहा है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम यही आग्रह कर रहे हैं कि देश को एक-तरफा चीज नहीं दिखानी चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। (**व्यवधान**) दूरदर्शन को सर्वदा निष्पक्ष रहना चाहिए। मैंने बोफोर्स मुद्दे को पहले उठाया था परन्तु दूरदर्शन ने मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखाया। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दूरदर्शन पर जो दिखाया गया है, आप उसका मिलान कार्यवाही वृत्तांत के लिखित रिकार्ड के साथ कर सकते हैं। यदि कार्यवाही वृत्तांत में जो कुछ सम्मिलित है, वह नहीं दिखाया गया है, तब आप आपत्ति कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दूरदर्शन से यह आशा कैसे करते हैं कि वह आप सभी को एक साथ बोलता हुआ दिखाए ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कल दूरदर्शन पर इस मामले को क्यों नहीं दिखाया गया ?··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं, तो मैं टी० वी० प्रसारण बन्द करवा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार अपनी बात जारी नहीं रख सकते ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : केवल राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए ही टी० वी० का प्रयोग किया गया था। दूरदर्शन पर बोफोर्स के बारे में कहा गया एक शब्द भी नहीं दिखाया गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपके उत्साह और समझ का प्रशंसा करूंगा। आप एक-के बाद दूसरा विषय उठाते जा रहे हैं। यदि सभी सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, दलों के व्हिप और नेता एक साथ खड़े हो जाएं और मुझसे आशा करें कि मैं आपके पक्ष में कुछ कहूं, आप मुझसे यह आशा कैसे करते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न-काल है। हर रोज आप लोग प्रश्न-काल को पूरा नहीं होने देते हैं। आप जानते हैं कि प्रश्न-काल में कितना अधिक धन व्यय होता है और कितने श्रम किए जाते हैं। आप प्रश्नों की सूचना देते हैं। 62,000 प्रश्न हमारे पास आते हैं। हम प्रश्नों का चयन करते हैं। सरकार जानकारी एकत्रित करके आपको देती है। आपको प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आप इस समय का उपयोग किसी और कार्य के लिए कर रहे हैं जोकि सही नहीं है। प्रतिदिन यह सब सभा में और सभा के बाहर देखा जा रहा है। अतः यह आपके ही हित में है कि आप प्रश्न-काल के दौरान इस मामले को इस तरह से न उठायें।

प्रश्न-काल आपके लिए है। प्रश्न-काल से तात्पर्य जानकारी देने से है। प्रश्न-काल के लिए अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं। इस पर अत्यधिक धन व्यय किया जाता है। एक प्रश्न के

लिए जानकारी एकत्रित करने में हजारों रुपए का खर्चा आता है और आप प्रश्न-काल के दौरान की जाने वाली कार्यवाही को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। यह सब ठीक नहीं है ?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आपको सभा की कार्यवाही चलाने में मेरी और सभा की मदद करनी चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य : हम प्रश्न-काल की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालना चाहते। लेकिन मुद्दा यह है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि को प्रश्न पूछने के लिए बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि आप प्रतिदिन नियमों का अनुपालन किए बिना सभा में मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुधीर गिरि जी।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : हम सभी अशान्त हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का अनुपालन कीजिए। आप ही नियम बनाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने नियम बनाये हैं। आप ही नियम बदलते हैं। मैं बुरा नहीं मान रहा।

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, आपको हमारे विचारों को सुनने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी दल के व्हिप हैं। आपको मालूम होना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जैना : हम इतने उत्तेजित इसलिए हो रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं। कार्य सूची में जो विषय उल्लिखित नहीं हैं, उन पर भी चर्चा करने के लिए समय नियत है।

श्री श्रीकान्त जैना : महोदय, नहीं, ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : इस समय दूरदर्शन का इस्तेमाल दो दलों के सदस्यों को ही दिखाने के लिए किया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते, तो मैं प्रश्न-काल के टी॰ वी॰ प्रसारण को समाप्त कर सकता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : यदि केवल दो राजनैतिक दलों को ही टी॰ वी॰ प्रसारण के अन्तर्गत दिखाया जाएगा, हम इसमें सहयोग नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह कहना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कल हमें दूरदर्शन पर बिल्कुल दिखाया ही नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लोग नहीं चाहते कि प्रश्न-काल का टी॰ वी॰ प्रसारण हो तो मैं इसे बन्द कर सकता हूं। परन्तु इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा को इस बारे में निर्णय करने दीजिए। तत्पश्चात् मैं इस पर निर्णय करूंगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : प्रश्न-काल प्रश्न-काल ही बना रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें ठीक यही बता रहा हूं। सुधीर गिरि जी।

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन दंडित व्यक्ति

*490. श्री सुधीर गिरि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन फरवरी, 1992 तक कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया;

(ख) इस अधिनियम को कार्यान्वित करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा यदि कोई प्रस्ताव भेजे गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दर्ज किए गए तथा निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक अनुबन्ध संलग्न है।

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित करने के लिए जिम्मेवार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिला मंच) तथा राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित करनी हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इसने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित कर दिया है और उसके सामने कोई समस्या नहीं है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित कर ली गई हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने राज्य आयोगों/जिला मंचों के गठन में वित्तीय बाधाओं, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने, सरकारी स्थान की कमी आदि कठिनाइयां सूचित की हैं।

(ग) राज्य सरकारें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करती रही हैं। अधिनियम के तहत तीन स्तरीय प्रतितोष तंत्र के कार्य में आने वाली कुछ अड़चनों को दूर करने के लिए राज्यों से प्राप्त सुझावों पर 15 जून, 1991 को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें राज्य आयोगों तथा जिला मंचों की बैठकों के लिए कोरम, आदेशों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया और पहले के निर्णयों के पुष्टीकरण आदि के लिए प्रावधान किया गया था। इस अध्यादेश का स्थान अब संसद के एक अधिनियम ने ले लिया है।

अनुबन्ध

राज्य आयोगों तथा जिला मंचों द्वारा दर्ज किए गए तथा निपटाए गए मामलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य आयोग अपीलें दर्ज की गईं	राज्य आयोग अपीलें निपटाई गईं	राज्य आयोग अपीलें उपभोक्ता के पक्ष में	राज्य आयोग शिकायतें दर्ज की गईं	राज्य आयोग शिकायतें निपटाई गईं	राज्य आयोग शिकायतें उपभोक्ता के पक्ष में	जिला आयोग शिकायतें दर्ज की गईं	जिला आयोग शिकायतें निपटाई गईं	जिला आयोग शिकायतें उपभोक्ता के पक्ष में	टिप्पणी
	1	2	2 क	3	4	4 क	5	6	6 क	
1. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	1	—	—	29	14	11	30-11-91 के अनुसार सूचना
2. आन्ध्र प्रदेश	503	157	56	480	83	3	22280	14665	9878	30-11-91 तक सूचना
3. असम	15	4	3	22	1	—	216	70	19	सूचना केवल कुछ जिला मंचों से है। कालम 6 क में दी गई सूचना निर्णीत 40 मामलों में से है।
4. बिहार	201	123	60	315	227	130	1357	1054	837	31-12-91 के अनुसार सूचना केवल पटना जिला मंच के बारे में है।
5. गुजरात	127	59	28	599	262	194	6703	2860	1900	30-11-91 के अनुसार सूचना

	1	2	2 क	3	4	4 क	5	6	6 क	
6. गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. हरियाणा	92	85	45	38	13	5	2104	1222	848	सूचना 30-11-91 तक
8. हिमाचल प्रदेश	18	5	3	79	26	8	—	—	—	सूचना 30-11-91 तक
9. कर्नाटक	232	168	40	365	218	46	6943	2939	794	सूचना 30-11-91 तक
10. केरल	185	74	36	545	340	85	11847	3487	1203	सूचना 30-11-91 के अनुसार
11. मध्य प्रदेश	122	57	25	40	24	2	1614	780	409	
12. महाराष्ट्र	361	217	112	358	204	55	9141	4399	2730	सूचना 30-11-91 के अनुसार
13. मणिपुर	—	—	—	2	2	2	134	127	100	सूचना 8-1-92 के अनुसार
14. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	कार्य नहीं कर रहे हैं।
15. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	32	27	8	सूचना 30-11-92 तक
16. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	कार्य नहीं कर रहे हैं।
17. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1201	601	330	30-11-91 के अनुसार सूचना केवल 12 जिला मंचों के बारे में
18. पंजाब	—	—	—	94	34	16	2270	850	314	सूचना 30-11-91 के अनुसार।

19. राजस्थान	731	513	159	372	270	80	—	—	—	जिला मंच के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
20. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	—	—	—	—	—	—	1664	951	257	11 जिला मंचों के बारे में सूचना 30-11-91 के अनुसार
23. उत्तर प्रदेश	395	447	221	209	342	118	5428	2916	1568	सूचना 1-1-91 से 31-12-91 तक की अवधि की है।
24. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	—	—	—	—	—	35	31	5	सूचना 31-12-91 के अनुसार
26. दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	3	—	—	सूचना 30-11-91 तक
27. दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	3	2	2	सूचना 30-11.91 के अनुसार
28. दिल्ली	315	315	180	473	257	206	6554	4408	3363	सूचना 30-11-91 के अनुसार

	1	2	2 क	3	4	4 क	5	6	6 क	
29. चंडीगढ़	99	57	18	185	63	27	1551	623	410	सूचना 30-11-91 तक
30. लक्षद्वीप	1	1	—	—	—	—	8	5	4	सूचना 31-11-91 तक
31. पाण्डिचेरी	—	—	—	50	24	18	274	187	131	सूचना 13-1-1992 तक। कालम 3 में दी गई सूचना में अपीलें भी शामिल हैं।
योग	3398	2303	986	4226	2493	1045	81392	45924	27895	

श्री सुधीर गिरि : महोदय, व्यापारियों और निर्माताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है। अतएव उपभोक्ता इस धोखाधड़ी से अत्यधिक दुःखी और उत्तेजित हैं परन्तु अपनी शिकायतों की सुनवाई के साधनों के अभाव में और इतनी समझ न होने के कारण वे इन सब बातों का बहुत कम विरोध करते हैं। इस समय मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ताल्लुक स्तर पर मंच का गठन करने और इस देश के ग्रामीण और पिछड़े व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए तैयार है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : शिकायतों की सुनवाई के लिए तीन प्रकार की प्रणाली के अन्तर्गत जिला मंच बनाए गए हैं और देश में 450 जिलों में से केवल 360 जिला मंच बनाए गए हैं। यदि हम ताल्लुका स्तर पर इसका गठन करते हैं, मैं नहीं समझता कि राज्यों द्वारा इसे कर पाना सम्भव हो सकेगा क्योंकि वे मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता की शिकायत कर रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उपभोक्ता परेशान हैं और वे अपना विरोध प्रकट करने के लिए आगे नहीं आते। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रजिस्ट्रार क्लर्कों को इन सबके बारे में लोगों को जानकारी देने का काम सौंपने को तैयार है।

श्री कमालुद्दीन अहमद : राज्यों द्वारा सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं और जिला मंचों के पास दायर किए गए अनेक मामलों से स्वयं यह स्पष्ट हो जाता है कि जिलों में जागरूकता आ रही है। उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए और भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जहां तक संभव हो सके क्या सबसे निचले स्तर पर महिला संगठनों को अनाज के वितरण का कार्य सौंपा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, यह जो एनेक्सचर दिया है, उसमें कौन से प्रदेश में स्टेट कमीशन एस्टेबलिश हुआ है। उसके पास कितनी शिकायतें आई हैं और उसमें कितनी अपील आई हैं और आपने फीगर्स भी दी हैं। इसमें वेस्ट बंगाल में एक भी शिकायत नहीं आई और एक भी अपील नहीं है। उड़ीसा, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, जनता दल वालों की तो इसमें एक भी शिकायत नहीं है और इसी प्रकार तमिलनाडु में एक भी नहीं है। क्या इन राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें कोई नहीं कर रहा है और क्या राज्य सरकारें कुछ काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार क्या करेगी। उन मंत्रियों को बुलाकर कहा जाएगा कि वहां पर इस प्रकार का काम हो तो केन्द्र सरकार करेगी क्या।

श्री कमालुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि केसेज उन स्टेट्स में फाइल हो रहे हैं। जब हमने उनसे मांगा तो इन स्टेट्स ने नहीं भेजा इसलिए हमने उसको मेन्शन नहीं किया है। मैं आपको स्पेसिफिक इन्फारमेशन बता दूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट नहीं है। क्या आप कुछ और स्पष्ट करेंगे ?

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर : कुछ जिलों में उपभोक्ता संरक्षण समितियां गठित की गई हैं, उत्तर में ऐसा लिखा है। इस देश में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत है और वे तन, मन तथा धन से अच्छा काम करती हैं। महिलाओं के लिए उनमें 50 प्रतिशत आरक्षण हेतु सरकार क्या कोई कदम उठाएगी ?

[अनुवाद]

श्री कमालुद्दीन अहमद : जहां भी संभव होगा, वहां हम ऐसा कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

फालतू भूमि का वितरण

*491. श्री मृत्युंजय नायक :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4-5 अक्तूबर, 1991 को आयोजित हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में फालतू भूमि को मार्च, 1992 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों और ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को वितरित कर देने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु चुनी गई और अब तक वितरित की गई भूमि तथा लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार कितनी फालतू भूमि वितरण के लिए अभी भी उपलब्ध है; और

(घ) इसे शीघ्रता से वितरित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 4-5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि अधिकतम भूमि-सीमा कानूनों के अन्तर्गत फालतू भूमि के वितरण का काम 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) वितरण के लिए उपलब्ध (पता लगाया गया) क्षेत्र, वितरित क्षेत्र, लाभार्थियों की संख्या और वितरण के लिए उपलब्ध निवल क्षेत्र (अक्तूबर, 1991—मार्च, 1992)

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रमांक	राज्य संघ शासित क्षेत्र	वितरण के लिए पता लगाया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	उपलब्ध फिलहाल क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	57670	40388	17282
2.	असम	27706	4000	23706
3.	बिहार	49492	6173	43319
4.	गुजरात	15241	5492	9749
5.	हरियाणा	74	—	74
6.	हिमाचल प्रदेश	125396	—	125396
7.	जम्मू व कश्मीर	6000	—	6000
8.	कर्नाटक	787	485	302
9.	केरल	1241	196	1045
10.	मध्य प्रदेश	7644	2329	5315
11.	महाराष्ट्र	1332	745	587
12.	मणिपुर	3	—	3
13.	उड़ीसा	2074	751	1323
14.	पंजाब	230	230	0
15.	राजस्थान	5048	5048	0
16.	तमिलनाडु	3378	3378	0
17.	त्रिपुरा	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	2294	2294	0
19.	पश्चिम बंगाल	16279	7926	8353
20.	दादरा व नगर हवेली	215	—	215
21.	दिल्ली	68	—	68
22.	पांडिचेरी	—	—	—
	योग :	322172	79435	242737

बिहार ने 6977, कर्नाटक ने 3237, केरल ने 344, मध्य प्रदेश ने 681, उड़ीसा ने 865, राजस्थान ने 503, तमिलनाडु ने 2920 और उत्तर प्रदेश ने 2206 लाभार्थियों की सूचना दी है।

अभी तक 72.56 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है जिसमें से 62.63 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ली गई और 48.86 लाख एकड़ भूमि 46.42 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई है जिसमें 49 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। वर्ष 1991-92 में अप्रैल से सितम्बर तक 21,481 एकड़ फालतू भूमि का वितरण किया गया है और इस प्रकार वर्ष में कुल वितरण 1.01 लाख एकड़ भूमि का हुआ।

(ख) मुख्य मंत्रियों से फालतू भूमि के वितरण के काम को तेज करने के लिए कहा गया है। भूमि के वितरण की प्रगति की समीक्षा करने और उस काम को तेज करने के उपायों पर विचार करने के लिए राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक 14 मार्च, 1992 को हुई था। बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर मुकदमेबाजी से मुक्त अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की समय-सीमा बढ़ाकर 30 जून, 1992 कर दी गई हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमेबाजी में ग्रस्त कम से कम 75 प्रतिशत भूमि को ऐसी मुकदमेबाजी से मुक्त करके वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसके वितरण का काम 30 सितम्बर, 1992 तक पूरा किया जाना चाहिए।

श्री मृत्युंजय नायक : अक्तूबर, 1991 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्वास विभाग तथा राजस्व विभाग के बीच आपसी मतभेदों के कारण 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को अन्तिम पट्टा देने से मना कर दिया गया है जबकि तथ्य यह है कि वे 30 वर्षों से भी अधिक समय से उस भूमि पर उनका अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप फूलबनी नगर व मेरे निर्वाचन क्षेत्र फूलबनी जिले के लोगों से भारी प्रीमियम की मांग की जा रही है जिससे उन्हें अत्यधिक कष्ट हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा के मुख्य मंत्री को फूलबनी नगर व फूलबनी जिले के लोगों के पुनर्वास के लिये तथा उन्हें अन्तिम पट्टा व वित्तीय सहायता देने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी करेगी।

[हिन्दी]

श्री जी० वेंकटस्वामी : लैंड टू दि टिलर की पालिसी कांग्रेस सरकार का जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैजाबाद सम्मेलन में तथा 1935 में इलाहाबाद के किसान सम्मेलन में ही लैंड टू दी टिलर और बिचौलियों को खत्म करने का रिजोलूशन उस जमाने में पास हुआ था और इसको पूरा करने का संकल्प किया गया था। आजादी के पश्चात् जस्टिस गोस्वामी की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, उसमें लैंड टू दी टिलर को किस तरह से लिया जाये इस पर निर्णय हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में पूरे देश के मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस बुलाकर निर्देश दिया कि भूमि सुधार और भूमि सीलिंग को देश में लागू करना चाहिए। एस० सी० और एस० टी० तथा जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन वितरित करनी चाहिए। 19 राज्यों में लैंड सीलिंग तथा लैंड रिफार्म के बारे में लेजिस्लेशन आया है और उसको इम्पलीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे प्रधान मन्त्री जी ने देश के मुख्य मंत्रियों की 4-5

अक्तूबर, 1991 को मीटिंग बुलाकर उन लोगों को इस बात को लागू करने को कहा और सभी ने यह कहा कि हम किसी न किसी तरह से इसको इम्पलीमेंट करेंगे। प्रधान मन्त्री ने फिर मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है, मैं भी रोजाना इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों से फोन पर बात कर रहा हूं। उसका नतीजा यह हुआ कि हाल ही में 14 मार्च को रेवेन्यू मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई उस वक्त हमारे पास अच्छी रिपोर्ट आई कि 79 हजार एकड़ जमीन वितरित हो चुकी है। हमने रेवेन्यु मिनिस्टर्स की सब-कमेटी बनाई है उसने रिपोर्ट दी है कि जो 11 लाख एकड़ सीलिंग डिस्पुटेड लैंड है जिसका मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है वहां से लेकर इसको पूरा किया जाये। 30 जून, 1992 तक उपलब्ध सरप्लस लैंड को वितरित किया जाये। यह निर्णय हुआ है। इसके साथ ही 30 सितम्बर, 1992 तक कम से कम 75 प्रतिशत रेवेन्यू कोर्ट के सामने पेंडिंग मामलों में लंबित भूमि को रिलीज कराया जाए और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हम भारत सरकार की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो यह राज्य का विषय है, जितना हमसे हो सकता है हम उसको पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : हमारे संरक्षक होने के नाते, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन दोबारा आयोजित करेंगे जिसमें पुनर्वास के इस मामले को उठाया जा सके। इस सदन के लिए मुझे दो बार चुना गया है लेकिन यह खेद की बात है कि मेरे राज्य को उसका भूमि का कोटा देने से मना किया गया है। मैं खास-तौर पर यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमन्त्री जी पुनर्वास के मुद्दे को उठायेंगे।

[हिंदी]

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, यह स्टेट सब्जेक्ट है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इनकी जितनी संभव हो, उतनी मदद कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को जमीन देने का जो प्रावधान है, वह जमीन ऐसी होती है जो बीरान होती है और जिसके डेवलेपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। उसमें विवाद भी होते हैं। सरकार पट्टा देती है और फिर उसका कब्जा होना चाहिए तो पट्टा देने के बाद भी कब्जा देने की दृष्टि से जो उपाय करना चाहिये, उन उपायों को पूरा करने या भूमि के विकास करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार की जो मदद चाहिये, उसके लिए सरकार क्या उपाय करेगी?

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, पहले जमीन लेने की कोशिश करते हैं। अभी 72 लाख हेक्टेयर जमीन सरप्लस बतायी गयी है···

अध्यक्ष महोदय : लैण्ड देने के बाद उसके डेवलेपमेंट करने के लिए कुछ पैसा देने का विचार है?

श्री जी० वेंकटस्वामी : स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 72 लाख एकड़ जमीन घोषित की गयी जिसमें से 62 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लिया गया, केवल 48 लाख एकड़ जमीन वितरित की गयी। जो वितरण नहीं हुआ है, उसका कारण आपने बताया कि मुकद्दमेबाजी के कारण वह वितरित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद जो राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें इसी कारण आपने डेट मार्च से बढ़ाकर जून तक किया लेकिन उसमें कोई प्रगति होने वाली नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसी सदन में भूमि सुधार कानून को नवीं सूची में डाला गया था लेकिन जब तक लॉ ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, तब तक उसका नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्या सरकार लैंड ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के पावर के साथ गठन करने का विचार रखती है जिससे कि मामले की हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बैंच बने जो इस मामले में शीघ्रता करे, नहीं तो लैंड रिफार्म्स का कोई फायदा नहीं है।

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, मैंने रिप्लाई में दिया है कि एक सब-कमेटी बनी है रेवेन्यू मिनिस्टर्स की और उसमें यह भी निर्णय हुआ है कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के लेवल का बने, उसमें निर्णय किया जाये और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्री किया है जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आयेगी।

श्री सूरज सिंह : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी के जवाब से दो प्रभाव पैदा होते हैं। एक तो इसके लिए हम प्रशंसा करते हैं अपने आदरणीय प्रधानमन्त्री जी की कि उन्होंने देश के मुख्य मन्त्रियों से एक आश्वासन लिया कि 31 मार्च, 1992 तक वे भूमि वितरण का काम सम्पूर्ण करें परन्तु आज तक जो आंकड़े दिये गये हैं, उसके मुताबिक जो भूमि वितरण का काम हुआ है, एक-एक प्रान्त का जो इसमें विवरण दिया है, उससे गरीब लोगों का हौसला टूटता है। जो भूमि वितरित की गयी है, वह नाममात्र है। इसके साथ-साथ जो विवरण दिया है, उसमें आगे का टाइम मांग लिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब सारे मुख्य मन्त्री इस बात को मानते हैं, क्या भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा डायरेक्टिव देंगे सभी स्टेट्स को जिसके अंतर्गत जितनी भूमि उनके पास उपलब्ध है···पहले तो यही प्रश्न बहुत बुनियादी प्रश्न है क्योंकि सरकार के पास कोई लैण्ड रिकार्ड नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जब लैंड रिकार्ड ही नहीं है तो कैसे पता चलता है कि यह सरप्लस भूमि है? इसलिए जब तक लैंड रिकार्ड गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास नहीं है, कोई भूमि वितरण नहीं हो सकता है। दूसरे बहुत से लोगों और बहुत-सी स्टेट्स ने अपने-अपने कानून कायम किए हुए हैं। 1960 में अप्पू कमेटी ने एक मॉडल दिया था जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट सीलिंग लॉ का मॉडल बनाकर सभी स्टेटों में लागू करे और भारत सरकार की तरफ से डायरेक्टिव्स दिए जाएं कि स्टेटों में जो सरप्लस लैंड है, एक साल या अगले साल में उस डायरेक्टिव के अन्तर्गत वितरण हो, जो नहीं करे, उस सरकार को ताकत में बने रहने की इजाजत न दी जाये।

श्री जी० वेंकटस्वामी : अध्यक्ष जी, हालांकि 14 मार्च को रेवेन्यू मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में सारे रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने निर्णय लिया कि जो अब डिस्प्यूटेड लैण्ड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जून तक पूरी की जायेगी और सरप्लस लैण्ड जून तक पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट० हो जाय; यह निर्णय मैं आपके नोटिस में लाया हूं।

उत्तर प्रदेश के लिए योजना परिव्यय

492. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992-93 के लिए कितनी राशि के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कुल कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ग) क्या इस परिव्यय में वृद्धि की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उपाध्यक्ष, योजना आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बीच 6 मार्च 1992 को आयोजित एक बैठक में उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए 3853 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहमति हुई थी। राज्य सरकार ने पहले 4034.42 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, आपको ज्ञात होगा कि इस सदन में उत्तर प्रदेश के सांसदों द्वारा काफी आग्रह करने के बाद वृद्धि की गई थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में समाचार पत्र कौन पढ़ रहा है ? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : जनवरी में योजना आयोग का एक कार्यकारी दल गया था और उसने 4542 करोड़ रुपए के परिव्यय की संस्तुति की थी। परियोजना आयोग की सिफारिश के बाद 4000 करोड़ का परिव्यय प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर 13 करोड़ से अधिक की आबादी है। पर सरकारी आंकड़े देखने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई। प्रति व्यक्ति जो औसत परिव्यय पूरे देश का है, उसमें अगर सबसे कम किसी प्रदेश का है तो वह उत्तर प्रदेश है। माननीय अध्यक्ष जी, यह देखने के बाद पता यह चला कि 180 रुपया 1992-93 का प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश का परिव्यय है जबकि दिल्ली का नौ सौ कुछ था ···।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 422 असम का, 447 गुजरात का···।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे आपका प्रश्न गुम हो जाएगा। अच्छा उत्तर नहीं आएगा, फिर आप परेशान होंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं प्रश्न की जानकारी दे रहा हूं। इस कारण उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्था पिछड़ी हुई है। यहां पर कृषि मुख्य व्यवसाय है और उसके बाद भी इसमें कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के उपक्रमों में जो केन्द्र का विनियोग होना चाहिए था वह 88-89 में 8.6% था और वह 15% होना चाहिए था। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। पूरे देश में एक समान नीति रखनी चाहिए। मेरा एक ही प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना में प्रति व्यक्ति औसत व्यय राष्ट्रीय औसत के बराबर सरकार करने जा रही है या नहीं? यदि नहीं तो कब तक ?

अध्यक्ष महोदय : यदि हां, तो कब तक ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार ने केवल 4034.42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया। इस मामले पर कार्य-दल में चर्चा की गई और उन्होंने 4542.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। यह आवश्यकता पर आधारित योजना-परिव्यय था। इसकी आवश्यकता अनुभव की गई थी।

इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा उपाध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की योजना पर सविस्तार चर्चा की। दोनों ने 3853 करोड़ रुपये के परिव्यय पर सहमति दर्शायी। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस राशि का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार 1992-93 के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति है और मुख्य मन्त्री जी इससे पूर्णतया सन्तुष्ट थे।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अब चूंकि मुख्य मन्त्री का नाम ले लिया है तो उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी परियोजनाएं केन्द्र में विचाराधीन हैं। जैसे औरैया गैस क्रैकर परियोजना, जिसको स्वीकृति दे दी गई है। अनपाड़ा परियोजना पैसे के अभाव में रुकी पड़ी है। पब्लिक ट्यूबवैल प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार को सबमिट है। जमरानी बांध परियोजना प्लानिंग कमीशन के द्वारा हो चुकी है पर पर्यावरण मंत्रालय ने उसको क्लियरेंस नहीं दी है। गैस बेस्ड पावर प्लांट के लिए प्रस्ताव भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सूची बहुत लम्बी होगी, ऐसे तो एक घंटा चलेगी।

श्री संतोष कुमार गंगवार : एस० बी० जे० पाइपलाइन और नेचुरल गैस का अलॉट होना है। ये चार-पांच मुख्य बातें हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि इनके बारे में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्दर कब तक स्वीकृत देंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश परेशानी में है। यह 'ए' पार्ट है। 'बी' पोर्ट यह है कि जो अलॉटमेंट केन्द्र सरकार का है, चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं··· मैं एक ही बात बताऊंगा···।

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न नहीं होता है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : 11 लाख मीट्रिक टन में से कुल 50 हजार मिट्रिक टन दिया है, तो उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की कर सकता है, कैसे लोगों को खिला सकता है ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और चाहता हूं कि इस बारे में उत्तर प्रदेश के साथ न्याय होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले के पोर्शन में संरक्षण नहीं, क्वश्चन पूछिए। उसको मैं संरक्षण दूंगा।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार : चार-पांच परियोजनाएं मैंने बताई हैं, इनकी मंजूरी के बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इनके बारे में कुछ पैसा देने जा रहे हैं क्या ?

[अनुवाद]

श्री एम० आर० जनार्दन : जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात को मैंने ध्यान से सुना है। लेकिन मैं उन्हें एक बात बताना चाहूंगा कि भाग (ख) इसमें जोड़ा गया है और प्रावधान इसलिए किया गया है चूंकि यह चिरप्रतीक्षित योजना है। यह प्रश्न कुल योजना परिव्यय से सम्बन्धित है। इसलिए मैंने इसे ब्यौरे-वार बताया है। मैं एक सुखद सूचना इन्हें देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को देश में सर्वाधिक योजना परिव्यय दिया गया है। इसलिए इसमें पक्षपात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : अध्यक्ष जी, अभी प्लानिंग कमीशन ने प्लान के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए नए मापदंड निर्धारित किए हैं जिनमें 60 परसेंट पौपुलेशन और 25 प्रतिशत पर-कैपिटा इंकम को आधार बनाया गया है और इस बेस पर सहायता दी जाती है। मेरा प्रश्न है कि उत्तरांचल के आठ पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां पौपुलेशन सबसे ज्यादा है लेकिन पर-कैपिटा इंकम सबसे कम है, देश में अन्य कई पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, हिमालय क्षेत्र के अन्य पहाड़ी इलाके हैं, उन सब में सबसे कम केन्द्र की ओर से सहायता हमारे उत्तरांचल को दी जाती है, केन्द्र से सीधे सहायता पर्वतीय क्षेत्रों को दी जाती है, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा अन्याय उत्तरांचल के साथ क्यों हर साल हो रहा है, इस साल भी हुआ है और क्या आप उस अन्याय को ठीक करेंगे, उत्तरांचल को न्याय देंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० जनार्दन : पर्वतीय विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास कार्यक्रम के लिए योजना परिव्यय के अतिरिक्त 182.1 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। यह परिव्यय में दिये गये 38,000 तथा कुछ और करोड़ रुपयों के अतिरिक्त है। यह उचित प्रावधान है।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से योजना एवं क्रियान्वयन मंत्री

जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक गवरहट परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के हिस्सों से जुड़ी है और सभी को लाभ होने वाला है लेकिन पैसे के अभाव में वह योजना अधूरी पड़ी है। कई सौ करोड़ रुपया उस पर अब तक खर्च किया जा चुका है। उसके पूरा हो जाने पर आपके रिहन्द बांध से पानी गिराया जाएगा और काफी भाग सिंचाई के अंतर्गत लाया जा सकता है, लगभग 5 थर्मल पावर स्टेशन उसके किनारे लगे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पैसे आबंटित करके उस परियोजना का काम शीघ्र चालू करेगी क्योंकि उस पर कई सौ करोड़ रुपये अब तक बर्बाद हो चुके हैं, क्या उसके लिए शीघ्र धन देने की व्यवस्था की जायेगी। जिससे कि उक्त परियोजना से उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों तथा मध्य प्रदेश, बिहार के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने वाला है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है तथा सिंचाई अभावों में भूमि बंजर पड़ी हुई है।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : कृपया मुझे क्षमा करें। माननीय सदस्य मुझसे एक बात जानना चाहते हैं। लेकिन क्या यह इस प्रश्न के अन्तर्गत आती है? यह वर्ष 1992-93 का योजना परिव्यय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक बार आप ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि यह बात प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इस बारे में परियोजना सम्बन्धी कार्य भी देख रहा हूं। इन्हें जो भी सूचना चाहिए, मुझे लिख सकते हैं। मैं इन्हें पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करा दूंगा।

[हिंदी]

श्री राम निहोर राय : अध्यक्ष जी, इस पर कई सौ करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका है। आप उसकी जांच करवाइये। क्योंकि आज वहां अनेक बहुमूल्य यंत्र पड़े-पड़े सड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : जो सूचना इन्हें चाहिए, उसमें मैं इनकी सहायता करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इनकी सहायता करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या नियोजन मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के उस सार्वजनिक बयान की तरफ गया है जिसमें उन्होंने नियोजन विभाग पर यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की जो आयोजना थी, उसमें 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी है और इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतने पिछड़े इलाके हैं लेकिन उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश को विकास के लिए धन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके नियोजन विभाग को लिखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जिले हैं, और पहले जिस तरह योजना थी कि कुछ उद्योगशून्य जिलों की पहचान की जाती थी और उन्हें विशेष सहायता दी जाती थी, ताकि वहां उद्योग स्थापित किये जा सकें, मैं जानना चाहता हूं कि क्या

नियोजन विभाग ने उन मापदण्डों को समाप्त कर दिया है। वहां के मुख्य मन्त्री ने हम लोगों को पत्र लिखा है कि केन्द्र सरकार अब उसे मानने को तैयार नहीं है कि प्रदेश के पिछड़े जिलों को खास तौर से सहायता दी जाये। उत्तर प्रदेश के जितने पूर्वी जिले हैं, वे बहुत ही पिछड़े जिले हैं और उनके लिए विशेष सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था, अनुरोध किया गया था कि उनके विकास के लिए नियोजन विभाग विशेष प्रावधान करे, सहायता दे। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी की क्या प्रतिक्रिया है।

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उसकी मुझे पूर्णतः जानकारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने भी योजना आयोग के साथ इस मुद्दे को उठाया था, और तत्पश्चात् योजना आयोग के उपाध्यक्ष व मुख्य मन्त्री के बीच वार्ता का दूसरा दौर भी चला। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि प्रावधान में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है; इसे पिछले वर्ष के प्रावधान के मुकाबले में कम नहीं किया गया। अब इसमें वृद्धि की गई है। और मुझे बताया गया है कि मुख्य मन्त्री जी सन्तुष्ट हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में, गत वर्ष के प्रावधान के मुकाबले में 4.1 प्रतिशत की जो वृद्धि की गई है, उससे मुख्य मन्त्री जी पूर्णतः संतुष्ट हैं। गत वर्ष के प्रावधान के मुकाबले इसमें वृद्धि हुई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के प्रश्नों का उत्तर न दें क्योंकि इससे यह मामला कभी खत्म नहीं होगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं श्री चन्द्रजीत यादव का बहुत ही मान करता हूं। मैं यथा सम्भव कम शब्दों में कहना चाहूंगा।

उस वक्तव्य को पूर्णतः सही किया गया है और इसके पश्चात वे सन्तुष्ट हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे चिंता यह है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते इसका सुधार किस तरह से किया जाए। मैंने इसे नोट कर लिया है। वह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, बहुत से देश भक्त लोग वहां पर हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि वे उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है। आपको समझना चाहिए। आप तो बिहार से हैं।

नेहरू प्लेस में वाणिज्यिक प्लॉट

*493. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1984 में नेहरू प्लेस में ड्रा के माध्यम से वाणिज्यिक प्लॉटों का आवंटन करने का प्रस्ताव किया था तथा इसके लिए आवेदन-पत्र भी आमंत्रित किए थे;

(ख) क्या ड्रा आयोजित किया गया था और सफल आवेदकों को विभिन्न किश्तें जमा कराने के लिए कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो इससे कुल कितनी धनराशि एकत्रित हुई थी और कब्जे कब तक दे दिए जाने हैं;

(घ) क्या इस बीच निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आवंटियों से 1.62 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई है। तथापि, नेहरू प्लेस में गगनचुम्बी भवनों के निर्माण पर रोक के कारण फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जा सका और तत्पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजना छोड़ दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पवन कुमार बंसल : यह सुखद स्थिति नहीं है कि सरकारी एजेन्सियां जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और अनेक अन्य एजेन्सियां गैर सरकारी प्रापर्टी डीलरों की तरह कार्य कर रही हैं। कुछ मामलों में आफर दिए जाते हैं और वे लोग सपनों के सौदागर की तरह व्यवहार करते हैं। लोग विज्ञापन पढ़कर सक्रिय हो उठते हैं, पैसे जमा कराते हैं। लेकिन आगे होना-जाना कुछ भी नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे सामने है। मुझे मालूम है कि इसी तरह की घटनाएं चण्डीगढ़ में भी हो रही हैं। सन 1977 में लोगों ने एम० आई० जी० फ्लैटों के लिए आवेदन किया था, जिस पर आज तक विचार नहीं किया गया और अगली योजनाओं की घोषणा की जा चुकी है।

ऐसी स्थिति में, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कार्य कर रही सरकारी एजेन्सियों को ये निदेश दिए गए हैं या दिए जाएंगे कि नागरिकों को जो ऑफर दिए गए थे उसके प्रति अपेक्षित प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाए।

श्री एम० अरुणाचलम : हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डी० डी० ए० द्वारा आवेदकों को दिए गए वचन को किया जा रहा है। खासकर, इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें डी० डी० ए० का कोई दोष नहीं था। प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। अत: वे अपना वचन पूरा नहीं कर सके।

जहां तक गैर-सरकार भवन निर्माताओं का प्रश्न है, हम उनकी सरकारी एजेंसियों से तुलना नहीं कर सकते। हमारा कुछ सामाजिक दायित्व होता है और हम उसे पूरा करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इस उत्तर से आनन्दित महसूस कर रहा हूं। मैंने हमेशा यह

सोचता हूं कि विकास प्राधिकरण योजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय एजेंसियां होती हैं। लेकिन हमें बताया गया है कि प्रतिबन्ध लगा दिया गया और डी० डी० ए० का इससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन मन्त्री जी के जवाब से यह स्पष्ट है कि—उन लोगों से 1.62 करोड़ रुपये लिए गए थे जिन्होंने विज्ञापन के जवाब में पैसे जमा कराए थे। मैं वर्तमान स्थितियों में भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन लोगों को वैकल्पिक जगह देने पर विचार करेगी। क्या इस तरह की नीति बनाई जाएगी कि यदि दिया गया वचन पूरा नहीं किया जाता है तो कम से कम ये लोग परेशान न हों और अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर न हों।

श्री एम० अरुणाचलम : विज्ञापन के बाद हमने 'नेहरू प्लेस कार्मशियल प्लॉट' के लिए 219 आवेदन प्राप्त किए हैं। इन 219 आवेदनों में से 133 ड्रा द्वारा चुन लिए गए हैं। इन 133 में से 99 लोगों ने अपनी जमा राशि वापस ले ली। अब बचे हुए इन 99 लोगों में से 39 लोगों ने भी कभी कनॉट प्लेस पसन्द की है, 20 लोगों को पहले ही आवंटित किया जा चुका है और आठ लोगों को भीकाजी कामा पेलेस में आवंटित किया जाएगा और छह लोगों को लक्ष्मीनगर या जनकपुरी में दिया जाएगा। यह उनकी पसन्द के मुताबिक किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जिस प्रकार यह होना चाहिए वह नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली में लैंड अलॉटमेंट के दो तरीके हैं, एक तो जो कार्मशियल प्लाट्स हैं वे अब अलॉट नहीं होते हैं, वे ऑक्शन में नीलाम किए जाते हैं और उनसे जो आय होती है उससे एल० आई० जी० वगैरह के फ्लैट्स गरीबों को सस्ती दर पर दिए जाते हैं, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दिल्ली में यह नीति है कि कार्मशियल प्लॉट ऑक्शन होगी, अलॉटमेंट नहीं होगी और इस ऑक्शन से जो पैसा बचेगा वह एम० आई० जी० या एल० आई० जी० या गरीबों को सस्ते रेट पर मकान देने पर खर्च किया जाएगा। अगर यह सच है तो मेरा निवेदन यह है कि नेहरू प्लेस के अन्दर यह लास्ट ड्रा किसको दिया गया? क्या बड़े आदमियों को दिया गया? उसमें नाम किस-किस के थे और किस रेट पर दिया गया? पहले हमेशा आक्शन ही हुआ है। ड्रा एलाटमेंट स्कीम कब शुरू हुई? "ए" पार्ट मेरे क्वश्चन का यह है और "बी" पार्ट यह है कि··· (व्यवधान)···जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में लोगों से पैसा ले लिया और दिया नहीं। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि लोगों का करोड़ों रुपया ले लिया है और बाद में स्कीम को 'एबेंडन' कर दिया। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर कितनी जगहों में आपने दिल्ली की जनता से पैसा ले लिया और बाद में स्कीम को 'ऐबेंडन' कर दिया व उन्हें पैसे नहीं दिये।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, जहां तक 'नेहरू प्लेस कार्मशियल प्लेस' की बात है तो 5-9-1984 को ड्रॉ निकाला गया था। जहां तक अन्य क्षेत्रों का प्रश्न है मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं गया है।

उपभोक्ता संरक्षण उपाय

*494. श्री लाल कृष्ण आडवाणी† :
श्री पी० सी० थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण उपायों की पुनरीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्य दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु विभिन्न स्रोतों से अन्य क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें इस अधिनियम में संशोधन के सुझाव शामिल हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को और कारगर बनाने के लिए सरकार को उपयुक्त सिफारिशों का सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल गठित किया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) "उपभोक्ता" तथा "शिकायत" की परिभाषा का विस्तार करना ताकि स्वरोजगार हेतु माल खरीदने वाले व्यक्तियों और उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित हानि/क्षति से सम्बन्धित मामलों को इसमें शामिल किया जा सके;

(2) सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं और स्थानीय निकायों द्वारा दी जा रही आवश्यक सेवाओं को अधिनियम की परिधि के भीतर लाना;

(3) उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति देना;

(4) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को सीज एंड डैसिस्ट आदेश जारी करने, दोष-पूर्ण और असुरक्षित माल को वापस मंगाने आदि जैसी अतिरिक्त शक्तियां देना;

(5) राज्य आयोगों और जिला मंचों का धनराशि सम्बन्धी न्याय क्षेत्र बढ़ाना;

(6) राज्य आयोग और जिला मंच गठित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया को समाप्त करना;

(7) अधिनियम में "उपभोक्ताओं के अधिकारों" पर एक अलग अध्याय जोड़ना;

(8) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों में वकीलों की भूमिका सीमित करना;

(9) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोगों/जिला मंचों के निर्णयों को धारा 323 ख के तहत लाना ताकि उन पर उच्च न्यायालय का रिट न्यायाधिकार लागू न हो; और

(10) तीन स्तरीय प्रतितोष अधिकरणों के गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना आदि।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने 31-3-1992 को कार्यदल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया है। सरकार इन सिफारिशों का गहराई से अध्ययन करेगी और अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के लिए कदम उठाएगी।

(ग) राज्यों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं: (1) अधिक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को बढ़ावा दिया जाए; (2) उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाए; (3) विद्यालयों/महाविद्यालयों में उपभोक्ता शिक्षा आरम्भ की जाए; (4) उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक प्रचार अभियान चलाया जाए आदि।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में वे लोग नहीं आ पाते हैं जो मुफ्त में सेवा प्राप्त करते हैं। सेवाओं पर तो यह लागू होता है, परन्तु उन पर लागू नहीं होता जो मुफ्त सेवा प्राप्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, मेडिकल में की गई लापरवाही के शिकार लोग अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकते क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें उपभोक्ता नहीं माना गया है। वह मुफ्त में सेवा प्राप्त करता है। यह उन हस्पतालों पर भी लागू होता है जो नागरिक निकायों द्वारा चलाए जाते हैं। यह उन सिफारिशों में से एक है, जिसे उच्चाधिकार प्राप्त दल ने दी हैं। सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है?

श्री कमालुद्दीन अहमद : कल, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने बैठक की थी और कार्यकारी दल की सभी दस सिफारिशों पर विचार किया था। इस समय मैं सरकार की प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकूंगा क्योंकि मुझे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मशविरा करना होगा। यह कार्यकारी दल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है। और जहां तक अस्पताल सेवाओं और हाउसिंग सेवाओं का सवाल है, इन पर पहले प्रश्न में ही विचार किया गया है। यहां तक आवास समितियों और स्थानीय निकायों को भी, जो नागरिक और आवास सेवाएं उपलब्ध करती हैं, को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई तरह की जटिलताएं इसमें आएंगी। चिकित्सा व्यवसाय से सम्बद्ध संगठन इस सिफारिश का विरोध कर रहे हैं। मैं इस क्षण इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि यह सरकार को कल ही प्राप्त हुआ है, हम इस सिफारिशों पर विचार करेंगे और हम इस पर एक विधेयक भी प्रस्तुत करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इसे एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है। अन्यथा मैं कहूंगा कि यद्यपि सन् 1986 में इस कानून को अधिनियमित किया गया था, और यह एक सुविचारित और अभिप्रेरित कानून है, फिर भी कार्यान्वयन के तौर पर इसका उल्लंघन हो रहा है। इसे भी फूहड़ ढंग से कार्यान्वित किया गया है। पहला, इस देश में उपभोक्ता आन्दोलन अभी

प्रारंभिक अवस्था में है। मैं सरकार से इस विषय में विशेष आश्वासन चाहता हूं।

अब, एक उच्चाधिकार प्राप्त दल ने इसकी खामियों पर अवलोकन किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं। मंत्री जी ने कहा है कि केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक भी हुई है। हमारा सत्र मई के मध्य तक चलेगा। इनमें से कुछ सिफारिशों को कार्यकारी आदेश से कार्यान्वित किया जा सकता है और कुछ कानून में संशोधन किए जा सकते हैं। क्या सरकार वचन देने को तैयार है कि इस विशेष विषय पर विचार करेगी। और इस बारे में निर्णय शीघ्र ही करेगी और इस सत्र के समाप्त होने के पहले ही कार्यकारी आदेश जारी करेगी और जहां तक संभव हो सकेगा आवश्यक संशोधनों को प्रस्तुत करेगी।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, इस सत्र में ही मैं इस अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब अंतरमंत्रालयीय सलाह-मशविरा इस सत्र के समाप्त होने के पहले हो जाए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये दस सिफारिशें इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न प्रावधानों से संबंधित हैं। जहां तक कार्यकारी आदेश का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तो यह कदाचित संभव हो सकेगा। लेकिन इस अधिनियम में संशोधन होना जरूरी है। अन्य मंत्रालयों से सलाह-मशविरा भी आवश्यक है।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, यह बहुत ही भयावह और आश्चर्य की बात है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी सिफारिश संख्या 8 में कहा है कि तीन स्तरीय शिकायत निवारण एजेंसियों में वकीलों की भूमिका को प्रतिबंधित किया जाए। मैं आश्वस्त हूं कि आप एक सक्षम अधिवक्ता के रूप में इससे सहमत होंगे और आप देख सकते हैं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा हूं।

श्री० पी० सी० थामस : कई माननीय सदस्य यहां हैं, जैसे सोमनाथ चटर्जी, जो अभी भी वकालत जारी रखे हुए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि काले कोट और काले गाउन···

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका प्रश्न है कि जो आप अधिवक्ताओं को कह रहे हैं ?

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मैंने अभी समाप्त नहीं किया है। न्याय के लिए लड़ने की सही तमन्ना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मूल प्रश्न पर आइए। और माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार यह विचार करेगी कि इस तरह के जो प्रतिबन्ध हैं, अर्थात अधिवक्ता नियुक्त करने के लोगों के अधिकार को प्रतिबंधित करना, इसे सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चय किया जाए कि गरीब उपभोक्ताओं को अच्छे अधिवक्ताओं की सेवा इस मामले में प्राप्त हो।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, मैं भी एक ऐसा अधिवक्ता हूं जो वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि संरक्षण परिषद की कल की बैठक में आम सहमति यह थी कि अधिवक्ताओं के प्रवेश को एकदम बन्द कर दिया जाए। मुख्य राय यह थी कि इन मामलों का जल्दी निबटारा किया जाए। और

यही सिर्फ एक बात नहीं थी। कई न्यायाधिकरण ने भी यही कहा है। (व्यवधान) कई न्यायाधिकरणों में भी अधिवक्ताओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध का समर्थन करता हूं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह सही नहीं है।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि बैंकों और दूरभाष सेवाओं में लोगों को संतोषप्रद सेवा नहीं प्राप्त होती है, इसलिए सरकार इन सेवाओं को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाना चाहेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार निकट भविष्य में जनता में यह जागरूकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि उन्हें यह जानने और न्याय के लिए लड़ने का हक है कि उन्हें हुए नुकसान के क्या कारण हैं ? आपको चाहिए कि मीडिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा धन मुहैय्या कराया जाए ताकि जनता जो भी जानना चाहे, वह मिडिया के द्वारा जान सके।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और माननीय सदस्य भी इससे अवगत हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में ही, 180 से ज्यादा स्वयंसेवी संगठन उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए सक्रिय हैं, ये संगठन उपभोक्ता सम्बन्धी शिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत महसूस की जा रही है क्योंकि यहां लोग पिछड़े हुए और अशिक्षित हैं। हम समझते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के किसी भी राज्य ने अभी तक कोई भी उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय नहीं स्थापित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त दल ने क्या सिफारिश दी है ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, हमने राज्य सरकारों से निवेदन किया है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देश दिया है। लेकिन तीन राज्य अर्थात सिक्किम, मेघालय और नागालैण्ड में अभी राज्य जिला फारमों और राज्य आयोगों की स्थापना की जानी है।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प्रस्तावित संशोधन में सरकार राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी। और क्या सरकार उपभोक्ता फार्मों को मजबूत करने पर भी विचार करेगी। क्या प्रस्तावित संशोधनों में वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की जाएगी ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जिसके विषय में राज्य सरकारें लगातार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती आ रही हैं। वे वित्तीय कठिनाइयों की शिकायत कर रही हैं। उन्होंने योजना आयोग से भी अनुरोध किया है कि आवर्ती व्यय को योजना व्यय माना जाए। परन्तु योजना आयोग इससे सहमत नहीं है। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं और हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

*495. **श्री काशीराम राणा** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जा रही केन्द्रीय सहायता में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की कटौती की गई;

(ग) किन-किन कार्यक्रमों के लिए उक्त सहायता राशि कम कर दी गई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गुजरात तक ही मर्यादित है।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए गुजरात वालों को चांस दिया जाए।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता कम नहीं कर दी गई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से गुजरात के बहुत सारे मामलों में अन्याय हो रहा है। जैसे गैस एलोकेशन है, कोयला सप्लाई करने की बात है या राज्य का धान का कोटा देने की बात है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले महीने से राज्य को जो धान का कोटा दिया जा रहा है, उसके मुताबिक पहले गेहूं मिनिमम दस किलो था और मैक्सिमम 40 किलो था, लेकिन अब मिनिमम पांच किलो और मैक्सिमम 20 किलो हो गया है। चावल जो पहले दिया जा रहा था, मिनिमम पांच किलो और मैक्सिमम 20 किलो, लेकिन अब सिर्फ मिनिमम दो किलो और पांच किलो मैक्सिमम दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता कम नहीं कर दी गई है, तो केन्द्र ने पिछले दो सालों में कितनी सहायता दी है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप पिछले वर्ष और इस वर्ष के आंकड़े दे सकते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, इस गैस और अन्य चीजों को इसमें नहीं लिया गया लेकिन केन्द्र ने साधारणतः किसी भी राज्य में 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता को कम नहीं किया है। परन्तु राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं और आठवीं योजना में उन समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। मैं इतना जानता हूं कि सातवीं योजना तक केन्द्रीय सहायता में कोई कमी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनको भेजी गई गैस के बारे में आंकड़े दे सकते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, माननीय सदस्य जो भी जानकारी मांगते हैं, हम अवश्य देंगे।

श्री काशीराम राणा : मैं आंकड़े जानना चाहता हूं क्योंकि मैंने आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब आपके पास आंकड़े हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मैं उन्हें लिखित रूप में सभी आंकड़े दे सकता हूं।

श्री काशीराम राणा : मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि, और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रतिमान में संशोधन करने का विचार है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, आठवीं योजना में एक नीति तैयार की गई है। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कितने प्रभावशाली ढंग से हो रहा है, ये देखने के लिए एक छोटे कार्यकारी दल का गठन किया गया। इसलिए, वास्तव में उन्होंने 12 कार्यक्रमों को कम करके 5 कार्यक्रम पर ध्यान देने का सुझाव दिया और वे क्षेत्र हैं बुनियादी शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण। अब उन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और राशि उन पर ही खर्च की जाएगी। संशोधनों की कमी के कारण अन्य कार्यक्रमों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन कार्यक्रमों के वित्त-पोषण में कठिनाई हो रही है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार जो आवश्यक वस्तुओं का कोटा गुजरात सरकार को देती है, उसके बारे में क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने कोटा को बढ़ाने के लिए आपसे मांग की है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमन्, मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री ने क्या लिखा है। अगर आप···(व्यवधान)···

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा सवाल है, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने खत लिखा है।···(व्यवधान)···

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे तो यह भी मालूम नहीं कि उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है या नहीं।···(व्यवधान)··· मैं नहीं जानता।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल गुम हो जाता है, ज्यादा बोलेंगे तो। एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या गुजरात सरकार ने कोटे की वृद्धि के लिए कोई मांग की थी।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री एच० आर० भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हमने कोई एलोकेशन कट नहीं किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर की अगर कोई चिट्ठी गई है, तो मुझे उसकी जानकारी दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो मंत्री जी ने कहा कि हम गुजरात के अन्दर पेयजल में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कोई कटौती नहीं की तो गुजरात के गांवों के अन्दर पेयजल की जो सुविधा है वह दिन-प्रतिदिन कम क्यों होती जा रही है और इस कारण से वहां लोगों का स्वास्थ्य तो इतना बिगड़ता जा रहा है कि गांव में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने अपने बारे में जो अर्ज किया, आप मुख्य मंत्री से पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

शहरी बन्दोबस्त नीति

*497. श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार ने कोई शहरी बन्दोबस्त नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शहरी विकास मुख्यतः राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार केवल उत्प्रेरक/नोडल भूमिका अदा करती है। आरम्भ किए गए कार्यक्रमों में नीति-विषयवस्तु का प्रयास निर्धनता उन्मूलन माध्यम से तथा नेहरू रोजगार योजना के माध्यम से शहरी निर्धनों को रोजगार और मलिन बस्ती क्षेत्रों में रहन-सहन में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रवसन को कम करना है।

श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत अस्पष्ट है। मेरा सवाल शहरी आवास की नीति के सम्बन्ध में था, लेकिन उन्होंने उस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। जब मैं महानगरों में गया तब मैंने दलित लोगों को रात के समय गलियों में सोते हुए पाया। अतः मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को आश्रय देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है। इसी तरह

दिल्ली, बम्बई, मद्रास आदि शहरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास, उनके लिए जल्द से जल्द आवास उपलब्ध करवाने की कोई योजना है ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि हमारे देश की शहरी जनसंख्या बढ़ रही है और अब वे 5.77 करोड़ बढ़ गई है तथा अब शहरी जनसंख्या 21.72 करोड़ हो गई है। शहरी विकास मंत्रालय एक 'राष्ट्रीय शहरी नीति' तैयार कर रहा है। इसे 'पुनर्वास नीति' भी कहा जा सकता है। उसके बाद, शहरीकरण प्रक्रिया की गम्भीर परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने "राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग" का गठन किया और इस आयोग ने विकास केन्द्रों में पर्याप्त निवेश के लिए सिफारिश की ताकि यह, पड़ोसी क्षेत्रों के लिए रोजगार के स्रोत बन सके। हम पहले ही विभिन्न योजनाएं तैयार कर चुके हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए, महानगरों के निकट सभी सुविधाओं से युक्त समानांतर शहरों का निर्माण करने की कोई योजना है।

श्रीमती शीला कौल : हमारे पास छोटे और मध्यम शहरों के समन्वित विकास के लिए एक योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को हो रहे पलायन को कम करने, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और उपयुक्त सेवायें इन शहरों तथा उनके निकटवर्ती प्रदेशों को पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, आई० डी० एस० एम० टी० योजना शुरू की गई थी।

श्री सुनील दत्त : बम्बई में, चालीस प्रतिशत से अधिक लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ क्षेत्रों में जीवन निर्वाह स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन हवाई अड्डे की भूमि पर, रेल संपत्ति पर, और रक्षा संपत्ति पर झुग्गी-झोंपड़ी है। वहां पर कोई भी सुख-सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन क्षेत्रों के झुग्गी-झोपड़ी वासियों को उचित सुख-सुविधाएं देने के लिए उन्होंने कुछ किया है।

श्रीमती शीला कौल : यह झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों के लिए सुविधाओं से सम्बन्धित प्रश्न है। आपको याद होगा कि तारावी क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे और यदि आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी, जैसा कि आपने रेलवे क्षेत्रों का उल्लेख किया था, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुधार लाना है। यह रेल मंत्रालय के हाथ में है और हम उस क्षेत्र का भी विकास चाहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बेरोजगारों को सुविधाएं

*496. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को अपने औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई सुविधाएं प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति के तहत स्वयं के औद्योगिक एककों की स्थापना के इच्छुक बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से सुविधाएं, शिक्षित युवाओं हेतु स्व-रोजगार योजना के अधीन राजसहायता, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के जरिए ऋण सुविधाएं तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं दी जाती हैं।

कोयले की खपत

*498. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले की वार्षिक खपत कितनी है;

(ख) क्या कोयले के मूल्य में बारम्बार वृद्धि का इसकी खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कोयले के उत्पादन को बढ़ाने और उसके मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) के अन्तिम वर्ष के लिए देश में कोयले की कुल मांग 309.2 मि० टन (7.70 मि० टन मिडलिंग्स को छोड़कर) प्रक्षिप्त की है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान कोयले का वास्तविक उपभोग (2.07 मि० टन मिडलिंग्स को छोड़कर) 210.07 मि० टन रहा। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कोयले का मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसमें विभिन्न आगतों की लागत तथा विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों में वृद्धि के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों को खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, अधिकतम परिणाम हासिल करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग और कोयले का अधिकतम उत्पादन किए जाने के लिए समय पर आवश्यक आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

दिल्ली को हरियाणा से पानी की सप्लाई

*499. **श्री मुमताज अन्सारी :**
श्री जीवन शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा से दिल्ली के लिए बिना छने पानी की सप्लाई की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हरियाणा से पानी की सप्लाई की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान हैदरपुर में स्थापित किये जा रहे 100 मिलियन गैलेन प्रतिदिन क्षमता के द्वितीय जल शोधन संयन्त्र के लिए हरियाणा सरकार से 200 क्यूसेक कच्चे पानी के लिए अनुरोध करता रहा है। इस शोधन संयंत्र के लिए पानी पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से लेने का प्रस्ताव है जो हरियाणा और दिल्ली को पानी सप्लाई करता है। इसके बदले में दिल्ली में ओखला स्थित सीवेज डिस्पोजल वर्क्स से शोधित बहिस्राव सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है।

विभिन्न स्तरों पर अनेक बैठकों के पश्चात् हरियाणा के मुख्य मन्त्री दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान द्वारा डेढ़ गुना शोधित बहिस्राव उपलब्ध कराये जाने की शर्त पर 200 क्यूसेक कच्चे पानी के आदान-प्रदान हेतु तथा बशर्ते कि शोधित बहिस्राव की गुणवत्ता इस समय गुड़गांव नहर में बह रहे पानी से उत्तम है, दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए अन्ततः सहमत हो गए हैं।

(ग) चूंकि भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड दिल्ली के लिये अतिरिक्त पानी सप्लाई करने में असमर्थ है, अतः जल शोधन संयंत्रों के लिये हरियाणा से अपने भाग में से इसकी सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

अम्बेडकर आवास योजना

*500. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों के उन आवेदकों की जमा-राशि लौटा दी है जिन्हें अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत सफल नहीं घोषित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन आमन्त्रित करते समय अपने विज्ञापन में की गई घोषणा के अनुसार ऐसे आवेदकों को उनकी जमा-राशि ब्याज सहित लौटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) निम्न आय वर्ग और जनता के कुल 17825 असफल आवेदकों में से 17695 मामलों में वापसी के चैक तैयार किए गए थे और सन्देशवाहक सेवा के माध्यम से भेजे गए थे तथा 12700 चैक पहले ही दिए जा चुके हैं। संबंधित व्यक्तियों या सही पतों की अनुपलब्धता के कारण 4995 चैक वापिस आ गए। इस श्रेणी के

सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक प्रेस विज्ञापन जारी कर यह कहा गया है कि ऐसे आवेदक चालान की प्रति, जिसके द्वारा उन्होंने भुगतान किया था, को प्रस्तुत करने के पश्चात 30-3-92 से 10-4-92 तक किसी भी कार्यदिवस को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय से अपने भुगतान वापिसी के चैक प्राप्त करें। भुगतान वापिस करने के लिए शेष 130 मामले प्रक्रियाधीन हैं। विवरणिका में असफल पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण जमा पर ब्याज की अदायगी का कोई प्रावधान नहीं है।

2. मध्यम आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृतों के निबटान के लिए ड्रा न्यायाधीन है और इसलिए मध्यम आय वर्ग श्रेणी के असफल आवेदकों के मामले में जमा को वापिस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, आवेदक अपना नाम वापिस लेने के लिए स्वतन्त्र हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

*501. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में 113 स्कीमों को परिव्यय सहित राज्यों को अंतरित करने का निर्णय लिया है, जैसा कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (नरसिंह राव समिति) पर राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति द्वारा सुझाया गया था कि राज्यों द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वयन से और अधिक लचीलापन आयेगा। स्कीमों को और अधिक अर्थपूर्ण तथा प्रभावी बनाने के लिए सुधारों को लागू करने के लिए उनका आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का नाम	किए गए अध्ययनों के ब्यौरे	अभ्युक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अध्ययन का आयोजन किया गया था।	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम में छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि करने तथा स्कीम को प्रभावी रूप से कारगर बनाने का सुझाव दिया गया था ताकि छात्रवृत्ति के वितरण में कार्यवधिक विलम्ब से बचा जा सके। कल्याण मंत्रालय ने 1-7-1989 से छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि कर दी है। कल्याण मंत्रालय ने छात्रवृत्ति वितरण में विलम्ब से बचने तथा कार्यविधि को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर राज्यों पर दबाव डाला है। कई राज्यों ने छात्रवृत्ति संस्तुति तथा वितरण की प्रक्रिया में सुधार किया है।
2.	कम लागत वाली स्वच्छता स्कीम का मूल्यांकन (झाडूकशों की मुक्ति, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के संबंध में)	योजना आयोग के निदेश पर समाज विकास परिषद द्वारा अध्ययन का आयोजन किया गया था।	कम लागत वाली स्वच्छता मूल्यांकन के अध्ययन में उचित निगरानी तथा स्कीम की कार्रवाई का अनुसरण करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा इसमें झाडूकशों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रभावी विधियां भी सुझायी गईं। झाडूकशों की मुक्ति तथा पुनर्वास सम्बन्धी स्कीम को कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया है और अध्ययन की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की उक्त मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा रही है।
3.	ग्रामीण क्रियाशील साक्षरता कार्यक्रम	सातवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन	45 प्रतिशत केन्द्रों में पाठ्यक्रम के क्रियाशील भाग को कवर नहीं किया जा रहा था। काम की चिन्ता, कोई आर्थिक लाभ न होना, वित्तीय कठिनाइयां, माता-पिता द्वारा कक्षाओं में आने से

1	2	3	4
		अध्ययन आयोजित किया गया ।	मना करना आदि केन्द्रों में कम उपस्थिति का मुख्य कारण था ।
4.	जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)	वर्ष 1991-92 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा एक त्वरित मूल्यांकन अध्ययन संचालित किया गया ।	नियत समूहों को रोजगार प्रदान करने में किस सीमा तक जवाहर रोजगार योजना ने सहायता की है, के मूल्यांकन करने की दृष्टि से सृजित परिसंपत्तियों के प्रकार तथा कार्यान्वयन में निहित समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए यह अध्ययन शुरू किया गया। अध्ययन को उन 10 राज्यों में शुरू किया गया जहां ग्रामीण गरीब 90 प्रतिशत से अधिक है तथा देश की 80 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में कुल ग्रामीण जनसंख्या का 80 प्रतिशत रहता है । अध्ययन के निष्कर्ष की प्रमुख बातें थीं—सृजित रोजगार के मानव दिवस के रूप में प्रतिशत उपलब्धि सभी स्तरों पर 1989-90 तथा 1990-91 के वर्षों के दौरान उपलब्ध कुल राशियों के प्रतिशत उपयोग से अधिक था । यह भी देखा गया कि 1991-92 के दौरान उपलब्ध राशि का 50 प्रतिशत से अधिक अन्तिम तिमाही के दौरान केवल उपयोग में लाया जा रहा है तथा प्रमुख कार्य अन्तिम तिमाही के दौरान शुरू किया जा रहा है । यह देखा गया कि परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर कोई पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । ग्राम पंचायत स्तर पर यह महसूस किया गया कि मजदूरी सामग्री अनुपात कार्यशील नहीं था, पंचायत सचिव पर अधिक कार्य आ गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए जाने के बजाय कार्य योजना ब्लॉक एजेंसी द्वारा

1	2	3	4
			तैयार किया गया जिससे क्षेत्र आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई। तकनीकी मार्गदर्शन भी अपर्याप्त समझा गया। कुछ प्रमुख बताए गए सुझाव यह थे कि ग्राम पंचायतें जो मुख्य कार्यान्वित एजेंसियां हैं, को पर्याप्त प्रेरणा तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिए समय पर चुनाव कराना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है। निर्माण के लिए शुरू की जाने वाली परिसम्पत्तियों क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। जवाहर रोजगार योजना मैन्युअल में प्रस्तुत विवरणात्मक सूची मार्गदर्शन के रूप में कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाया गया कि जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन चुनिंदा रूप में गरीबों की बहुलता वाले क्षेत्रों पर जोर देते हुए किया जाए। रिपोर्ट को मार्च, 1992 में प्रस्तुत किया गया।
5.	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	वर्ष 1984 में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन संचालित किया गया।	अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि किस सीमा तक बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, मुक्त करने तथा पुनर्वास करने की स्कीम के उद्देश्य की पूर्ति में सफलता मिली।

सिंचाई-जल के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समिति

*502. श्री बलराज पासी :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई-जल के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सि ारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति ने अन्तिम रिपोर्ट 30 जुलाई, 1992 तक प्रस्तुत करनी है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

*503. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्रीमती रीता वर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार ने यह कार्यक्रम राज्यों को अन्तरित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1991-92 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है :

(लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य	कुल आवंटन	केन्द्रीय अंश	रिलीजें
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1203.00	601.50	620.14
2.	बिहार	828.00	414.00	319.97
3.	गुजरात	746.00	373.00	404.77
4.	हरियाणा	135 00	67.50	67.50
5.	जम्मू व कश्मीर	214.50	107.25	158.48

1	2	3	4	5
6.	कर्नाटक	1249.00	624.50	537.87
7.	मध्य प्रदेश	809.00	404.50	365.18
8.	महाराष्ट्र	1343.00	617.50	612.01
9.	उड़ीसा	621.00	310.00	237.21
10.	राजस्थान	514.00	257.00	331.00
11.	तमिलनाडु	657.00	328.50	321.93
12.	उत्तर प्रदेश	1386.00	693.00	678.27
13.	पश्चिम बंगाल	517.50	258.75	232.15
	योग :	10223.00	5111.50	4886.48

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

*504. डा० महिपाल सिंह शास्त्र :
श्री नीतीश कुमार :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1992 के "द ट्रिब्यून" में "एन० बी० ओ० इज बीइंग वाउन्ड अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् के विस्तार की कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोनों संगठनों को क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं और उनका वार्षिक बजट कितना-कितना है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों संगठनों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण

संगठन में (एन० बी० ओ०) में विभिन्न फालतू पदों के अभ्यर्पण की संभावना विचार-विमर्शाधीन है।

(ग) भवन निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी० एम० टी० पी० सी०) के कार्यकलापों के समर्थन हेतु योजना प्रावधान पर आठवीं योजना अवधि के दौरान विचार किया गया है। तथापि, योजना अवधि के लिए परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के लिए बी० एम० टी० पी० सी० की प्रस्तावित कार्रवाई योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

—आश्रय लागतों को कम करने तथा ऊर्जा गहन सामग्रियों के उपयोग के लिए लागत प्रभावी सामग्रियों तथा निर्माण प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रवेशन तथा प्रोत्साहन।

—औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों के उपयोग पर आधारित भवन निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को प्रोत्साहन।

—अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई भवन निर्माण सामग्रियों तथा प्रीफैब्रीकेटेड संघटकों के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु तथा ईंटों और अन्य पारम्परिक सामग्रियों के अधिक कार्यकुशल निर्माण के लिए उद्यमियों की सहायता करना।

—सार्वजनिक तथा निजी एजेंसियों द्वारा कम लागत की नवीनतम सामग्रियों के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मानकों तथा विभागीय विनिर्देशनों को अद्यतन करना और राष्ट्रीय सामग्रियों तथा संघटक रजिस्टर की स्थापना करना।

—निर्मित केन्द्रों, प्रदर्शन आवास तथा व्यावसायिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी मान्यकरण और कार्यकुशलता उन्नयन को प्रोत्साहित करना।

—कम लागत की भवन निर्माण सामग्रियों की बढ़ती हुई आपूर्ति के लिए जोखिम पूंजी तथा वित्त के बड़े पमाने पर अतर्वाह को साध्य बनाना।

—वे कार्य जिनके लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को स्थापित किया गया था, इस प्रकार हैं :

1. आवास के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी तथा सांख्यिकी सूचना का एकत्रीकरण, परितुलन और प्रसार तथा अनुसंधान और विकास अध्ययनों तथा कार्यक्षेत्र अनुभव पर आधारित अनुभव के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन,

2. विकास तथा भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों और निर्माण की प्रक्रिया के साथ सम्बन्धित विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों तथा निष्कर्ष का समन्वय करना,

3. प्रयोगात्मक आवास तथा समूह प्रदर्शन आवास बनवाने के माध्यम से कम लागत की आवास प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 1991-92 के दौरान दोनों संगठनों के लिए मूल वार्षिक बजट प्रावधान इस प्रकार था :

एन० बी० ओ०	128 लाख रुपये
बी० एम० टी० पी० सी०	300 लाख रुपये

(ङ) हालांकि, बी० एम० टी० पी० सी० जून, 1990 में पंजीकृत हुई थी; यह मात्र जनवरी, 1991 में परिचालन में आई। परिषद की उपलब्धियों में जो शामिल हैं, वे इस प्रकार हैं :

—सार्वजनिक एजेंसियों तथा उद्यमियों द्वारा ईंटों इत्यादि के उत्पादन के लिए उड़नराख और फास्फा-जिप्सम जैसे अपशिष्टों के बड़े पैमाने पर उपयोग हेतु कार्रवाई योजनाओं का विकास।

—विनिर्देशनों की अपनी अनुसूची में लागत प्रभावी वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्रियों को अपनाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जैसी सार्वजनिक निर्माण एजेंसियों को अभिप्रेरित करना तथा निर्माण की कुल लागत में बचतों को प्रभावी बनाना।

—उड़न राख, फास्फा-जिप्सम और रेड-मड जैसे औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों के उपयोग पर आधारित प्रीफेब्रीकेटेड संघटकों, लकड़ी अनुकल्प तथा भवन निर्माण सामग्रियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के अनुदान का सफलतापूर्वक समर्थन करना।

—वित्तीय संस्थाओं से कम लागत की सामग्रियों तथा नवीन प्रौद्योगिकियों के लिए जोखिम पूंजी निष्पक्षता और ऋण प्राप्त करने में उद्यमियों को सहायता करने के प्रस्ताव।

—भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ-साथ अपशिष्ट सामग्रियों पर आधारित भवन निर्माण सामग्री प्लांट की स्थापना के लिए प्रौद्योगिक रूपरेखा को तैयार करने हेतु कार्रवाई आरम्भ करना तथा उत्तरकाशी जैसे भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ मकानों के निर्माण में लोगों की सहायता करने हेतु नियम पुस्तिका तथा प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करना।

—विभागीय विनिर्देशनों के लिए उपाय निकालने के संशोधनों के समय लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग में एक प्रमाणीकरण पद्धति का विकास करना।

—प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए निर्मित केन्द्रों तथा प्रबन्धों के मूल्यांकन में सहायता करना।

1989-90 से आगे गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के प्रयत्नों में निम्नलिखित सम्मिलित है :

—आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 144 प्रायोगिक मकानों के निर्माण के प्रति सहायता।

—कम लागत के 150 प्रदर्शन मकानों का निर्माण।

—600 सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय आवास विकास केन्द्रों के माध्यम से 30 प्रशिक्षण कोर्सों का आयोजन।

—"मोडलर कोर्डिनेशन एण्ड प्रिफब्रीकेशन" तथा इमारती लकड़ी के विषय पर सेमिनारों का आयोजन।

—आवास और भवन निर्माण सांख्यिकी पर राज्य स्तर के 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

—आवास और भवन निर्माण से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रकाशन।

—भवन निर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनियों और अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों का आयात

*505. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को गैर-सरकारी एजेंटों के माध्यम से पामोलीन का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने कितनी-कितनी मात्रा में पामोलीन का आयात किया है;

(ग) क्या तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों ने अपने आयात के लिए भुगतान एक ऐसी फर्म को किया है जिसका नियंत्रण सिंगापुर के एक अनिवासी भारतीय के हाथ में है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु पामोलीन का सीधे आयात करने की अनुमति दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा 80,000 मी० टन खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति दी है। इस योजना में कोई विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जानी है और आयात के लिए अदा की गई धनराशि को केवल निर्यात के अर्थ-प्रबंध हेतु उपयोग में लाने के लिए "एक्सको" खाते में रखा जाना है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आज तक आयात की गई मात्रा

	(मी० टन में)
1. तमिलनाडु	17,940.83
2. केरल	14,927
3. कर्नाटक	अभी आयात नहीं किया गया
4. आन्ध्र प्रदेश	अभी आयात नहीं किया गया
5. पश्चिम बंगाल	8,000
6. गुजरात	8,000 (जहाज अभी घाट तक नहीं पहुंचा है)
7. महाराष्ट्र	8,000

औद्योगिक अल्कोहल को लाइसेंस मुक्त करना

*506. श्री वी० सोमनाथीश्वर राव :
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "औद्योगिक अल्कोहल" को अनिवार्य लाइसेंस सूची से निकालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) भारतीय व्यापार वर्गीकरण (हारमोनाइज्ड वस्तु विवरण और कूटन पद्धति) की मद 22.07 और 29.05 के अंतर्गत उल्लिखित "औद्योगिक अल्कोहल" को उन उद्योगों की सूची, जिनके संबंध में औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है, से 14-2-92 को हटा दिया गया है। इससे औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है, यद्यपि ऐसी वृद्धि का इस अवस्था में ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

[हिंदी]

विशेष श्रेणी के राज्य

*507. श्री राम टहल चौधरी : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य आते हैं; और

(ग) बिहार को इस श्रेणी में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु विशेष श्रेणी राज्यों में वे राज्य शामिल हैं जिनकी पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक महत्व की स्थिति है और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें काफी आदिवासी जनसंख्या रहती है तथा/अथवा जो ऐसे पूर्व छोटे संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों में से बनाए गए हैं, जिनका संसाधन आधार, उनकी विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और कमजोर है।

(ख) वर्तमान दस विशेष श्रेणी राज्य हैं : अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा।

(ग) उपर्युक्त "क" में उल्लिखित मानदण्ड बिहार राज्य पर लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना

*508. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या नीति बनायी है;

(ख) किन-किन राज्यों में इस प्रथा को समाप्त कर दिया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में कम लागत पर स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (च) भारत सरकार ने अगस्त, 1989 से कम लागत की स्वच्छता और सिर पर मैला ढोने से मुक्ति की योजना आरम्भ की है। इस योजना की समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना में वार्षिक रूप से 500 कस्बों में "सम्पूर्ण कस्बा" आधार पर शुष्क शौचालयों को बदलने/नये कम लागत के जलवाही शौचालयों के निर्माण का विचार है। समकालीन पद्धति में निम्नलिखित वित्तीय पद्धति के अनुसार केन्द्रीय सरकार और हडको से ऋणों के मेल-जोल की आर्थिक सहायता से आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) के माध्यम से यह योजना प्रचालित की जा रही है :

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	45 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 50 प्रतिशत ऋण और 5 प्रतिशत लाभभोगियों का अंशदान
निम्न आय वर्ग	25 प्रतिशत आर्थिक सहायता, 60 प्रतिशत ऋण और 15 प्रतिशत लाभभोगियों का अंशदान
मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्ग	शून्य आर्थिक सहायता, 75 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत लाभभोगियों का अंशदान

आगे शुष्क शौचालयों के निर्माण को रोकने और सरकारी भवनों में तत्काल शुष्क शौचालयों को बदलने के लिए म्युनिसिपल उप-नियमों को संशोधित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक समन्वय समिति गठित की गई है। योजना के कार्यान्वयन को क्रियाशील करने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए आगामी तारीख से सिर पर मैला ढोने के लिए मनुष्य को रोजगार में लगाने को एक दण्डनीय अपराध बनाने के लिए केन्द्रीय कानून हेतु एक प्रस्ताव को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है।

2. इस प्रथा को समाप्त करने के बारे में किसी राज्य ने नहीं बताया तथापि, केवल अरुणाचल प्रदेश ने सूचित किया है कि सिर पर मैला ढोने से वे पूर्णत: अनभिज्ञ हैं। कर्नाटक, केरल और गुजरात राज्यों ने दावा किया है कि वे सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हैं और महाराष्ट्र ने दावा किया है कि 31 मार्च, 1992 तक वे सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हो जाएंगे।

3. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कोई विशिष्ट राशि नहीं दी जाती है। तथापि शहरी जनसंख्या, शुष्क शौचालयों की समस्या की व्याप्ति और सिर पर मैला ढोने की जनसंख्या के आधार पर राज्यवार कस्बों की संख्या निर्धारित की जाती है। स्वीकृत की जाने वाली राशि, परिवर्तित/निर्मित किए जाने वाले एककों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के माध्यम से स्थानीय निकायों से प्राप्त वास्तविक प्रस्तावों पर निर्भर करती है। योजना की वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	अनुमोदित नगरों की संख्या	ऋण राशि		आर्थिक सहायता राशि	
			स्वीकृत	जारी	स्वीकृत	जारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	52	3513.92	33.99	1317.15	132.68

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
4.	असम	19	797.86	46.54	570.76	122.86
5.	बिहार	17	—	—	508.31	508.31
6.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
7.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—
8.	दमन तथा द्वीप	—	—	—	—	—
9.	दिल्ली	—	—	—	—	—
10.	गोआ	1	—	—	—	—
11.	गुजरात	—	—	—	—	—
12.	हरियाणा	17	94.81	33.48	65.56	65.56
13.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
14.	जम्मू तथा कश्मीर	6	—	—	—	—
15.	कर्नाटक	52	4955.20	—	1104.06	2.00
16.	केरल	15	882.71	123.71	290.07	48.04
17.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	57	468.36	130.98	272.00	272.00
19.	महाराष्ट्र	172	751.83	438.87	587.77	516.57
20.	मणिपुर	1	—	—	—	—
21.	मेघालय	1	82.13	—	32.79	—
22.	मिजोरम	—	—	—	—	—
23.	नागालैण्ड	—	—	—	—	—
24.	उड़ीसा	78	54066	2.70	512.71	427.10
25.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—	—
26.	पंजाब	29	3150.14	45.72	2834.94	844.79
27.	राजस्थान	60	362.78	—	1169.81	981.90
28.	सिक्किम	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
29.	तमिलनाडु	96	6498.71	748.59	1579.58	820.12
30.	त्रिपुरा	6	—	—	129.87	129.87
31.	उत्तर प्रदेश	64	1495.98	205.65	1772.02	1173.02
32.	पश्चिमी बंगाल	17	—	—	—	—
	जोड़	760	23595.09	1809.83	12747.40	6414.92

भूमि की अधिकतम सीमा तथा किराया नियंत्रण सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन

*509. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा और किराया नियंत्रण संबंधी कानूनों में संशोधन पर विचार करने के लिए 7 मार्च, 1992 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य निर्णय लिए गए ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) कोई निर्णय नहीं लिए गए थे क्योंकि सम्मेलन का उद्देश्य निम्नलिखित मुद्दों पर राज्य सरकारों के मान्य विचारों पर प्रकाश डालना था :

(i) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन;

(ii) आदर्श किराया नियंत्रण कानून; और

(iii) मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति के लिए कानून।

नारियल-जटा मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं

*510. **श्री वाइल जान अंचलोस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में केरल सरकार से नारियल-जटा मजदूरों की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने केरल कॅयर वर्कर्स वैलफेयर फंड में 50 लाख रुपए का अंशदान हेतु आवेदन किया था।

उनके अनुरोध पर कॅयर बोर्ड तथा योजना आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया गया और कॅयर बोर्ड को उक्त फंड के लिए 25 लाख रु० का अंशदान करने का अनुदेश दिया गया।

"वेज गुड्स माडल"

5463. श्री सनत कुमार मंडल : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए नए और योजना आयोग द्वारा वित्त पोषित अध्ययन में योजना प्रक्रिया हेतु "वेज गुड्स माडल" को अपनाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर, विशेष तौर पर आठवीं योजना हेतु योजना प्रक्रिया के नए कोर को अपनाने में इसके दृष्टिकोण पर, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट वेज-गुड्स माडल की विशेषताओं और बारीकियों को स्पष्ट करती है। वेज गुड्स उदाहरण इस परिकल्पना पर विकसित होता है कि वेज गुड्स उप-अर्थव्यवस्था किसी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का मूल होती है। अर्थव्यवस्था की अवशिष्ट गतिविधियों को नॉन-कोर उप-अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रिपोर्ट सुझाती है कि वृहत् आर्थिक नीतियों द्वारा संवर्धित वेज गुड्स माडल को कोर का निर्माण करना चाहिए। बाजार शक्ति को आंशिक रूप में कार्य करना चाहिए ताकि निर्यात का अधिक विकास किया जा सके, उत्पाद और बचतों को प्रोत्साहित किया जा सके, सरकारी व्ययों में कमी की जा सके, अर्थव्यवस्था की राज-कोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके और प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाया जा सके। वेज-गुड्स कार्यनीति में वेज-गुड्स की उत्पादन क्षमता के विस्तार को प्राथमिकता दी जा सके।

(ग) इस रिपोर्ट में निहित विचारों तथा विकास पर अन्य अनेक विचारों और आयोजना प्रक्रिया को आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

अखिल भारतीय सेवाओं की महिला सदस्यों की नियुक्ति

5464. श्री राम नरेश सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं की महिला सदस्यों की कुछ राज्य संवर्गों में नियुक्ति न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य संवर्गों के नाम क्या हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन संवर्गों में पंजाब को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों की कुछ सरकारों तथा निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी की सिफारिशों पर तथा इन राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कानून व व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1990 से 1994 तक महिला अधिकारियों का आवंटन असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैंड तथा जम्मू व कश्मीर में न किया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जिस समय यह निर्णय लिया गया था तब पंजाब में इन राज्यों जैसी स्थिति नहीं थी और इसलिए यह निर्णय पंजाब के लिए लागू नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन

5465. श्री भगवान शंकर रावत : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के लागू होने के परिणामस्वरूप शहरी भूमि की दरों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भूमि अधिग्रहण कार्यालय में शहरी भूमि अधिग्रहण मामलों में की गई अनियमितताओं और किसानों के शोषण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार शहरी भूमि परिसीमन अधिनियम में कमियों को दूर करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) 31 मार्च, 1991 तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित भूमि और उन्हें दी गई अधिकतम क्षतिपूर्ति की दर का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम्) : (क) और (ख) यह सत्य नहीं है कि नगर भूमि की दरों में भारी वृद्धि के लिए मुख्य कारण मात्र नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वयन है। कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे कि रिहायशी, वाणिज्यिक तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि की निरन्तर बढ़ती हुई मांग, कभी-कभी भवन निर्माण सामग्रियों और अन्य सामग्रियों की कमी के कारण मकानों की अपर्याप्त आपूर्ति। तथापि, सरकार अधिनियम में संशोधनों पर विचार कर रही है ताकि मकानों/भूखण्डों के निर्माणार्थ अधिक भूमि उपलब्ध हो।

(ग) और (घ) किसानों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि धारा 2 (ओ) के नीचे दी गई व्याख्या "सी" उनके प्रति कठोरतापूर्ण लागू होती है और उन्होंने इसे समाप्त करने का

अनुरोध किया है। वास्तविक किसानों को अधिक संरक्षण देने के लिए सरकार अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है।

(ङ) विसंगतियां समाप्त करने के लिए भारत सरकार अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों पर विचार कर रही है।

(च) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के ब्यौरे उनके द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अधिनियम में निर्धारित मुआवजे की अधिकतम दर श्रेणी "क" तथा "ख" नगर बस्ती समूहों में 10/-रुपये प्रतिवर्ग मीटर और श्रेणी "ग" तथा "घ" नगर बस्ती समूहों में 5/-रुपये प्रतिवर्ग मीटर है।

विवरण

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिग्रहित और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में निहित रिक्त भूमि की मात्रा (हैक्टरों में)	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक रूप से अधिग्रहित रिक्त भूमि की मात्रा (हैक्टरों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	2,621-67	1,777-7
2. असम	18-99	7-53
3. बिहार	23-92	19-18
4. गुजरात	2,085-00	770-08
5. कर्नाटक	2,347-64	852-90
6. मध्य प्रदेश	4,245-18	1,447-04
7. महाराष्ट्र	4,449-70	974-70
8. उड़ीसा	68-42	47-05
9. पंजाब	71-17	—
10. राजस्थान	1,733-47	565-55
11. उत्तर प्रदेश	11,514-14	3,826-0
12. पश्चिमी बंगाल	169-24	46-1
13. दिल्ली	25-80	1-85
14. पाण्डिचेरी	26-12	13-75
15. चण्डीगढ़	—	—
16. छावनी क्षेत्र	362-67	21-70
	25,813-13	10,373-87

बिहार से निर्धन लोगों का पलायन

5466. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से, विशेषकर छोटा नागपुर, संथाल परगना से बड़ी संख्या में आदिवासी, हरिजन समुदायों तथा दुर्बल वर्गों के लोग रोजगार की तलाश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य राज्यों में पलायन करते हैं;

(ख) क्या उन्हें बिना उचित मजदूरी दिए आवश्यक कार्य घंटों से अधिक समय तक काम करने पर विवश किया जाता है और उनका हर प्रकार से शोषण किया जाता है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए इन निर्धन लोगों को उचित मजदूरी मिले तथा उनका शोषण रोका जाए, सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

दिल्ली में अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण

5467. श्री माल्वे सोवर्धन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्ष के दौरान कितने अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण हटाए गए तथा दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में 1989-90 के अन्त तक कितने मामले पहचाने तथा बुक किए गए;

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान ऐसे कितने-कितने मामलों का पता लगाया; और

(ग) क्या अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण के वर्तमान मामलों को नियमित किया जा रहा है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राज्यों के क्षेत्रों में कथित विसंगति

5468. श्री शंकर राव के० काले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के भारत के महासर्वेक्षक द्वारा परिकलित क्षेत्रों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के भूमि अभिलेख निदेशकों द्वारा परिकलित क्षेत्रों में विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन आंकड़ों के बीच परस्पर संगति बिठाने का कभी प्रयास किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार के ध्यान में एसी कोई विसंगति नहीं लाई गई है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

तेल के आयात बिल में कटौती

5469. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1991-92 में तेल के आयात बिल में कटौती करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) 1991-92 के आयात बिल में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कटौती की गयी है;

(घ) 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) खाद्य तेलों के आयात की आवश्यकता की निरन्तर समीक्षा की जाती है और स्थानीय उपलब्धता, विदेशी मुद्रा तथा खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, जब भी आवश्यक होता है, आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आयात निम्नवत रहा है :

वित्त वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)	लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य (करोड़ रु० में)
1990-91	5.38	349.95
1991-92	1.07	103.51
(26-3-92 तक)	(अनन्तिम)	

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए अभी खाद्य तेलों के आयात तथा उनकी मात्रा के बारे में निर्णय नहीं किया है।

[हिन्दी]

उच्च वोल्टता विद्युत लाइनों के नीचे अवैध निर्माण

5470. श्री बाऊ दयाल जोशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के ऐसे क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है जहां पर 33 कि० वा० उच्च वोल्टता विद्युत लाइनों के नीचे अवैध रूप से घरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन ने पूर्वी दिल्ली के मंडावली, परिसर की रेलवे कालोनी में इन मकानों को हटाने के लिए कोई सूचना जारी की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने ऐसा सर्वेक्षण किया हैं।

(ख) जैसा कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है, मण्डावली काम्प्लेक्स में मकानों के उपर से गुजरने वाली 33 कि० वा० की उपरि विद्युत लाइनों की प्रभाव्यता के लिए आवश्यक नोटिस दे दिए गए हैं। इन नोटिसों की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही के लिए दिल्ली नगर निगम और विद्युत निरीक्षक, दिल्ली प्रशासन को भेजी गई हैं।

(ग) इन मकानों को गिराने की कार्यवाही सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जानी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

ग्रामीण गरीबों के लिए घर

5471. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विभाग के आवंटन में कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण गरीबों के लिए घर बनाने हेतु नए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नई योजनाओं को किस तरह से लागू किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1992-93 के लिए निधियों के प्रस्तावित आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए 20 वर्गमीटर क्षेत्र में बने "स्टार्टर" मकान उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1992-93 से ग्रामीण आवास के लिए एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करने की योजना बनाई है। वर्ष 1992-93 के लिए एक नए मकान की निर्माण लागत 10,000 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की गई है तथा विद्यमान मकानों में सुधार करने के लिए 4,000 रुपए प्रति इकाई निर्धारित की गई है जिसमें बाद के वर्षों में वृद्धि भी की जा सकती है। इस योजना को राज्य सरकारों की मार्फत क्रियान्वित कराने का प्रस्ताव है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कोलाब विद्युत परियोजना के लिए विद्युत मदों की सप्लाई

5472. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उड़ीसा में अपर कोलाब विद्युत परियोजना के एकक-चार हेतु महत्वपूर्ण विद्युत मदों की अभी तक सप्लाई नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक सप्लाई कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) भेल के पास कोई महत्वपूर्ण विद्युत मद लम्बित नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु गुट निरपेक्ष आन्दोलन केन्द्र

5473. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित "गुट निरपेक्ष आंदोलन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र" की स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) इस केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अब तक कौन-कौन से देश इसके सदस्य बन चुके हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) गुट निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र की नई दिल्ली में स्थापना 16-18 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित इसकी शासी परिषद् की प्रथम बैठक के साथ हुई थी।

(ख) इस केन्द्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

—गुट निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए आम नीति अपना कर आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम द्वारा अपेक्षित विभिन्न कार्रवाइयों को बढ़ावा देना;

—विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान तथा विकास को आपसी लाभ के लिए बढ़ावा देना;

—प्रौद्योगिकी सूचना के लिए क्लीयरिंग हाऊस के रूप में कार्य करना; और

—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की एक सूची रखना।

(ग) अभी तक इकतीस देश इस केन्द्र के सदस्य बन चुके हैं।

[अनुवाद]

बीदर, कर्नाटक का विकास

5474. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार ने बीदर जिले की कुछ विकास परियोजनाओं की योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5475. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में फरवरी, 1992 तक कुल निवेश कितना था;

(ख) इन उपक्रमों का वार्षिक उत्पादन लाभ/घाटा कितना है और इनमें से प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ग) महाराष्ट्र स्थित उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें केन्द्रीय सरकार और अधिक निवेश करना चाहती है क्रियान्वनाधीन ऐसे केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केवल 31-3-1991 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के सन्दर्भ में कुल पूंजीनिवेश 22012.36 करोड़ रुपए था।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में स्थित 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं, चालू किए जाने की अनुमानित तिथि, अनुमोदित मूल/परिशोधित लागत, अनुमानित लागत आदि का ब्यौरा 5-3-1992 को संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I के पृष्ठ 55 से 63 तक पर दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	उत्पादन/प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	निवल लाभ (+)/ हानि (—)	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
(क)	**लाभ का उत्पादन करने वाले उद्यम**		(करोड़ रुपयों में)	
1.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	4931.25	127.81	11029
2.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	98.06	0.79	2642

1	2	3	4	5
	3. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	229.72	31.97	2296
	4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	5774.29	120.14	13109
	5. इंडियन ऑयल ब्लैण्डिंग लि०	11.34	3.61	688
	6. इंडियन ऑयल कारपो० लि०	17734.04	730.04	34508
	7. इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	82.70	0.76	3751
	8. ल्यूब्रिझोल इंडिया लि०	190.00	8.55	581
	9. महाराष्ट्र एंटीबायोटिकल्स लि०	8.78	(—) 0.65	204
	10. मैग्नीज ओर इण्डिया लि०	44.69	4.71	9425
	11. मझगांव डॉक लि०	301.09	3.21	13049
	12. महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०	93.63	2.19	1086
	13. राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि०	0.79	(—) 18.20	1022
	14. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	116.09	(—) 14.36	14600
	15. नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०	129.21	(—) 32.99	17101
	16. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	949.76	40.76	5886
	17. रिचर्डसन एंड क्रूडास लि०	58.72	(—) 8.64	3073
	18. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	726.26	(—) 95.40	86443
	(ख) सेवाप्रदायी उद्यम			
	19. एयर इण्डिया	1505.95	81.23	18185
	20. एयर इण्डिया चार्टर्स लि०	1.16	0.01	41
	21. भारतीय कपास निगम लि०	669.67	62.85	1214
	22. निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम	46.11	(—) 140.73	520
	23. भारतीय होटल निगम लि०	42.49	(—) 13.74	3846
	24. इण्डो होक्के होटल लि०	0.23	(—) 0.16	31
	25. खनिज गवेषण निगम लि०	52.74	(—) 4.56	8758
	26. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	6.93	(—) 0.25	282
	27. भारतीय नौवहन निगम	1119.92	95.25	10209
	28. विदेश संचार निगम लि०	375.61	78.58	2798

योजना आयोग द्वारा शक्तियों का अनधिकार ग्रहण

5476. श्री राम नाईक : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद तथा अन्तर-राज्य परिषद की शक्तियों का अवैध रूप से ग्रहण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को केन्द्रीय निवेश राज सहायता

5477. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के केन्द्रीय निवेश राज सहायता के दावे केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दावों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को 26.57 करोड़ रु० की धनराशि के दावों की प्रतिपूर्ति की गई थी। 15.6 लाख रु० के दावों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इनमें से पात्र दावों की, निधि उपलब्ध हो जाने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में फुटपाथों पर अवैध कब्जा

5478. श्री मदन लाल खुराना :
श्री जीवन शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर पालिका से पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए इसके क्षेत्र में फुटपाथों पर अवैध कब्जे को हटाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्षेत्र में सारे फुटपाथों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सारे फुटपाथों पर अवैध कब्जा कब तक हटा दिए जायेंगे;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम से उसके क्षेत्र में भी सारे फुटपाथों पर अवैध कब्जे भी हटाने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अवैध कब्जे के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में भी इसी तरह की सिफारिशें की थीं; और

(छ) यदि हां, तो इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनपथ लेन के अनधिवासियों द्वारा दायर की गई सी० डब्ल्यू० सं० 3532/91, जिसमें नई दिल्ली नगर पालिका पर उन्हें हटाने से रोक लगाने के लिए कहा गया, को रद्द कर दिया और पालिका को फुटपाथों से सभी अतिक्रमण हटाने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करने तथा इस प्रकार कानूनी कर्त्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने का निदेश दिया।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वह अपने क्षेत्र में फुटपाथों पर अतिक्रमण की समस्या से अवगत है तथा अतिक्रमणों को हटाने के लिए पंजाब पालिका अधिनियम, 1911 की धारा 173(2) के तहत नियमित रूप से छापे मार कर समुचित कार्रवाई करती है। नई दिल्ली नगर पालिका ने कनाट प्लेस, जनपथ और केन्द्रीय सचिवालय पर बर्ड रोड, सरोजनी नगर और चैम्सफोर्ड रोड से स्थानीय पुलिस की सहायता से अनधिकृत अतिक्रमणों को हटा दिया है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बड़ी संख्या में अनधिवासी नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में अपना व्यवसाय विभिन्न न्यायालयों से स्थगनादेशों के बल पर कर रहे हैं। इनको हटाने का कार्य विभिन्न न्यायालयों के अन्तिम आदेशों पर निर्भर करेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में क्रियाशील हाकरों/अनधिवासियों के दावों की संवीक्षा करने के लिए श्री जी० पी० थरेजा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति गठित की है। समिति के समक्ष ऐसे बहुत से आवेदन लम्बित हैं।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि अनधिवासियों को हटाने का कार्य सतत आधार पर किया जाता है, अतः कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) तथा (ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फुटपाथों/पटरियों समेत म्यूनिसिपल मार्गों पर अतिक्रमण दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 321 और 322 के अन्तर्गत अभियोज्य हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अतिक्रमणों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

(च) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने सिफारिश की :

"जहां संभव हो, सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास (स्कवाटिंग) को नियमित किया जाए। परन्तु, सार्वजनिक और सामाजिक प्रयोजना के लिए अपेक्षित भूमि की सुरक्षा

करनी होगी तथा पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदी भूमि से अनधिवासियों का चयनात्मक पुनर्स्थापन करना होगा।"

(घ) जहां तक अनधिवास (स्कवाटिंग) के विनियमन का सम्बन्ध है, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम अनधिवासियों को तहबाजारी प्रदान करते हैं तथा स्टाल/कियोस्क आबंटित करते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्होंने एक नीति बनाई है जिसमें स्कवॉटिंग जोनों के निर्धारण के अतिरिक्त अनधिवासियों के पुनर्वास के तरीके बताए गए हैं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

5479. श्री वी० धैवराजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुदरा उपभोक्ता बाजार में खाद्य तेलों, चीनी, सब्जियों, दालों, प्याज आदि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य 29 फरवरी, 1992 को क्या थे;

(ख) मुद्रास्फीति के दबाव का इन वस्तुओं पर प्रभाव न होने देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा 10 आवश्यक वस्तुओं के 29-2-1992 के खुदरा मूल्य सूचित नहीं किए गए हैं। तथापि, 28-2-92 (निकटतम उपलब्ध तारीख) के खुदरा मूल्य संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मूल्य सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्यों की नियमित अन्तरालों पर समीक्षा करती है और मांग तथा आपूर्ति में असन्तुलनों को ठीक करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करती है। इसी प्रयोजन के लिए देश में खाद्य तेलों की समग्र आपूर्ति की अनुपूर्ति के लिए पामोलीन तेल का आयात किया गया है। देश में दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संपुष्ट किया गया है और दूर तक फैले, दूरस्थ तथा पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया है, ताकि समाज के गरीब लोग उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकें। इस प्रयोजन के लिए संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम के तहत 1700 ब्लाकों को चुना गया है। सरकार ने जमाखोरों, चोरबाजारियों और ऐसे समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई को तेज किया है। 1-1-1991 से 29-2-1992 की अवधि के दौरान 164781 छापे मारे गए, 5673 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 6690 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 281 व्यक्ति दोषी पाए गए और 25.41 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से आवश्यक वस्तुओं जैसे दालों, आलू, प्याज, लाल मिर्च, चाय, गुड़, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और वनस्पति के मूल्यों में कमी आई है। अधिकांश केंद्रों में चीनी के मूल्य भी स्थिर हुए हैं।

विवरण

चुने केन्द्रों पर चुनी आवश्यक वस्तुओं के 28-2-90 को खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि० ग्राम)

केन्द्र	चावल	गेहूं	चना	तुर	चीनी	गुड़*	मूंगफली का तेल	सरसों का तेल	वनस्पति	चाय (खुली)	नमक (पैकधुवा)	आलू*	प्याज*
दिल्ली	6.50	4.50	10.00	16.00	9.50	6.00	42.00	32.00	38.00	55.00	3.00	2.00	2.00
लखनऊ	5.00	4.70	9.00	14.00	9.00	4.50	52.00	28.00	40.00	52.00	2.00	2.50	2.00
अहमदाबाद	5.80	5.40	9.30	17.00	8.80	7.50	39.00	34.00	40.00	75.00	3.00	3.25	2.00
बम्बई	7.20	7.40	11.00	17.00	9.20	9.00	40.00	38.00	46.00	60.00	2.50	3.50	1.50
जयपुर	7.50	5.00	8.25	17.00	9.25	5.75	40.00	30.00	40.00	65.00	2.50	2.00	1.75
गुवाहाटी	6.00	5.75*	8.80	14.00	9.40	6.00	46.00	30.00	42.00	50.00	2.50	2.50	3.00
पटना	6.50	5.50	9.00	16.00*	9.00	6.50	को० न०	36.00	40.00	60.00	3.00	2.00	2.00
भुवनेश्वर	4.80	5.00	10.50	16.00	9.50	7.00	49.50	36.00	44.00	60.00	2.50	2.20	2.00
कलकत्ता	5.50	4.50*	9.50	16.00	9.30	5.50	48.00	32.00	39.00	45.00	2.50	2.50	1.80
हैदराबाद	6.00	5.00	9.00	14.25	8.40	5.00	34.00	44.00	38.00	40.00	1.50*	3.50	1.00
बंगलौर	7.00	6.50	10.00	17.00	8.80	6.50	37.00	42.00	44.00	52.00	2.00	2.60	1.60
त्रिवेंद्रम	7.50	8.75	14.50	20.00	9.25	8.30	45.00	को० नं०	50.50	59.00	2.50	5.00	3.80
मद्रास	6.20	6.50	10.00	17.00	8.70	6.00	35.00	46.00	42.00	84.00	1.50	3.00	2.50

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

को० न० : कोट नहीं किए गए

* 26-2-92 को मूल्य

नान-कोकिंग कोयले के पिटहैड भंडार को खपाना

5480. श्री पीयूष तीरकी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोयला खानों के निकट इकट्ठा हुए नान-कोकिंग कोयले के पिटहैड के 2 करोड़ टन भंडार को तत्काल खपाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भंडार की बिक्री करने के लिए अपनाए जाने वाले मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ उद्योगों/उपभोक्ताओं को वरीयता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (ङ) अभी हाल ही में कोल इण्डिया लि० के पिटहैड स्टाक से 20 मि० टन कोयला जारी किए जाने का एक निर्णय लिया गया है। कम्पनी को, स्टाक को निम्नलिखित रूप में श्रेणीकृत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं :

(1) रेलवे साइडिंग के 3 कि० मी० के अन्दर कोलियरियों में पड़ा स्टाक;

(2) रेलवे साइडिंग के 3 कि० मी० से अधिक दूरी में पड़ा स्काक;

(3) कोलियरियों में पिटहैड स्टाक, जो कि तापीय विद्युत गृहों जैसे उपभोक्ताओं के स्थलों के लिए ग्रहीत है;

(4) कोलियरियों में स्टाक, जो कि केवल सड़क से संयोजित है।

श्रेणी 2 और 4 के अन्तर्गत आने वाले स्टाक की बिक्री की जाएगी। ऐसी बिक्री में वास्तविक उपभोक्ताओं को जैसे सीमेंट, कागज, वस्त्र, ग्लास, लाइम, लघु उद्योग और ईंट भट्ठा उद्योग, आदि उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिक्री कीमत, ग्रेड विशेष के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कीमत के अनुसार होगी और इस सम्बन्ध में रखरखाव प्रभार, आदि। कोयले के ग्रेड का निर्धारण कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिले का विकास

5481. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या लक्ष्य की प्राप्ति की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ख) परिव्यय तथा व्ययवार विकास के मुख्य शीर्ष संलग्न विवरण-I में तथा महत्वपूर्ण वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। कुछ मदों को छोड़कर अधिकांश वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

विवरण-I

परिव्यय तथा व्यय—उत्तरांचल

(उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र उपयोजना)

(लाख रुपए)

क्र० सं०	विकास के मुख्य शीर्ष	सातवीं योजना (1985—90)	
		अनुमोदित	व्यय
1	2	3	4
1.	ग्रामीण विकास सहित कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	28699	31954
2.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7350	8222
3.	ऊर्जा	13700	12422
4.	उद्योग एवं खनन	4300	4839
5.	परिवहन	17600	18604
6.	विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	100	53
7.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2177	3756
8.	शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति	9700	13387
9.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3360	3748
10.	जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	16036	19477
11	सूचना	50	73
12.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1430	1725
13.	श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2394	2607
14.	सामान्य सेवाएं	604	439
	कुल जोड़	107500	121316

विवरण-II

सातवीं योजना (1985—90)

वास्तविक व्यय तथा उपलब्धि

क्र० सं०	मद	इकाई	सातवीं योजना (1985—90)	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
I.	कृषि			
	1. खाद्यान्न उत्पादन	000 टन	1750	1568
	2. रसायन उर्वरकों (एन० पी० के०) का वितरण	,, ,,	90	83
II.	बागबानी			
	1. फलोद्यान (ए० डी० डी० एल०) के अंतर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र	000 हे०	40	33
	2. वनस्पति खेती (ए० डी० डी० एल०) के अंतर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र	,, ,,	16	15
	3. कीटनाशकों तथा बागबानी फसलों (ए० डी० डी० एल०) का नियंत्रण	,, ,,	165	203
	4. पुराने फलोद्यानों (ए० डी० डी० एल०) का कायाकल्प	,, ,,	40	45
III.	कृषि तथा वन विभाग द्वारा मृदा संरक्षण क्षेत्र कवरेज (ए० डी० डी० एल०)	,, ,,	74.24	99.95
IV.	वानिकी			
	1. औद्योगिक एवं बुवा लकड़ी खेती	000 हे०	37.00	36.68
	2. संचार			
	(क) सड़कों का निर्माण	कि० मी०	275	644
	(ख) मौजूदा सड़कों का सुधार	कि० मी०	1275	4065
	3. ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती	000" हे०	31.16	17.10

1	2	3	4	5
V.	ग्रामीण विकास			
	1. आई० आर० डी० पी० (लाभग्राही जिन्हें सहायता दी गई)	लाख सं०	2.67	2.32
	2. एन० आर० ई० पी०/जे० आर० वाई० (रोजगार सृजित)	लाख श्रम दिवस	89.42	141.28
VI.	लघु सिंचाई			
	1. निजी लघु सिंचाई कार्यों के जरिए पैदा की गई संभावनाएं	000" हे०	45.78	53.97
	2. राज्य कृषि सिंचाई कार्यों के जरिए पैदा की गई संभावनायें	,, ,,	41.50	47.20
VII.	ग्रामीण विद्युतीकरण			
	1. विद्युतीकृत गांव	सं०	4335	3467
	2. विद्युतीकृत हरिजन बस्तियां	सं०	3468	2702
	3. विद्युत द्वारा चालित पम्पसैट/ट्यूबवेल	सं०	500	2125
VIII.	गांव का लघु उद्योग			
	1. हरिजन और कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों का गठन	सं०	40	55
	2. एस० एस० आई० यूनिटों की स्थापना	सं०	6000	9055
	3. एस० एस० आई० यूनिटों के जरिए सृजित सीमित रोजगार	सं०	40,000	42,483
	4. करघों का अभिग्रहण	सं०	920	2106
	5. शिल्पी इकाइयों की स्थापना	सं०	9000	9890
	6. शिल्पी इकाइयों के जरिए सृजित रोजगार	सं०	9000	9973
	7. पुराने और नए लाभकारों के लिए आई० आर० डी० स्कीम के तहत उद्योगों को दी गई सहायता	सं०	42,000	57,421
	8. शहतूत कोया उत्पादन	लाख रु०	1.00	0.74
	9. ओक टसर कोया उत्पादन	लाख सं०	1.50	2.60

1	2	3	4	5
IX.	परिवहन			
	1. सड़कों का निर्माण	कि० मी०	1200	786
	2. सड़कों का पुनर्निर्माण	कि० मी०	1100	1155
	3. पुलों का निर्माण	सं०	175	221
X	सामान्य शिक्षा			
	1. जूनियर बेसिक विद्यालयों की स्थापना	सं०	1110	881
	2. सीनियर बेसिक विद्यालयों की स्थापना	सं०	200	138
	3. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना	सं०	105	370
XI.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य			
	1. अस्पताल	सं०	2	2
	2. ग्रामीण डिस्पेंसरियां	सं०	5	4
	3. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	सं०	91	94
	4. उप केन्द्र	सं०	—	66
	5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं०	15	7
XII.	ग्रामीण जल आपूर्ति (जल निगम) पाइप जल आपूर्ति			
	1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शामिल गांव	सं०	4037	2710
	2. केन्द्रीय क्षेत्रक (ए० आर० पी०) शामिल गांव	सं०	616	945
XIII.	आवास			
	1. निर्बल वर्ग आवास का निर्माण	सं० (और)	34373	34373
XIV.	श्रम कल्याण			
	(क) अभिज्ञात बंधुआ मजदूर	व्यक्ति	4318	6644
	(ख) पुनर्वासित	,,	4318	6644

कृषि क्षेत्रक में, मौसम की स्थितियां उपलब्धि में गिरावट के कारण हैं।

बागबानी के अन्तर्गत गिरावट का कारण उधार नीति में परिवर्तन है।

वानिकी के अन्तर्गत कमी मुख्यतः इसलिए आई है क्योंकि ग्रामीण ईंधन लकड़ी खेती स्कीम के तहत इस स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 3 जिलों के बजाय 8 पहाड़ी जिलों का लक्ष्य रखा गया था और शेष 5 जिलों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत के अभाव में शामिल नहीं किया गया।

विद्युत क्षेत्रक के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सके क्योंकि इस कार्यक्रम का कार्यक्रम का कार्यान्वयन कठिन क्षेत्रों में भी किया जाना था और पहाड़ी आई० ई० परियोजनाओं, जिन्हें विकसित होने में अपेक्षा से अधिक समय लगा, के सम्बन्ध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत सरकार द्वारा अपेक्षित दावों को पूरा नहीं किया जा सका।

नई सड़कों के निर्माण के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि अंतरण मामलों का न स्वीकृत होना कमी का कारण है।

सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत* लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि सातवीं योजना अवधि के दौरान स्थानीय मांग तथा लोक प्रतिनिधियों का जबरदस्त दबाव अपेक्षाकृत माध्यमिक शिक्षा अर्थात् पहाड़ी क्षेत्रों में नए हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज खोलने पर अधिक रहा।

* प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अन्तर्गत।

[अनुवाद]

एच० एम० टी० एककों का आधुनिकीकरण

5482. श्री० वी० एस० विजय राघवन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में एच० एम० टी० के एककों का आधुनिकीकरण और परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) एच० एम० टी० ने आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान, विभिन्न एककों के आधुनिकीकरण तथा विविधकरण की योजनाएं बनाई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

असम सरकार द्वारा प्लाटों का आवंटन

5483. श्री प्रबोध डेका : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हुडको जैसे आवास संगठनों ने असम के लोगों को असम सरकार द्वारा आवंटित किए गए प्लाटों पर मकानों का निर्माण करने के लिए कितनी धनराशि दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : विभिन्न आय वर्गों के लिये आवास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हुडको राज्य स्तरीय ऋण लेने वाले विभिन्न अभिकरणों को ऋण सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूखण्डों पर मकानों के निर्माण के लिये हुडको व्यक्तिगतों को प्रत्यक्षतः कोई ऋण स्वीकृत नहीं करता।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की सप्लाई

5484. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें विभिन्न प्रकार की सप्लाई करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने मार्च, 1992 तक के लिए कोल इंडिया लिमिटेड न मार्च, 1992 तक के लिए सूचीबद्ध किया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को अपने उत्पादों की सप्लाई के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है;

(ग) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य स्रोतों से इन उत्पादों को ले रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० वी० श्यामगौड) : (क) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वतः ही कोल इण्डिया लि० के साथ सूचीबद्ध हैं।

(ख) से (घ) कोल इण्डिया लि० एक वाणिज्यिक स्वरूप का उपक्रम है और इसलिए इसे वाणिज्यिक रूप में कार्य करना पड़ता है। कोल इण्डिया लि० द्वारा खरीदारी प्रतियोगितात्मक निविदाओं के आधार पर की जाती है और निविदा के आधार पर अधिकतम प्रतियोगितात्मक तथा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप में स्वीकार्य पेशकशों को ही स्वीकार किया जाता है। यह कोयला कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है कि वे केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ही खरीदारी करें। यदि इसी तरह की वस्तुओं का अन्य उत्पादकों द्वारा निर्माण किया जाता हो।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

5485. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से उन कर्मचारियों के लिए जो भविष्य निधि में अंशदान देते हैं, पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए मौजूदा भविष्य निधि योजना के बदले में पेंशन योजना लागू करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा अन्य संगठनों से सरकार को प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अंशदायी भविष्य निधि योजना जारी रखनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उद्यम विशेष यदि चाहें तो सरकारी क्षेत्र के उद्यम से पृथक किसी निधि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उद्यम/सरकार के किसी दायित्व के बिना, कर्मचारियों द्वारा विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए उपयुक्त वार्षिक योजना तैयार कर सकते हैं।

गरीबी उन्मूलन

5486. श्री धर्मभिक्षम : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक से कितनी सहायता मांगी गई है और इस सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने संभावित विश्व बैंक सहायता के लिए एक परियोजना रूपरेखा "आंध्र प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना" तैयार की है। परियोजना में कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों, सिंचाई वानिकी, बागवानी, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, शिक्षा, महिला तथा बाल विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों के लिए निवेश शामिल हैं।

(ग) विश्व बैंक सहायता की उपयुक्तता, समय और सीमा तकनीकी उपादेयता दृष्टिकोण से सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों की ओर से संसाधन दृष्टिकोण से योजना आयोग की अनिवार्य स्वीकृति तथा व्यापक परियोजना तैयारी और दाता अभिमानता तथा दाता एजेंसी के प्रतिबद्ध निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विश्व बैंक सहायता हेतु गरीबी उन्मूलन योजना

5487. श्री के० वोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विश्व बैंक सहायता हेतु एक गरीबी उन्मूलन योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और उक्त ऋण को किस प्रकार लौटाये जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की संभव सहायता से "आन्ध्र प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना" नामक एक परियोजना की रूपरेखा प्रस्तावित की। इस परियोजना में कृषि और संबंधित क्षेत्रों, सिंचाई, वानिकी, बागवानी, कोश कीट पालन, मछली पालन, शिक्षा महिला व शिशु विकास, स्वास्थ्य आदि में निवेश शामिल हैं।

वित्त मन्त्रालय तकनीकी व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों से अनुमोदन होने पर विश्व बैंक सहायता के औचित्य, समय और सीमा और योजना आयोग संसाधनों की दृष्टि से अध्ययन कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र

5488.. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के तहत् उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। नव निर्मित 7 जिलों अर्थात् कानपुर देहात, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मऊ, सोनभद्र, हरिद्वार एवं फिरोजाबाद को भी विद्यमान जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। ये 7 सात जिला उद्योग केन्द्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं तथा इन्हें वित्तीय बाधाओं तथा योजना आयोग के पास लम्बित पड़े अनुमोदन के कारण केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(ग) सरकार ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत् अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिला उद्योग केन्द्रों की सूची

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जिला उद्योग केन्द्रों के नाम।

1. आगरा	11. फर्रुखाबाद	21. गोरखपुर
2. अलीगढ़	12. बरेली	22. देवरिया
3. एटा	13. बदायूं	23. आजमगढ़
4. मथुरा	14. पीलीभीत	24. बस्ती
5. मैनपुरी	15. शाहजहांपुर	25. झांसी
6. इलाहाबाद	16. फैजाबाद	26. ललितपुर
7. फतेहपुर	17. गोंडा	27. जालौन
8. प्रतापगढ़	18. बहराइच	28. बांदा
9. कानपुर (नगर)	19. सुल्तानपुर	29. हमीरपुर
10. इटावा	20. बाराबंकी	30. मुरादाबाद

31. रामपुर	40. सहारनपुर	49. नैनीताल
32. बिजनौर	41. मुजफ्फर नगर	50. अल्मोड़ा
33. लखनऊ	42. गाजियाबाद	51. पिथौरागढ़
34. रायबरेली	43. बुलंदशहर	52. पौढ़ी गढ़वाल
35. उन्नाव	44. वाराणसी	53. चमोली
36. सीतापुर	45. मिर्जापुर	54. उत्तर काशी
37. लखीमपुर खेरी	46. जौनपुर	55. टिहरी गढ़वाल
38. हरदोई	47. गाजीपुर	56. देहरादून
39. मेरठ	48. बलिया	

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उन नए जिला उद्योग केन्द्रों के नाम जिनके विषय में केन्द्र सरकार विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का अनुमोदन लम्बित पाया गया है।

1. कानपुर (देहात)
2. सोनभद्र
3. फिरोजाबाद
4. सिद्धार्थनगर
5. मऊ
6. हरिद्वार
7. महाराजगंज

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों बहुल क्षेत्रों में पेयजल/बिजली की सुविधाएं

5489. श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में बिजली और पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्रों में ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में पीने के पानी की

सुविधाएं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मुहैया कराई जाती हैं। स्वच्छ पेयजल का पहला जलस्रोत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में उपलब्ध कराया जाना है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम का कम से कम 25 प्रतिशत परिव्यय अनुसूचित जातियों और 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल सप्लाई हेतु इस्तेमाल किया जाना है। इसी प्रकार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्णतया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने हेतु विशेष घटक योजना के अन्तर्गत और अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत न्यूनतम परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी कवरेज को तेज करने के लिए 9 राज्यों को 1989-90 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बिना पानी वाली 11,000 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 19.80 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत की गई थी। डा० बाबा साहेब शताब्दी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की 30,000 बस्तियों में पेयजल मुहैया कराने के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों में बिजली की सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना नहीं चल रही है/विचाराधीन नहीं है।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1992-93 के लिए राज्य-वार आवंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, 1992-93 में पेयजल सुविधाओं के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 97.5 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों और 39 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजातियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

योजना निधियां और भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित करते समय और राज्य विद्युत विभागों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार करते समय आदिवासी और हरिजन बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराने के प्रश्न को ध्यान में रखा जाता है। विद्युतीकरण के लिए गांवों का पता लगाने/चयन करने के बारे में निर्णय राज्यों द्वारा लिए जाते हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सभी बस्तियों, जिनमें पेय-जल सुविधाएं नहीं मुहैया कराई गई हैं और जहां जरूरत से कम पेयजल उपलब्ध है, में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।

कुल 1,11,886 आदिवासी गांवों में से 73,596 आदिवासी गांवों का 31 दिसम्बर, 1991 तक विद्युतीकरण कर दिये जाने की सूचना मिली है। प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1991 तक लगभग 2,54,906 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास

5490. श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयतित प्रौद्योगिकी से पूरे किये गए स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकी के संवर्धन और विपणन की कोई विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसका उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जायेगा;

(ग) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना बनायी गई है; और

(घ) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकियों के संवर्धन एवं विपणन के लिए निगम का कई क्षेत्रों में नवीन पहल करने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा अपनाए जाने वाले प्रस्तावित इन उपायों एवं दृष्टिकोण की प्रकृति की रूपरेखा निम्नांकित है :

प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम

निगम ने एन० आर० डी० सी० द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा चुने हुए विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंधित सावधानीपूर्वक चुनी हुई कुछ प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाना एवं वित्तीय सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है, यथासम्भव उद्योग के साथ संयुक्त आधार पर अथवा सीधे उद्योग में। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निगम ने अपने लिए निम्नांकित क्रियात्मक उद्देश्य तय किए हैं :

1. विपणन संभाव्य एवं प्रौद्योगिकी आपूर्ति आंकलन के आधार पर लगभग 5 परियोजनाओं का चयन करना।

2. परियोजनाओं के प्रारम्भ होते ही विनिर्माण कंपनी का पता लगाना एवं उससे सम्बन्ध स्थापित करना जिससे प्रौद्योगिकी विकसित होते ही उसका शीघ्र एवं सफलतापूर्वक व्यापारीकरण किया जा सके।

3. प्रक्रिया/उत्पादन विकास के उपयुक्त स्तर पर जहां आवश्यक हो, इंजीनियरी परामर्शदाताओं और उपकरण निर्माताओं की खोज करना एवं उनसे सम्बन्ध स्थापित करना।

4. निगम ने अपने स्टाफ अथवा अनुवीक्षण समिति के द्वारा परियोजाओं की प्रगति का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करना।

उन्नत प्रयोगशाला प्रक्रिया के लिए डिजाइन एवं इंजीनियरी कार्यक्रम

यदि प्रयोगशाला में विकसित उत्पाद को बाजार में वाणिज्य के लिए लाभकारी उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना है तो प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के डिजाइन एवं इंजीनियरी जिसे नवीन प्रक्रिया की शृंखला में बहुत पहले ही सम्भवतया सर्वाधिक गम्भीर अभाव मान लिया गया है, को बन्द करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के मूलत: दो भाग होंगे पहला निगम में प्रक्रिया का स्माल कोर बनाना एवं ड्राफ्टसमैन द्वारा यथेस्ट समर्थित प्लांट डिजाइन इंजीनियर्स तथा लघु कम्प्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन सुविधा। ये कोर ग्रुप उन्नत प्रक्रियाओं/प्लांटों की टैक्नो-इक्नोमिक्स परिभाषित करने के लिए सम्भाव्यता/परियोजना रिपोर्ट के लिए इंजीनियरी इन्पुट

मुहैया कराने तथा मूल एवं विस्तृत इंजीनियरी में सीमित आंतरिक "हैंड्स ऑन इफोर्ट" प्रारम्भ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय आंतरिक ग्रुपों जैसे रसायन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही ग्राहकों/लाइसेंसधारियों के साथ अन्योन्य सम्बन्ध स्थापित करेगा। दूसरा प्रयोगशाला, लाइसेंसधारी तथा बाह्य डिजाइन कम्पनी के बीच "स्विचिंग नोड" के रूप में कार्यरत आंतरिक कोर ग्रुप सहित बाह्य इंजीनियरी डिजाइन कम्पनियों को डिजाइन एवं इंजीनियरी कार्य देना, विशेषकर प्रमुख प्रक्रियाओं/प्रौद्योगिकियों के लिए।

एन० आर० डी० सी० द्वारा लाइसेंस प्रदत्त स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण करने वाले उद्यमियों को टेक्नो कर्मशियल वित्तीय सहायता

स्वदेशी प्रौद्योगिकी के प्रति उद्यमियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए निगम का विदेशी सहयोग से उत्पादित अथवा प्रसिद्ध ब्रांड के नामों के अधीन आकलित अथवा कम या अन्य सीमा शुल्क सहित ओपन जनरल लाइसेंस के अधीन आयातित उत्पादों की अपेक्षा प्रथम लाइसेंसधारी उत्पादों को गम्भीर मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए मूल्य समर्थन मुहैया कराने का प्रस्ताव है। साथ ही विज्ञापन, तकनीकी साहित्य, उत्पाद परीक्षण, प्रमाणीकरण आदि के लिए उच्च चयन के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया करा कर लाइसेंसधारियों को उनके उत्पादों को बाजार में लाने में सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। आरम्भ में निगम ने उद्योग को अपने द्वारा दी गई लाइसेंसीकृत स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर निर्मित उत्पादों के विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया है।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

5491. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के अधिकांश वर्तमान सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1986 के बाद से आयोग में कितनी नियुक्तियां की गई हैं इनमें से कितने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं तथा ऐसे सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं तथा वे किस सेवा/संवर्ग से सम्बन्धित हैं;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों से सदस्यों के चयन के यदि कोई नियम है तो वे क्या हैं; और

(घ) उन वर्तमान सदस्यों का जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, ब्यौरा क्या है तथा उनका अनुभव क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के उपबन्धों तथा संविधान के अनुच्छेद 320 में दिए गए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को ध्यान में रख कर की जाती है। दिनांक 1-1-1986 के संघ लोक सेवा आयोग में, इसके एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति सहित 13 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें से निम्नलिखित दो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं :

1. लेफ्टिनेंट जनरल आर० एस० दयाल

2. श्री ओ० एम० अहमद

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वर्तमान गठन इस प्रकार है :

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी

अध्यक्ष	पिछला अनुभव
1. श्री जगदीश प्रकाश गुप्ता	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
सदस्य	
2. वाइस एडमिरल जी० एम० हीरानन्दानी (सेवानिवृत्त)	उप मुख्य नौ-सेना अध्यक्ष
3. श्री ए० पद्मनाभन	आई० ए० एस० (तमिलनाडु)
4. श्री के० ए० कल्याणकृष्णन	आई० ए० एस० (यू० पी०)
5. श्री हरिश्चन्द्र	महानिदेशक, केन्द्रीय लो० नि० विभाग
6. श्रीमती ओतिमा बोर्डिया	आई० ए० एस० (राजस्थान)
7. श्री एस० जे० एस० छतवाल	भारतीय विदेश सेवा
8. श्री जे० एम० कुरैशी	आई० पी० एस० (एम० पी०)
9. श्री एस० के० मिश्रा	आई० ए० एस० (हरियाणा)

गैर-सरकारी कर्मचारी

सदस्य

1. श्रीमती रोज मिलन बैथ्यू खारबुली	सदस्य, मेघालय लोक सेवा आयोग
2. डा० (सुश्री) पी० सेल्वी दास	कुलपति, मैसूर विश्वविद्यालय

मध्य प्रदेश में कागज व लुगदी उद्योग बोर्ड

5492. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर रायगढ़ जिले में बांस के अधिकतम उत्पादन को देखते हुए सरकार का विचार राज्य में कागज व लुगदी बोर्ड पर आधारित उद्योग को स्थापित करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एकक

5495. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी भाग में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कोई एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय भेल की क्रयादेश स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए यह कोई नई फैक्टरी लगाने का विचार नहीं कर रही है। तथापि, भेल ने उपयोगिता के लिए तत्पर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ता में क्षेत्रीय मुख्यालय और भुवनेश्वर तथा पटना में सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं।

"चार" क्षेत्रों का विकास

5495. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "चार" क्षेत्रों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) असम सरकार ने अपने पंचवर्षीय योजना 1992-97 दस्तावेज में चार क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावों को शामिल किया है। इनमें (1) जनसंख्या, अधिकांशतः किसानों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए कृषि/डेयरी क्रियाकलापों/पीने के पानी की आपूर्ति सुविधाओं/बुनाई, सिलाई आदि/कुटीर उद्योग तथा शिक्षा पर बल सहित विशेष कार्यक्रम, (2) इंटर चार और इंटराचार व गतिशीलता तथा विपणन सुविधाओं हेतु आधारभूत संरचना सृजन के लिए पर्याप्त परिवहन तथा संचार सुविधाओं का विकास, (3) बढ़े हुए उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय सहित समृद्ध तथा अधिक विविधितापूर्ण जीवन के लिए गरीबों के लिए नये अवसर देकर रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाना, और (4) आठवीं योजना अवधि के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के जरिए चार क्षेत्रों के विकास के लिए वास्तविक, सामाजिक तथा संरचनात्मक दबावों को हटाया जाना शामिल है।

आठवीं योजना के लिए प्रस्तावित नई स्कीमें : खेलों तथा युवा कल्याण, मात्स्यिकी, बेरोजगार युवकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं, रिक्शों तथा ठेला गाड़ियों के वितरण, नावों पर चल डिस्पेंसरियों तथा शहरी रैन-बसेरों के लिए हैं।

दिल्ली में उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपो के लिए लाइसेंस जारी करना

5496. श्री राम विलास पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य दिल्ली में अब तक उचित दर दुकानों और मिट्टी के तेल के डिपो के लिए पृथक-पृथक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) इनमें से अब तक कितने लाइसेंस पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या लाइसेंस वाली दुकानों/डिपो के आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कोई आरक्षण है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त लाइसेंस वाली उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपो में आरक्षण की सुविधा देने का है जैसा कि पम्पों और एल० पी० जी० की एजेंसियों के आवंटन के मामले में है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं की संख्या इस प्रकार है :

उचित दर दुकानों की संख्या	:	3254
मिट्टी के तेल के डिपओं की संख्या	:	1864

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित उचित दर की दुकानों तथा मिट्टी के तेल के डिपुओं की संख्या नीचे दी गई है :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित उचित दर की दुकानों की संख्या	:	312
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित मिट्टी के तेल के डिपुओं की संख्या	:	166

(ग) और (घ) जी हां। फरवरी, 1989 से दिल्ली प्रशासन द्वारा रोस्टर प्रणाली के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट कोटा आवंटित किया जाता है। इससे पूर्व पात्रता की शर्त के साथ-साथ प्राथमिकता की कसौटी थी।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपो, कोयला डिपो आदि चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा नियत करने पर विचार करें।

सरकारी आवासों में अनधिकृत निर्माण

5497. श्री के० राममूर्ति टिंडिवनम : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनधिकृत अतिरिक्त कमरों का निर्माण किए जाने का पता चला है खासकर सरोजनी नगर के सरकारी क्वार्टरों में; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) उन आवंटियों को, जिन्होंने सरकारी क्वार्टर में अतिरिक्त कमरों आदि का निर्माण किया है, यह अनुरोध करते हुए नोटिस जारी करने का प्रस्ताव है कि वे अनधिकृत निर्माण 15 दिन के अन्दर-अन्दर गिरा दें अन्यथा उनके विरुद्ध आवंटन नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्रतिलिस सुनिश्चित रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ऐसा किया जाएगा।

भूमि सुधार

5498. श्री आनन्द अहेबिन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधार के कार्यान्वयन सम्बन्धी मूल्यांकन परियोजना की रिपोर्ट में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी ने अधिक प्रभावशाली ढंग से भूमि सुधार लागू करने के लिए चयन किए गए कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह चयन किए गए कौन-कौन से क्षेत्र हैं;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) "भूमि सुधार के समवर्ती मूल्यांकन" हेतु एक परियोजना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी को तीन वर्ष (1989-92) के लिए आबंटित की गई थी। अकादमी ने पहले दो वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है जिसमें भूमि सुधार के और अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सामान्य और राज्य विशेष हेतु सिफारिशें शामिल हैं।

ये सिफारिशें काश्तकारी सुधार, भूमि की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कानूनी और प्रशासनिक उपायों से सम्बन्धित हैं।

भूमि राज्य का विषय है इसलिए यह राज्य सरकारों पर है कि वे कार्यान्वयन हेतु इन सिफारिशों को अपनाएं।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को अधिक सहकारी समितियों को सौंपना

5499. श्री आर्ब फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को श्रमिक सहकारी समितियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रमुख श्रमिक संघों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) कुछ श्रमिक संघों ने विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की 20-1-1992 को आयोजित बैठक में कामगारों की सहकारी समितियों के गठन का सुझाव दिया है। यदि कामगार इच्छुक हों तो सरकार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कामगारों की सहकारी समितियों के जरिए चलाए जाने सम्बन्धी अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। बहरहाल, कामगारों की सहकारी समितियों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर इस सम्बन्ध में कंपनी-वार ब्यौरा तैयार किया जाना है।

औषधों पर खुदरा मूल्य अंकित करना

5500. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्युटिकल कंपनियां अपने प्रत्येक उत्पाद के प्रत्येक नए बैच और सप्लाई किए जाने वाले समूह पर नये अधिकतम मूल्य छाप रही हैं;

(ख) इस बारे में वर्तमान निदेशों/नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषध कंपनियों द्वारा खुदरा मूल्यों में बार-बार संशोधन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में इन कंपनियों द्वारा किन मापदंडों का पालन किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार गैर अनुसूचित सूत्रयोगों के मामले में 1-1-'992 को या उसके बाद विनिर्मित बैचों से फुटकर बिक्री के लिए प्रस्तावित सूत्रयोग के डिब्बे के लेबल और उसके न्यूनतम पैक पर सभी करों सहित अधिकतम फुटकर कीमत छापना भेषज कंपनियों के लिए अपेक्षित है।

(ग) और (घ) महोदय, अनुसूचित सूत्रयोगों के मामले में मूल्यों में संशोधन से पहले भेषज कंपनियों के लिए डी० पी० सी० ओ०, 1987 के अन्तर्गत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। मूल्य नियन्त्रण से बाहर के सूत्रयोगों के मामले में कंपनियां सरकार को सूचित करके मूल्यों को संशोधित करने के लिए स्वतन्त्र है।

टेक्नोलाजिकल पार्कों का प्रबन्धन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपा जाना

5501. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितने 'साफ्टवेयर टेक्नोलाजिकल पार्कों' की स्थापना की है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पार्कों का प्रबन्धन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रबन्धन सौंपने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने पुणे, बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तिरुवनन्तपुरम, गांधीनगर तथा नोएडा में सात सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस० टी० पी०) की स्थापना की है।

(ख) और (ग) जी, हां। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का प्रबन्ध इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं को निम्नलिखित कारणों से सौंपने का निर्णय किया गया है :

(i) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के वर्तमान संगठनों में इस समय उपलब्ध मूल संरचनात्मक सुविधाओं तथा जनशक्ति का पूरा उपयोग करना;

(ii) इन संगठनों में उपलब्ध तकनीकी और विपणन सम्बन्धी कुशलता का उपयोग करना;

(iii) आर्थिक, कठिनाइयों के कारण प्रचालन में अधिक से अधिक मितव्ययिता लाना।

पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय

5502. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राजकीय पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय चल रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं और उनकी क्षमता, विशेषतौर पर उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित राजकीय पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय की कितनी है;

(ख) क्या भुवनेश्वर स्थित राजकीय पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय क्षमता से कम कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में तीन भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय चल रहे हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्रम सं०	मुद्रणालय का नाम/ अवस्थिति	मूल्यांकित वार्षिक क्षमता (छाप संख्या)
1.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	5,78,65,300
2.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, चण्डीगढ़	10,07,91,800
3.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, मैसूर	9,28,08,800

(ख) जी हां।

(ग) कागज की पर्याप्त आपूर्ति, खराबी होने पर मशीन की अविलम्ब मरम्मत सुनिश्चित करने के उपायों के अतिरिक्त आपरेटिव के कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। उड़ीसा विद्युत बोर्ड से मुद्रणालय को प्राथमिकता स्थापना समझने तथा इसे विभिन्न अवरोधों जैसे बिजली की कटौती इत्यादि से छूट देने और समुचित वोल्टेज स्तर बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर हानि एवं राजसहायता को सीमित करना

5503. डा० आर० मल्लू : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर हानि एवं राजसहायता को सीमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हानि और राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अमरीका में इन कीटनाशकों के स्थान पर विकसित किए गए एवं इस समय बड़े पैमाने पर उपयोग में लाए जा रहे गैर-रासायनिक विकल्पों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिंता मोहन) : (क) और (ख) सरकार बढ़ रही आर्थिक सहायता बिलों के बारे में चिंतित है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान रासायनिक उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायता, जिसमें सांविधिक रूप से अधिसूचित मूल्यों पर आयातित उर्वरकों पर बिक्री पर हुई हानि (जिसकी वसूली की जा रही है) शामिल है, क्रमशः 3200.70 करोड़ रु०, 4542.10 करोड़ रु० और 4385.06 करोड़ रु० की।

जहां तक कीटनाशी दवाओं का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार

द्वारा विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए दी गई आर्थिक सहायता नीचे दी गई है :

वर्ष	दी गई प्रशासनिक मंजूरी (लाख रु० में)	जारी की गई राशि (लाख रु० में)
1988-89	414	200
1989-90	298	420
1990-91	130	135
योग	862	755

(ग) और (घ) जी, हां। गैर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का प्रयोग संसार के कई देशों में रुचि जागृत कर रहा है। रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के जरिए बायो उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषिगत पद्धतियों पर आधारित समन्वित कीटनाशक प्रबन्धन को अपनाने, जैविक और यांत्रिक इस्तेमाल तथा रसायनिक कीटनाशियों के न्यूनतम प्रयोग को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता

5504. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से भूकम्प प्रभावित गढ़वाल में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना के अधीन राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के अवसर जुटाने के लिए एक नियमित प्लान योजना है जिसके अन्तर्गत राज्यों/जिलों में निधियों का वितरण पूर्व निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किया जाता है। इसलिए, गढ़वाल क्षेत्र के भूकम्प प्रभावित इलाकों के लिए 1991-92 में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर पाने की गुंजाइश बहुत कम है। इस सीमा के बावजूद भी, देश के कुछ कम कार्य निष्पादन वाले जिलों में वर्षा की कमी के पूर्वाभास को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच से पता चला है कि ये रोजगार के अवसर जुटाने की बजाय परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता दिए जाने के स्वरूप के थे। उपरोक्त

बताई गई सीमाओं के बावजूद भी भारत सरकार ने अधिकतम सम्भव सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को समायोजित किया गया है जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित तथ्य दर्शाते हैं :

इन्दिरा आवास योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लिए इन्दिरा आवास योजना हेतु 7.25 करोड़ रुपए के आबंटन के लिए अनुरोध किया था। इसमें से केन्द्रीय अंश (80 प्रतिशत) 5.80 करोड़ रुपए बैठते हैं। इस मांग को पूरी तरह पूरा कर दिया गया था।

दस लाख कुओं की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने दस लाख कुओं की योजना के लिए 2.10 करोड़ रुपए की राशि का भी अनुरोध किया था। उन्हें सलाह दी गई थी कि इसे, उन्हें दस लाख कुओं की योजना के लिए पहले से आबंटित राशि, जो कि 102.19 करोड़ रुपए थी, का दोबारा से आबंटन करके पूरा किया जा सकता है।

अन्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के लिए मांगी गई राशि के अलावा, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों के लिए 13.87 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए भी अनुरोध किया था। उसमें से केन्द्रीय अन्श (80 प्रतिशत) 11.09 करोड़ रुपए बैठता है। प्रस्ताव और राशि के उपयोग की क्षमता की प्रशासनिक सीमा की जांच करने के बाद केन्द्र सरकार ने कार्यक्रम के लिए 5.00 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया था। केन्द्र सरकार का निर्णय सही रहा है क्योंकि फरवरी, 1992 के अन्त तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों के लिए उपलब्ध निधियों की केवल 12 प्रतिशत, 73.1 प्रतिशत और 42.4 प्रतिशत निधियों का ही उपयोग किया है।

[अनुवाद]

योजना आयोग पुनर्गठन सम्बन्धी आयोग

5505. श्री बी० चोक्का राव :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री वी० कृष्णमूर्ति, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में योजना आयोग को पुर्नगठन करने हेतु गठित विशेष पेनल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग और उसके सचिवालय के सदस्यों की संख्या कम करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के पुनर्गठन तथा प्रबन्ध के बारे में गठित टास्क फोर्स की अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं कि योजना आयोग को एक "थिंक टैंक" की भूमिका निभानी चाहिए तथा सुझाया गया है कि केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ आयोग में और अधिक अन्त:क्रिया को प्रोत्साहित करते हुए इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रभागों का पुनर्गठन करना चाहिए। अल्पावधिक कुशलता प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी परामर्शदाताओं को शामिल करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा आवश्यक इनपुट प्रदान करने में विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता है। आयोग को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कार्मिकों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए तथा वरिष्ठता, योग्यता तथा कार्यकुशलता के आधार पर कुल संख्या के अन्तर्गत उच्च ग्रेड के पदों पर नियुक्ति में लोचशीलता होनी चाहिए।

(ग) सिफारिशों के अनुसार आयोग में पदों की संख्या कम की गई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आवंटन

5506. **श्री के० प्रधानी :**
श्री चित्तेन्द्र नाथ दास :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री सत्यनारायण जटिया :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के आवंटन में कोई कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कार्यक्रमों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में अभी तक कितनी राशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991-92 में प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन और रिलीज को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1992-93 के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विवरण

1991-92 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को केंद्रीय आवंटन तथा रिलीज

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम		जवाहर रोजगार योजना	
	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	2588.76	2524.012	15332.96	15555.01
2. अरुणाचल प्रदेश	234.72	133.952	264.54	27.05
3. असम	707.03	622.715	4091.67	3467.48
4. बिहार	5180.90	3325.010	30773.42	28429.78
5. गोआ	48.90	48.240	285.82	282.79
6. गुजरात	1066.06	1211.229	6472.57	6408.76
7. हरियाणा	255.10	387.746	1541.46	2055.02
8. हिमाचल प्रदेश	91.33	122.002	908.22	964.14
9. जम्मू तथा कश्मीर	127.55	112.619	1289.21	1992.90
10. कर्नाटक	1620.34	1286.709	9647.76	9321.49
11. केरल	880.24	864.395	5116.95	5035.24
12. मध्य प्रदेश	3432.78	3001.184	21122.00	17119.51
13. महाराष्ट्र	2773.00	2362.887	16339.88	12975.66
14. मणिपुर	20-47	22.576	339.06	113.02
15. मेघालय	61.41	65.564	396.73	489.79
16. मिजोरम	97.80	98.992	162.12	182.74
17. नागालैंड	102.69	93.294	425.26	578.84
18. उड़ीसा	1695.92	1600.536	10475.94	8360.48
19. पंजाब	215.73	412.997	1340.52	1314.42
20. राजस्थान	1653.41	1598.801	10244.22	7580.42
21. सिक्किम	19.56	27.000	154.83	269.57
22. तमिलनाडु	2324.32	2142.637	13778.93	12051.53

1	2	3	4	5
23. त्रिपुरा	72.43	54.999	440.39	474.10
24. उत्तर प्रदेश	6928.56	6973.925	40874.62	35637.61
25. पश्चिम बंगाल	2895.83	2892.938	17429.55	10613.77
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	48.90	39.120	156.56	52.16
27. चंडीगढ़	—	—	—	—
28. दादर व नगर हवेली	9.78	6.872	84.99	78.50
39. दिल्ली	48.90	41.450	—	—
30. दमन व द्वीव	19.56	12.458	50.07	4.38
31. लक्षद्वीप	5.00	5.000	79.49	25.83
32. पांडिचेरी	39.12	39.040	153.25	80.36

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	
	आबंटन	रिलीज
1	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	1203.00	597.64
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—
3. असम	—	—
4. बिहार	828.00	319.97
5. गोआ	—	—
6. गुजरात	746.00	370.62
7. हरियाणा	135.00	67.50
8. हिमाचल प्रदेश	—	—
9. जम्मू व कश्मीर	214.50	158.48
10. कर्नाटक	1249.00	464.16
11. केरल	—	—
12. मध्य प्रदेश	899.00	352.95
13. महाराष्ट्र	1343.00	612.01

1	6	7
14. मणिपुर	—	—
15. मेघालय	—	—
16. मिजोरम	—	—
17. नागालैंड.	—	—
18. उड़ीसा	621.00	221.12
19. पंजाब	—	—
20. राजस्थान	514.00	257.00
21. सिक्किम	—	—
22. तमिलनाडु	657.00	321.93
23. त्रिपुरा	—	—
24 उत्तर प्रदेश	1386.00	678.27
25. पश्चिम बंगाल	517.50	211.56
26 अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—
27. चंडीगढ़	—	—
28. दादर व नगर हवेली	—	—
29. दिल्ली	—	—
30. दमन व दीव	—	—
31. लक्षद्वीप	—	—
32. पांडिचेरी	—	—

(लाख रुपए में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मरुभूमि विकास कार्यक्रम		त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	
	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	—	—	2547.00	2547.00
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	462.00	294.00
3. असम	—	—	1370.00	1370.90
4. बिहार	—	—	2999.00	2363.00

1	2	3	4	5
5. गोआ	—	—	55.00	55.00
6. गुजरात	225.00	225.00	1633.00	1633.00
7. हरियाणा	425.00	425.00	999.00	720.00
8. हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	642.00	641.00
9. जम्मू व कश्मीर	300.00	300.00	1916.00	1528.00
10 कर्नाटक	—	—	2342.00	2330.00
11. केरल	—	—	1191.00	1191.00
12. मध्य प्रदेश	—	—	2819.00	3231.00
13. महाराष्ट्र	—	—	3390.00	3390.00
14. मणिपुर	—	—	308.00	308.00
15. मेघालय	—	—	420.00	420.00
16. मिजोरम	—	—	129.00	129.00
17. नागालैंड	—	—	422.00	387.00
18. उड़ीसा	—	—	1335.00	1173.00
19. पंजाब	—	—	424.00	424.00
20. राजस्थान	3800.00	3800.00	4183.00	4183.00
21. सिक्किम	—	—	372.00	372.00
22. तमिलनाडु	—	—	2019.00	2019.00
23. त्रिपुरा	—	—	350.00	350.00
24. उत्तर प्रदेश	—	—	4724.00	4724.00
25. पश्चिम बंगाल	—	—	1824.00	1206.00
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	40.00	20.00
27. चंडीगढ़	—	—	—	—
28. दादर व नगर हवेली	—	—	13.00	—
29. दिल्ली	—	—	14.00	7.00
30. दमन दीव	—	—	22.00	240.00
31. लक्षद्वीप	—	—	10.00	—
32. पांडिचेरी	—	—	26.00	10.00

(लाख रु० में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	
	आबंटन	रिलीज
1	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	207.10	207.10
2. अरुणाचल प्रदेश	22.00	22.00
3. असम	61.10	61.10
4. बिहार	514.40	514.40
5. गोआ	4.50	4.50
6. गुजरात	204.40	204.40
7. हरियाणा	40.00	40.00
8. हिमाचल प्रदेश	15.00	15.00
9. जम्मू व कश्मीर	12.50	12.50
10. कर्नाटक	232.70	232.70
11. केरल	84.90	84.90
12. मध्य प्रदेश	195.20	195.20
13. महाराष्ट्र	171.50	171.50
14. मणिपुर	5.80	5.80
15. मेघालय	5.10	5.10
16. मिजोरम	7.00	7.00
17. नागालैंड	7.30	7.30
18. उड़ीसा	141.60	141.60
19. पंजाब	41.00	41.00
20. राजस्थान	124.00	124.00
21. सिक्किम	3.70	3.70
22. तमिलनाडु	318.60	318.60
23. त्रिपुरा	5.70	5.70
24. उत्तर प्रदेश	643.70	643.70
25. पश्चिम बंगाल	247.80	247.80

1	6	7
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	11.50	11.50
27. चंडीगढ़	—	—
28. दादर व नगर हवेली	4.00	4.00
29. दिल्ली	15.00	15.00
30. दमन व दीव	1.90	1.90
31. लक्षद्वीप	0.60	0.60
32. पांडिचेरी	10.00	10.00

*आवंटन को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 60:00 के आधार पर वहन किया जाता है।

विस्फोटकों का उत्पादन, सप्लाई और मांग

5507. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विस्फोटकों के उत्पादन, मांग और सप्लाई और आयात का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) देश में विस्फोटक सामग्री के लिए कुल 4,85,700 मी०टन की क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। 1990, 1995 तथा 2000 तक देश में विस्फोटक सामग्री की मांग का क्रमश: 1,88,000 मी० टन, 3,32,000 मी०टन तथा 4,12,000 मी०टन होने का अनुमान है। 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विस्फोटक सामग्री का उत्पादन क्रमश: 1,37,044 मी० टन, 1,59,145 मी० टन तथा 1,45,529 मी० टन था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) तथा भारत तेल लि० (ऑयल इंडिया लि०) के प्रयोग हेतु इसी अवधि के दौरान क्रमश: 289 लाख रु०, 184 लाख रु० तथा 202 लाख रु० मूल्य की विशिष्ट विस्फोटक सामग्री का आयात किया गया था।

विस्फोटक सामग्री की मांग में खनन तथा गैर-खनन क्षेत्र की आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो जाता है। अनुमान है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्फोटक सामग्री की मांग को पूरा करने हेतु लाइसेंस प्राप्त क्षमता पर्याप्त होगी।

*विस्फोटक सामग्री की मांग तथा उत्पादन के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर नेटवर्कों के बीच समन्वय

5508. श्री राजवीर सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रोनिकी विभाग, दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटर नेटवर्कों के बीच कितना समन्वय है;

(ख) क्या सभी नेटवर्कों पर हिन्दी में प्रोसेसिंग और संचार सुविधा उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा का कितना उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जाएगी;

(ङ) क्या इन सभी नेटवर्कों को विदेशी नेटवर्कों के साथ जोड़ा जा सकता है और क्या वे आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा 550 अर्थ स्टेशनों और जिला मुख्यालयों, राज्य की राजधानियों आदि में अनेक कम्प्यूटरों सहित स्थापित विशाल कम्प्यूटर नेटवर्क, निकनेट के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा दूरसंचार विभाग में स्थित टर्मिनल हैं। निकनेट मुख्यत: एक कम्प्यूटर नेटवर्क है जो सरकार और कुछ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र यूनिटों में कार्य कर रहा है। दूरसंचार विभाग का कम्प्यूटर नेटवर्क, आर० ए० बी० एम० एन० एक सुदूर क्षेत्र व्यापार संदेश नेटवर्क है और वाणिज्यिक आधार पर व्यापारिक समुदाय को सुविधा प्रदान कर रहा है। यह I—नेट नामक विकासशील सार्वजनिक डेटा नेटवर्क को सहायता प्रदान करता है। इलेक्ट्रानिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कम्प्यूटर नेटवर्क इस समय दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम० टी० एन० एल०) के लीज्ड सर्किट और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पी० एस० टी० एन०) पर आधारित हैं। इन नेटवर्कों के बीच समन्वय, जहां कहीं आवश्यक होता है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) निकनेट के लिए नेटवर्क के अनेक सुदूर स्थानों पर द्विभाषी टर्मिनल प्रदान किए जा चुके हैं। सभी कम्प्यूटर नेटवर्क में हिन्दी के आंकड़ों को ए० एस० सी० 2 फर्मों में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर नेटवर्क पर संप्रेषित किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) इन सभी नेटवर्कों को विदेश संचार निगम लि० बम्बई में डेटा पैकेट स्विच सिस्टम (जी० पी० एस० एल०) के माध्यम से विदेशी नेटवर्कों के साथ जोड़ा जा सकता है। जहां

कहीं और जब कभी आवश्यक होता है, वहां विभिन्न नेटवर्क जी० पी० एस० एस० का प्रयोग करते हुए उचित प्राधिकरण के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हरियाणा में पेट्रोकेमिकल उद्योग

5509. श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास हरियाणा के हिसार, सोनीपत तथा जींद जिलों में पेट्रो-केमिकल उद्योग स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के खाली पड़े पद

5510. श्री मानकूराम सोढी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1990 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे के अनुसार कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ख) उनमें से कितने पदों को मार्च, 1991 तक भर लिया गया था ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किए जाते हैं। फिर भी इन सेवाओं में सीधी भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के अनुपात में रिक्तियों का आरक्षण किया जाता है। ऐसी सभी आरक्षित रिक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भरा जाता है।

[अनुवाद]

पॉम आयल का उत्पादन

5511. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री उत्तमराव देवराव पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत दो वर्षों के दौरान पॉम आयल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के लिए इसके उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गत दो वर्षों में मैं० ऑयल पॉम इंडिया लि० ने, जो ताड़ तेल का मुख्य उत्पादक है, वर्ष 1988-89 व 1989-90 में क्रमशः 2035 मी० टन तथा 2108 मी० टन मात्रा का उत्पादन किया है। देश में ताड़ का कुल उत्पादन 2500 मी० टन के आस-पास होने का अनुमान है।

(ख) भारत सरकार ने तेल ताड़ के विकास के लिए राज्यों में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में, जहां इस प्रयोजन के लिए काफी भूमि को चुना गया है, अनेक परियोजनाएं मंजूर की हैं।

(ग) कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

"कुशक" नाली ठेका

5512. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान नियमों का उल्लंघन करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आई० एम० ए० मार्केट के पास 200 मीटर लम्बी "कुशक" नाली पर काम करने का 1.20 करोड़ रुपये का ठेका हाल ही में दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माण कार्य सम्बन्धी अनुमान को तकनीकी समिति ने तैयार किया है तथा स्वीकृत किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आई० एन० ए० मार्किट के पास 200 मीटर लम्बे कुशक नाले को ढकने का कार्य एक ठेकेदार को दिया गया था, पालिका ने यह भी सूचित किया है कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश काडर के लिए आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० के अधिकारी

5513. श्री लाईता उम्बे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० का एक पृथक अरुणाचल प्रदेश काडर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन काडरों के अधिकारियों की पूर्वोत्तर क्षेत्र में नियुक्ति की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए अखिल भारतीय सेवा के पृथक संवर्ग के सृजन का एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रखा गया था परन्तु यह पाया गया कि ऐसे छोटे संवर्ग व्यवहार्य नहीं होंगे।

(घ) और (ङ) अरुणाचल प्रदेश सभी अखिल भारतीय सेवाओं के लिए ए० जी० एम० यू० (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र) संवर्ग का एक भाग है और इस संयुक्त संवर्ग का कोई भी अधिकारी अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में सेवा के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्य संवर्गों से सम्बन्ध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की तरह, ए० जी० एम० यू० संवर्ग के अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी नियुक्त किया जा सकता है।

मक्खियों द्वारा "फाउल ब्रूड" रोग

5514. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल जैसे राज्यों में मक्खियों द्वारा फैलने वाले "फाउल ब्रूड" रोग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दो एन्टीबायोटिक्स औषधियों अर्थात् टेरामाइसिन तथा रेस्टिस्लीन से उपचार करने हेतु कुछ चुनी हुई रोगग्रस्त कालोनियों में तीन सप्ताह की अवधि के परीक्षण किए। परीक्षणों की समाप्ति पर संतोषजनक परिणाम सामने आए। रोगग्रस्त क्षेत्रों के मधुमक्खी पालकों को रोग के कारणों तथा परिणामों के विषय में बताया गया। उपचार

के तरीके का भी प्रदर्शन किया गया। टी० वी०, रेडियो तथा स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आवश्यक सूचनात्मक कदम भी उठाए गए। मधुमक्खी पालकों ने उपचार शुरू कर दिया है तथा रोग का निदान करने में प्रगति हुई है।

कृषि कार्यों में प्लास्टिक का उपयोग

5515. श्री श्रीपल्ली गंगाधरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) कृषि कार्यों में इस तकनीक का कहां तक उपयोग किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) इसका उपयोग ड्रिप सिंचाई, पौधघरों, मल्चिंग, नर्सरी थैलों और अनाजों के आउट डोर स्टोरेज के लिए कवरों के रूप में किया जाता है। इन उपयोगों में प्लास्टिक की खपत गत वर्षों में बढ़कर 1991 में प्रतिवर्ष लगभग 35,000 टन हो गयी है।

शीतागार

5516. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फिलहाल शीतागारों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक शीतागारों का निर्माण करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में शीतागारों के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी धनराशि के आवंटन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) शीतागारों की संख्या और उनकी भण्डारण क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार शीतागारों के निर्माण का कार्य नहीं करती है। शीतागारों की स्थापना अधिकांशत: निजी क्षेत्र में की जाती है जिनकी देश में शीत भंडारण क्षमता लगभग 86 प्रतिशत आंकी गई है। शीतागारों की स्थापना भण्डारण योग्य फालतू उपज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एजेंसी की आवश्यकता के आधार पर सहकारी सोसाइटियों सहित विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31-12-91 की स्थिति के अनुसार शीतागारों का उनकी क्षमता सहित राज्यवार विवरण

(क) शीत भंडारण आदेश 1980 के तहत

क्र० सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	शीतागारों की संख्या	क्षमता (लाख मीटरी टन में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	70	32887
2.	असम	3	1703
3.	बिहार	208	435134
4.	गुजरात	142	199219
5.	गोआ	28	2041
6.	हिमाचल प्रदेश	14	9647
7.	जम्मू व कश्मीर	17	17316
8.	केरल	112	12651
9.	कर्नाटक	79	19100
10.	महाराष्ट्र	238	126527
11.	मध्य प्रदेश	116	222599
12.	नागालैंड	1	1149
13.	उड़ीसा	47	83681
14.	राजस्थान	48	59102
15.	तमिलनाडु	84	18625
16.	त्रिपुरा	3	4278
17.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	203
18.	चंडीगढ़	12	18387
19.	दिल्ली	94	114025
20.	लक्षद्वीप	1	36
21.	पांडिचेरी	5	201
	(क) का योग	1324	1378501

1	2	3	4
(ख)	सम्बन्धित राज्य अधिनियमों/आदेशों के तहत (31-12-90 की स्थिति)*		
22.	उत्तर प्रदेश	906	3554310
23.	पंजाब	309	572821
24.	पश्चिम बंगाल	283	2089287
25.	हरियाणा	148	192680
	(ख) का योग	1646	6409098
	(क) और (ख) का योग	2970	7787599

*उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य जो अपने अधिनियमों/आदेशों को कार्यान्वित कर रहे हैं, के बारे में सूचना केवल 31-12-90 तक की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरना

5518. श्री पी० धनंजय कुमार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरा नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के कई पदों को उन्हें अनारक्षित करके भरा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के 139 उपक्रमों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली 12149 रिक्तियां अभिज्ञात की गई हैं। इन पदों को भरने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1991 के दौरान एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इन उम्मीदवारों के चयन के लिए आयु सीमा में छूट देना, परीक्षा शुल्क में रियायत देना, साक्षात्कारों में उपस्थित होने के लिए यात्रा खर्चों के रूप में प्रोत्साहन देना, भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिलाना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से साक्षात्कार लेने आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी विभागों की भांति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सीधी भर्ती में रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

5519. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति बनाने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने तिलहनों/खाद्य तेलों के सम्बन्ध में एक समेकित नीति बनाई है, जिसमें खाद्य तेलों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन, संसाधन, उद्योग के आधुनिकीकरण, आयात/निर्यात, वितरण आदि से संबंधित पहलू शामिल हैं ।

(ख) और (ग) सरकार ने तिलहनों/खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक उपाय किए हैं ।

इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन संवर्धन परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का, जो 1989-90 तक चल रही थीं, 1990-91 के दौरान-तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक ही योजना में विलय कर दिया गया। इस योजना के जरिए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी पर विशेष बल देते हुए राज्यों को उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन और वितरण करने, पौध संरक्षण उपाय करने, जिनमें पौध संरक्षक रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है, और उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है ।
2. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजनाओं को सहायता देना ।
3. उत्पादन, संसाधन और प्रबन्ध सम्बन्धी सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए मई, 1986 में तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी ।
4. तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।
5. सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसल के तहत क्षेत्र को बढ़ाना तथा वृक्ष और वनोपज तिलहनों, चावल की भूसी इत्यादि का दोहन करना ।

6. तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की स्थापना करना।

7. तेल-ताड़ के विकास हेतु सहायता देना।

8. प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत करके किसानों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

9. संसाधन एककों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क में रियायत देना।

10. तेलयुक्त वस्तुओं से तेल के पूर्ण दोहन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को धनराशि देना।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

5520. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "छद्म" कृषक" आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं, जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में विभिन्न कारणों से रुकावट आई है, जिसमें किसानों द्वारा इन वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक बड़ी मात्रा में अपने पास रखे जाने की बात शामिल है। इस तरह की गतिविधि से सामान्य मांग व आपूर्ति प्रबन्ध में असंतुलन पैदा होता है। इस मंत्रालय को छद्म किसानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित सीमाओं के भीतर नियंत्रण में रखने के लिए वचनबद्ध है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे इन कानूनों का प्रयोग समाज विरोधी गतिविधियों, जिनमें जमाखोरी तथा चोरबाजारी आदि शामिल हैं, में लिप्त लोगों के विरुद्ध करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का निजीकरण

5521. श्री शरत् चन्द्र पटनायक :
श्री राम निहोर राय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के निजीकरण हेतु कोई मानदण्ड तय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक निजीकृत किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजीकरण के फलस्वरूप कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनिवासी भारतीयों/विदेशियों द्वारा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

5522. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों/विदेशियों द्वारा भारत में विदेशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दोरान प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) आवेदनों को प्राप्त करने इन पर विचार करने तथा इन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अवधि के दोरान प्राप्त किए गए आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० करियन) : (क) से (घ) जैसा 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में बताया गया है।—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक एक करोड़ रुपए के एक मुश्त भुगतान तक के विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों, स्वदेशी बिक्री के लिए 5% रॉयल्टी और निर्यात के लिए 8% रॉयल्टी के लिए स्वत: अनुमति देता है बशर्ते कि बिक्री के 8% का कुल भुगतान समझौता होने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि में हो अथवा उत्पादन शुरू होने से 7 वर्षों के दौरान हो जाये।

(2) लागू सामान्य प्रक्रियाओं के तहत अन्य प्रस्तावों पर सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की जरूरत है।

विदेशी तकनीकी सहयोग हेतु स्वत: अनुमोदन के कार्य-क्षेत्र में आने वाले आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक में एफ० सी० (आर० बी० आई०) फार्म में प्राप्त किए जाते हैं और यह जांच करने के लिए उनकी छानबीन की जाती है कि ये प्रस्ताव निर्धारित मानदण्ड और अनुमोदन पूरा करते हैं अथवा अन्य निपटान पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना किसी रुकावट के जारी किए जाते हैं। विदेशी तकनीकी सहयोग हेतु अन्य प्रस्ताव, उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा फार्म एस० आई० ए० (एफ० सी०) में प्राप्त किए जाते हैं और जांच तथा टिप्पण के वास्ते प्रशासनिक मंत्रालयों, तकनीकी विकास महानिदेशालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति इत्यादि

द्वारा परिचालित किए जाते हैं। उसके बाद, ये प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं तथा इन प्रस्तावों को बोर्ड की सिफारिश के आधार पर तैयार किया जाता है और अन्त में सरकार अनुमोदन जारी करती है अथवा आवेदकों को अन्य निपटान पत्र भेजती है।

भारतीय रिजर्व बैंक को 16 सितम्बर, 1991 के बाद से ही तकनीकी विदेशी सहयोग हेतु आवेदन प्राप्त होना शुरू हो गए थे। प्रौद्योगिकी अन्तरण व्यवस्था हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 428 है (93 आवेदनों सहित जिनमें वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग परिकल्पित है) तथा जिनमें से 342 प्रस्तावों का 21 मार्च, 1992 तक अनुमोदन कर दिया गया है। 51 प्रस्ताव सम्बन्धित आवेदकों को लौटा दिए गए क्योंकि वे भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए अधिकारों के भीतर नहीं आते थे। 21 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, ऐसे केवल 35 आवेदन बैंक की प्रक्रियाधीन थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा अनुमोदन केवल विदेशी सहयोग हेतु आवेदनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	केवल तकनीकी सहयोग हेतु अनुमोदित आवेदनों की संख्या
1989	411
1990	472
1991	514

[हिन्दी]

मुम्बई के विकास के लिए निधि

5523. श्री यशवन्तराव पाटिल :
श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के विकास के लिए निधियों की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों की नगर विकास योजनाओं के लिए निधियों का नियतन सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्तावों के आधार पर संघ योजना आयोग द्वारा किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कुछ विशिष्ट योजनाओं, जैसे छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास नेहरू रोजगार योजना तथा शहरी मूलभूत सेवा कार्यक्रम, जिनके लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बजट में प्रावधान किया जाता है, के अलावा नगर विकास के लिए समस्त आवंटन राज्य क्षेत्र में किए जाते हैं। अतः राज्य योजना

प्रस्ताव भेजते समय बम्बई के विकास के लिए समुचित योजनाएं/प्रस्ताव तैयार करना राज्य सरकार का दायित्व है।

(2) तथापि, बम्बई में आवास तथा मलिन बस्तियों की विकट समस्याओं का सामना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई थी। इसके अतिरिक्त नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर बम्बई में मलिन बस्ती उन्मूलन, मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय, सुधार तथा मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र सरकार को समान आधार पर एक ही बार दिया जाने वाला 50 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

5524. **श्री ऑस्कर फर्नांडीस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योग स्थापित करने हेतु बहुराष्ट्रीय तथा पर-राष्ट्रीय फर्मों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर, जिसमें इस उद्देश्य हेतु अत्यधिक क्षमता है, में ऐसे विदेशी निवेश प्राप्त करने हेतु सुविधाएं प्रदान करते हुए 1991-92 के दौरान कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां। विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमन्त्रित किया जा सके और भारत में पूंजी निवेश को सुचारु बनाया जा सके, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी समझा जाता है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को लिखा है कि देश में पूंजी निवेश के लिए विदेशी फर्मों के प्रस्तावों पर विचार करते समय कर्नाटक के स्थानीय लाभों को ध्यान में रखा जाये और तदनुसार विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सलाह दी जाये।

औद्योगिक एकक लगाने के लिए स्थापना स्थल सम्बन्धी नीति को नयी औद्योगिक नीति के अधीन उदार बनाया गया है और स्थान का चयन उद्यमी पर छोड़ दिया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के संवर्धनात्मक प्रयासों को पूरा करने में शामिल किया जा रहा है ताकि देश में और सम्बन्धित राज्यों में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा बांटने के तरीके

5525. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों में मुआवजा बांटने के तरीकों के सम्बन्ध में निर्देश देने के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर दिए गए हैं और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) क्या तीन स्थानों के सर्वेक्षण से यह पता चला है कि गैस प्रभावित जनसंख्या के एक बड़े भाग का सर्वेक्षण ही नहीं किया गया है और उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा आरम्भ की गई पंजीकरण प्रक्रियाएं नहीं अपनाई गईं;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने भी अपने अध्ययनों में बच्चों की गैस से सम्बन्धित बीमारियों का उल्लेख किया था तथा दावा निदेशालय मध्य प्रदेश ने व्यक्तिगत हानि के उनके दावों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस दुर्घटना के बाद के 1,00,000 से अधिक गैस प्रभावित बच्चों को मुआवजे से वंचित कर दिया, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण का आदेश नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) गैस रिसाव के कारण प्रभावित सभी व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करने के पात्र हैं जो उन्हें अधिनिर्णय के बाद दिया जाएगा। ये दावे मध्य प्रदेश सरकार के दावा निदेशालय अथवा कल्याण आयुक्त के पास दायर किए जा सकते हैं।

तिलहनों का आयात

5526. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों के स्थान पर तिलहनों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संशोधन तथा आपूर्ति सम्बन्धी अन्य समस्याओं तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों को पहुंचने वाले संभावित मनोवैज्ञानिक धक्के के अलावा तिलहनों के आयात से सम्बन्धित समग्र आर्थिक पहलुओं को कुल मिलाकर अनुकूल नहीं पाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा

5527. श्री जगमीत सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में कृतिक बल द्वारा गरीबी की रेखा के अभिकलन के लिए क्या मापदंड निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए यह किस सीमा तक उपयुक्त है ;

(ग) वर्तमान संदर्भ में मापदण्ड को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गरीबी की रेखा को ऊपर करने से कितने लोगों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी खपत मांग से सम्बद्ध कार्यदल में 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार गरीबी रेखा की परिभाषा की थी और साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी की आवश्यकता बताई थी। गरीबी रेखा को, राष्ट्रीय लेखा शृंखला से प्राप्त निजी उपभोक्ता डिफलेटर का प्रयोग करते हुए मूल्य वृद्धि के अनुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय और राज्य-स्तर पर गरीबों की संख्या और अनुपात का आकलन करने के लिए कार्यविधि पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो गरीबी रेखा के प्रश्न को पुन: परिभाषित करने के लिए एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

खारे जल को पेय जल में बदलने के सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन

5528. श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खारे जल को पेय जल में बदलने के सम्बन्ध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में भरोसेमन्द जल प्रबन्धन तकनीकें सुनिश्चित करने के लिए पानी का ग्रिड बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ चर्चाओं, कच्चे पानी के रसायन के अध्ययन, कुल घुले हुए ठोस पदार्थों को अनुमेय सीमा में लाने के संयंत्र के डिजाइन, स्थल के चयन, जल शोधन संयंत्र लगाने के लिए सहमति हेतु ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प आदि के आधार पर सरकार ने खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के 152 खारापन दूर करने के संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। इनमें से अभी तक 134 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास हेतु भावी राष्ट्रीय योजना में प्रायद्वीपीय क्षेत्र की प्रमुख नदियों के बीच और हिमालय ई नदियों के बीच अधिक पानी वाले क्षेत्रों से कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए अलग से आपसी सम्पर्कों की परिकल्पना की गई है। इसमें अध्ययनों का आयोजन और उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। प्रायद्वीपीय नदी घटक के अन्तर्गत परिकल्पित पानी पहुंचाने के 17 सम्पर्कों में ऐसे सात सम्पर्कों के लिए प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। पानी पहुंचाने के सम्पर्कों का कार्यान्वयन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और नदी घाटी वाले राज्यों के बीच आम सहमति/समझौते पर निर्भर करता है।

विद्युत उत्पादन संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति

5529. **श्री आर्क कर्नाडीज** :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में एक त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति का स्वरूप तथा कार्य क्या हैं;

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(ङ) यह विद्युत और कोयले दोनों के लिए कहां तक सहायक होगी ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 21 दिसम्बर, 1991 को आयोजित विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठक की इस सिफारिश के अनुसरण में कि स्थानिक रुग्णता वाले उद्योगों के सम्बन्ध में औद्योगिक समितियां पुनः चालू की जा सकती हैं, विद्युत उत्पादन और वितरण सम्बन्धी औद्योगिक समिति 31 मार्च, 1992 को पुनर्गठित की गयी है।

(ख) समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) सामान्यतया औद्योगिक समिति के कार्य संबंधित उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उन पर विचार-विमर्श करना है जिससे पक्षकारों के बीच समस्याओं का बेहतर तालमेल किया जा सके, समस्याओं को हल करने में सलाह प्रदान की जा सके और आम राय प्राप्त की जा सके।

विवरण

अध्यक्ष	श्री पी० ए० संगमा कोयला राज्य मन्त्री

(I) सरकार

(क) केन्द्रीय सरकार

1. श्रम मंत्रालय		1 सदस्य
2. विद्युत विभाग		1 सदस्य
	कुल	2 सदस्य

(ख) राज्य सरकारें

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, प० बंगाल, कर्नाटक और पंजाब। (प्रत्येक राज्य से एक सदस्य)

(II) नियोजक

1. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
2. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
3. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
4. पंजाब राज्य विद्युय बोर्ड		1 सदस्य
5. तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
6. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
7. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड		1 सदस्य
8. भारतीय नियोजक परिषद		3 सदस्य
	कुल	10 सदस्य

(III) कर्मकार

1. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	3 सदस्य
2. भारतीय मजदूर संघ	4 सदस्य
3. भारतीय ट्रेड यूनियन्स केंद्र	1 सदस्य

4. भारतीय ट्रेड यूनियन्स राष्ट्रीय मोर्चा		1 सदस्य
5. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस		1 सदस्य
	कुल	10 सदस्य

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेय जल योजनाओं की निगरानी

5530. श्रीमती शीला गौतम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेय जल योजनाओं के सम्बन्ध में कोई निगरानी की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त मासिक, तिमाही और वार्षिक रिपोर्टों तथा राज्य सरकार के साथ आयोजित बैठकों और राज्य का तकनीकी अधिकारियों द्वारा किए गए दौरों के दौरान किए गए विचार-विमर्श की मार्फत की जाती है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान (जनवरी, 1992 तक) "जल स्रोत रहित" 58 समस्याग्रस्त गांवों सहित 2876 गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जिससे अनुसूचित जातियों के 1.81 लाख और अनुसूचित जनजाति के 0.01 लाख जनसंख्या सहित 5.89 लाख ग्रामीण जनसंख्या को लाभ हुआ है। 1991-92 के दौरान (दिसम्बर, 1991 तक) 28.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं जिसमें आगरा, उन्नाव, सुल्तानपुर और मिर्जापुर जिलों में मिनी-मिशन परियोजनाओं पर खर्च हुए 62.48 लाख रुपए भी शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की बसीन विहार जल सप्लाई योजना

5531. प्रो० राम कापसे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बसीन विहार जल सप्लाई योजना को केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना को कब तक मंजूरी मिलेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

5532. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के ताप केन्द्र-दो को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) इसे बन्द करने से कुल कितने राजस्व की हानि हुई; और

(ग) जबरदस्ती बन्द कराने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) दिनांक 9-1-1989 को नागार्जुन सागर कुडप्पा 400 के० वी० फीडर में व्यवधान आ जाने के कारण, जिसके कारण ग्रिड में व्यवधान उत्पन्न हो जाने के कारण तापीय गृह-II की चालू यूनिट-I और-II खराब हो गई और इसके परिणामस्वरूप निम्न ग्रेड फ्रीक्यूऐंसी प्राप्त हुई। इस अवधि के दौराय यूनिट-III को कुछ सुधारात्मक कार्यों के कारण बन्द करना पड़ा था। तापीय विद्युत गृह-II केवल ग्रिड में व्यवधान आ जाने के कारण ही बन्द करना पड़ा था।

(ख) उपयुक्त यूनिटों को बन्द किए जाने के कारण 21.03 लाख रुपए की हानि हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है, चूंकि यूनिटों को बन्द किए जाने की कार्रवाई और इसके परिणामस्वरूप विद्युत गृह की बिजली की आपूर्ति में पूर्णतः व्यवधान ग्रिड में व्यवधान आ जाने के कारण कम फ्रीक्यूऐंसी होने के कारण की गई थी और यह कार्रवाई नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के नियंत्रण से बाहर थी।

अधिकतम शहरी भूमि सीमा अधिनियम

5533. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अधिकतम शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 में संशोधन की मांग की है;

(ख) यह मांग किस कार्य के लिए की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उन सभी राज्य सरकारों, जहां अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा है, ने नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम से संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि इसे ज्यादा प्रभावी और कारगर बनाया जा सके। राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस मंत्रालय ने अधिनियम में संशोधन करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए हैं। 7-3-92 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर परिचर्चा की गई थी और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गये विचारों के अनुरूप इन्हें परिवर्तित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय इंजीनियरी सेवा, 1991

5534. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इन्जीनियरी सेवा, 1991 के उन अभ्यर्थियों को, समय पर साक्षात्कार के लिए पत्र नहीं भेजे गए थे, जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग का विचार उन अभ्यर्थियों के लिए पुनः साक्षात्कार आयोजित करने का है जिन्हें साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं हुए अथवा साक्षात्कार की तिथि समाप्त होने के बाद साक्षात्कार पत्र मिले;

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने की संभावना है; और

(घ) साक्षात्कार शुरू होने से पूर्व अनुक्रमांक और साक्षात्कार की तिथि समाचारपत्रों में प्रकाशित न करने के क्या कारण थे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग भारतीय इन्जीनियरी सेवा परीक्षा, 1991 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षा की तारीख की सूचना देने संबंधी पत्र समय से काफी पहले पंजीकृत ए० डी० डाक द्वारा भेजता रहा है। अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने आयोग को व्यक्तित्व परीक्षा के लिए देर से पत्र प्राप्त होने की कोई सूचना नहीं दी है। तथापि, यदि ऐसा कोई मामला आयोग के ध्यान में आता है तो आयोग ऐसे उम्मीदवारों के अनुरोध पर साक्षात्कार को बाद की किसी तारीख में रखने के लिए कदम उठाएगा।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना संभव नहीं है।

बीसलपुर पेयजल योजना

5535. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर (राजस्थान) को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर पेय जल योजना को किस तारीख को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस योजना को कब तक पूरा कर दिए जाने का विचार है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस योजना को तकनीकी स्वीकृति अगस्त, 1987 में दी गई थी। अजमेर नगर के लिए वितरण प्रणाली के पुनर्गठन के एक घटक को अगस्त, 1991 में अनुमोदित किया गया था।

(ख) ब्यावर, किशनगंज, नसीराबाद, केकरी और सरवर समेत अजमेर नगर के लिए जलापूर्ति संवर्धन योजना की अनुमानित लागत 64.37 करोड़ रुपए है। वितरण प्रणाली के पुनर्गठन की अनुमानित लागत 7.754 करोड़ रुपए है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जलापूर्ति संवर्धन योजना को 1989-90 तक पूरा किया जाना था तथा वितरण प्रणाली, इत्यादि के पुनर्गठन हेतु घटक को 1993-94 तक। चूंकि, जलापूर्ति राज्य का विषय है अतः स्कीम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय करना राज्य सरकार का कार्य है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन तथा बीमा योजना

5536. डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कृषि श्रमिकों के लिए कोई पेंशन तथा बीमा योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) दूसरे राज्यों में भी कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों का पुनर्गठन

5537. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लघु औद्योगिक एककों के पुनर्गठन के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन उपायों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) किस प्रकार के एककों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु क्षेत्र हेतु 6-8-91 को घोषित नयी औद्योगिक नीति का उद्देश्य विभिन्न सुविधाएं और समर्थन सहायता देकर इस क्षेत्र को अधिक जीव्यता प्रदान करना एवं विकास प्रोत्साहन देना है। लघु एककों के पुनः निर्माण करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हालांकि नीतिगत उपायों में निहित कुछ उपाय पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं फिर भी अन्य उपायों पर अन्तर मंत्रालय विचार-विमर्श किया जा रहा है और जल्दी ही कार्यान्वित कर दिए जाएंगे।

(ग) इन नीतिगत उपायों से सभी प्रकार के पात्र लघु एककों के लाभान्वित होने की संभावना है।

विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की आवश्यकता

5538. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विद्युत केन्द्रों के लिए प्रतिवर्ष कुल कितने कोयले की आवश्यकता पड़ी है;

(ख) इस आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा कोयले की स्वीकृत मात्रा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा क्या है;

(घ) क्या कुछ विद्युत केन्द्र कोयले के अभाव में हाल ही में बन्द हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या उपचारी कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा, स्थायी संयोजन समिति द्वारा स्वीकृत संयोजन और मांग के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

	1989-90	1990-91	1991-92
(1) मांग	121.00	131.00	137.00 (पूर्ण वर्ष)
(2) स्वीकृत संयोजन (एस० एल० सी० द्वारा अल्पावधि)	141.8	148.6	164.50 (पूर्ण वर्ष)
(3) कोयले का प्रेषण	115.12	118.79	124.75 (फरवरी, 92 तक)

(इस सम्बन्ध में आंकड़े अनन्तिम हैं। सभी आंकड़ों में मिडलिंग भी शामिल हैं)

(घ) और (ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान जैसा कि कोल इण्डिया लि० द्वारा सूचित किया गया है, कोयले की कमी के कारण कोई भी विद्युत गृह पूर्णतः बन्द नहीं रहा है। किन्तु केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि वर्ष 1991-92 में कोयले की कमी के कारण कुछ विद्युत गृहों को अपनी कुछ यूनिटों को बन्द करना पड़ा जिसके कारण उत्पादन में हानि हुई। विद्युत गृहों को किए गए कोयले के प्रेषण पर दैनिक रूप में निगरानी रखी जाती है और नियमित आपूर्ति के लिए तत्काल सुधारात्मक कारंवाई की जाती है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय सुपर कंप्यूटर

5539. श्री राजेश कुमार :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षेत्रीय सुपर कंप्यूटर केन्द्र खोलने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या बिहार के प्रत्येक जिले में इस प्रकार का केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सुपर कंप्यूटर केंद्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

बिहार औद्योगिक विकास निगम

5540. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार औद्योगिक विकास निगम ने विदेशी सहयोग और अनिवासी भारतीयों की सहायता से उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) हाल ही में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी समितियों को उचित दर की दुकानें

5541. श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में उपभोक्ता सहकारी समितियों को उचित दर की दुकानें खोलने के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों को भी उक्त प्रक्रिया अपनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्य के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। उचित दर की दुकानें खोलने तथा आबंटित करने के बारे में निर्णय उनके द्वारा किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलने में सहकारी समितियों तथा नागरिक आपूर्ति निगमों को प्राथमिकता दें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखें, जहां निजी व्यापारी उचित दर की दुकान चलाने के अनिच्छुक हैं अथवा उन्हें कुशलता से नहीं चला रहे हैं। 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार लगभग 3.78 लाख उचित दर की दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 22.5% सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। सरकारी संस्थाएं लोगों के हितों की रक्षा के लिए होती हैं। जब कभी ऐसी संस्थाओं द्वारा ठीक से काम न करने की बात जानकारी में आती है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

कोयला खानों में रेत भरना

5542. **श्री अनिल बसु** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में अधिक तीव्रता से रेत भरने के लिए विभिन्न पैरामीटरों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र, धनबाद ने सूचित किया है कि उन्होंने हाइड्रोलिक रेत भरेक सम्बन्धी प्राथमिक वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक छोटा प्रयोगशाला मॉडल तैयार किया है। अध्ययन कार्य प्रगति पर है। इन अध्ययनों को अन्तिम रूप से जमीनी प्रयोगों के लिए बदला जाएगा और इसके बाद ही विभिन्न पैरामीटरों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध यदि किसी प्रकार के हों तो उन्हें स्थापित किया जा सकता है।

जापान के साथ समझौता

5543. **कुमारी उमा भारती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में जापान के साथ पिछले तीन वर्षों में कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इलेक्ट्रोनिकी विभाग, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में जापान सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। किन्तु, 35 भारतीय फर्मों ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं अर्थात् रंगीन पिक्चर ट्यूब, श्रव्य टेप डेक मेकेनिज्म, अंकीय सूक्ष्म तरंग उपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, सॉफ्ट/हार्ड फेराइट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आदि के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के लिए जापानी कम्पनियों के साथ समझौता किया है।

नागोथाने स्थित इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड में दुर्घटना

5544. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नागोथाने स्थित इण्डियन पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड के नए संयंत्र में 1990 में हुई एक दुर्घटना में कई व्यक्ति मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले, और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां। दुर्घटना में 32 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है। इस बीच प्रक्रिया संयंत्र सुरक्षा और संकटकालीन पद्धतियों में सुधार के लिए समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए आई० पी० सी० एल० द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

[हिंदी]

उड़ीसा की विकास दर

5545. श्री श्रीकान्त जेना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की औद्योगिक विकास दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय

सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन की राज्य-वार सूची संकलित नहीं करता है। फिर भी, कुल मिलाकर देश के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार, 1990-91 के दौरान समग्र विकास दर 8.5% थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, नवम्बर, 1991 तक उपलब्ध आंकड़ों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान —0.8% की वृद्धि दर्शाई है।

(ग) योजना आयोग के अनुसार, 1990-91 के दौरान उड़ीसा राज्य में खान क्षेत्र सहित बड़े तथा मध्यम उद्योगों में योजनागत खर्च 8355 लाख रु० था।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5546. श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मन्त्री 4 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रत्येक वर्ष में कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि की राजसहायता दी गई;

(ग) क्या सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों से सम्बन्धित परिवारों को बहुत कम लाभ मिला है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों को ऋण और सबसिडी देकर सहायता पहुंचाने का एक कार्यक्रम है ताकि उनके आय सृजित करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य तौर पर परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया जाता है।

(ख) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जिलेवार दी गई सबसिडी (आर्थिक सहायता) की राशि संलग्न विवरण में दर्शायी गई है। राज्य सरकार से भी सम्बन्धित जिलों को बराबर की राशि देने की अपेक्षा की गई है।

(ग) महाराष्ट्र में जिलों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसिडी का आवंटन जिले में गरीबी की स्थिति और खण्डों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अतः इसका कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी पात्रता से कम लाभ मिला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र में जिलेवार दी गई सबसिडी की राशि

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	जिले का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	अहमद नगर	118.955	238.895	144.510
2.	अकोला	111.050	133.920	133.690
3.	अमरावती	79.180	103.475	85.185
4.	औरंगाबाद	55.285	62.805	59.690
5.	बीड़	82.380	88.990	111.420
6.	भण्डारा	139.970	95.255	80.070
7.	बुलधाना	69.050	91.890	58.140
8.	चन्द्रपुर	76.550	87.985	92.062
9.	धुले	130.840	134.345	192.860
10.	गढ़चिरोली	32.800	46.567	44.241
11.	जलगांव	114.295	135.950	142.600
12.	जालना	54.730	57.550	69.430
13.	कोल्हापुर	105.935	227.890	126.800
14.	लातूर	47.485	52.405	54.550
15.	नागपुर	59.590	68.820	54.940
16.	नान्देड	62.525	74.395	66.470
17.	नासिक	114.680	111.630	133.095
18.	उस्मानाबाद	47.525	56.960	51.470
19.	परभनी	63.145	74.475	80.290
20.	पुणे	113.530	122.010	144.250
21.	रायगढ़	95.890	110.033	66.900
22.	रत्नागिरी	82.855	96.395	97.730
23.	सांगली	54.340	65.965	65.000

1	2	3	4	5
24.	सतारा	99.080	113.965	121.000
25.	सिंधुदुर्ग	40.660	52.380	48.902
26.	शोलापुर	67.845	86.760	80.340
27.	ठाणे	99.070	112.795	126.020
28.	वर्धा	40.155	50.840	54.005
29.	यवतमाल	124.300	141.725	135.833
	कुल	2383.695	2697.070	2721.493

गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

5547. प्रो० प्रफुल्ल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हाल ही में संशोधित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में संशोधित नीति तथा पूर्व नीति दोनों के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशियों का आवंटन किया गया तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं को मार्च, 1991 में संशोधित किया गया था।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिकाओं के संशोधन होने तक गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों सहित सरकारों को 1988-89 तथा 1989-90 में कोई निधियां रिलीज नहीं की गई थीं। मार्च, 1991 में गुजरात राज्य सरकार को 20 लाख रुपए तथा महाराष्ट्र को 15 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। 1991-92 में अब तक कोई निधियां रिलीज नहीं की गई हैं।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1988-89 में 687 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के बारे में सूचित किया था। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1988-89 में 18.23 लाख रुपए और 1989-90 में 6.98 लाख रुपए व्यय होने की सूचना दी है। 1990-91 में कोई व्यय नहीं हुआ था। मार्च, 1991 में रिलीज किए गए 15 लाख रुपए के बारे में कोई कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

गुजरात राज्य सरकार ने 1988-89 से लेकर 1991-92 में अब तक की अवधि की किसी भौतिक प्रगति के बारे में सूचित नहीं किया है। गुजरात जल सप्लाई तथा सीवरेज बोर्ड ने 1988-89 में 56.49 लाख रुपए तथा 1989-90 में (दिसम्बर, 1989 तक) 29 लाख रुपए के व्यय की सूचना दी थी। उसके बाद अब तक किसी प्रकार के व्यय की सूचना नहीं।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

5548. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण करने का उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थियों पर डाल दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन भवनों के निर्माण का कार्य अभी भी विभागीय अथवा बाह्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है और इसके परिणाम-स्वरूप घटिया भवनों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो संघ सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) इन्दिरा आवास योजना (आई० ए० वाई०) के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले मकान निर्धारित लागत मानदंडों तथा कुर्सी क्षेत्र, जोकि 17-20 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, के अनुसार होने अपेक्षित हैं। इस अनुभव को देखते हुए कि मकानों के निर्माण का कार्य लाभार्थियों पर ही छोड़ दिया जाए तो ऐसा करने से न केवल निर्माण की गुणवत्ता किफायती होगी बल्कि इससे उन्हें काफी हद तक निजी संतुष्टि मिलेगी। इन्दिरा आवास योजना के मकानों के निर्माण के प्रत्येक चरण में लाभार्थियों को शामिल करने पर बल दिया गया है।

तथापि, मितव्ययता के उद्देश्य से स्थानीय तौर पर उपलब्ध कम लागत तथा टिकाऊ स्वरूप की निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के अलावा मार्गदर्शिकाओं में न तो इन्दिरा आवास योजना के मकानों के लिए किसी डिजाइन और न किसी विशिष्ट सामग्री का उल्लेख किया गया है। चूंकि कोई मानक/डिजाइन आदि निर्धारित नहीं किए गए हैं इसलिए यह मत व्यक्त करना कठिन है कि निम्न स्तर के मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

जब कभी इन्दिरा आवास योजना के मकानों के घटिया निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, भारत सरकार ने राज्य सरकार की एजेंसियों की मार्फत मामले की गहराई से जांच करवाई है और राज्य सरकारों से उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

भारत सरकार ने भी हाल ही में अपनी मार्गदर्शिकाओं में यह बात दोहराई है कि मकानों के निर्माण के लिए बाहरी ठेकेदारों को न लगाया जाए और यह भी कि लाभार्थियों को निर्माण कार्य में आरम्भ से ही शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर समान राजसहायता

5549. श्री वी० कृष्ण राव :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर एक समान राजसहायता नहीं दी जाती है;

(ख) क्या किसानों तक कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इसमें समानता लाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) चूंकि किसी विशिष्ट एकक द्वारा उत्पादित विशिष्ट उर्वरक के प्रतिधारण मूल्य (घटा डीलर का मार्जिन) तथा उस उर्वरक के सांविधिक रूप से अधिसूचित उपभोक्ता मूल्य के बीच का अन्तर राजसहायता होती है, इसलिए राजसहायता एकक एकक में भिन्न होती है।

(ख) उर्वरक विभाग को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जयपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

5550. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सवाई माधोपुर के "जयपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड" का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एकक में कार्य कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचाराधीन निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के पुनरुज्जीवन/पुनर्स्थापना सम्बन्धित मामला औद्योगिक वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के विचाराधीन है, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार में महासागर विकास संस्थान

5551. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसंधान और शिक्षा के प्रयोजन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में महासागर विकास संस्थान खोलने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में केवल अनुसंधान और शिक्षा के प्रयोजन के लिए अन्दमान और

निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में महासागर विकास का संस्थान खोलने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महासागर विकास विभाग ने वर्ष 1991 में, पोर्टब्लेयर में, महासागर विकास के लिए एक अन्दमान और निकोबार केन्द्र की स्थापना की है, जो महासागर से सम्बन्धित कार्यकलापों पर कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(ख) चूंकि, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में महासागर से सम्बन्धित कार्यकलापों पर कार्यक्रमों की देख-रेख पहले ही एन्काड द्वारा की जाती है, इसलिए अनुसंधान और शिक्षा के प्रयोजनार्थ वर्तमान में महासागर विकास का कोई दूसरा संस्थान स्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए "गोल्डन हैंड-शेक" योजना

5552. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले कर्मचारियों के लिए किसी "गोल्डन हैंड-शेक" योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में इस योजना को शुरू करने का विचार है;

(घ) वर्ष 1992-93 के बजट में इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) क्या इस योजना के लिए किसी विदेशी वित्तीय एजेंसी से कोई सहायता मिलेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यम, जिनके पास उनकी आवश्यकता से अतिरिक्त जन शक्ति है— को सलाह दी है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायें, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुनने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभ स्वीकार्य हैं :

(I) अंशदान भविष्य निधि विनियमों के अनुसार भुगतान योग्य उसके भविष्य निधि खाते की बकाया राशि।

(II) उद्यम के नियमों के अनुसार संचित अर्जित छुट्टी के बराबर नकद धनराशि।

(III) कर्मचारी पर लागू उपदान अधिनियम अथवा उपदान योजना के अनुसार उपदान (ग्रेचुयिटी) धन राशि।

(IV) एक माह/तीन माह का सूचना वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार)।

(V) पूरे किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 1½ माह की परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता छोड़कर) के बराबर अनुग्रह राशि के भुगतान अथवा सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धि को सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बची हुई सेवा के शेष महीनों से गुणा करके उसके बराबर राशि, इनमें से जो भी कम हो।

(VI) कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से उन स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा जहां वह बसना चाहता है।

(ग) और (घ) बजट के अन्तर्गत राष्ट्रीय नवीकरण कोष को हस्तान्तरित करने के लिए 148.75 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम, जिनमें यह योजना लागू की गई है अथवा लागू करने का विचार है तथा इस योजना के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में आबंटित राशि का ब्यौरा वर्ष 1992-93 के व्यय बजट के खण्ड-I के पृष्ठ संख्या 23 पर मुद्रित विवरण संख्या-9 में दिया गया है जिसकी प्रतियां 29-2-1992 को संसद में प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ङ) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए विदेशी वित्तीय अभिकरणों से भी सहायता प्राप्त हो सकती है।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

5553. **श्री अन्ना जोशी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के विभिन्न नगरों में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से कितनी-कितनी धनराशि बांटी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पूणे में जल आपूर्ति योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जल आपूर्ति तथा मल निर्यास/स्वच्छता परियोजनाओं के लिए संवितरित विश्व बैंक सहायता की राशि और इन परियोजनाओं के जल आपूर्ति घटक में सम्मिलित किए गए नगरों/कस्बों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	परियोजना कस्बे/नगर	संचयी संवितरण (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	उत्तर प्रदेश	कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ	31.6
2.	प्रथम बम्बई जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	महाराष्ट्र	बम्बई	55.0
3.	पंजाब जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	पंजाब	जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, राजपुरा, भटिण्डा और पठानकोट	35.2
4.	महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	महाराष्ट्र	थाने, भिवंडी, कल्याण, डामबिवली, उल्हासनगर तथा अम्बरनाथ	48.0
5.	द्वितीय बम्बई जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	महाराष्ट्र	बम्बई	196.0
6.	राजस्थान जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर	80.0
7.	गुजरात जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	गुजरात	आनन्द, जामनगर, भावनगर, गोधरा तथा नाडियाड	57.4
चालू परियोजनाओं की सूची				
8.	तमिलनाडु जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	तमिलनाडु	कोयम्बतूर, मदुरै, सलेम और 75 छोटे कस्बे मानधारै, पोलाच्ची, थिरूवेनामलाई, कांचीपुरम, शंकरनकोइल और पुडुकोट्टाई	41.7

1	2	3	4	5
9.	केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	केरल	क्वीलोन	21.8
10.	मद्रास जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	तमिलनाडु	मद्रास	26.5
11.	तृतीय बम्बई जल आपूर्ति तथा मल निर्यास	महाराष्ट्र	बम्बई	44.5
12.	हैदराबाद जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	9.9
13.	उत्तर प्रदेश नगर विकास के अन्तर्गत जल आपूर्ति घटक	उत्तर प्रदेश	कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद, शक्ति नगर, देहरादून, नैनीताल, झांसी और मेरठ।	55.3

केरल में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

5554. श्री रमेश चेन्नितला : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल के विभिन्न शहरों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के आवासों के निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) हाल ही में कोचीन में साधारण पूल वास का निर्माण किया गया है। केरल के शहरों में साधारण पूल वास के निर्माणार्थ आगे के प्रस्तावों पर निधियों की निर्भरता पर विचार किया जा सकता है।

नए पर्वतीय क्षेत्रों का सीमांकन

5555. श्री सी० पी० मुदलगिरियप्पा : क्या योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ दल ने नए पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांकन पर क्या सिफारिशें की हैं; और

(ख) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विशेषज्ञ दल ने नए पहाड़ी क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक विशिष्ट मापदण्ड की सिफारिश की है और तदनुसार कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान की है। योजना आयोग ने सिफारिशों पर विचार किया है और संसाधन दबाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई नया पहाड़ी क्षेत्र शामिल न किया जाए।

प्राचीन ग्रंथ

5556. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या प्रधान मन्त्री 4 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक सन्दर्भ में अनूदित और संकलित प्राचीन ग्रंथों और मूल अध्ययनों के लिए चुने गये विशिष्ट विषयों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के नाम क्या हैं और उनकी मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी प्रगति हुई है, और इसके लिए क्या लक्ष्य रखे गये हैं;

(ग) क्या इन अंतःसंबंधित कार्यक्रमों के विवरण वाला "बृहद ग्रंथ" तैयार किया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में प्रायोजित परियोजनाओं/अध्ययनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास से सम्बन्धित समन्वित कार्यक्रम इलैक्ट्रानिकी विभाग के कुछेक संगत कार्यक्रम हैं : हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का कम्प्यूटर की सहायता से अध्ययन और अध्यापन, कम्प्यूटर की सहायता से संस्कृत अध्यापन एवं पर्यावरण, विकलांगों के लिए वाक् शिक्षा-प्राप्ति की प्रणाली तथा कम्प्यूटर पर आधारित तकनीकी अनुवाद, ज्ञान प्रस्तुति एवं शैली के लिए मलयालम, हिन्दी और अंग्रेजी का भाषा विश्लेषण। इन कार्यक्रमों ने कुछ प्रगति की है।

2. भारतीय परम्परा में सैद्धांतिक विज्ञानों .(तर्कशास्त्र, भाषा-विज्ञान, गणित और संज्ञानात्मक विज्ञान) के आधार और क्रियाविधियां ।

3. इस कार्यक्रम को हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान में शुरू किया गया है ।

(ग) प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास से संबंधित कुछ ब्यौरे निम्नलिखित ग्रन्थों में उपलब्ध हैं :

1. "ए कन्साईज हिस्ट्री आफ साइंस इन इण्डिया"—लेखक : बोस, सेन और सुब्बारयप्पा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, 1971.

2. "हिस्ट्री आफ साईस एण्ड टेक्नोलोजी इन एनशिएन्ट इण्डिया 1—द बिगनिंग्स"—लेखक देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय—राष्ट्रीय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान 1986.

3. "हिस्ट्री आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी इन एनशिएन्ट इण्डिया-2 फार्मेशन आफ थियोरेटिकल फंडामेंटल्स आफ नेचुरल साइंसेज"—राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, 1991.

[हिंदी]

मध्य प्रदेश में नए गोदाम

5557. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागरिक आपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में नए गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये गोदाम कहां-कहां बनाए जाने हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, द्वारा लागू की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के एक अंश के रूप में राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण करने के लिए भण्डारण क्षमता विकसित करने अथवा गोदामों को किराए पर लेने या भण्डारण क्षमता सृजित करने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करती है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रस्तावित कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 43,000 मी० टन गोदाम क्षमता सृजित करने के लिए जो लगभग 200 अभिज्ञात ब्लाकों में केन्द्रों में स्थापित की जाती है, का प्रस्ताव किया है। अधिकांश गोदामों के ब्लाक या तालुका स्तरों पर स्थापित होने की संभावना है, ताकि अभिज्ञात क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं सप्लाई करना सुविधाजनक हो।

[अनुवाद]

विदेशों में नियुक्त विज्ञान परामर्शदाता

5559. **श्री पृथ्वीराज डी० चह्वाण** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विदेशों में पांच विज्ञान परामर्शदाता नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये परामर्शदाता किन-किन देशों में नियुक्त हैं;

(ग) इन अधिकारियों को किस तरह का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) इनके कार्यालयों के अनुरक्षण पर सरकार कितना वार्षिक खर्च वहन करती है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) विदेशों अर्थात् जर्मनी, जापान, रूस और अमेरिका में चार विज्ञान परामर्शदाता नियुक्त हैं।

(ग) उनका काम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के द्विपक्षीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई नवीनतम प्रगति के बारे में भारतीय एजेंसियों और संस्थानों को सूचित करते रहना, अतिथेयी देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अन्य ऐसी गतिविधियों का संग्रह और विश्लेषण करना है।

(घ) पिछले वर्ष सभी चार परामर्शदाताओं के लिए 114.34 लाख रुपए वार्षिक खर्च किया गया।

कोयले का आयात

5560. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के कोयले के आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) देश में कोयले के उपलब्ध स्रोतों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सम्बन्धित इस्पात संयंत्र, देशीय कोयले के साथ मिश्रित किए जाने के उद्देश्य से कम राख वाले कोककर कोयले के प्रमुख आयातक हैं, जो कि देशीय उपलब्धता और मांग के अन्तराल को कम करने तथा इस्पात संयंत्रों में प्रयोग होने वाले समग्र रूप में मिश्रण किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आयात करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा आयात किए गए कोककर कोयले के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	आयातित कोककर कोयला (मिलियन टन में)
1988-89	4.49
1989-90	4.66
1990-91	5.72

(ग) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता के बढ़ाए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं : इसके परिणामस्वरूप इस्पात संयंत्रों द्वारा किए जाने वाले कोककर कोयले के आयात में धीरे-धीरे कमी आ जाने की सम्भावना है।

(घ) 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा देश में 196 बिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं को स्वीकृति

5561. **श्री हाराधन राय :** क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड और प्रशासनिक मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को भावी परियोजनाओं के लिए यह सुनिश्चित करने के बारे में स्वीकृति देता है कि इस उपक्रम ने पिछली परियोजनाओं को किस सीमा तक कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला परियोजनाओं की निवेश की मंजूरी सम्बन्धी की स्वीकृति विभिन्न बातों जैसे कोयले की मांग, उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक वैधता, पर्यावरण और वानिकी सम्बन्धी अनुमोदन तथा स्रोतों की उपलब्धता, आदि पर विचार करने के बाद दी जाती है। स्वीकृत और

चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग एक स्वतन्त्र रूप की गतिविधि है, जिसे सहायक कम्पनियों, कोल इण्डिया लि० और कोयला मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय 100.0 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 6 मुख्य परियोजनाएं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अन्तर्गत कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक माह बहुत निगरानी रखी जाती है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

5562. श्री नानी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सस्ती श्रम-शक्ति, अपने देश के मूल उत्पादों का निर्यात और अर्जित लाभ स्वदेश भेजने के उद्देश्य से विकासशील देशों में पूंजी का निवेश करती हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारे श्रमिकों को लूटे जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लूटे जाने से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार की नीति विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत करना है जिससे अत्यन्त आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, पूंजी निवेश के अतिरिक्त संसाधनों और रोजगार का सृजन होगा। विदेशी पूंजी निवेश से प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन विशेषतया विशेषज्ञता तथा आधुनिक प्रबंधकीय व्यवहार भी उत्पन्न होंगे जिसके परिणामस्वरूप निर्यात की सम्भावनाएं बढ़ेंगी। भारत में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मजदूरी पर जन शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी। फिर भी, विदेशी निवेशकों को भी देश में श्रम कानूनों द्वारा प्रशासित किया जायेगा और बाहर जाने वाले लाभांश को निर्यात आय से पूरा किया जायेगा।

परमाणु बिजली संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय

5563. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रत्येक परमाणु संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उठाए जा रहे इन कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का दायित्व यह देखना है कि परमाणु बिजलीघर सुरक्षित रूप से काम करें। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड परमाणु बिजलीघरों की बेहतर सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी में हुए सुधारों के प्रति सचेत है। ये सुधार हमारे परमाणु बिजलीघरों में अपनाए जाते हैं।

(ख) परमाणु बिजलीघरों के लिए स्थल का चयन करने, उनका डिजायन तैयार करने, निर्माण करने, उन्हें चालू करने और उनका प्रचालन करने सम्बन्धी कार्य सुरक्षा से सम्बन्धित

सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रणालियों के कार्यों की विविधता और अतिरिक्तता की दृष्टि से गारंटी की जाती है। विभिन्न स्तरों पर व्यवसायी समितियों द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी पुनरीक्षा हर चरण पर की जाती है। बिजलीघरों में लगातार कड़ी निगरानी रखी जाती है तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। रिएक्टरों का परिचालन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त योग्य कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। रिएक्टरों से निकलने वाले तरल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तकनीकी विनिर्देशनों के भीतर ही हैं। इन कारणों की वजह से, किसी भी परमाणु विद्युत संयंत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में पंजीकृत औद्योगिक एकक

5564. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने औद्योगिक एकक पंजीकृत हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

24 जुलाई, 1991 से 29 फरवरी, 1992 तक की अवधि के दौरान उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक उद्यम ज्ञापनों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	औद्योगिक उद्यम ज्ञापन
1	2
1. आंध्र प्रदेश	218
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
3. अरुणाचल प्रदेश	—
4. असम	6
5. बिहार	34
6. चंडीगढ़	7
7. दादरा एंड नागर हवेली	22
8. दिल्ली	95
9. दमन और दीव	8
10. गोवा	15

1	2
11. गुजरात	400
12. हरियाणा	309
13. हिमाचल प्रदेश	38
14. जम्मू और कश्मीर	4
15. कर्नाटक	132
16. केरल	31
17. लक्षद्वीप	—
18. मध्य प्रदेश	346
19. महाराष्ट्र	605
20. मणिपुर	—
21. मेघालय	1
22. मिजोरम	—
23. नागालैंड	1
24. उड़ीसा	32
25. पांडिचेरी	13
26. पंजाब	337
27. राजस्थान	324
28. सिक्किम	4
29. तमिलनाडु	200
30. त्रिपुरा	1
31. उत्तर प्रदेश	652
32. पश्चिम बंगाल	135
33. राज्य, जिनका उल्लेख नहीं किया गया/ एक से अधिक राज्य	—
योग :	3972

[अनुवाद]

बिहार आवासीय एजेंसियों को हुडको द्वारा ऋण

5565. श्री शिबु सोरेन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की आवासीय एजेंसियां वर्ष 1990-91 से राज्य में मकानों के निर्माण और शहरी मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार की आवास एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण के विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) बिहार राज्य में हुडको द्वारा स्वीकृत स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार सूचित किए गए हैं :

वर्ष	स्कीमों की सं०	स्वीकृत किए गए ऋण	यूनिटों की सं०	स्वीकृत किए गए भूखण्ड
1991	15	24.50 करोड़	26182	492
1991-92 (31-1-92 तक)	1	6.03 करोड़	शून्य	शून्य

इसके अतिरिक्त, हुडको द्वारा 4.18 करोड़ रुपए के ऋण के लिए राज्य स्कीमें प्रक्रियाधीन हैं। यह पाया गया है कि हुडको दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों के अप्रस्तुतीकरण, संगठनात्मक अवरोधों तथा राज्य सरकार प्रत्याभूतियों की समस्याओं के कारण हुडको से बड़े ऋणों का स्वतः उपयोग करने हेतु बिहार में एजेंसियां समर्थ नहीं पाई गई हैं। चूंकि आवास एजेंसियां राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं, अतः यह उनके लिए है कि वे उपचारात्मक उपाय करें। तथापि, मामला हुडको द्वारा बहुत बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में चिथड़े से लुगदी बनाने पर आधारित उद्योग

5566. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने वर्ष 1982-83 में रामेश्वर नगर में चिथड़े से लुगदी बनाने पर आधारित उद्योग और एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) मै० अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड का मूल आवेदन वर्ष 1982 में नामंजूर किया गया था, जिसमें उन्होंने अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ चिथड़े से लुगदी बनाने की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और एक आंतरिक विद्युत एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की जमा/देय धनराशि

5567. **श्री ललित उरांव** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में तीन महीने से अधिक अवधि की जमा/देय धनराशि का ब्यौरा क्या है; जिसके बदले कोयले की सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) बिहार के लाइसेंसधारियों के दोनों एजेंसियों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं में गत तीन महीनों से अधिक के जमा/देय धनराशि और इसके नाम का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दोनों एजेंसियों में कोयला उठाने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोयला उठाने में आनुक्रमिक प्रणाली का कार्यान्वयन नहीं किया गया है; और

(ङ) उन एजेंसियों का कोयला उठाने का कार्य कब तक किए जाने/पूरा करने का विचार है जिनकी धनराशि गत तीन महीनों से अधिक समय से जमा है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० (सी० आई० एल०) से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० (बी० सी० सी० एल०) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (सी० सी० एल०) के पास तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए, जमा राशि और उक्त राशि जिसकी एकक में उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति नहीं की गई। कोयला नहीं उठाया गया, उक्त राशि क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 21.09 करोड़ रुपए है।

(ख) बिहार के लाइसेंसधारियों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं की भारत कोकिंग कोल लि० के पास तीन महीने से अधिक की अवधि का जमा राशि का एक मात्र 13 करोड़ रुपए का है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन उपभोक्ताओं को जिनके पास कोयला आपूर्ति किए जाने सम्बन्धी सभी आवश्यक कागजात हैं, उन्हें बैंक ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रों/कोलियरियों में कोयला की कीमत जमा करानी होती है। बैंक ड्राफ्ट का भुगतान हो जाने पर, उस कोयले की मात्रा जिसके लिए राशि जमा की गई है, वितरण आदेश जारी किए जाते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को सम्बन्धित कोलियरी/लदान स्थल के लदान आवंटन चार्ट के अनुसार कोयला उठाने के लिए ट्रक लाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कोयले के लदान के लिए आवंटन चार्ट, लदान कोलियरी/लदान स्थलों द्वारा उपभोक्ताओं के लदान कार्यक्रम की रसीद की वरीयता के आधार पर तैयार किया जाता है। तथापि, लदान आवंटन चार्ट तैयार करते समय सड़क द्वारा संयोजित स्थानीय उद्योगों को कुछ प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) कोयला कम्पनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे 1-1-91 को और इसके बाद की अवधि में बुक किए गए सभी वैध लंबित आर्डरों को 30 अप्रैल, 1992 तक कोयले की आपूर्ति करके पूरा करें।

[हिन्दी]

कागज उद्योग के लिए कच्चे माल की मांग

5568. श्री राम लखन सिंह यादव :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति के कारण कागज उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न राज्यों ने कागज उद्योग के लिए कितने कच्चे माल की मांग का है;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितना कच्चा माल उपलब्ध कराया है; और

(घ) सरकार ने कागज उद्योग को रद्दी कागज का कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) राष्ट्रीय वन नीति के कारण, औद्योगिक उद्देश्य के लिए वन पर आधारित कच्चे माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है । इसलिए, परम्परागत कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति कागज उद्योग के सामने आ रही समस्याओं में से एक है।

(ख) और (ग) कच्चे माल की आपूर्ति के लिए विभिन्न कागज एककों द्वारा की गई राज्यवार मांग तथा कागज उद्योग को राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई इनकी मात्रा के आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं।

(घ) सरकार कागज उद्योग द्वारा कच्चे माल के तौर पर रद्दी कागज के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। खोई से न्यूनतम 75% लुगदी, कृषि अवशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल, जैसे रद्दी कागज पर आधारित कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंसीकरण के उपबंधों से छूट है। खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कम सीमा शुल्क की दर पर रद्दी कागज का आयात करने की अनुमति दे दी गई है। वर्ष 1991 के दौरान रद्दी कागज के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया।

तीस हजारी न्यायालय के चैम्बरों का अवैध निर्माण

5569. श्री मोरेश्वर सावे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस हजारी में कई चैम्बरों का अवैध निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में कोई जांच प्रारम्भ नहीं की गई है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है।

गुजरात को भूमि सुधार हेतु सहायता

5570. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात को भूमि सुधार हेतु विशेष सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) गुजरात को भूमि सुधार के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्यों को सहायता अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण करने की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। 1991-92 के दौरान गुजरात को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

सोनपुर बाजारी परियोजना में भूमि के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार

5571. श्री शशि प्रकाश : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "कोल इंडिया लिमिटेड" के अन्तर्गत ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल की "सोनपुर बाजारी परियोजना" में भूमि के आवंटन में हुई कथित भ्रष्टाचार की जानकारी है जैसा कि 29 फरवरी, 1992 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटेल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क

5572. श्री राम सागर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग कच्चे माल और अन्य सामग्री की खरीद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को दी जाने वाली छूट की कोई सीमा निर्धारित की है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) वहां लघु उद्योग उपक्रमों द्वारा कच्चा माल तथा अन्य सामग्री की खरीद पर उत्पाद शुल्क, जहां लागू होता है, अदा किया जाता है।

(ग) लघु उद्योग एककों को मुख्यतया/प्रधानतः समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० 175/86-सी० ई० दिनांक 1-3-1986 के अधीन उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है। इस समय लघु उद्योग एककों को 20 लाख रुपए तक के विशिष्ट सामान पर क्लीयरेंस मिलने पर उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाता है बशर्ते कि ये सामान सेन्ट्रल एक्साइज टैरिफ के एक अध्याय (एक से अधिक अध्याय में आने पर 30 लाख रुपए) में आता हो। उसके बाद 75 लाख रुपए तक के सामान पर 10 प्रतिशत पाइंट घटा कर सामान्य उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है बशर्ते वह मूल्यानुसार कम से कम 5% हो। 75 लाख से 200 लाख रुपए तक के सामान की क्लीयरेंस होने पर सामान्य दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। यदि पिछले वर्ष की क्लीयरेंस 200 लाख रुपये से अधिक हो तो उत्पादक को उपर्युक्त अधिसूचना के अधीन सभी उत्पाद शुल्क योग्य सामान के कुल मूल्य पर उत्पाद शुल्क में किसी प्रकार की छूट/रियायत नहीं मिलती।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित शापिंग काम्पलेक्स

5574. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किन-किन स्थानों पर शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण किया है; और

(ख) शापिंग काम्पलेक्स कौन-कौन से स्थानों पर निर्माणाधीन हैं और इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

विवरण-I

वे क्षेत्र जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विपणन काम्पलेक्सों का निर्माण किया गया है

1. रोहिणी, सेक्टर 1 से 8		6. लोनी रोड	—वही—
2. रोहिणी, सेक्टर 9, 13, 14, 15 तथा 16		7. नन्द नगरी	—वही—
3. दिलशाद गार्डन रिहायशी काम्पलैक्स		8. निर्माण विहार	—वही—
4. यमुना विहार	—वही—	9. मधुबन	—वही—
5. मयूर विहार	—वही—	10. माट नगर, सी० एच० बी० एस०	—वही—

11. डिफेंस एन्क्लेव —वही—
12. स्वास्थ्य विहार —वही—
13. आनन्द विहार —वही—
14. झिलमिल फेस-II —वही—
15. मंडावली फाजलपुर —वही—
16. विवेक विहार —वही—
17. त्रिलोक पुरी —वही—
18. प्रीत विहार —वही—
19. झिलमिल —वही—
20. दयानन्द विहार —वही—
21. ए० जी० सी० आर० सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
22. टिचर्स कालोनी सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
23. जागृति एन्क्लेव, सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
24. अमेरिका एम्बेसी, सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
25. पी० एन० बी० सोसाइटी, सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
26. प्लानिंग कमीशन, सी० एच० बी० एस०, शाहदरा
27. कोंडली घरोली, रिहायशी काम्पलेक्स
28. जाफराबाद
29. भीकाजी कामा प्लेस
30. नेहरू प्लेस
31. फ्रेंड्स कालोनी
32. जमरूदपुर
33. ईस्ट आफ कैलाश
34. रुक्मिणी पुरी
35. मस्जिद मोठ, उदयपार्क
36. हौज खास
37. सफदरजंग एन्क्लेव
38. मुनिरका
39. मूलचन्द अस्पताल के सामने
40. डिफेंस कालोनी फ्लाईओवर के नीचे
41. कालकाजी
42. सिद्धार्थ एन्क्लेव
43. सराय काले खां
44. पम्पोस एन्क्लेव
45. सरिता विहार
46. नीति बाग
47. सफदरजंग रिहायशी योजना
48. बदरपुर
49. सिद्धार्थ एक्स०
50. विजय मंडल एन्क्लेव
51. कालकाजी एक्स०
52. न्यू फ्रेंड्स कालोनी
53. अलकनन्दा
54. सराय जुलेना
55. सदुल्लाजेब
56. मस्जिद मोठ
57. आजाद अपार्टमेंट
58. नवजीवन विहार
59. एशियन गेम्स विलेज काम्प्लेक्स, सिरीफोर्ट
60. शाहपुर जट
61. साकेत
62. लाडो सराय
63. सर्वहितकारी को० हा० बिल्डिंग सो०
64. पुल पहलाद पुर
65. नारायणा, रिहायशी क्षेत्र
66. विकास पुरी —वही—
67. राजोरी गार्डन
68. राजेन्द्र नगर

69. पश्चिमपुरी
70. जनकपुरी, रिहायशी क्षेत्र
71. राजेन्द्रा प्लेस
72. रिवाड़ी लाइन
73. कर्मपुरा
74. लोहा मंडी
75. जेल रोड, जनकपुरी (श्रीनगर)
76. नागल राय
77. तिलक नगर
78. कीर्ति नगर
79. माया पुरी
80. टैगोर गार्डन
81. आदर्श भवन
82. हस्पताल
83. पीरा गढ़ी
84. मादी पुर
85. सुन्दर विहार
86. माया एन्क्लेव
87. ज्वाला हेडी
88. सुखदेव विहार
89. लाजवंती गार्डन
90. बसई दारा पुर
91. सेख सराय
92. कटवारिया सराय
93. बसंत कुंज
94. सर्वप्रिया विहार
95. सफदरजंग एन्क्लेव
96. वजीरपुर
97. युसूफ सराय
98. पंचशील कालोनी
99. हौज खास
100. ई० पी० डी० पी० कालोनी कालकाजी
101. रावली अपार्टमेंट कालकाजी
102. जे० जे० टेनामेंट, कालकाजी
103. मसूद पुर
104. शान्ति निकेतन
105. आनन्द निकेतन
106. बसंत विहार
107. आर० के० पुरम
108. बसंत लोक
109. पीतमपुरा
110. शालीमार बाग
111. गुलाबी बाग
112. लारेंस रोड
113. अशोक विहार
114. बसंत एन्क्लेव
115. सफदरजंग डवलपमेंट एरिया

विवरण II

वे स्थान जहां शापिंग काम्पलेक्स निर्माणाधीन है	कार्य पूरा होने का सम्भावित समय
1	2
1. रोहिणी, सैक्टर 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15 तथा 16	दिसम्बर, 1992
2. दिलशाद गार्डन	12/92

1	2
3. पुष्पांजलि एन्क्लेव	9/92
4. सैनी एन्क्लेव	12/92
5. मयूर विहार	6/92
6. प्रीत विहार	3/93
7. राष्ट्रीयावास	12/92
8. न्यूशाय धैन सी० एच० बी० एस०, शाहदरा	3/93
9. श्रेष्ठ विहार	3/93
10. मानसरोवर पार्क	9/91
11. शास्त्री पार्क	2/93
12. झिलमिल	5/92
13. कोंडली घरोली	8/92
14. कोंडली घरोली	2/93
15. लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र	3/93
16. शेख सराय	3/93
17. फ्रेंड्स कालोनी	3/93
18. जमरूदपुर	12/93
19. युसूफ सराय	3/94
20. मायापुरी	3/94
21. कीर्ति नगर वेयर हाउसिंग	3/96
22. रजा विहार, विकास पुरी	12/93
23. सराय रोहेला, मंगलापुरी	12/93
24. मीरा बाग सी० एच० बी० एस०	12/93
25. नीर गैलेक्सी, विकास पुरी	12/93
26. पश्चिमी विहार	12/93
27. कालकाजी	6/92
28. कालकाजी	3/93
29. सरिता विहार	12/92
30. सरिता विहार	6/92
31. सरिता विहार	2/93

1	2
32. मदनगीर	3/93
33. पम्पोस एनक्लेव	3/93
34. विकास पुरी	3/93
35. राजोरी गार्डन	3/93
36. हरी नगर	3/93
37. राजेन्द्र नगर	3/93
38. पश्चिमपुरी	3/93
39. जनकपुरी	3/93
40. बेरसराय	3/93
41. बसंतकुंज	12/93
42. पीतमपुरा	3/93
43. शालीमार बाग	3/93
44. नरेला	3/93
45. गुलाबी बाग	3/93
46. लारेन्स रोड	3/93
47. अशोक विहार	3/93
48. बिन्दापुर (द्वारका)	6/92

चल तारा मण्डल

5575. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्राम क्षेत्रों में विज्ञान चेतना जगाने हेतु चलित वेधशाला खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार अन्य राज्यों को भी तत्समान सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात — विक्रम ए० साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र, अहमदाबाद।

पंजाब	—	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद।
हरियाणा	—	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद।
राजस्थान	—	राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान।
पश्चिम बंगाल	—	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान।
दिल्ली	—	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एन० सी० एस० टी० सी०) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा उपर्युक्त राज्य सरकारों का उनकी कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर, दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, नागपुर स्थित यूनिटों के लिए,

लखनऊ, गुवाहाटी, भोपाल, तिरुपति में उनके क्षेत्रीय केंद्रों तथा पुरुलिया, गुलबर्गा, धरमपुर, तिरुनेलवेली में जिला स्तरीय विज्ञान केन्द्रों के लिए।

सुवहनीय ताराघरों को प्राप्त करने में सहायता की गई है।

(ग) अन्य राज्यों को सहायता दी जा सकती है जो धन की उपलब्धता और राज्य सरकार/संस्थाओं के द्वारा नियोजित प्रस्तावित प्रयोग पर निर्भर करेगा।

(घ) हाल ही में असम राज्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

कोयले की मांग

5576. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान कोयले की अनुमानित मांग कितनी है;

(ख) 1992-93 के दौरान उसके उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में मांग और उत्पादन के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) हाल ही में योजना आयोग द्वारा वर्ष 1992-93 में देश में कोयले की मांग (5.30 मि० टन मिडलिंग्स को छोड़कर) 254.50 मि० टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए देश में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 238.20 मि० टन निर्धारित किया गया है।

(ग) उत्पादन तथा मांग को पूरा किए जाने में किसी तरह के अन्तराल को पिटहैड के स्टाक से कोयले की निकासी से पूरा किए जाने और इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले के मामले में मिश्रण के प्रयोजन से आयात द्वारा पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच/अभियोजन

5578. श्री शिवशरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री 11 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारियों के विरुद्ध जांच/अभियोजन के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से सूचना अभी आनी है।

संसद सदस्यों की सिफारिश पर कोयले का आवंटन

5579. श्री केवी थामस : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष परिस्थितियों में संसद सदस्यों की सिफारिश पर कोयले का आवंटन करने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और यह आवंटन किस शीर्ष के अन्तर्गत किया जाता है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों को बन्द करना

5580. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड बड़ी संख्या में कोयला खानों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) वर्तमान में कोल इण्डिया लिमिटेड का बड़ी संख्या में कोयला खानों को बन्द किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लक्षद्वीप में आई० आर० डी० पी० का क्रियान्वयन

5581. श्री पी० एम० सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत लक्षद्वीप में स्वीकृत की गई परियोजनाओं की द्वीपवार संख्या क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत दी गई सबसिडी का वर्ष-वार और द्वीपवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	द्वीप	सहायता किए गए परिवार			समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सबसिडी		
		1989-90	1990-91	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92
1.	कावरत्ती	24	6	6	1.022	0.104	0.402
2.	अगत्ती	40	23	शून्य	1.768	1.058	शून्य
3.	अमीनी	15	2	7	0.523	0.040	0.293
4.	कादमत	24	27	17	0.952	1.022	0.485
5.	किल्तन	17	24	31	0.641	1.162	1.476
6.	चेतलत	5	14	शून्य	0.171	0.546	शून्य
7.	बितरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	अंद्रोट	36	13	12	1.086	0.445	0.360
9.	कल्पेनी	49	30	30	1.432	1.227	1.115
10.	मिनीकाय	शून्य	8	शून्य	शून्य	0.230	शून्य
	योग :	210	147	103	7.596	5.832	4.132

उपभोक्ता माल उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश

5582. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता माल उद्योग में भी विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने हेतु सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत वर्ष के दौरान उपभोक्ता माल हेतु स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश परियोजनाओं की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) (क) से (ग) भारत में विदेशी पूंजी निवेश सम्बन्धी नीति 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में निर्धारित की गई है। इस नीति के अनुसार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों, जिनकी सूची वक्तव्य के अनुबन्ध-3 में दी गई है, में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमोदन दिया जाता है। स्वतः अनुमति के मानदण्डों के बाहर वाले अन्य विदेशी निवेश प्रस्तावों पर भी सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। 1991 के दौरान अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश प्रतावों के क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों की क्षेत्रवार सूची

क्रम सं०	अन्तर्ग्रस्त क्षेत्र का नाम	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदन
1	2	3
1.	धातुकर्मी उद्योग	3
2.	ईंधन	3
3.	बायलर्स और भाप अनित्रण संयंत्र	1
4.	प्राइम मूवर्स (वैद्युत अनित्रणों के अलावा)	—
5.	वैद्युत उपकरण	55
6.	दूरसंचार	6
7.	परिवहन	8
8.	औद्योगिक मशीनरी	37
9.	मशीनी औजार	8

1	2	3
10.	कृषि मशीनरी	—
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	1
12.	विविध मकै० तथा इन्जीनियरी उद्योग	7
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	—
14.	चिकित्सा तथा सर्जिकल उपकरण	4
15.	औद्योगिक उपकरण	10
16.	वैज्ञानिक उपकरण	2
17.	गणीतीय सर्वेक्षण तथा ड्राइंग उपकरण	—
18.	उर्वरक	1
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	49
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और कागज	—
21.	रंगाई का सामान	—
22.	औषध एवं भेषज	2
23.	वस्त्र (रंगीन, छपे अथवा अन्यथा प्रसाधित सहित)	8
24.	कागज एवं लुगदी (कागज उत्पादों सहित)	1
25.	चीनी	—
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	—
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	14
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3
29.	साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन एवं टायलेट का सामान	—
30.	रबड़ का सामान	4
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान एवं परिष्कारक	8
32.	सरेस तथा जिलेटिन	—
33.	कांच	3
34.	सिरेमिक	5
35.	सीमेंट तथा जिपसम उत्पाद	2
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	—

1	2	3
37.	रक्षा उद्योग	—
38.	सिगरेट	—
39.	परामर्श और सेवाएं	15
40.	विविध उद्योग	29
	कुल :	289

[हिन्दी]

चित्रा कोयला खानों में वाहन

5583. श्री साईमन मराण्डी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुमका (बिहार) स्थित चित्रा कोयला खान में काफी संख्या में वाहन/कारें/ट्रक आदि हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 जनवरी, 1992 की स्थितिनुसार इनकी कुल संख्या कितनी थी और जनवरी, 1990 से अब तक इनके रखरखाव पर व्यय की गई राशि का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कोयला खानों के रखरखाव के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और वहां पर विकास-कार्यों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कोयला खान में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनमें से आदिवासी अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने लोग हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार चित्रा कोलियरी में वाहनों को संख्या नीचे दी गई है :

स्टोर ट्रक	2
स्कूल बस	1
एम्बुलेंस	1
वैन	1
ट्रैक्टर	1
हल्के वाहन	2

जनवरी, 1990 से वाहनों के अनुरक्षण पर हुए खर्च का मास-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

मास	अनुरक्षण (संख्या 00 घ० में)
जनवरी, 90	1.40
फरवरी, 90	—
मार्च	15.3
अप्रैल	0.8
मई	0.3
जून	22.2
जुलाई	2.1
अगस्त	0.9
सितम्बर	5.1
अक्तूबर	1.1
नवम्बर	0.3
दिसम्बर	0.5
जनवरी, 91	23.4
फरवरी	4.7
मार्च	—
अप्रैल	43
मई	8.4
जून	0.2
जुलाई	2.8
अगस्त	0.7
सितम्बर	—
अक्तूबर	—
नवम्बर	0.3
दिसम्बर	2.8
जनवरी, 92	—

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चिन्ना कोलियरी में हुए कुल व्यय को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
1988-89	3.31	13.28
1989-90	2.38	23.18
1990-91	8.68	25.03

पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यों पर हुए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	1988-89	1989-90	1990-91
खान विकास	0.08	0.13	0.39
पूर्वेक्षण और बोरिंग	0.35	0.23	0.18
इमारत	0.29	0.10	0.04
सड़क, जल-आपूर्ति, आदि	0.01	0.03	0.04

(घ) चित्रा कोलियरी में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 2020 है। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 639 है और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या 386 है।

[अनुवाद]

कोयले की चोरी

5584. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर के आस-पास कोयला तथा कोयला भंडारों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी की जा रही है;

(ख) क्या कुछ ठेकेदार बड़ी संख्या में कुलियों को इस उद्देश्य से काम पर लगाते हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 में अधिकारियों ने कितनी चोरियां पकड़ीं तथा इन चोरियों से जब्त किए गए पदार्थ की कीमत तथा मात्रा क्या है;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) उपरोक्त क्षेत्र में चोरी रोकने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा चन्द्रपुर में तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में कोयले का कोई डिपो नहीं चलाया जाता है।

(ख) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्राधिकारियों के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र० स०	क्षेत्र	लगभग टन मात्रा में (सूचित किए गए चोरी के मामले)	मामलों की सं०	लगभग कीमत	लगभग वसूल की गई कीमत
1.	चन्द्रपुर	—	—	शून्य	शून्य
2.	वानी	119.0	17	46700	467.00
3.	बल्लारपुर	29.8	3	11500	11500
	जोड़	148.8	20	58200	58200

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में जब भी ऐसे मामले पकड़ में आए हैं उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्राधिकारियों द्वारा कोयले की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

चन्द्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा गार्डों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। सुरक्षा कार्मिकों को बेहतर दूरसंचार नेटवर्क की और संकलन में सुधार किए जाने के लिए मोटरसाइकिलों की सुविधा प्रदान की जा रही है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अचानक छापे मारे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकारियों के साथ भी निकटतम संपर्क रखा जा रहा है।

अति उच्च आवृत्ति वाले सेट

5585. श्री मुकुल वासनिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अति उच्च आवृत्ति वाले कितने वाकी टाकी सेटों का आयात किया गया तथा इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी;

(ख) क्या सरकार को पुराने अति उच्च आवृत्ति वाले वाकी टाकी सेट विकसित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 500 परा-उच्च आवृत्ति (यू० एच० एफ०) ट्रीसरिसीवर सेटों/वाकी टाकी सेटों के आयात की अनुमति प्रदान की है। इन सेटों का मूल्य (लगभग) 19 लाख अमरीकी डालर है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिंदी]

सौर विद्युत वोल्टता प्रणाली

5586. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड अपनी आवश्यकता से कम सौर विद्युत वोल्टता का उत्पादन करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजनैतिक दलों को सरकारी आवास

5587. श्री सूरज भानु सोलंकी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद में और संसद के बाहर विभिन्न राजनैतिक दलों और श्रमिक संगठनों, महिला संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारियों को बंगला/फ्लैट/मकान का आवंटन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) आवंटित आवासों का ब्यौरा क्या है और इन आवंटनों की समयावधि कितनी है;

(ग) क्या आवंटितियों के पास अभी भी ये आवास हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे इसका कितना किराया दे रहे हैं और अब तक ऐसे आवास रखने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राजनीतिक पार्टियों, क्लबों, संस्थाओं, सहकारी समितियों को साधारण पूल वास के आवंटनार्थ मानदण्ड संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत न आने वाले अन्य संगठनों को वास का आवंटन वास सम्बन्धी मन्त्रिमंडलीय समिति के विशिष्ट अनुमोदन से किया जा सकता है।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण-II में दिये गये अनुसार। कुछ मामलों में इन आवंटनों की अवधि निर्दिष्ट नहीं थी। कुछेक मामलों में आवंटन निरस्त किए गए हैं और बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण-I

गोपनीय

सं• 12016 (2)/88-पोल-II (खंड III) (XVII)

भारत सरकार

शहरी विकास मन्त्रालय

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : साधारण पूल आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा — राजनैतिक दल।

राजनैतिक दलों के लिए साधारण पूल आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा मंत्रिमंडल की आवास समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में की थी और उक्त समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं :

(I) अध्यक्ष द्वारा दी गई मान्यता वाले एसे राजनैतिक दलों व ग्रुपों को आवास देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष द्वारा दी गई मान्यता वाले दलों तथा ग्रुपों की सूची संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त कर ली जाए। मूल नियम-45 के अनुसार लाइसेंस फीस की गणना की जाए।

(II) अपात्र मामलों में आबंटन रद्द किया जाए।

(III) छः यूनिटों की अधिकतम सीमा के भीतर स्टाफ का केवल 1/3 रिहायशी प्रयोजन के लिए आबंटित किया जाए।

(IV) यदि उपलब्ध हैं तो कार्यालय आवास के संबंध में रिहायशी भवन स्थान आवश्यकताओं की जांच करने के बाद इस शर्त पर आबंटित किए जाएं कि बाजार दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जाती है।

(V) आबंटन राजनैतिक दलों के नाम पर किया जाए न कि किसी पदाधिकार के नाम पर।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अगली आवश्यक कार्रवाई की जाए।

ह०/-

(बी० एस० रमन)

सम्पदा उप-निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. सभी आबंटन अनुभाग के सहायक निदेशक।

2. सहायक निदेशक, समन्वय-I अनुभाग।

3. सहायक निदेशक, कार्यालय अनुभाग।

4. सभी उप-निदेशक, सम्पदा निदेशालय।

सं० 12016 (2)/80-नीति-II (खंड-III) (XI)

भारत सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय
संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय : क्लबों/संस्थाओं सहकारी भंडार तथा सरकारी उपभोक्ता सहकारी समितियों से साधारण पूल आवास के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा।

क्लबों, संस्थाओं आदि की उपर्युक्त श्रेणियों को साधारण पूल आवास तथा दुकानों के आबंटन के मार्गदर्शी सिद्धातों की समीक्षा मंत्रिमंडल की आवास समिति ने 12 सितम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में की थी और समिति ने अनुमोदित किया कि मौजूदा आबंटन जारी रखे जाएं और निर्माण व आवास मंत्रालय संपदा निदेशालय के तारीख 4-12-1970 के ज्ञापन सं० 18015 (1)/68 नीति 1 (सहज सन्दर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न) में दी शर्तों के अनुसार नये आबंटन भी किए जाएं। उपर्युक्त निर्णय सभी सम्बन्धितियों की सूचनार्थ, मार्गदर्शन के लिए ध्यान में ला दिया गया है।

ह०/-
(बी० एस० रमन)

सेवा में,

1. सभी आबंटन अनुभाग

2. समन्वय-1 अनुभाग 1 प्रादेशिक अनुभाग/बाजार अनुभाग

3. सभी उप-निदेशक

भारत सरकार
निर्माण और आवास मन्त्रालय
सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4-12-1970

ज्ञापन

विषय : सरकारी कर्मचारी की संस्था तथा क्लबों तथा गृह मंत्रालय की योजना के अंतर्गत संचालित उपभोक्ता सहकारी समितियों या सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित अन्य सहकारी समितियों को आवास का आबंटन तथा ऐसी संस्था से प्रभावित की जाने वाली लाइसेंस फीस की दर :

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पिछले कुछ दिनों से सरकार के विचाराधीन रहा है, अब इस प्रकार निर्णय लिया गया है :

(I) एक रुपया प्रति माह+सेवा प्रभार की नाममात्र लाइसेन्स फीस पर कार्मिक विभाग के तत्वावधान के अन्तर्गत संचालित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवास के आवंटन को जारी रखना।

(II) एक रुपया प्रतिमाह+जल विद्युत प्रभार आदि की नाममात्र लाइसेंस फीस पर विभागों या कर्मचारी संस्थाओं द्वारा संचालित सहकारी समितियों भण्डारों को विभाग पात्रता से कार्यालय वास का प्रावधान जारी रखना। निर्माण आवास तथा शहरी विकास मन्त्रालय के तारीख 28-2-1966 के पत्र सं 22/12/65-आवास-II तथा समय-समय पर संशोधित सम्पदा निदेशालय के दिनांक 24 दिसम्बर,1968 के पत्र संख्या-12019/11/67-नीति-3 निर्धारितविस्तृत प्रक्रिया के अनुसरण में।

(III) समय-समय पर यथा संशोधित यह निर्माण आवास तथा आपूर्ति मंत्रालय के तारीख 2 अप्रैल, 1960 के तहत पहले से निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसरण में मूल नियम 45-क के अन्तर्गत पूरी मानक फीस या मूल नियम 45 के अन्तर्गत पूलित मानक फीस (जहां पर लाइसेंस फीस पूलित कर दी गई है) + सेवा प्रभार की अदायगी पर मान्यता प्राप्त क्लबों तथा संस्थाओं की रिहायशी आवास के आवंटन को जारी रखना।

(IV) समय-समय पर यथा संशोधित सम्पदा निदेशालय के दिनांक 25 अप्रैल, 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं० 18011/6/68-नीति-1 में दिए गए आदेशों के अनुसार मूल नियम 45-क के अन्तर्गत मानक फीस या मूल नियम 45-क अन्तर्गत पूलित मानक फीस की अदायगी पर नियोक्ता और कर्मचारी सम्बन्ध की दृष्टि से ऐसे कर्मचारियों को कार्य शुरू करने के लिए स्थापित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की मान्यता प्राप्त संस्था/यूनियनों के लिए कार्यालय प्रयोजनार्थ कार्यालय आवास के प्रावधान को जारी रखना।

(V) मनोरंजन तथा कल्याण प्रयोजन अर्थात मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सामुदायिक हाल, मनोरंजन केन्द्रों तथा क्लब भवनों के लिए विशेष रूप से निर्मित भवनों के प्रावधान को समय-समय पर यथा संशोधित निर्माण आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय के दिनांक 2 अप्रैल, 1960 के पैरा-4 में दिए गए आदेशों के अनुसार अनुरक्षण तथा मरम्मत, सेवा प्रभार की वास्तविक लागत तथा ऐसे भवनों के आवंटितियों से यथा निर्णित वसूल किए जाने वाले ऐसे अन्य दावों के साथ जारी रखना।

(VI) मूल नियम 45-ख के अन्तर्गत लाइसेंस फीस के साथ विभागीय प्रभारों तथा अन्य सेवाओं, यदि कोई हो, की अदायगी पर सहकारी भण्डारों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं को रिहायशी आवास का प्रावधान।

हस्ताक्षर/-
(आर० बी० सक्सेना)
उप-निदेशक, सम्पदा

सेवा में,

वित्त मंत्रालय (डब्ल्यू एण्ड ई०),

इत्यादि ।

विवरण-II

संसद में तथा संसद के बाहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और ट्रेड यूनियनों, महिला संघों और स्वैच्छिक संगठनों आदि को आवंटित सरकारी आवास ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	पार्टी/संगठन का नाम	परिसर संख्या	लाइसेंस फीस की मासिक दर	खाली करने की तारीख यदि कोई हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	संसद में कांग्रेस (आई) पार्टी	एस-4/289 आर० के० पुरम	80/-रु० प्रति (एफ० आर० 45 ए)	शून्य	—
2.	—वही—	एस-4/181 आर० के० पुरम	—वही—	—वही—	—
3.	—वही—	सेक्ट०4/892 आर० के० पुरम	—वही—	—वही—	—
4.	—वही—	781-एल० बी० नगर	156 रुपये (एफ० आर० 45 ए)	—वही—	—
5.	—वही—	401 और 402 एल्बर्ट स्कावायर	328/रु० प्रति (एफ०आर० 45 ए)	—वही—	—
6.	—वही—	जे०556 मन्दिर मार्ग	148/-रु० प्रति (एफ० आर०-45 ए)	—वही—	—
7.	—वही—	896 बी० के० एम० मार्ग	—वही—	—वही—	—
8.	—वही—	ए-4/88 एच० डी० आई० जेड० क्षेत्र	—वही—	—वही—	—

1	2	3	4	5	6
9.	संसद में कांग्रेस (आई) पार्टी	74-बी/एस०4 डी० आई० जैड० एरिया	131/-रु० प्रति (एफ० आर० 45ए)	27-12-91	—
10.	—वही—	81-बी, सेक्ट०4 डी० आई० जैड एरिया	—वही—	शून्य	—
11.	—वही—	87-टी/एस० 4 डी० आई० जैड० एरिया	—वही—	—वही—	—
12.	—वही—	38-के०/एस० 4 डी० आई० जैड० क्षेत्र	—वही—	—वही—	—
13.	अ० भा० कां० कमेटी (आई) श्री जे० एन० मिश्रा	12, पार्क लैन	300/-रु०प्रति (एफ० आर० 45 ए)	—वही—	—
14.	अ० भा० कां० कमेटी (आई)	3, रायसीना रोड	4362/-रु० प्रति विशेष लाइसेंस फीस	—	जो गिराये जा जा चुके हैं
15.	अ० भा० कां० कमेटी	5-राय सीना रोड	10,333/-रु० प्रति हर्जाना दिया	—	उक्त आवास अ० भा० का० कमेटी (आई) के नाम में बिनियमित करने के मामले पर टी० एस० अनुभाग में विचार किया जा रहा है।
16.	अ० भा० कां० कमेटी (आई)	डी०1/109 चाणक्यपुरी	1690/-रु० प्रति विशेष लाइसेंस फीस	शून्य	—
17.	डी० पी० सी० सी० (आई)	2-तालकटोरा रोड	10,543/-रुपये का नुकसान	शून्य	लाइसेंस 17-8-90 से रद्द किया गया। दिल्ली प्रदेश

1	2	3	4	5	6
					कांग्रेस कमेटी (आई) के नाम से नियमत का मामला टी० एस० अनुभाग में विचाराधीन है।
18.	आई० एन० टी० यू० सी०	1-बी मौलाना आजाद रोड	4881/-रु० प्रति विशेष लाइसेंस फीस	शून्य	31-1-92 तक रखने के अनुमत/आगामी आदेशों की टी० एस० अनुभाग से अभी भी प्रतीक्षा है।
19.	दिल्ली मजदूर कांग्रेस	15-सी मार्किट रोड	848/रु० प्रति लाइसेंस फीस	शून्य	17-3-92 को लाइसेंस रद्द किया गया
20.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोका रोड	13532/-रु० प्रति लाइसेंस फीस	—वही—	—
21.	जनता पार्टी	5, पंडित पन्त मार्ग	5487 रुपये का जुर्माना	शून्य	4-1-92 से लाइसेंस रद्द किया गया
22.	जनता दल	10 लोधी एस्टेट	395/-रु० प्रति (एफ० आर० 45 ए)	शून्य	—
23.	जनता दल (समाजवादी)	16 डा० आर० पी० रोड	1250/-रुपये प्रति लाइसेंस फीस	शून्य	10-4-92 से लाइसेंस रद्द किया गया
24.	जनता दल (समाजवादी)	13, विडंसर प्लेस	1300/-रुपये का हर्जाना	शून्य	10-4-92 से लाइसेंस रद्द किया गया
25.	लोक दल (ब)	15, विडंसर प्लेस	2361/-रुपये हर्जाना	शून्य	6-2-81 से लाइसेंस रद्द किया गया

1	2	3	4	5	6
26.	लोक दल (ब)	3, पंडित पंत मार्ग	6741/-रुपये हर्जाना	शून्य	14-10-89 से लाइसेंस रद्द किया गया
27.	बहुजन समाज पार्टी	12, जी० आर० बी० रोड	3826/-रुपये प्रति लाइसेंस फीस	शून्य	—
28.	केन्द्रीय भारतीय ट्रेड यूनियन (सी० पी० आई० एम०)	6, ताल कटोरा रोड	2819/-रुपये प्रति लाइसेंस फीस	शून्य	—
29.	महिला दक्षता समिति	19, फायर ब्रिज लेन	998/-रुपये प्रति लाइसेंस फीस	शून्य	—
30.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० आफिसर्स वाइफ एसोसिएशन	एस० 12/85 आर० के० पुरम	166/-रुपये (एफ० आर० 45 ए)	शून्य	—
31.	हैंडीकैप्ट वेलफेयर फैडरेशन	14/ए/एफ तानसेन मार्ग	बाजार दर	शून्य	—
32.	मोतीबाग म्यूचुअल एड एजूकेशनल सोसायटी	फ्लैट 8/सर्किट 1 मानकपुरा	—वही—	शून्य	प्रतिधारण मामला सी० सी० ए० को भेजा जाता है।
33.	विलिंग्डन हास्पीटल वेलफेयर सोसायटी	8, क्लाइव स्कावर	सामान्य	शून्य	—
34.	काशी नागरी प्रचारणी सभा	1 ए/सुनहरी बाग	—	शून्य	—
35.	नुक्कड़	13/15, माल रोड	विशेष लाइसेंस फीस	शून्य	—
36.	भारत सेवक समाज	गैराज नं० 109, 110 तथा 111, नार्थ एवेन्यू		शून्य	—
37.	महा सचिव (लोक दल)	सूट नं० 1, 2 तथा सर्वेंट क्वार्टर 65 वी० पी० हाउस	67.20 (एफ० आर० 45ए) 18.00	—	—

1	2	3	4	5	6
38.	सी० पी० आई० (एम)	सूट नं० 8 तथा 14 बी० पी० हाउस	68.20 (एफ० आर० 45 ए) 113.28	—	—
39.	महा सचिव (जनता दल)	सूट नं० 17 तथा सर्वेट क्वा० नं० 43, बी० पी० हाउस	68.20 8.00	—वही—	—
40.	भा० ज० पा०	सूट नं० 84 तथा 523 तथा सर्वेंट क्वा० नं० 56, बी० पी० हाउस	67.20 70.70 18.00	—वही—	—
41.	नेता ए० आई० ए० डी० एम० के०	सूट नं० 101 सी, बी० पी० हाउस	118.00	—वही—	—
42.	नेता जनता पार्टी	सूट नं० 115 सूट नं० 416 सूट नं० 418 बी० पी० हाउस	59.70 70.70 69.70	—वही—	—
43.	सी० पी० आई०	सूट नं० 119 सूट नं० 201-ए तथा सूट नं० 309, बी० पी० हाउस	69.70 67.20 70.70	—वही—	—
44.	नेता जनतांत्रिक समाजवादी पार्टी	सूट नं० 310, बी० पी० हाउस	1475.00	हर्जाना	22-3-88 से आवंटन रद्द कर दिया गया
45.	अध्यक्ष अ० भा० आदिवासी विधान परिषद	503, बी० पी० हाउस	634.00	विशेष लाइसेंस फीस	—

*फर्नीचर आदि के लिए किराया, विद्युत प्रभार तथा जल प्रभार अतिरिक्त प्रभारित हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों से कोयला

5588. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्पात संयंत्रों में प्रयोग हेतु पूर्वोत्तर राज्यों से बंगलादेश के रास्ते से कोयला लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) इस्पात संयंत्रों को उत्तर पूर्वी राज्यों से कोयले की कुछ मात्रा में आपूर्ति की जा रही है, किन्तु वर्तमान में इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले का संचलन बंगलादेश के माध्यम से नहीं किया जा रहा है।

लैब डिटरजेंटों के प्रयोग का प्रभाव

5589. **श्री नवल किशोर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लैब डिटरजेंटों के प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों और खतरों से उत्पन्न विवाद की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव डालने वाले इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार "पर्यावरण अनुकूल उत्पादो" के रूप में लैबलिंग डिटर्जेंटों के लिए पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित और 29-11-91 को अधिसूचित मानदंडों के सम्बन्ध में व्यक्त किए गए भिन्न-भिन्न विचारों से अवगत हैं। अधिसूचना में इन मानदंडों पर आपत्तियां मांगी गई थीं। उक्त मंत्रालय द्वारा "पर्यावरण अनुकूल उत्पादों" की एक स्वीकार्य लैबलिंग योजना तैयार करने और पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से प्राप्त आपत्तियों की जांच की जा रही है।

भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड द्वारा प्रौद्योगिकी जानकारी का आयात

5590. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेट्रो रसायन लिमिटेड ने विभिन्न प्लास्टिक यौगिकों के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी जानकारी का आयात करने के लिए वर्ष 1986 के दौरान 10 मिलियन डालर बी० पी० कैमिकल्स लंदन को अग्रिम रूप से दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक प्रौद्योगिकी जानकारी का उपयोग कर लिया गया है,

(ग) यदि हां, तो इस सुविधा का उपयोग करके कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात न करने के कारण बचत हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) नागोथाने स्थित एम० जी० सी० सी० में एल० एल० डी० पी० ई०/एच० डी० पी० ई० के निर्माण के लिए इंजीनियरी और तकनीकी सहायता और लाइसेंस एवं अधिकारों के बदले आई० पी० सी० एल० द्वारा मई/अक्तूबर, 1986 में बी० पी० केमिकल्स को मिलियन डालर दिए गए थे।

(ख) निर्माण सुविधाएं लगा दी गई हैं और संयंत्र चालू किए जाने की अग्रिम अवस्था में है।

(ग) और (घ) एक बार उत्पादन में स्थिरता प्राप्त हो जाने पर आयात प्रतिस्थापन के रूप में बचत होने लगेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

5591. श्री राम बदन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले कई वर्षों से अस्थायी पदों पर कार्यरत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मस्टर रोल कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्थापना में कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव चलाया है। जैसे ही पदों का सृजन हो जायेगा, इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि

5592. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में 15 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद देश के कई विद्युत एककों को समय पर कोयले की सप्लाई न किए जाने के कारण बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत एककों को कोयले की सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए कौन व्यक्तिय जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 के दौरान देश में कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.7% अधिक रहा। तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं को कोयले के प्रेषण किए जाने में काफी सुधार हुआ है। अप्रैल, 1991 से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान, विद्युत उपयोगिताओं को कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए (मिडलिंग्स सहित) 97.87 मिलियन टन कोयले की तुलना में (मिडलिंग्स सहित) 112.13 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति की गई, जोकि 14.6% की वृद्धि को दर्शाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कुछ विद्युत गृहों ने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण अपनी कुछ यूनिटों को अस्थायी रूप से बन्द करना पड़ा है। यद्यपि विद्युत

उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तब वैकल्पिक स्रोतों से वचनबद्ध आपूर्ति को पूरा किए जाने के लिए तत्काल उचित कारंवाई की जाती है। अतः 1991-92 के दौरान तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति सामान्यतः संतोषप्रद रही है। इस स्थिति में जिम्मेदारी नियत करने और अपर्याप्त आपूर्ति के लिए कारंवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

पश्चिम महाराष्ट्र में केंद्र द्वारा चलाए जा रहे उद्योग

5593. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर जिले सहित पश्चिम महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उद्योगों ने 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में दिसम्बर, 1991 तक क्या प्रगति की ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों जैसी कोई श्रेणी नहीं है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में घाटा

5594. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड पिछले दो वर्षों से भारी घाटे में चल रही है;

(ख) क्या उपक्रम के पास संगठन में कार्यरत अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए कोई कोष नहीं है;

(ग) लाभ अर्जित करने वाले कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए भारी मात्रा में धन दिया है;

(घ) उन सार्वजनिक उपक्रमों को इस भारी धनराशि को वापस करने की क्या शर्तें हैं; और

(ङ) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को भारी घाटे से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां। इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को विगत कई वर्षों से घाटा हो रहा है। 1989-90 में कम्पनी को 42.74 करोड़ रुपए का और 1990-91 में 88.26 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था।

(ख) जी, नहीं। कार्यशील पूंजी और अन्य वित्तीय अड़चनों के बावजूद कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है।

(ग) से (ङ) हाल ही में इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा आई० डी० पी०

एस० को 5 करोड़ रुपए का अन्तर-निगम ऋण दिया गया था। दो समान किश्तों में दिए गए इस ऋण का पुनर्भुगतान दो वर्षों की समाप्ति के बाद किया जाना है। इस ऋण पर ब्याज और दाण्डिक ब्याज के भुगतान का प्रावधान शामिल है। आई० डी० पी० एल० के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उपायों में क्षमता उपयोग को बढ़ाना, अधिक बिक्री पर जोर देना, निर्यात, सेवाओं और उपयोगिताओं में बचत करके कार्यकुशलता में वृद्धि, लागत में कमी, बकाया राशियों को वसूलने की प्रणाली में सुधार लाना और स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना आदि शामिल हैं। इसमें भारी निवेश, सरकारी ऋणों को बट्टे खाते डालना और कार्यशील पूंजी के लिए धनराशियां भी शामिल होंगी।

माण्डया, कर्नाटक में एच० एम० टी० के एकक

5595. श्री जी० माडे गौडा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक के माण्डया में एच० एम० टी० एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एच० एम० टी० ने विद्यमान एककों में, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पादकता के माध्यम से प्रगति करने की योजना बनाई है और इस समय कोई नया एकक स्थापित करने की योजना नहीं है।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

5596. श्री चित्त बसु : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने समय-समय पर कोयले के मूल्य में वृद्धि करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार के पास कोयले के मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के सम्बन्ध में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) की पिछली रिपोर्ट क्रमश: वर्ष 1987 और 1988 में प्राप्त हुई है। इसके बाद से औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने समय-समय पर कोयले के मूल्यों की वृद्धि किए जाने के लिए कोई नया फार्मूला अभी तैयार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में कोयले के मूल्य में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल के पिछड़े जिलों में केन्द्रीय पूंजी निवेश

5597. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान उद्योगों के विकास के लिए केरल के पिछड़े जिलों में किए गए केन्द्रीय पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

5598. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में बोलनगीर जिले के नौ ब्लाकों को सम्मिलित कर इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) उड़ीसा सरकार ने बोलांगीर जिले के 10 और खण्डों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को वर्तमान कवरेज के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखा जाए।

खिलाड़ियों की नियुक्ति

5599. **श्री पी०सी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार के विभिन्न विभागों में कितने खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश न केवल सरकारी विभागों पर लागू होते हैं बल्कि उनके सम्बन्ध, अधीनस्थ कार्यालयों तथा विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों पर भी लागू होते हैं। इन संगठनों में पदों पर नियुक्तियों की शक्तियां प्रदत्त प्राधिकारियों को प्राप्त हैं। गत तीन वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना/आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा

5600. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ग्रामीण ईंधन की आवश्यकताओं का वनरोपण योजनाओं के साथ किस प्रकार से समन्वय किया जाता है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सोनपुर बाजारी परियोजना की लागत

5601. श्री आत्ये गोवर्धन : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनपुर बाजारी कोयला परियोजना की मूल अनुमानित लागत की तुलना में अब संशोधित अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या संशोधित अनुमानित लागत से यह परियोजना व्यवहार्य है;

(ग) लागत में वृद्धि के कारण इस परियोजना की व्यवहार्यता के सम्बन्ध में विश्व बैंक की क्या-क्या है; और

(घ) यह परियोजना सम्बद्ध ताप विद्युत केन्द्रों को कब तक विद्युत ग्रेड कोयला सप्लाई करना शुरू कर देगी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की सोनपुर बाजारी ओपनकास्ट परियोजना के लिए 192.96 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत की तुलना में संशोधित लागत अनुमानों के अनुसार तैयार की गई अनुमानित लागत (1991 के मूल्यों के आधार पर) 453.91 करोड़ रु० है। संशोधित लागत अनुमानों की आर्थिक संगणना यह दर्शाती है कि यह परियोजना आर्थिक रूप में लाभकारी है। विश्व बैंक ने निर्देश दिए हैं कि आर्थिक और वित्तीय लाभकारिता की उनके द्वारा समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) सोनपुर बाजारी परियोजना के कोयले की आपूर्ति बकरेश्वर टी० पी० (3×210 मे० वा०) से संयोजित है। जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि बकरेश्वर टी० पी० की प्रथम यूनिट के वर्ष 1995-96 में चालू हो जाने की संभावना है। इस यूनिट की कोयले की आवश्यकताओं को सोनपुर बाजारी परियोजना से आपूर्ति की जाएगी।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5602. श्री आत्ये गोवर्धन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्ष 1991 के अन्त तक गन्दी बस्ती में रहने वाले लोगों की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी; और

(घ) शहरी जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1989 में प्रवर्तित, इस मन्त्रालय का मुख्य शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नेहरू रोजगार योजना कहलाता है। योजना की तीन स्कीमें हैं यथा (I) शहरी माइक्रो इन्टरप्राईजिज (एस० यू० एम० ई०) की स्कीम, (II) शहरी मजदूरी रोजगार (एस० यू० डब्ल्यू० ई०) की स्कीम, (III) आवास और आश्रय उन्नयन (एस० एच० ए० एच० यू०) की स्कीम। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में योजना की प्रगति, आवधिक रूप से प्रबोधित और आकलित की जाती है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार एस० यू० एम० ई० के अन्तर्गत लाभभोगियों को 50.89 करोड़ रुपए राशि की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इस योजना के प्रशिक्षण घटक के अन्तर्गत लगभग 48,500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया/प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि एस० यू० डब्ल्यू० ई० के अन्तर्गत 110.42 करोड़ रुपए व्यय किए गए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 197.60 लाख मानव कार्यदिवस सृजित किए गए। एस० एच० ए० एस० यू० के अन्तर्गत 6,58,072 रिहायशी एककों के उन्नयन को सम्मिलित करते हुए आवास तथा नगर विकास निगम ने क्रमशः 52.64 करोड़ रुपए तथा 204.33 करोड़ रुपए लागत की आर्थिक सहायता और ऋण स्वीकृत किए।

इसके अतिरिक्त शहरी मूलभूत सेवाओं/निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत कम आय परिवेशों में सामाजिक सुविधाएं जैसे प्रतिरक्षण, मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल, स्कूल-पूर्व शिक्षा और जरूरतमंद को सहायता दी जाती है। 1991-92 के दौरान शहरी मूलभूत सेवाओं/गरीबों के लिए शहरी मूलभूत सेवाओं की योजना के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को क्रमशः 2 करोड़ रुपए और 20.85 करोड़ रुपए राशि की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गईं।

(ग) मंत्रालय के नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन द्वारा बनाए गए आकलनों के अनुसार 1990 में मलिन बस्ती जनसंख्या 312.28 लाख प्रक्षिप्त की गई।

(घ) योजना आयोग द्वारा बनाए गए आकलन के अनुसार 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे रह रही शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 20% था।

जल आपूर्ति सुविधाएं

5603. श्री [illegible] : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक के अंग के तौर पर 1981 से 1991 तक की अवधि के दौरान कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या को जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र में क्रमशः कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा अग्रेषित की गई सूचना के अनुसार दशक के आरम्भ में अर्थात् वर्ष

1981 में जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाओं से लाभान्वित शहरी आबादी का प्रतिशत क्रमश: 77.8% तथा 27% था। 31-12-90 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी लाभान्वयन 83.81% और 46.76% था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में कुओं की खुदाई

5604. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान 2 लाख कुओं की खुदाई के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए राजस्थान को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) इसके लिए 1992-93 की वार्षिक योजना में कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में कितने गांवों को पेयजल की सुविधाएं मिल जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सामान्य योजना कार्यक्रमों— राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत सभी पता लगाए गए शेष 44 समस्याग्रस्त गांवों तथा 3893 आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों तथा उन सभी बसावटों जिन्हें पेय जल सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वच्छ पेय जल की सुविधाएं मुहैया कराये जाने की संभावना है।

बाल श्रमिक का शोषण

5605. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगार बच्चों को आवश्यक और समाज कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी सुरक्षा के अतिरिक्त उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए बाल श्रमिक पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की सहायता से कोई प्रयोगिक परियोजना भारत में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बच्चों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और उनकी स्थिति सुधारने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से "क्लैस्प" (बाल श्रम कार्रवाई तथा सहायता कार्यक्रम) और "इपैक" (बाल श्रम निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) कार्यस्थल पर बालकों को शोषण से बचाने तथा उनकी कामकाजी दशाओं को सुधारने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों में विधायी प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करता है तथा अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो कि मुख्य रूप से इन प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है, के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50% आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिसे मार्गदर्शी आधार पर शुरू किया गया है।

बाल श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति, 1987 तैयार की गई है जो अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम तथा बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में कार्रवाई सम्बन्धी परियोजना आधारित योजना पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर देती है।

स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों को कार्योन्मुख परियोजनाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्त उपाय देश भर में किए जा रहे हैं।

स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को धनराशि

5606. **श्री वाइल वाम अंजलोज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल सरकार को कितनी धन-राशि आबंटित की गई;

(ख) केरल में उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) :(क) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत आवर्ती खर्च के लिए अलग से आवंटन नहीं किए जा रहे थे। इस प्रयोजन हेतु खर्च समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए किए गए समग्र आवंटन में से किया जा रहा था। 1991-92 के दौरान इस शीर्ष के तहत केरल को केन्द्र द्वारा 84.90 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा भी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त बराबर का अंश दिया जाना है।

(ख) योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-99, 1990-91 तथा 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 6113, 5657 तथा 5581 थी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशी कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को इक्विटी शेयर की अनुमति देना

5607. **श्री राम नाईक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योग इकाइयों में विदेशी कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को 24 प्रतिशत इक्विटी शेयर की अनुमति देने की नीति के सम्बन्ध में कोई जवाब मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी नीति के पीछे क्या औचित्य है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा कुल इक्विटी के 24% तक इक्विटी भागीदारी के बारे में व्यापक दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उन्हें संसद के समक्ष रखा जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया का अनुमान नीति के क्रियान्वयन के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ग) इस नीति का आधार पूंजी बाजार में प्रवेश करना और आधुनिकीकरण व तकनॉलाजी उन्नयन को प्रोत्साहन देना है। इससे अनुषंगीकरण और उप-ठेकेदारी को विशेष बल मिलेगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

लघु उद्योग विकास केन्द्र

5608. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उसकी कुल संख्या कितनी है; और वे कहां-कहां हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास (तकनीकी सेवाओं सहित) योजना का एक मसौदा तैयार किया गया है और 6 अगस्त, 1991 की घोषित लघु, अति लघु तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने सम्बन्धी नीतिगत उपायों के संदर्भ में उसे आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। योजना के मसौदे को केन्द्र और राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

युगोस्लाविया को मारुति कारों का निर्यात

5609. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगोस्लाविया में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा उस देश को 30 हजार वाहनों की निर्यात की योजना पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) निर्यात हेतु प्रतिज्ञित वाहनों की संख्या क्या है;

(ग) मारुति के उत्पादन कार्यक्रम और पूंजी-परिव्यय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने वाहनों की भेजी जा चुकी खेप के लिए पहले ही भुगतान प्राप्त कर लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने यूगोस्लाविया को मार्च, 1992 के अन्त तक 10,000 कारों की आपूर्ति के एक करार पर फरवरी, 1991 में हस्ताक्षर किए थे। इसके अन्तर्गत, 31-3-92 तक लगभग 5150 कारों के शिपमेंट की संभावना है।

(ग) इस वजह से मारुति के उत्पादन कार्यक्रम अथवा पूंजी परिव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) जी, हां।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन-उद्योग में प्रौद्योगिकियों में सहभागिता

5610. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश में तथा देश के बाहर विकसित प्रौद्योगिकी का प्रसार विलम्ब के कारण रुका हुआ है;

(ख) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उत्पादों के रूप में विकसित प्रौद्योगिकियां आयात स्थानापन्न का कार्य कर सकती है और कीमती विदेशी मुद्रा बचा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्रौद्योगिकी को उद्योग को हस्तांतरित करने तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन-उद्योग सहभागिता स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियां मुख्यत: अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपयोगों से सम्बन्धित हैं तथा काफी हद तक इन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के उद्योगों को अन्तरित किया जा चुका है। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से इसरो की अपनी उपग्रह और प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जहां भी सम्भव होता है, इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उद्योगों को उनके अपने क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का सदैव यही प्रयास रहा है कि इसके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों से अधिकतम लाभ उठाते हुए उद्योगों और संगठनों के विकास को प्रोत्साहित किया जाय। अभी तक इसरो विविध क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिकी और कंप्यूटर आधारित प्रणालियों, रसायनों और विशेष द्रव्यों, दूरसंचार और प्रसारण, प्रकाशिकी यंत्रीकरण, यांत्रिकी

तथा जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि में 185 प्रौद्योगिकियां उद्योग को अन्तरित कर चुका है। इसरो ने भारतीय उद्योग को उनकी प्रौद्योगिकियों के उन्नयन में भी तकनीकी परामर्श सहायता प्रदान की है। एक-दूसरे की जरूरतों की पूर्ति के लिए इसरो और भारतीय उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग और अन्योन्य क्रिया है।

समुद्र से प्राप्त होने वाली औषधियां

5611. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा ने 'प्रोजेक्ट ड्रग्स' के अन्तर्गत औषधियां तैयार करने हेतु समुद्री जीवों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई अथवा फिलहाल तैयार की जा रही औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन औषधियों के विपणन से पहले इनका उपयोगिता परीक्षण किया गया है; और यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इनका विपणन कब तक कर दिए जाने की संभावना है और किस एजेंसी के माध्यम से ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रयोगशाला में कुछ समुद्री जन्तुओं से सक्रिय घटक विलगित, विशिष्टीकृत (अभिलक्षणित) तथा संश्लेषित किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय कार्यवाहियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों का लागू किया जाना

5612. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभागीय कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपबंधों को लागू किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें किस स्तर तक लागू किया जाता है; और

(ङ) क्या अनुशासनात्मक अधिकारियों के लिए कोई मार्गनिर्देश निर्धारित करने का

प्रस्ताव है और विभागीय कार्यवाही में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों को कहां तक लागू किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विभागीय कार्यवाहियां केवल अर्ध-न्यायिज स्वरूप की होती हैं अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक नहीं होता। फिर भी जांच अधिकारी किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी अधिकारी को सुनवाई तथा आरोप सिद्ध करने के लिए विभाग की ओर से पेश किए गए गवाहों पर जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। यदि दोषी अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो उसे अपने गवाहों के माध्यम से ऐसा करने के लिए मौका दिया जाता है। वर्तमान नियमों/निदेशों में ये सिद्धांत समाहित हैं।

[हिन्दी]

मारुति कारों/वैनों का निर्माण और निर्यात

5613. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितना मारुति कारों/वैनों का माडलवार निर्माण किया गया;

(ख) इन वर्षों में प्रतिवर्ष कुल कितनी कारों का विदेशों को माडलवार निर्यात किया गया;

(ग) क्या ये निर्माण और निर्यात इनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित और निर्यातित मारुति वाहनों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन में पिछले 3 वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया गया है। तथापि, समझौता ज्ञापन में 'निर्यातित वाहनों की संख्या' के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। समझौता ज्ञापन में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए, क्रमशः 'निर्यात आय' और 'विदेशी मुद्रा अर्जन' के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गये थे।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान उत्पादित और निर्यातित मारुति वाहनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष		मारुति-80	ओमनी	जिप्सी	मारुति-1000	योग
1988-89	उत्पादन	67547	31171	6829	—	105547
	निर्यात	918	75	373	—	1366
1989-90	उत्पादन	73410	35058	9053	—	117521
	निर्यात	4012	208	950	—	5170
1990-91	उत्पादन	74149	33834	10023	5077	123083
	निर्यात	3177	200	1423	—	4800

उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग

5614. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग के लिए कोई लाइसेंस व ऋण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के उद्यमियों से ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए विद्यमान वर्तमान मानदण्डों में ढील देकर इस नीति के अधीन ऐसे लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है।

(ग) से (च) इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान इस विभाग को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

केरल में शहरी विकास परियोजनाएं

5615. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :
श्री थाइल जॉन अन्जलोस :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुछ शहरी विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सभी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसको कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) केरल सरकार ने सम्भव बाह्य सहायता के लिए निम्नलिखित दो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:—

1. मार्ग विकास और यातायात प्रबन्ध, जलापूर्ति और मल निर्यास सुधार, भूतल जल निकासी तथा तिरुवनन्तपुरम, कोची तथा कोझीकोड में क्रियान्वित की जाने वाली कम लागत वाली स्वच्छता समेत अन्य शहरी विकास घटकों में सुधार करने के उद्देश्य से 426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की केरल शहरी विकास परियोजना। राज्य सरकार ने परियोजनाओं इत्यादि को निष्पादित करने के लिए यातायात और परिवहन, संस्थानिक प्रबन्धों से सम्बन्धित परामर्शी अध्ययन विख्यात परामर्शदाताओं को सौंपे हैं।

2. कौशल उन्नयन और अवसंरचना विकास, इत्यादि समेत भौतिक अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल क्रियाकलापों तथा सामुदायिक विकास के घटकों के साथ 30 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से स्लम उन्नयन।

बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए दोनों प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

चूंकि अन्तिम निर्णय दानी अभिकरणों पर निर्भर करता है इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दर्शायी जा सकती है।

कर्नाटक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुदान

5617. श्रीमती बासवा राजेश्वरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान इस अनुदान राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) कर्नाटक में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन हेतु अनुदान और ऋणों के रूप में केन्द्र सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) को धन दे रही है। केन्द्र सरकार से प्राप्त धन में से के० वी० आई० सी० ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को निम्नलिखित धनराशि दी है:—

(रुपये लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1988-89	204.09	147.82	14.14	229.57
1989-90	263.88	142.84	19.29	176.99
1990-91	225.96	98.54	12.66	583.81

(ख) संसद द्वारा इस मन्त्रालय की अनुदान मांगें स्वीकृत कर दिए जाने के बाद केन्द्र सरकार को बजट सहायता के बारे में के० वी० आई० सी० को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उचित समय के भीतर अपने प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थानों और विभिन्न राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ व्यापक बजट चर्चा के बाद राज्य-वार आवंटनों को अन्तिम रूप देगा।

(ग) कर्नाटक सहित सारे भारत में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार निम्न-लिखित रियायतें/सुविधाएं दे रही है:—

(1) उत्पादन और सीमा शुल्क से मुक्ति,

(2) खादी की बिक्री पर छूट का प्रावधान,

(3) खादी की खरीद को प्राथमिकता,

(4) उपभोक्ताओं की मांगें पूरी करने के लिए सुधरे हुए डिजाइन तैयार करके बाजार में लाना,

(5) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से विपणन में सहायता देना।

"टैनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" का उत्पादन

5618. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय "टेनरी एण्ड फुटवेयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड" में जो उत्पादन हो रहा है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय कम्पनी में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी की सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का समुचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) कम्पनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (टेफको) के पास इस समय उपलब्ध उत्पाद क्षेत्र

के ब्यौरे और वर्ष 1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) पर्याप्त मात्रा में रक्षा क्रियादेशों की कमी, पुरानी मशीनों और श्रम की कम उत्पादकता आदि जैसे प्रमुख कारणों से क्षमता उपयोगिता में कमी रही है।

(घ) एकक को अधिक जैव्य बनाने के लिए कई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार टैफको को धन देती रही है। गत 5 वर्षों के दौरान (31-3-91 तक) योजना के अन्तर्गत 2.05 करोड़ रु० और गैर-योजना के अन्तर्गत 19.53 करोड़ रु० धन दिया गया।

विवरण

टैफको के उत्पाद क्षेत्र और 1991-12 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे

उत्पाद	इकाई	1991-92 (फरवरी, 1992 तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन (अनन्तिम)
		(लाख रुपए में)
फुटवीयर	जोड़ी	474.06
बार्क चमड़ा	किलोग्राम	56.82
क्रोम चमड़ा	वर्ग मीटर	251.58
चमड़ा बोर्ड	शीट	11.12
रबड़ की वस्तुएं	किलोग्राम	67.02
शू फिनिशिंस	रुपए	21.90
औद्योगिक चमड़ा	—	1.83
		884.33
घटा : आन्तरिक उपभोग		355.28
निवल उत्पादन		529.05

[हिन्दी]

लघु और कुटीर उद्योगों का विकास

5619. श्री भगवान शंकर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित लक्ष्य क्या है;

(ख) इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है;

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा;

(घ) क्या लघु और कुटीर उद्योगों को शुरू करने हेतु बेरोजगार स्नातकों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन की परिसीमा में आने वाले लघु औद्योगिक एककों के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में रोजगार और उत्पादन के सम्बन्ध में प्रस्तावित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

1. अनुमानित अतिरिक्त रोजगार सृजन	24.5 लाख व्यक्ति
2. 1990-91 के मूल्यों पर उत्पादन में अनुमानित वृद्धि	73,436 करोड़ रु०

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के दौरान सम्मिलित रूप से अनुमानित अतिरिक्त दीर्घकालीन पूंजी तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं :—

1. अतिरिक्त कार्यशील पूंजी (प्रवर्तकों के 25% अंशदान के अलावा)	13,769 करोड़ रु०
2. अतिरिक्त दीर्घकालीन पूंजी (प्रवर्तकों के 25% अंशदान के अलावा)	10,750 करोड़ रु०

(ग) इससे लगभग 24.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। किन्तु सरकार "शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना" नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अधीन, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 12.5 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की स्लम विकास योजनाएं

5620. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ स्लम विकास योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ० डी० ए०—यूके) से सहायता प्राप्त करने हेतु उत्तर

प्रदेश सरकार से वाराणसी और आगरा की मलिन बस्तियों के सुधार के लिए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दोनों प्रस्तावों में मलिन बस्ती निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए अवसंरचना का विकास, नगरीय सेवाओं का प्रावधान, स्वास्थ्य की देखभाल, सामुदायिक विकास आदि पर विचार किया गया है। आगरा के लिए एक दाता देश की पहचान किए जाने तक ओ० डी० ए० सहायता हेतु अभी तक वाराणसी का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती चूंकि अन्तिम स्वीकृति निर्णय दान देने वाली एजेन्सियों पर निर्भर करती है।

बाल श्रमिक कल्याण केन्द्र

5621. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में किन-किन स्थानों पर बाल श्रमिक कल्याण केन्द्र स्थित हैं; और

(ख) इन केन्द्रों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जयपुर, राजस्थान में जवाहरात उद्योग में कार्यरत 1000 बाल श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्थापना की गयी हैं। 20 विशेष विद्यालयों द्वारा, जिसमें प्रत्येक में 50 बच्चे हैं, कल्याण सुविधाएं चलायी जा रही हैं।

(ख) प्रत्येक रा० बा० श्र० परियोजना को प्रभावी रूप से चलाने के लिए परियोजना समितियों स्थापित की गयी हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा एक केन्द्रीय मानीटरिंग समिति भी करती है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में बिहार के अधिकारी

5622. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में सेवावार 1-1-92 तक बिहार के अधिकारियों का क्या प्रतिनिधित्व था;

(ख) बिहार के अधिकारियों की विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों में प्रतिशतता क्या है; और

(ग) विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के तहत बिहार संवर्ग में बिहार से बाहर के अधिकारियों की बिहार में प्रतिशतता कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकारी सेवा में आने के लिए संविधान में दिए गए अवसर की समानता के उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय/सिविल सेवाओं में राज्य/क्षेत्र-वार प्रतिनिधित्व को केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय सेवाओं में सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को राज्य संवर्गों

में बाहरी (आउट साइडर्स) भीतरी (इनसाइडर्स) व्यक्तियों को 1 तथा 2 अनुपात में आबंटित किया जाता है, और यह अनुपात बिहार में भी रखा जाता है। पदोन्नत अधिकारी सभी भीतरी व्यक्ति हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कथित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

5623. श्री पीयूष तीरकी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1992 के दैनिक "जनसत्ता" से डी० डी० ए० के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध से प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के खुफिया विभाग ने दोषी पाए गए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है, यद्यपि उन पर भी अनियमितताएं बरतने तथा भ्रष्ट तरीके अपनाने के आरोप हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के खुफिया विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों तथा कनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) आरोप प्रमाणित हो जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध, पद अथवा स्तर पर ध्यान न देते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ग) वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	अधिकारी जिन पर आरोप लगाए गए		अधिकारी जिन्हें दण्डित किया गया	
	सभी श्रेणियां	समूह "क"	सभी श्रेणियां	समूह "क"
1989	106	17	4	1
1990	63	17	29	3
1991	87	9	29	5

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर की गई दण्डात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण का मुख्य सतर्कता अधिकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवारक जांच करता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा कोबाल्ट संयंत्र

5624. श्री बाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कोबाल्ट संयंत्र की स्थापना नहीं की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितने कोबाल्ट संयंत्रों की स्थापना की गई;

(घ) क्या राज्य को कोबाल्ट संयंत्र की स्थापना करने हेतु कोई वित्तीय सहायता दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके स्थापना-स्थल कौन-कौन से हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि दी गई है;

(च) क्या राज्य सरकार ने इस धनराशि का उपयोग किया है और यदि हां, तो इस धनराशि से कोबाल्ट संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए गए;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने राजस्थान में कोबाल्ट संयंत्र स्थापित नहीं किया है, यद्यपि केन्द्र बहुउद्देशीय किरणन सुविधा के लिए जोधपुर (राजस्थान) में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में एक प्रमुख कोबाल्ट संयंत्र लगाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी प्रकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने देश में चिकित्सा के लिए कोई टेलीकोबाल्ट संयंत्र स्थापित नहीं किया है। विभिन्न चिकित्सा संस्थान/अस्पताल टेलीकोबाल्ट यूनिटों को निर्माताओं से सीधे ही प्राप्त करते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने पिछले कुछ समय से इन संयंत्रों के लिए रेडिओ-आइसोटोप कोबाल्ट-60 की सप्लाई करना शुरू किया है। पिछले पांच वर्षों में देश में पैंतीस दूरचिकित्सा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र इस सम्बन्ध में किसी राज्य को कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है।

(ङ) से (ज) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फाइल की गई विशेष अनुमति याचिका और प्रार्थना

5625. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मन्त्री 31 जुलाई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फाइल की गई विशेष अनुमति याचिका और प्रार्थना मे उठाई गई विशेष बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका और प्रार्थनाओं पर कोई निर्णय दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया था—

(i) शास्ति अधीन चालू अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति न करना उसे दिए गए दण्ड का ही परिणाम है, अतः यह कोई दोहरा दण्ड नहीं है।

(ii) यदि किसी अधिकारी पर वेतन वृद्धि रोक सम्बन्धी शास्ति लगाई जाती है, तो निम्न ग्रेड में लगाई गई शास्ति को कार्यान्वित करना कठिन होगा यदि उस अधिकारी को पदोन्नति के बाद उच्च वेतनमान में शास्ति को प्रभावी रखा जाता है। शास्ति विशिष्ट वेतन के संदर्भ में दी जाती है यदि अधिकारी पदोन्नत हो जाता है तो वेतनमान बदल जाएगा। इसी प्रकार पदोन्नति पर उच्च वेतनमान में कार्यरत किसी अधिकारी के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी उस अनुशासनिक प्राधिकारी से रैंक मे उच्च हो सकता है जिसने निम्न ग्रेड में शास्ति लगाई है। उच्च वेतनमान वाले किसी अधिकारी के मामले में यदि निम्न अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेशों का कार्यान्वयन करना चाहे तो ऐसा करना कानूनी रूप से वैध नहीं ठहराया जा सकेगा।

(iii) किसी दण्ड भुगत रहे अधिकारी की पदोन्नति करना लोक हित में नहीं होगा क्योंकि इससे एक ऐसी हास्यापद स्थिति उत्पन्न होगी जहां कि किसी अधिकारी को एक ओर निम्न स्तर के पद मे रहते हुए दण्डित किया गया है और दूसरी ओर उसे इनाम में पदोन्नति दी जा रही है।

(ख) चूंकि अधिकरण के अधिनिर्णय का पहले ही कार्यान्वयन कर दिया गया था, अत: उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सम्बन्धित सरकारी निर्देशों की वैधता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किए बिना ही विशेष अनुमति याचिका का समापन कर दिया।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील नं० 4718/91 (भारत संघ तथा अन्य बनाम के० कृष्णन) में उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए मामले पर विचार किया है और इस मामले में सरकार के निर्देशों का समर्थन किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अधिकरण द्वारा लिया गया यह निर्णय कि किसी राज्य सरकार के कर्मचारी को उस पर लगाई गई वर्तमान शास्ति के दौरान पदोन्नत न करने का परिणाम दूसरी शास्ति होगा—सही है। अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप जब कर्मचारी पर वेतनवृद्धि की रोक लगाई जाती है तो यह वस्तुत: एक ही शास्ति बनती है तथा शास्ति की अवधि के दौरान उसे

पदोन्नत न किया जाना उसकी एक परिणति मात्र है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत भी व्यक्त किया है कि किसी सहकारी कर्मचारी को, जो कि किसी शास्ति अथवा अनुशासनि कार्यवाही से आक्रान्त है उसे उच्च ग्रेड में पदोन्नत न किया जाना न्यायोचित ही है। इसे अनुचित, मनमाना अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 का उल्लंघन मान कर निराकृत करने का कोई कारण नहीं है।

चिकित्सा व्यवसाय पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना

5626. **श्रीमती बासवा राजेश्वरी :**
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, नई दिल्ली से चिकित्सा पेशा पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय चिकित्सा संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें चिकित्सा के पेशे पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू किए जाने के बारे में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं :

1. चिकित्सा के पेशे को किसी व्यापार/वस्तुओं की बिक्री के समान नहीं माना जा सकता।
2. चिकित्सा का पेशा उक्त अधिनियम की धारा 2(1) (ण) के अन्तर्गत "वैयक्तिक सेवाओं के लिए अनुबंध" के अंतर्गत आता है और इसलिए इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 से छूट प्राप्त है।
3. इस समय भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य चिकित्सा परिषद नामक विशेष एजेंसियां मौजूद हैं जिन्हें चिकित्सा के पेशे से जुड़े लोगों को कथित दुर्व्यवहार और लापरवाही के लिए सजा देने का सांविधिक अधिकार प्राप्त है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी सेवाएं आती हैं, जो किसी प्रतिफल के लिए भाड़े पर ली जाती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने एक निर्णय में कहा है कि वैयक्तिक सेवा का अनुबंध स्वामी-सेवक सम्बन्ध से पैदा होता है। एक मरीज और पेशेवर डाक्टर के बीच संबंध उस श्रेणी में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को प्रतिफल के लिए भाड़े पर ली गई सेवाओं के विरुद्ध अपनी शिकायतों के प्रतितोष के लिए केवल अतिरिक्त उपचार का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय उपभोक्ता का होता है कि वह किस मंच से प्रतितोष प्राप्त करना चाहता है।

अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय

5627. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही के इस निर्णय कि सरकार अपने कर्मचारियों को, बिना कोई कारण बताए अथवा प्राकृतिक निर्णय के सिद्धान्तों का पालन किए बिना, अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर सकती है, के निहितार्थों का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या इस मामले पर कर्मचारी संघों के साथ भी बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) जी, हां। श्री बैकुंठ नाथ दास और अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी बरीपाड़ा और अन्य के मामले में दिनांक 19 फरवरी, 1992 के उच्चतम न्यायालय के अधिनिर्णय ने इस विषय पर विद्यमान सरकारी अनुदेशों में अन्तर्ग्रस्त वैधानिक पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने इन्हें नोट कर लिया है तथा इन पर कोई विशेष कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5628. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जिला और ब्लाक स्तर पर लघु योजनाओं को शुरू करते हुए पिछड़े, सूखा-प्रवण रेगिस्तानी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इनमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन को दर्शाते हुए विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

सातवीं योजना के दौरान सम्बन्धित राज्यों की राज्य योजनाओं से आदिवासी उपयोजना के लिए 6216.76 करोड़ रुपए का प्रवाह था जो सम्बन्धित राज्यों के कुल राज्य योजना का 8.84 प्रतिशत होता है। महाराष्ट्र में 10,500 करोड़ रुपए की कुल राज्य योजना में से, सातवीं योजना के दौरान टी० एस० पी० के प्रति प्रवाह 531.21 करोड़ रुपए (5.06 प्रतिशत) था। टी० सी० पी० के लिए सातवीं योजना के दौरान जारी किया गया एस० सी० ए० 846.95 करोड़ रुपए (व्यय 586.00 करोड़ रुपए) था और महाराष्ट्र के मामले में 60.61 करोड़ रुपए (व्यय 49.76 करोड़ रुपए) था। सातवीं योजना के दौरान गरीबी रेखा के नीचे के 41.56 लाख जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने वाले लक्ष्य के प्रति उपलब्धि 52.89 लाख परिवारों (127.27 प्रतिशत) की थी। महाराष्ट्र के मामले में, इसी अवधि के दौरान 3.87 लाख जनजातियों के परिवारों की सहायता करने का लक्ष्य था और 4.87 लाख (126.03 प्रतिशत) जनजाति परिवारों की सहायता की उपलब्धि थी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के विषय में कोई विशेष नई स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने का राज्य सरकार नीति का एक आधारभूत लक्ष्य था। आठवीं योजना अवधि के दौरान विकास के विभिन्न क्षेत्रकों में अनुमानित क्षेत्रीय बैकलॉग को कम किए जाने के लिए जोर दिए जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कुछ निश्चित अगम्य जनजाति क्षेत्रों के लिए एक विशेष कार्य योजना का प्रस्ताव भी किया है। 1989 में, गढ़चिरोली और चन्द्रापुर के भागों और धूले जिले के लिए सुनिश्चित समयबद्ध-कार्य के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के निश्चित न्यूनतम विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य सहित विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (सड़क नेटवर्क के माध्यम से) संचार के लिए समुन्नत सुविधाएं, विद्युतीकरण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, पोषण इत्यादि सुविधाएं प्रदान किए जाने पर बल दिया गया। उपर्युक्त जिलों के, एस० ए० पी० के अन्तर्गत की गई प्रगति से प्रोत्साहित होते हुए सरकार ने नांदेड जिले के किनवट तालुका, जो अत्यन्त पिछड़ा जनजाति तालुक है, के लिए अप्रैल, 1990 और जुलाई, 1991 में क्रमश: यवतमाल जिले के भागों में इसी तरह कार्यक्रम स्वीकृत किए गए।

विवरण-I

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	महाराष्ट्र		अखिल भारत	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
I.	आई० आर० डी० पी०	22,152.64	23,724.29	300026.91	331582.17
II.	एन० आर० ई० पी०	22,204.38	17,019.36	294287.48	293986.80
III.	आर० एल० ई० जी० पी०	18,507.65	16,227.05	254502.00	241198.94
IV.	जे० आर० वाई०	20,993.90	21.059.06	268970.62	245853.76
V.	डी० पी० ए० पी०	5,688.52	5,893.98	43589.34	46185.91
	कुल जोड़	89,547.09	83,923.74	1161376.35	1158807.58

विवरण-II

क्र० सं०	कार्यक्रम	इकाई	महाराष्ट्र		अखिल भारत	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
I.	आई० आर० डी० पी०					
	सहायता किए जाने वाले/सहायता किए गए परिवार	संख्या	11,02,855	12,21,195	16035232	18178529

1	2	3	4	5	6	7
II.	एन० आर० ई० पी०					
	सृजित किए जाने वाले/सृजित किए गए परिवार	लाख मानव दिवस	931.06	1,008.40	12093.19	14775.36
III.	आर० एल० ई० जी० पी०					
	सृजित किए जाने वाले/सृजित किए गए परिवार	लाख मानव दिवस	846.42	1,010.78	9710.13	11543.82
IV.	जे० आर० वाई०					
	सृजित किए जाने वाले/सृजित किए गए परिवार	लाख मानव दिवस	749.60	795.93	8757.25	8643.87
V.	डी० पी० ए० पी०					
	(i) लैंड विकास	"00 हैक्टे०	567.39	489.36	5980.68	4774.83
	(ii) जल संसाधन विकास	"00 हैक्टे०	1063.30	521.58	4288.81	2095.76
	(iii) वानिकी	"00 हैक्टे०	773.62	762.65	3844.28	3741.66

[हिन्दी]

समुदाय विकास केन्द्र

5629 **श्री मुमताज अंसारी :**
श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेज नारायण सिंह :
श्री राजेश कुमार :

क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने राज्यों में समुदाय विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) ऐसे कोई प्रस्ताव योजना आयोग में राज्यों अथवा संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेतिहर मजदूर

5630. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री रामलखन सिंह यादव :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री बारेलाल जाटव :
श्री मृत्युंजय नायक :
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतिहर मजदूरों के लिए चलाई गई उन कल्याणकारी योजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं जिन्हें सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान लागू किया है; और

(ख) इन योजनाओं से राज्य-वार कितने खेतिहर मजदूर लाभान्वित हुए ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए प्रमुख विद्यमान कल्याण योजनाएं नीचे दी गई हैं :

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)

(ii) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राइसम)

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)

(iv) ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)

इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा अनेक बीमा, सामूहिक बीमा तथा बीमा और सेवानिवृत्ति लाभ जैसी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं।

(ख) लाभानुभोगियों के राज्य-बार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शीत संग्रहण सुविधा

5631. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में फलों, सब्जियों और मोटे अनाज के संग्रहण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर यह सुविधा दिए जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) शीत भंडारण आदेश, 1980 उत्तर प्रदेश राज्य में लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में शीत भंडागार, उत्तर प्रदेश शीत भंडार अधिनियम, 1976 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-90 को उत्तर प्रदेश में 3554310 मीटरी टन की क्षमता वाले 906 शीत भंडागार थे। उत्तर प्रदेश में शीत भंडारों की अपर्याप्तता की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में उर्वरकों के लिए राजसहायता

5632. श्री संदीपान भगवान थोरात :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-91 के दौरान देश के विशेष रूप से महाराष्ट्र के उर्वरक एककों को प्रतिधारण मूल्य व राजसहायता योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राजसहायता दी गई है; और

(ख) उसके लिए 1992-93 में क्या प्रावधान किए गए ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) प्रतिधारण मूल्य-सह-आर्थिक सहायता योजना के तहत 1991-92 के दौरान 27 मार्च 1992 तक स्वदेशी उर्वरक निर्माताओं को दी गई आर्थिक सहायता की कुल राशि 3,131.47 करोड़ रुपए है। इसमें महाराष्ट्र में स्थित एककों को दी गई 295.88 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ख) 1992-93 के दौरान सभी एककों को मिलाकर स्वदेशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के रूप में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

भूमि संबंधी रिकार्ड को अद्यतन बनाना

5633. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भूमि संबंधी रिकार्ड को मार्च, 1992 के अन्त तक अद्यतन बनाने का विचार था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई विशिष्ट प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भूमि अभिलेखों को मार्च, 1992 के अन्त तक अद्यतन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था क्योंकि राज्यों में भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। राज्यों को अद्यतन और सही भूमि अभिलेखों की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर सलाह दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री हेतु समिति

5634. श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री हेतु वैकल्पिक तरीकों की जांच के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा निदेश क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति की संरचना तथा इसके विचारार्थ विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट 30 मई, 1992 तक प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

समिति की संरचना

1.	श्री सी० कृष्णामूर्ति सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री के० पी० गीताकृष्णन वित्त सचिव	सदस्य
3.	श्री एम० एस० आहलूवालिया सचिव (आर्थिक कार्य) आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4.	श्री सुरेश कुमार सचिव, सरकारी उद्यम विभाग	सदस्य
5.	श्री अशोक देसाई मुख्य परामर्शदाता आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य

6. श्री एस० एस० नादकर्णी सदस्य
अध्यक्ष, आई० डी० बी० आई०, बम्बई

7. श्री कमल पाण्डेय सदस्य—सचिव
संयुक्त सचिव (पूंजी निवेश)
आर्थिक कार्य विभाग

समिति के विचारार्थ विषय

1. वर्ष 1992-93 के दौरान पूंजी निकालने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का चयन करने के लिए मानदण्ड तैयार करना।

2. सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों में से निकाली जाने वाली सामान्य शेयर पूंजी की प्रतिशतता की सीमाओं के बारे में सलाह देना।

3. सांझा कोषों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, कर्मचारियों, निवासी निवेशकर्ताओं, अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं सहित लक्ष्य किए जाने वाले ग्राहकों के बारे में सुझाव देना।

4. पूंजी निकालने की कार्य-प्रणाली के बारे में सुझाव देना चाहे वे सरकारी प्रस्तावों अथवा निजी व्यवस्था के माध्यम से निकाली जानी हो।

5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य शेयरों का मूल्यांकन करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

6. पूंजी निकालने की योजना से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिशें करना।

औषधों और रसायनों का निर्यात/आयात

5635. डा० असीम बाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों और कृमिनाशकों तथा जीवन रक्षक औषधियों के आयात पर किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी औषधि और रसायन का निर्यात भी किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिंता मोहन) : (क) मंत्रालय के पास आंकड़े/सूचना उपलब्ध नहीं है। यह समझा जाता है कि उसे एकत्र/संकलित करने में लगने वाला समय और प्रयास प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) मूल रसायन, भेषज और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) बम्बई के अनुसार रसायनों और सम्बद्ध उत्पादों (औषधों और भेषजों सहित) का पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित निर्यात किया गया है :

	(रुपये करोड़ में)
1989-90	2118.8
1990-91	2355.9
1991-92	2328.5
(अप्रैल, 1991 से जन०, 1992)	

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति

5636. श्री माणिक राव होडल्या गावित :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति की बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया;

(ख) इसमें कौन-कौन से वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया; और

(ग) बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में उन केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संगठनों की सूची दी गई है, जिनके प्रतिनिधियों ने 21 फरवरी, 1992 को आयोजित सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक में भाग लिया था।

उक्त बैठक में समिति ने सूती कपड़ा उद्योग में औद्योगिक रुग्णता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दीर्घकाल से रुग्ण 3 मिलों की स्थिति की गहराई से जांच की जाए। इस प्रयोजन हेतु कपड़ा मंत्रालय व्यवसाय संघों को अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध करायेगा। व्यवसाय संघ तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए ढाई महीने के अन्दर विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

इस पर भी सहमति थी कि इनमें से कुछ सहायक इकाइयों को वित्तीय रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य से इकाइयों को विभिन्न सहायक इकाइयों में पुनः वर्गीकृत करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रस्ताव के समस्त प्रभावों के बारे में कर्मकारों को बताया जाना चाहिए।

विवरण

21-2-1992 को आयोजित सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति की बैठक में भाग लेने वाले केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और संगठनों के प्रतिनिधियों की सूची।

केन्द्रीय मन्त्रालय

(1) कपड़ा मंत्रालय

(2) सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय

(3) श्रम मंत्रालय

राज्य सरकार

(1) उत्तर प्रदेश सरकार

(2) पश्चिम बंगाल सरकार

(3) गुजरात सरकार

(4) पंजाब सरकार

(5) महाराष्ट्र सरकार

(6) आंध्र प्रदेश सरकार

नियोक्ताओं के संगठन

(1) सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप)

(2) भारतीय नियोक्ता संघ (ई० एफ० आई०)

(3) अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल संघ लि०

(4) भारत सूती वस्त्र मिल संघ (आई० सी० एम० एफ०)

(5) अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (ए० ओ० ई०)

कर्मकारों के संगठन

(1) इंटक

(2) बी० एम० एस०

(3) एटक

(4) एम० एल० ओ०

खाद्य तेल का आयात

5637. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों की फसल, जो समय से पूर्व बाजार में पहुंच रही है, के पिछले वर्ष के 60.50 लाख टन की तुलना में 70-75 लाख टन होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके खाद्य तेल के आयात में कटौती करने का है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) उन अन्य खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है जिनका सरकार ने आयात करने का निर्णय किया है तथा कितनी मात्रा में इनका आयात किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। 1991-92 के दौरान रेपसीड व सरसों का उत्पादन 55-57 लाख मी० टन होने का अनुमान है, जबकि 1990-91 में इसका 51.5 लाख मी० टन उत्पादन हुआ था।

(ख) और (ग) किसी वर्ष विशेष में आयात विभिन्न बातों, जैसे विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, खाद्य तेलों का देशीय उत्पादन आदि पर निर्भर करता है।

(घ) चालू तेल वर्ष 1991-92 (नवम्बर से अक्तूबर) के दौरान राज्य व्यापार निगम लि० ने 26-3-1992 तक 0.95 लाख मी० टन पामोलीन का आयात किया है। इसके अलावा, सात राज्य सरकारों को मार्च, 1992 के अन्त तक सीधे 80,000 मी० टन पामोलीन का आयात करने की अनुमति दी गई है।

कोयला खानों से वसूल की गई उपकर की राशि

5638. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारत कोकिंग कोल लि० के अन्तर्गत कोयले की खानों से कितना उपकर वसूल किया गया;

(ख) इस उपकर का कितना प्रतिशत भाग उस क्षेत्र के विकास पर खर्च किया गया जहां ये खानें स्थित हैं; और

(ग) अब तक किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, कोयले और कोक के प्रेषण पर सीमा शुल्क का संग्रहण करती है। सीमा शुल्क संग्रहण की वर्तमान दर कोककर कोयले के मामले में प्रेषण दर 4.25 रुपए प्रति टन और अ-कोककर कोयले के मामले में प्रेषण दर 3.50 रुपए प्रति टन है। भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कोयले के प्रेषण पर पिछले 3 वर्ष के दौरान वसूल की गई सीमा शुल्क की राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	करोड़ रु० में
1988-89	13.33
1989-90	9.12
1990-91	7.51

वसूल किए गए सीमा शुल्क का उपयोग निम्नलिखित क्रियाकलापों पर किया जाता है—रेत भराई और अन्य सुरक्षात्मक कार्यों, कोयला संरक्षण, कोयला खानों में नई प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने, खानों में सुरक्षा उपायों में सुधार करने और कोयला क्षेत्रों में सड़कों का विकास करने, आदि।

पानी की उपलब्धता

5639. श्री आर० मनुवकोडी आदित्यन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या तमिलनाडु के दो दक्षिणवर्ती जिलों में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सबसे कम है ; और

(ग) तमिलनाडु में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित विभिन्न राज्यों के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) अपर्याप्त भू-जल संभाव्यता तथा स्वच्छ पेयजल के बारहमासी स्रोतों का पता लगाने में कठिनाई की वजह से दो दक्षिणी जिलों, रामनाथपुरम तथा पासुमपोन में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सबसे कम है ।

(ग) तमिलनाडु में जल की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों में असफल स्रोतों के बदले प्रतिपूरक बोर कुओं के रूप में प्रत्येक वर्ष 1000 कुएं खोदना शामिल है । उन बसावटों में, जहां पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जल की सप्लाई कम है, को पेयजल सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है । विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए संयुक्त जल सप्लाई योजनाएं शुरू की जा रही हैं । प्रायोगिक अध्ययन जैसे खारेपन को दूर करना, लौह को दूर करना, फ्लोराइड को दूर करना आदि के रूप में उपलब्ध स्रोतों के जल को शुद्ध करने से कम लागत वाले तरीकों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता (लीटर)
1	2	3
1.	असम	
2.	आन्ध्र प्रदेश	25.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	50
4.	बिहार	40
5.	गोआ	23.40
6.	गुजरात	40

1	2	3
7.	हरियाणा	30
8.	हिमाचल प्रदेश	
9.	जम्मू व कश्मीर	
10.	कर्नाटक	
11.	केरल	40
12.	मध्य प्रदेश	24
13.	महाराष्ट्र	40
14.	मणिपुर	37.79
15.	मेघालय	40
16.	मिजोरम	40
17.	नागालैंड	40
18.	उड़ीसा	
19.	पंजाब	40
20.	राजस्थान	33
21.	सिक्किम	40
22.	तमिलनाडु	40
23.	त्रिपुरा	25
24.	उत्तर प्रदेश	25
25.	पश्चिम बंगाल	
26.	अडमान व निकोबार द्वीप समूह	
27.	चंडीगढ़	115
28.	दमन व दीव	
29.	लक्षद्वीप	
30.	पांडिचेरी	40
31.	दिल्ली	68
32.	दादर व नगर हवेली	25

रिक्त स्थान का अर्थ है कि राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकार से सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

नेवेली लिग्नाइट विद्युत परियोजना में पूंजी निवेश

5640. श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन :
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी कम्पनी अथवा अनिवासी भारतीय ने तमिलनाडु और राजस्थान में नेवेली लिग्नाइट विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में पूंजी निवेश का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विद्युत की उत्पादन किए जाने वाली परियोजनाओं में निवेश किए जाने के लिए निम्नलिखित पेशकश प्राप्त हुई है :

क्र० सं०	फर्म का नाम	परियोजना का नाम
1.	एस० टी० पावर सिस्टम (एन० आर० आई०—यू० एस० ए०)	जीरो यूनिट (1×210 मे० वा०) स्थान—नेयवेली, तमिलनाडु
2.	मेसर्स कोलीमैन एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन फर्म)	बारसिंगसर खान (1.7 मि० ट० प्रतिवर्ष) —एवं विद्युत (2×120 मे० वा०) परियोजना, बारसिंगसर, जिला—बीकानेर, राजस्थान

(ख) मेसर्स एस० टी० पावर सिस्टम की पेशकश लिग्नाइट वाली विद्युत गृह परियोजना में निवेश किए जाने के लिए है, जिसका संयोजन नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया जाना है। इस पेशकश की जांच की जा रही है।

मेसर्स कोलमैन एसोसिएट्स की पेशकश बारसिंगसर परियोजना की खान तथा तापीय विद्युत गृह दोनों में ही निवेश किए जाने के लिए है। निजी क्षेत्र में लिग्नाइट के ग्रहीत उत्खनन की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कानूनी संशोधन किए जाने की जांच की जा रही है।

इन परियोजनाओं/पेशकशों के सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि

5641. श्री के० राममूर्ति रिंडिवनम : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली में आए हाल के तूफान और बाढ़ के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने तूफान से बचाव के उपाय किए थे;

(ख) क्या बचाव उपाय करने के लिए तूफान की चेतावनी देने वाली प्रणाली का उपयोग किया गया था और यह प्रणाली किस हद तक प्रभावी साबित हुई;

(ग) अग्रिम चेतावनी देने वाली प्रणाली होने के बावजूद लिग्नाइट की खानों की इतनी भारी हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले वर्ष की बाढ़ में खानों में पानी भरने के कारण नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को कुल कितना घाटा हुआ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। प्रत्याशित भारी वर्षा होने की सूचना मिलने के आधार पर कुछ एहतियाती कदम उठाए गए, जो कि निम्नलिखित हैं—सामरिक स्थलों पर बुलडोजरों तथा ट्रेंच कटरों को स्थितिबद्ध किया जाना और बोरों तथा रेत भराई, आदि से सम्बन्धित सामग्री का भण्डारण।

(ग) नवम्बर, 1991 की दूसरी छमाही में अधिक मात्रा में वर्षा होने के साथ-साथ निम्नलिखित कारण शामिल हैं—जलाशयों (टैंकों) में रिसाव, क्षेत्र में ऊपरी और नालियों का अपर्याप्त मात्रा में होना और मेनीमुक्थार नदी में भी रिसाव होने के कारण भारी अप्रत्याशित जल का प्रवाह बढ़ गया जिसके कारण खानों में बाढ़ आ गई।

(घ) आय में हुई अप्रत्याशित कमी और बाढ़ के कारण हुए अतिरिक्त खर्च की राशि लगभग 47.91 करोड़ रुपए रही।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

5642. **श्री रामविलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगों के कार्यदल द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 में आयोजित किए गए अपने सत्रों के दौरान बाल श्रम को समाप्त किये जाने के क्षेत्र में दासता के वर्तमान रूप के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ख) बाल श्रम सहित बंधुआ मजदूरी से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ऐसे कौन से सम्मेलन हैं, जिनकी पुष्टि की जा चुकी है और सरकार की पुष्टि के प्रतीक्षार्थी हैं?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव की रोकथाम और उनकी सुरक्षा के विषय की जांच के लिए गठित उप आयोग के अंतर्गत "दासता के प्रचलित रूप" पर गठित कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि बाल श्रमिक के शोषण और ऋण के कारण बंधुआ बनाये जाने के कारणों को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं। भारत में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 को बालकों के कार्यदशाओं का विनियमन करने और विशिष्ट व्यवसायों में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के ध्येय से पारित किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देने और बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजना शुरू करने का प्रावधान है।

(ख) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बलात् श्रम से संबंधित अभिसमय

सं-29, न्यूनतम आयु (उद्योग) से सम्बन्धित अभिसमय सं-5, किशोर व्यक्तियों (उद्योग) के रात्रि कार्य से सम्बन्धित अभिसमय सं-6 और 90, ट्रीमरों और जुराब बनाने वालों की न्यूनतम उम्र सम्बन्धी अभिसमय सं-15, किशोर व्यक्तियों (समुद्र) की चिकित्सा जांच सम्बन्धी अभिसमय सं-16 और न्यूनतम आयु (भूमि के अन्दर का कार्य) सम्बन्धी अभिसमय संख्या 123 आदि का अनुसमर्थन किया है। इस विषय पर अन्य अभिसमयों का अनुसमर्थन करना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत के कानून और परिपाटी अभिसमय की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

दिल्ली में सड़कों पर नाजायज कब्जा

5643. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सड़कों पर किए गए नाजायज कब्जे को हटाने के लिए अभियान चला रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सड़कों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से भी नाजायज कब्जे को हटाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने सन्तुलित कार्यक्रम आरम्भ किया है और अतिक्रमण को हटाने के लिए कुछ सड़कों के सैक्शनों और कई बस स्टापों का चयन किया है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अतिक्रमणों को हटाना एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी ध्यान में आते है, अतिक्रमणों को हटाने के लिए विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

विवरण-I

अतिक्रमणों को हटाने के लिए उद्दिष्ट सड़कें—जिलावार

नई दिल्ली जिला

1. पंचकुइयां रोड
2. आउटर सर्किल कनाट प्लेस

पूर्वी जिला

1. विकास मार्ग
2. मधुबन (पटपड़गंज रोड)

उत्तर पूर्वी जिला

1. जी० टी० रोड शाहदरा से लोनी रोड

2. दुर्गापुरी चौक से रेलवे लाइन तक 100 फुटा रोड

केन्द्रीय जिला

1. देशबन्धु गुप्ता रोड

3. सुभाष मार्ग

उत्तरी जिला

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग (दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन का बाहरी भाग)

2. सुभाष मार्ग (लाल किला का क्षेत्र)

3. रानी झांसी रोड (सब्जी मंडी, बाड़ा हिन्दूराव और सदर बाजार क्षेत्र)

4. तुलवई रोड

उत्तर पश्चिमी जिला

1. जी० टी० करनाल रोड—गुड़मंडी से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक

2. रोड नं० 41—वजीरपुर डिपो से रोहिणी सेक्टर 5 तक

पश्चिमी जिला

1. नजफगढ़ रोड

2. रोहतक रोड (जनरल स्टोर चौक से नांगलोई)।

दक्षिण पश्चिम जिला

1. बाह्य रिंग रोड मुनीरिका मार्किट

2. रिंग रोड नारायणा— धौला कुआं—नौरोजी नगर

दक्षिण जिला

1. रिंग रोड, मूल चंद से कैप्टन गौड़ मार्ग तक

2. गुरु रविदास मार्ग

विवरण-II

अतिक्रमण हटाने के लिए चयनित जिला-वार बस स्थान

नई दिल्ली जिला

1. पटियाला हाउस के सामने तिलक मार्ग पर दो बस स्टाप

2. पंचकुइयां रोड बस स्टाप

3. शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल

4. सुपर बाजार बस स्टाप कनाट प्लेस

5. केन्द्रीय सचिवालय

दक्षिण जिला

1. डबल स्टोरी लाजपत नगर
2. सफदरजंग क्रासिंग रिंग रोड
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बस स्टाप
4. कुतुब बस स्टाप
5. आई॰ आई॰ टी॰ रिंग रोड
6. बदरपुर चैक पोस्ट

उत्तरी जिला

1. ओल्ड पंजाब रोडवेज बस स्टाप एस॰ पी॰ मार्ग रोड
2. अंधामुगल
3. चालीस फुट रोड प्रताप नगर
4. किशनगंज डिस्पेंसरी
5. रानी झांसी रोड बस स्टाप
6. आजाद मार्किट गुरुद्वारा
7. रिट्ज सिनेमा बस स्टाप
8. अपर सुभाष मार्ग बस स्टाप
9. लोअर सुभाष मार्ग बस स्टाप
10. सदर थाना रोड बस स्टाप
11. मेन जी॰ टी॰ रोड शक्ति नगर
12. कमला नगर बस स्टाप
13. ओल्ड रोहतक रोड बस स्टाप
14. सराय रोहिल्ला रोड नं॰ 40
15. बालक राम अस्पताल
16. तिमारपुर बस स्टाप
17. माल रोड बस स्टाप
18. संतराम बस स्टाप
19. बर्फखाना बस स्टाप
20. दुडलोकैसल स्कूल बस स्टाप
21. अलीपुर रोड बस स्टाप

केन्द्रीय जिला

1. अजमेरी गेट बस स्टाप

2. विकास मार्ग बहादुर शाह जफर मार्ग बस स्टाप
3. चैम्स फोर्ड रोड बस स्टाप
4. देश बंधु गुप्ता रोड बस स्टाप
5. एम० एम० चैम्बरी क्रासिंग बस स्टाप
6. देश बंधु गुप्ता रोड लीला सिनेमा
7. आर्य समाज रोड बस स्टाप
8. फैज रोड बस स्टाप
9. आनन्द पर्वत बस टर्मिनल
10. करोल बाग बस टर्मिनल
11. शंकर रोड बस स्टाप
12. गंगाराम रोड बस स्टाप

पूर्वी जिला

1. लक्ष्मीनगर बस स्टाप
2. मधुबन चौक बस स्टाप
3. कड़कड़ी मोड़ बस स्टाप
4. कृष्णानगर बस स्टाप
5. आजाद नगर बस स्टाप

पश्चिमी जिला

1. हरिनगर बस स्टाप
2. शादीपुर डिपो बस स्टाप
3. ई० एस० आई० अस्पताल बस स्टाप
4. सी-1 जनकपुरी नजफगढ़ रोड बस स्टाप
5. टी० पी० टी० बस स्टाप रोहतक रोड

दक्षिण पश्चिम जिला

1. मुनीरिका बस स्टाप
2. से० 1 आर के पुरम बस स्टाप
3. धौलाकुआं रिंग रोड
4. सफदरजंग अस्पताल बस स्टाप
5. नौरोजी नगर बस स्टाप
6. बड़ौदा बस स्टाप
7. पालम कालोनी मेन मार्किट बस स्टाप

उत्तर पश्चिम जिला

1. गुरु तेग बहादुर नगर
2. राणा प्रताप बाग
3. आजादपुर
4. वजीरपुर डिपो

उत्तर पूर्वी जिला

1. शास्त्री पार्क न्यू आई एस बी टी रोड बस स्टाप
2. सीलमपुर जी टी रोड बस स्टाप
3. वेलकम III जी टी रोड
4. दुर्गापुरी चौक
5. मत्थू कालोनी चौक
6. सड़कें 1 : जी टी रोड 2 : 100 फुटा रोड

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिए छोड़ी गई भूमि पर अवैध कब्जा

5644. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों और समाज सदनों के निर्माण के निमित्त छोड़ी गई भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के कारण उनका कार्य वर्षों से रुका पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस ने उन स्थलों/भूमियों पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए/खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दक्षिण दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का निर्माण कार्य आवंटित भूमि पर अतिक्रमण के कारण नहीं रुका है। तथापि सैक्टर-VIII रामकृष्णपुरम और सादिक नगर में समाज सदनों का निर्माण कार्य इस प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर अतिक्रमण के कारण रुका पड़ा है।

(ख) इस प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का उत्तरदायित्व दिल्ली पुलिस का नहीं है बल्कि, भूमि स्वामित्व वाले आवंटिती अभिकरणों का उत्तरदायित्व है। तथापि, अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए इन अभिकरणों द्वारा अनुरोध किए जाने पर पुलिस संरक्षण दिया जाता है।

सरकारी कालोनियों में झुग्गियां

5645. श्री मदन लाल खुराना : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामाकृष्णपुरम, मोती बाग, नानकपुरा, श्रीनिवासपुरी आदि जैसी सरकारी कालोनियों में कुल कितनी झुग्गियां है और इनमें से कितनी झुग्गियां अधिकृत हैं;

(ख) ऐसी सभी झुग्गियों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) इन झुग्गियों को हटाने के लिए सरकारी कालोनियों के निवासियों से कितनी शिकायतें मिली हैं तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किए अनुसार वहां पर लगभग 6029 झुग्गियां हैं और वे सब अनधिकृत हैं।

(ख) जब भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को ऐसे अतिक्रमण का पता चलता है तो इस विषय पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को सूचित किया जाता है। कुछ मामलों में जहां बेदखली आरंभ की गई थी, अतिक्रमणकर्ताओं ने न्यायालयों से स्थान-आदेश प्राप्त कर लिए हैं।

(ग) जैसा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें आगे कार्यवाही करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम

5646. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करते हुए इसके उपबंधों का विस्तार करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित की गई उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनका उक्त अधिनियम के अन्तर्गत चालान किया गया है और किसी भी मामले में सजा नहीं दी गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1981, 31-8-1992 तक वैध है। विशेष उपबंधों की अवधि को आगे बढ़ाने से सम्बन्धित मामले की इस समय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से जांच की जा रही है।

(ग) यह मंत्रालय विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गयी कारंवाई के बारे में आंकड़ों की परिवीक्षा करता है। उसके पास किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के बारे में सूचना नहीं है, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम के उपबंधों के तहत की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई भी दोष सिद्ध न हुआ हो। 28-2-1992 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

मारे गए छापों की संख्या	:	164781
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	:	5673
जिन व्यक्तियों पर मुकदमा किया गया उनकी सं०	:	6690
दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	:	281
जब्त वस्तुओं का मूल्य	:	2541.55 लाख रुपए

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं की सप्लाई

5647. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अन्य वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किन वस्तुओं को लाया जा चुका है/लाने का निर्णय किया गया है/लाया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों से किस प्रकार सहयोग लिया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार ने प्रमुख आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा ढुलाई की जिम्मेवारी ले रखी है और इन वस्तुओं को उचित दर की दुकानों के जरिए आगे वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे स्थानीय पसन्द को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए आम खपत को अतिरिक्त वस्तुओं को प्रणाली में शामिल करें। कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों का इस्तेमाल करके अनेक आवश्यक वस्तुएं स्वयं वितरित कर रही हैं। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे चाय, आयोडाइज्ड नमक, दालों (चना) तथा साबुनों को अपनी आवश्यकताएं सूचित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, टी बोर्ड आदि जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से संपर्क करें, ताकि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए इन वस्तुओं को अधिप्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समर्थन किया है और उसके कार्यान्वयन के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है।

खाद्यान्नों की जमाखोरी को समाप्त करना

5648. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं तथा इन उपायों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों को बैंक ऋण को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा अन्य कदाचारों के विरुद्ध कार्यवाही में तेजी लाएं। उनसे प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चालू वर्ष 1992 के दौरान 29-2-92 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 10619 छापे मारे गए, 222 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 647 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, 4 व्यक्तियों को दोषसिद्ध पाया गया तथा 50.27 लाख रुपए की वस्तुएं जब्त की गईं।

(ख) और (ग) आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के लिए बैंक के वित्त के इस्तेमाल को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के तहत निम्नलिखित कार्यवाही की गई है।

(1) खाद्यान्नों अर्थात् धान/चावल, गेहूं, दालों आदि, तिलहन/वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित), चीनी, गुड़ तथा खांडसारी और सूत व कपास के प्रति लिए जाने वाले बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि करना;

(2) उधारकर्ताओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान लिए गए अधिकतम ऋण के आधार पर ऋण की राशि को कम करना; तथा

(3) उपर्युक्त वस्तुओं के प्रति अग्रिमों पर न्यूनतम उधार दर को बढ़ाना।

इन उपायों से बैंक-वित्त की सहायता से इन वस्तुओं की जमाखोरी घट जाने की संभावना है।

[हिंदी]

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

5649. श्री खारे लाल जाटव : : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी; और

(ग) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) मध्य प्रदेश में चल रही मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)
(2) ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)

(3) ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना। (ड्वाकरा)

(4) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)

(5) भूमि सुधार

1. अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता;

2. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाना;

3. भूमि रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण।

(6) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)

(7) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए निधियों का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

केन्द्र सरकार से निधियों का आवंटन — अभियुक्ति

(लाख रुपए में)

1989-90	1990-91	1991-92	
3648.52	3648.52	3432.78*	*फरवरी, 1992 तक

2. ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण योजना

केंद्र सरकार से निधियों का आवंटन — अभियुक्ति

(लाख रुपए में)

1989-90	1990-91	1991-92
268.60	206.17	273.00

3. ग्रामीण महिला तथा शिशु विकास योजना

1989-90	1990-91	1991-92	
63.72	42.98	23.63*	*फरवरी, 1992 तक

4. जवाहर रोजगार योजना

1989-90	1990-91	1991-92
25618.79**	26402.50**	26402.50**

**निधियों में राज्य का अंश शामिल है

5. भूमि सुधार

1989-90	1990-91	1991-92	
15.00	30.45	223.98	विभिन्न वर्षों के लिए केंद्रीय आबंटन में भूमि सुधार के अन्तर्गत सभी तीनों योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन शामिल है।

6. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

1989-90	1990-91	1991-92
809.00	809.00	809.00

7. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (करोड़ रुपए में)

1989-90	1990-91	1991-92
25.47	25.47	28.19

(ग) ये निरन्तर चलने वाली योजनाएं हैं जिनके कार्यान्वयन और समय पर पूरा होने के सम्बन्ध में निगरानी जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर की जाती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्लाटों का आबंटन

5650. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 1982 में औद्योगिक प्लाट आबंटित किए गए हैं और आबंटियों को विशेष प्लाट नम्बर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आबंटियों ने प्लाटों की पूरी कीमत दे दी है किन्तु उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 1992 में विशेष संख्याओं के उल्लेख सहित 339 औद्योगिक भूखंड आबंटित किए गए थे। भूखंडों के आकार तथा प्रत्येक आकार के प्रति किए गए आबंटनों की संख्या इस प्रकार है :

भूखंड का आकार	आवंटितियों की संख्या
4 कनाल के भूखंड	92
3 कनाल के भूखंड	3
2 कनाल के भूखंड	172
1 कनाल के भूखंड	58
10 मरला श्रेणी	14
योग :	339

(ग) और (घ) 339 आवंटितियों में से मात्र 3 ने भूखंडों की पूरी लागत जमा की है। चूंकि, इनके लिए उद्दिष्ट भूखंड 'वन क्षेत्र' में स्थित थे और वन क्षेत्र को औद्योगिक भूखंडों में परिवर्तन पर सहमति नहीं हुई थी, अत: इन आवंटितियों को औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II एक्सटेंशन में 27-3-91 को वैकल्पिक भूखंडों का प्रस्ताव किया गया था। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित तारीख को एक अन्तरिम स्थगन आदेश दिया था जिसमें आशय/आवंटन पत्रों को जारी करने तथा ड्रा की सूची को अन्तिम रूप देने पर चण्डीगढ़ प्रशासन पर रोक लगाई गयी थी। न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के पश्चात् चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अन्तिम आशय/आवंटन पत्रों के बारे में आगे की कारंवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

बीकानेर में खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय

5651. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार बीकानेर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) के० वी० आई० सी० ने राजस्थान राज्य के पश्चिमी जिलों अर्थात् बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, नागौर, जोधपुर सीकर और झुनझुनु की संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीकानेर में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है।

इसके वित्तीय वर्ष 1992-93 से आरम्भ हो जाने की संभावना है।

कोयले का उत्पादन

5652. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
डा० डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले का कितना उत्पादन हुआ तथा निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या था;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) आठवीं योजना में कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) उस पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सातवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में हुए कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	कोयले का उत्पादन (मि० टन में)	
	लक्ष्य	वास्तविक
1985-86	154.50	154.20
1986-87	166.80	165.79
1987-88	183.50	179.72
1988-89	196.28	194.60
1989-90	209.50	200.89

(ख) कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के संबंध में, अन्य बातों के अलावा, उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाने के लिए नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आगत तथा संरचनात्मक सुविधाओं का समय पर उपलब्ध किए जाने का सुनिश्चय किया जाना।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। किन्तु योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1992-93 के लिए देश में 238.20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किए जाने के कार्यक्रम को अनुमोदन दे दिया है। योजना आयोग ने वर्ष 1992-93 के लिए कोयले के क्षेत्र के लिए 2282 करोड़ रु० की एक निवेश योजना को भी अनुमोदन दे दिया है।

टायरों का उत्पादन

5653. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान टायरों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत वर्षों में टायरों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने टायरों के मूल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान टायरों का उत्पादन संलग्न विवरण में बताया गया है।

(ख) पिछले वर्ष टायरों के मूल्य में 11 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, अवमूल्यन, इत्यादि के कारण हुई।

(ग) टायरों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

विवरण

टायरों का कुल उत्पादन

(नग)

वर्ष	1990-91	1991-92 (अप्रैल 91-फरवरी, 92 (11 महीने)
1	2	3
ट्रक और बस	5,258,490	4,951,976
यात्री कार	2,471,959	1,906,609
जीप	596,495	469,985
हल्के ट्रक	869,782	679,599
ट्रैक्टर फ्रन्ट	684,995	615,274
ट्रैक्टर रीयर	469.899	452,119
ट्रैक्टर ट्रेलर	194,259	212,278
ए० डी० वी०	468,643	550,919
स्कूटर	4,466,248	4,091,179
मोटर साइकिल	1,961,189	1,616,825
मोपेड	554,595	616,792

1		2	3
औद्योगिक		8,499	15,484
ओ० टी० आर०		92,469	27,430
ऐसे		14,625	7,192
	योग	18,051,907	16,207,469

स्रोत : ए० टी० एम० ए०

[अनुवाद]

गंदी बस्ती क्षेत्रों का विकास

5654. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गंदी बस्तियों की स्थिति में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान सुधार करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है और वितरित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 में इस राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के लिए अनुमोदित परिव्यय और स्लम क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न योजनाओं व 1-12-90 से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के प्रति वर्ष 1990-91 और 1991-92 (आज तक) के दौरान स्लम विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण को रिलीज की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

योजना के ब्यौरे	अनुमोदन परिव्यय 90-91	आयुक्त I को रिलीज की गई निधियां	आयुक्त II को रिलीज की गई निधियां	योग	अनुमोदित परिव्यय 91-92	आज तक रिलीज की गई निधियां	अनुमोदित परिव्यय 92-93
1	2	3	4	5	6	7	8
शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार	212.00	90.00	122.00	212.00	200.00	100.00	200.00
रैन बसेरों का निर्माण एवं प्रबंध	67.00	60.905	6.095	67.00	160.00*	160.000*	70.00
कटरों का संरचनात्मक सुधार	185.00	—	185.00	185.00	100.00	50.0	100.00
एम॰ एस॰ रोड पुरानी दिल्ली और इसके विस्तार में फ्लैटों का निर्माण	100.00	—	100.00	100.00	300.00	—	200.00
शाहजहांनाबाद का पुर्नविकास	1.355	—	1.355	1.355	5.00	—	5.00
आयोजना सर्वेक्षण और प्रबोधन प्रभाग	0.50	0.50	—	0.50	2.00	—	0.50
स्लम अनधिवासियों के लिए प्रचार कार्यक्रम	0.50	0.50	—	0.50	—	—	—

स्लम क्षेत्रों में उद्यान कार्य	2.00	2.00	—	2.00	—	—	—
स्लम क्षेत्रों में भुगतान करें उपयोग करें "जनसुविधा परिसरों" का निर्माण	—	—	—	—	44.00	11.00	50.00
नवीकरण तथा अनुसंधान	—	—	—	—	—	—	5.00
	566.355	153.905	414.450	568.355	817.00	321.00	630.50

*इसमें हर मंजिल के लिए 100 लाख सम्मिलित है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाली भुगतान

5655. डा० महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :
श्री छेदी पासवान :

क्या शहरी विकास मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कोष के कथित दुरुपयोग की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जाली भुगतानों के आरोपों की जांच में दिल्ली विकास प्राधिकरण के भारी-भरकम तकनीकी रिकार्ड की छानबीन सम्मिलित है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के आदेश का निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

गोवा में रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

5656. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गोआ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कितनी-कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं;

(ख) इनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है; और

(घ) छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गोआ राज्य में सितम्बर, 1990 के अन्त तक लघु क्षेत्र में 1,244 एकक और लघु क्षेत्र में 12 एकक रुग्ण थे।

(ख) बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार रुग्णता के मुख्य कारण तकनीकी समस्याएं, कच्चे माल की अनुपलब्धता, श्रमिक समस्या, बिजली की कमी, प्राकृतिक विपदायें, परिवहन तथा वित्तीय बाधाएं हैं।

(ग) केन्द्र द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यह प्रावधान है कि छंटनी किए गए श्रमिकों को मुआवजा दिया जाए और अन्यत्र नियुक्त भी किया जाए।

प्राचीन भारतीय ग्रंथ

5657. **डा० ए० के० पटेल :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री 4 दिसम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 183 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राचीन भारतीय ग्रंथों से रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा हाल ही में प्रायोजित परियोजनाएं/अध्ययन निम्नलिखित हैं :—

1. भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास, विशेषकर कृत्रिम आसूचना प्रणालियां तैयार करने में, भारतीय संस्कृत परम्परा की भूमिका (इलैक्ट्रानिकी विभाग) से सम्बद्ध समन्वित कार्यक्रम।

2. भारतीय परम्परा में सैद्धांतिक विज्ञानों के मूल सिद्धान्त और रीतिविज्ञान (तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, गणित शास्त्र, संज्ञानात्मक विज्ञान) (राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान)।

यद्यपि, आधुनिक विकास हमारे प्राचीन साहित्य से सीधे उद्भूत न हुआ हो, फिर भी प्राचीन भारत के ग्रंथों से कुछ प्रेरणाएं ली गयी है और इनके उपयोग के उदाहरण आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हैं (हाइपरलिपिडेमिया के लिए गुग्गुलू पर आधारित औषध) और धातु विज्ञान (सूक्ष्मतापूर्ण ढलाई)। भारतीय परम्परा मे मूल अध्ययन के लिए कुछेक विषय हैं; तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, गणित-शास्त्र और संज्ञानात्मक विज्ञान।

कोयला परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत-जर्मन के बीच करार

5658. **डा० ए० के० पटेल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी के बीच कोयला परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कोयले का किन क्षेत्रों के लिए करार किया जा रहा है; और

(ग) जर्मनी द्वारा दिए जा रहे सहयोग का ब्यौरा क्या है और भारत इसकी व्यापार में कैसे सहायता करेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोयले के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग की वर्तमान स्थिति की और इसके भविष्य में सहयोग के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए 21-22 जनवरी, 1992 को नई दिल्ली में कोयला विषय पर भारत-जर्मन संयुक्त कार्यकारी दल की बैठक हुई।

(ख) कोयले के निम्न क्षेत्रों में "इन-पिट क्रेशिंग" और कन्वेयर प्रौद्योगिकी के साथ ओपन कास्ट खानों के निर्माण, शैफ्ट सिंकिंग प्रणाली, कोयला तैयार करने वाले संयंत्र और गहरी भूमिगत खानों में वायु की व्यवस्था, आदि के लिए जर्मन सहयोग मांगा गया।

(ग) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की चिनाकुरी परियोजना के प्रथम चरण और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० की बीना विशेलिंग प्लांट के लिए जर्मनी से सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मनी, सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० की रामागुंडम II ओपनकास्ट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता देने पर सहमत हुआ है। सम्बद्ध कोयला कंपनियां इन परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक देशीय परियोजना घटकों को उपलब्ध कराकर भाग ले रही हैं।

लघु उद्योगों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

5659. श्री वी० श्रीमन्नारायण राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग क्षेत्र को पेश आने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुज्जीवन के प्रबंधों की समीक्षा करने तथा लघु उद्योगों से सम्बन्धित अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए आर० बी० आई० के दिनांक 9-12-91 के ज्ञापन के तहत एक समिति गठित की गई है।

वैज्ञानिकों की सेवा शर्तें

5660. श्री राजवीर सिंह :
डा० लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तकनीकी विभागों के वैज्ञानिकों में बढ़ते असंतोष की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक कक्ष की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार का एक शिकायत कक्ष है जो वैज्ञानिकों सहित, सरकारी कर्मचारियों से ऐसे सभी मामले, जब कभी प्राप्त होते हैं तो वह उनकी जांच करता है और तुरन्त सुधारात्मक उपाय करता है।

[हिन्दी]

हिन्दी कम्प्यूटरों के की बोर्ड

5661. श्री राजवीर सिंह :
डॉ० लाल बहादुर रावल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी कम्प्यूटरों के विभिन्न प्रकार के की बोर्ड बाजार में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो हिन्दी देवनागरी लिपि में कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने केवल देवनागरी लिपि के ही की बोर्ड उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) हालांकि बाजार में हिन्दी में प्रयोग के लिए कई प्रकार के कम्प्यूटर कुंजीपटल उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें अधिकांश एक मानक ढांचे का अनुसरण करते हैं।

(ख) और (ग) विगत वर्षों में कुंजीपटल के अलग-अलग ढांचे तैयार हुए क्योंकि ऐसे कुंजीपटलों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं था। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारतीय लिपि कोड (आई० एस० सी० आई० आई०) का एक मानक दिसम्बर, 1991 में प्रकाशित किया। इसमें भारतीय लिपि पर आधारित कम्प्यूटरों के लिए कुंजीपटल का मानक ढांचा भी शामिल है। अब यह आशा की जाती है कि कुंजीपटल के विनिर्माता सरकार द्वारा मानकीकृत ढांचे का अनुसरण करेंगे।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्त व्यक्तियों का प्रत्यावर्तन

5662. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी के उच्चाधिकारियों को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् उन्हें उनके राज्यों में भेजने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें आदेश प्राप्त हो गए हैं और उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष से आदेशों को जारी किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सरकार ने केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में सावधिक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के सम्बन्ध में संशोधित की गई कार्यकाल नीति सम्बन्धी अनुदेश 9-1-92 को जारी किए हैं। ये अनुदेश अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा उनके समकक्ष अधिकारियों सहित उच्च स्तर के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं।

(ख) एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

विवरण

अधिकारियों का स्तर	1-1-92 से 31-3-92 तक		1-4-92 से 31-3-93 तक		
	पदावनत होने वाले अधिकारियों की संख्या	उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पदावनति के नोटिस भेजे गए	पदावनत होने वाले अधिकारियों की संख्या	उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से पदावनति की तारीख दर्शाते हुए पत्र भेजे गए	उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें पत्र अभी भेजे जाने हैं
अपर सचिव/समकक्ष	1	1	16	11	5
संयुक्त सचिव/समकक्ष	10	10	65	53	12

भारतीय पूंजीगत सामान निर्माता

5663. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पूंजीगत सामान निर्माता उद्योगों को इस समय कौन-सी विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) इन समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) अनेक बाधाओं के कारण 1991-92 में भारतीय पूंजीगत सामान विनिर्माणकारी उद्योगों का कार्य

निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए बाधाओं को दूर करने हेतु अनेक उपाय किए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. अनेक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने तथा सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को काटने-छांटने, जैसी कि नई औद्योगिक नीति में व्यवस्था है, से नई परियोजनाओं में पूंजीनिवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा पूंजीगत सामान के लिए और ज्यादा मांग उत्पन्न होगी।

2. कच्चे माल, अन्तर्वर्ती सामान के आयात के लिए सीमान्त धनराशि की आवश्यकता को हटाने और निर्दिष्ट मदों को नेगेटिव सूची के अलावा आयात लाइसेंस को समाप्त करने से महत्वपूर्ण आयातित निविष्टियां शीघ्र और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी जिनकी पहले कम आपूर्ति होती थी।

3. नई उदार विनिमय दर से प्रबन्ध प्रणाली से नौकरशाही नियन्त्रण कम होगा जिससे पूंजीगत सामान विनिर्माणकारी क्षेत्र सहित उद्योग की कार्यकुशलता, उत्पादकता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

4. केन्द्रीय बजट में पूरक शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने और प्रशुल्क दर को अधिकतम 15 प्रतिशत से कम करके 110 प्रतिशत करने के प्रस्ताव से लागत में कमी आयेगी।

5. वाणिज्यिक बैंकों की वृद्धिशील घरेलू देनदारियों पर कानूनी ऋण शोधन अनुपात को 38.5 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने से औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार, ब्याज दर में कमी से धनराशियों की लागत कम होगी।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की प्रौद्योगिकियां

5664. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान किन-किन मुख्य प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस दिया गया;

(ख) इन प्रौद्योगिकियों के उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) निगम द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान नई प्रक्रियाओं के कितने कार्य प्राप्त किए गए ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान एन० आर० डी० सी० द्वारा लाइसेंसीकृत प्रमुख प्रौद्योगिकियों की सूची नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रौद्योगिकी	अनुसंधान तथा विकास संस्थान
1	2	3
1989-90	फलाई ऐश ब्रिक्स	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद
	हाइ एल्यूमिना सिरेमिक्स	केन्द्रीय कांच तथा सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
	मोनोक्रोटोफॉस पेस्टीसाइड	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
	फोसफेमीडन पेस्टीसाइड	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट
	इलैक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
	स्पाइरल ग्रूव्ड ग्राइंडिंग व्हील	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
1990-91	स्पाइस ओलिओरेजिन	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
	मोनोक्रोटोफॉस पेस्टीसाइड	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
	मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड	—वही—
	राइस हुस्क पार्टीकल बोर्ड	इंडियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूर
	डाइरेक्ट रिड्यूस्ड आइरन (स्पोंज आइरन) बाइ डी० आर० डी० आर० प्रोसेस	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
	डिस्पोजेबल ब्लड बैग्स, सॉफ्ट शैल ब्लड ऑक्सीजन एटोर एण्ड सॉफ्ट शैल कार्डियटोमी	श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम
1991-92	स्पाइरूलाइना शैवाल (अल्गेय)	मुरूगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, मद्रास
	स्पाइस ओलिओरेजिन	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर
	राइस हुस्क पार्टीकल बोर्ड	इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूर
	अल्कोटन एण्ड एस्यूटान	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास
	ब्रोमाइन फ्रॉम सी बिट्टर्न	केन्द्रीय नमक तथा समुद्र रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
	हर्ट वाल्व	श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडीकल साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम

1	2	3
	साइक्लोसपोरिन ए	सड़क नियन्त्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी
	सेण्ड लाइम ब्रिक	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
	थिक फिल्म हाइब्रिड माइक्रोसर्क्यूइट्स (सूक्ष्म परिपथ)	केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिकी इंजीनियरी अनुसंधान, पिलानी
	हाइ ऐल्यूमिना सीमेंट	केन्द्रीय कांच तथा सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता
	सिंथेटिक हाइ एल्यूमिना एग्रेगेट	—वही—
	फ्लाई ऐश ब्रिक्स	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद

(ख) प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के वाणिज्यीकरण के लिए निगम द्वारा उठाये गए कदम निम्नांकित हैं :

1. समाविष्ट तकनीकी जानकारी प्रलेख निर्देशन की आपूर्ति करना।
2. सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास संस्थान में प्रक्रम का प्रदर्शन करना।
3. अनुसंधान तथा विकास संस्थान में लाइसेंसधारियों को प्रशिक्षण।
4. देश और विदेश दोनों में जब भी आवश्यकता हो मान्यता प्राप्त परीक्षण की व्यवस्था करना।
5. जहां सरकार मुख्य खरीदार हो, वहां एन० आर० डी० सी० लाइसेंसधारियों द्वारा निर्मित उत्पादों की खरीद में सम्बन्धित उपभोक्ता सरकारी विभागों के साथ प्रोन्नति करना।
6. व्यवसाय प्रदर्शनियों के माध्यम से एन० आर० डी० सी० की पोर्टफोलियो में प्रौद्योगिकियों/उत्पादों को लोकप्रिय बनाना।
7. महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे फलाइ ऐश ब्रिक्स और राइस हस्क पार्टीकल बोर्ड पर डी० डी० साक्षात्कारों की व्यवस्था करना।
8. एन० आर० डी० सी० प्रकाशनों में उत्पाद विज्ञापनों के लिए विज्ञापनों को रियायती दरें प्रदान करना।

(ग) निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न अनुसंधान तथा विकास संस्थानों से 46 नई प्रौद्योगिकियों के समनुदेश प्राप्त किए हैं।

जापानी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश

5665. श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश करने के लिए सहमत हुई जापानी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा अपनी परियोजनाएं किन-किन क्षेत्रों में स्थापित करने की सम्भावना है;

(ग) ये परियोजनाएं राज्यवार कहां-कहां पर हैं; और

(घ) इन कम्पनियों द्वारा अपनी परियोजनाओं की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1992 के अन्त तक लगभग 20 ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं, जिनमें जापानी कम्पनियों द्वारा तकरीबन 135.45 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की परिकल्पना की गयी है। भारतीय कम्पनियों में इक्वीटी के रूप में विदेशी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले परिकल्पित पूंजी निवेश सहित विदेशी सहयोग के अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी सहयोगों का नाम, निर्माण की मद और सहयोग की किस्म आदि का विवरण मासिक आधार पर भारतीय निवेश केन्द्र, नयी दिल्ली द्वारा उनके "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) विदेशी सहयोग की स्वीकृतियों में आमतौर से सहयोग के अधीन परियोजना के स्थापना स्थल का उल्लेख नहीं होता, तदनुसार विशेष रूप से स्थापना स्थल के साथ विदेशी सहयोग अनुमोदनों के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते।

(घ) किसी भी औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने की अवधि न केवल प्रत्येक उद्योग में भिन्न-भिन्न होती है अपितु प्रत्येक परियोजना में भी अलग-अलग होती है। विदेश पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों के निपटान की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। अत: इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कियान्वयन का प्रभाव

5666. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1700 ब्लाकों में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए राज्य-वार चुने गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ब्लाकों के विकास और इन क्षेत्रों के लोगों की सहायता सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से संतुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए देश में 1700 ब्लाकों को चुना है, जो विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों (जैसे सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा कुछ निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्र) के तहत आते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 11,000 उचित दर की दुकानें खोलने; उन लोगों को राशन कार्ड जारी करने, जिन्हें अभी तक ये नहीं दिए गए हैं; उचित दर

की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उनके दरवाजे तक पहुंचाने; उचित दर दुकानों के स्तर पर उपभोक्ताओं आदि की सतर्कता समितियां गठित करने; चुने गए क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं का निर्माण करने; जाली कार्डों/यूनिटों को समाप्त करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए वितरित करने के लिए चाय, आयोडाइज्ड नमक, दालें तथा साबुन जैसी अतिरिक्त वस्तुएं शामिल करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने प्रस्तावों का समर्थन किया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रगति की परिवीक्षा कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और इस दिशा में निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुने गए ब्लाकों की संख्या दर्शायी गई है।

विवरण

चुने गए ब्लाकों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाकों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	120
अरुणाचल प्रदेश	48
असम	69
बिहार	156
गोवा	—
गुजरात	84
हरियाणा	44
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू व कश्मीर	28
कर्नाटक	94
केरल	21
मध्य प्रदेश	201
महाराष्ट्र	114
मणिपुर	22
मेघालय	30
मिजोरम	20

1	2
नागालैंड	28
उड़ीसा	143
पंजाब	—
राजस्थान	122
सिक्किम	4
तमिलनाडु	56
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	145
पश्चिम बंगाल	128
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
चंडीगढ़	—
दादरा व नगर हवेली	1
दमण व द्वीप	1
दिल्ली	—
लक्षद्वीप	5
पांडिचेरी	—

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में ब्लाकों की संख्या 145 बताई गई है। आन्ध्र प्रदेश ने पुष्टि की है कि मंडलों के तुल्य भूतपूर्व ब्लाक, जिनकी पहचान की गई है, केवल 120 हैं। सिक्किम में जिलों को ब्लाक के तुल्य माना गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

5667. श्री रवि राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रमुख बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके निवेश प्रस्तावों को सरकार ने गत तीन महीनों के दौरान स्वीकृति दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : अनुमोदित विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, देश का नाम, सहयोग का स्वरूप और विनिर्माण की मद—भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली द्वारा अपने "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा साइप्रस को निर्यात

5668. श्री रवि राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने साइप्रस में ढकेलिया (फेज दो विस्तार) ताप विद्युत गृह हेतु प्रमुख उपकरणों की पहली खेप भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी हां। भेल द्वारा साइप्रस में ढकेलिया 'ख" विद्युत केन्द्र के लिए 60 मेगावाट क्षमता के दो टर्बाइन जनरेटर यूनिटों की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत की जानी है। सम्मिहित पुर्जों की लगभग 40 टनों की पहली खेप की शिपमेंट अगस्त, 1991 में की गई थी। दिनांक 8 मार्च, 1992 को, कंडेन्सर, डीएयरेटरों, हीटरों, बॉयलर फीड पंपों, पाइपिंग, मोटरों इत्यादि जैसे मुख्य पुर्जों/उप-संयोजकों की दूसरी शिपमेंट (पहली मुख्य खेप) की जा चुकी है।

नसबन्दी/नलबन्दी के लिए वेतन वृद्धि

5669. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी पूर्व संस्था में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर दूसरी संस्था में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हुई हो, के मामलों में नसबंदी/नलबंदी कराने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलने का प्रावधान है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) यदि त्यागपत्र तकनीकी स्वरूप का है तथा सभी प्रयोजनों के लिए पूर्व सेवा का लाभ दिया जाता है तो, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा पहले संगठन से त्यागपत्र देने के बाद सीधी भर्ती द्वारा उनका चयन होने पर एक संगठन से दूसरे संगठन में कार्य-ग्रहण करने पर नसबंदी के लिए एक वेतन वृद्धि का लाभ अनुज्ञेय है। किन्तु यदि ऐसी नियुक्ति को नई नौकरी माना जाता है तो यह लाभ अनुज्ञेय नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का कार्यान्वयन

5670. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(ग) 1990-91 तक इस परियोजना पर कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 का अधिनियमन।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2001—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तैयार की है जो कि 23-1-1989 से लागू है।

(ग) 1990-91 तक क्षेत्र के चुने हुए कस्बों में नगर विकास के लिए केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित योजनाओं पर कुल 141.2643 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

(घ) क्षेत्रीय योजना—2001 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सन् 2001 के संदर्भ में है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्तियों का पंजीकरण

5671. **श्री जगमीत सिंह बरार :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री फूल चन्द वर्मा :
श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' :

क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० फ्लैट लेने के इच्छुक कई व्यक्तियों को इस सुविधा से वंचित किया गया है क्योंकि वे पिछली बार पंजीकरण के समय डी० डी० ए० में अपना नाम पंजीकृत नहीं करा सके हैं; और

(ख) सरकार ऐसे व्यक्तियों के नाम डी० डी० ए० में पंजीकृत करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ख) चालू योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में पिछले बकाए पर विचार करते हुए, फिलहाल नए पंजीकरण को प्रारम्भ करना प्रस्तावित नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

5672. **श्री जगमीत सिंह बरार :** क्या **शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में दिनांक 12 जुलाई, 1991 को दैनिक "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई भूमि के एक बड़े भाग पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अवैध कब्जा समाप्त करने की दिशा में सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि से कब्जा हटाया गया है तथा इस प्रकार के मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अधिग्रहीत भूमि, नजूल भूमि और पुनर्वास मन्त्रालय की भूमि सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार में 67279.521 एकड़ भूमि है। अधिकांश भूमि का उपयोग किया गया है जबकि भूमि का कुछ भाग अतिक्रमणाधीन है।

(घ) और (ङ) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है, वह किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नियमित रूप से हटाता रहता है। अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक 2942 अतिक्रमण हटाए गए थे और 180.75 एकड़ भूमि वापस प्राप्त की गई है।

अन्टार्कटिका अभियान

5673. **श्री राजेश कुमार** :

श्री तेजनारायण सिंह :

कुमारी उमा भारती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चलाए जा रहे अन्टार्कटिका अभियान की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) इस दल द्वारा दक्षिणी गंगोत्री पर निष्पादित मुख्य कार्य क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार को भारतीय वैज्ञानिकों के चौथे दल से, जिसने हाल ही में अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है, कुछ नवीन सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि में अंटार्कटिक अभियान के भारतीय वैज्ञानिकों और मौसम वैज्ञानिकों की उपलब्धियों तथा दक्षिण गंगोत्री/मैत्री में उनके द्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) भारतीय वैज्ञानिकों का चौथा दल मार्च, 1985 को भारत लौट आया। उनके सभी परामर्शों को पांचवें अभियान के आयोजन और श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं में भारतीय केन्द्र "मैत्री" की स्थापना के लिए शामिल कर लिया गया। मैत्री में केन्द्र की स्थापना की गई और भिन्न-भिन्न विधाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधाओं के साथ वर्ष 1989 में उसे पूरी तरह से प्रचालनात्मक बना दिया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अंटार्कटिक अभियान के मुख्य कार्य एवं उपलब्धियां

1. **मौसम विज्ञान**

अंटार्कटिक पर मौसमविज्ञानी परिघटना का भारतीय मानसून के संदर्भ में अध्ययन किया

गया। अंटार्कटिक में वैज्ञानिक एवं संचार तंत्र दोनों क्रियाकलापों में सहयोग देने के लिए वायु, वायुगति, दबाव, तापमान इत्यादि सामान्य मौसम विज्ञानी प्राचलों को निरन्तर रिकार्ड किया गया।

2. वायुमंडलीय विज्ञान

इस क्षेत्र में ओजोन पर्त एवं ग्रीन हाऊस प्रभाव के अतिरिक्त ओजोन रसायन पर ट्रेस गैसों एवं उनके प्रभाव का अध्ययन भी प्रारम्भ किया गया। उच्च वायुमण्डल में रेडान जैसे पदार्थों को वाहित भी किया गया।

3. भूविज्ञान

अंटार्कटिक भूविज्ञान, विभिन्न रचनाओं एवं खनिजीय प्रक्रमों तथा पूरा पर्यावरणीय परिवर्तनों की संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए गए। सम्पूर्ण श्रिमाचार एवं वोल्थाट क्षेत्र का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है और एक भूविज्ञानी मानचित्र तैयार किया गया। चट्टानों के बहुत सारे नमूने प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए इकट्ठे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आइसबर्ग मॉनिटरिंग, हिमनद विज्ञान अन्वेषण एवं उल्कापिण्डों की खोज भी जारी रही।

4. जैव विज्ञान

अतिशय परिस्थितियों में सूक्ष्म पौधों का अध्ययन किया गया। पुरातन जीवनरूपों एवं अतिशय शीत परिस्थितियों में अनुकूलन से सम्बन्धित प्रयोगों में जैव रासायनिक, आणविक अध्ययन भी सम्मिलित है।

वायु जल अन्योन्यक्रिया समुद्री धाराओं एवं परिसंचरण ढांचों तथा मानसून प्रणाली पर उनके प्रभाव का समुद्र विज्ञानी अध्ययन किया गया।

5. पर्यावरणीय शरीरक्रिया विज्ञान

शीत एवं एकाकी परिस्थितियों में मानव उपापचय एवं मनोवैज्ञानिक व्यवहार पर अध्ययन किए गए।

6. इंजीनियरिंग पहलू

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक देशज स्टेशन "मैत्री" का अंटार्कटिक में निर्माण किया गया है। इंजीनियरिंग सामग्री एवं अन्य सम्बन्धित पहलुओं का लगातार अध्ययन किया जा रहा है एवं प्रत्येक वर्ष इनमें सुधार किया गया।

स्टेशन के पास अन्तर्राष्ट्रीय विनियमनों के अनुसार प्रभावशाली अपशिष्ट प्रबन्ध प्रणाली है।

[अनुवाद]

केरल की आवास परियोजनाएं

5674. श्री वाइल जाम अंबलोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास समस्या को हल करने हेतु आवास तथा नगर विकास निगम की विचाराधीन परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास तथा नगर विकास निगम ने इसे स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुडको ने पहले ही केरल अभिकरणों को 29-2-92 की स्थिति के अनुसार 69.74 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 10 लाख मकानों के निर्माणार्थ प्रत्येक वर्ष 303 करोड़ रुपए की ऋण सहायता पर विचार करते हुए हुडको की सहायता मांगी है। चूंकि इस मात्रा के संसाधन हुडको के पास उपलब्ध नहीं हैं इसलिए उसने राज्य सरकार से निकट भविष्य में बाजार दरों पर इसके द्वारा गतिशील की गई हुडको निधियों से ऋण लेने का अनुरोध किया है। इस मामले में औपचारिक करार नहीं हुआ है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा खुले मुहाने की खानों से कोयला निकालना

5675. **श्री अनिल बसु** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पश्चिम बंगाल में बीरभूमि जिले में गंगारामचक स्थान पर खुले मुहाने की खानों में खनन कार्य करने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग ने विस्फोटन कम्पन और नहर तथा निरीक्षण के रास्ते में हुई टूट-फूट के कारण हिंगलों बांध मे हानि होने की आशंका व्यक्त करते हुए गंगारामचक में ओपेनकास्ट खनन कार्य किए जाने पर आपत्ति उठाई है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधन ने यह कहा है कि गंगारामचक में ओपेनकास्ट खनन कार्य के कारण सिंचाई प्रणाली को हानि होने की कोई आशंका नहीं है। नहर की गाद सामान्य थी और ग्रामवासियों के कारण नहर का कथित अवरोध हुआ। निरीक्षक के रास्ते में हुई टूटफूट सीमान्तक स्वरूप की थी। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने कहा है कि विस्फोट का कम्पन इतना अधिक नहीं था जिसके कारण कि हिंगलों बांध को कोई नुकसान पहुंचा हो। नुकसान की आशंका के बारे में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधन और सिंचाई विभाग के मध्य हुए मतभेद के कारण जिलाधीश बीरभूम ने अगस्त, 1989 में कासता में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान नहर की सेवा सड़क की छोटी-मोटी मरम्मत का निर्माण कार्य ई० को० लि० के प्रबन्धन को सौंपा गया, चूंकि ई० को० लि० द्वारा सेवा सड़कों का

प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता था और बांध के ऊपर कोयले के ट्रक बहुत समय से नहीं चल रहे थे। इस बात पर भी सहमति हुई कि विस्फोटन के कारण हुए कंपन से बांध के प्रत्याशित हानि के मामले को केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र (सी० एम० आर० एस०) को भेजा जाएगा। तद्नुसार यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र को भेज दिया गया है। सी० एम० आर० एस० की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि गंगारामचक में विस्फोटक के कारण हुए कंपन से हिंगलो बांध को कोई हानि नहीं हुई होगी चूंकि कणों की गति स्वीकार्य सीमा से नीचे थे। तद्नन्तर सेवा सड़क की टूट-फूट की ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा मरम्मत कर दी गई है और उन्होंने टूट-फूट की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है जिसके लिए आर्डर प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

गंगारामचक में कोयला खनन कार्य किए जाने से उपरोक्त विपरीत प्रभावों के पड़ने के बारे में आशंका व्यक्त करते हुए अप्रैल, 1990 में पश्चिम बंगाल सरकार से एक संदर्भ प्राप्त हुआ। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जुलाई, 1990 में पश्चिम बंगाल सरकार को यह सूचित किया गया है ओपेनकास्ट खनन क्रियाकलापों से अन्य सहयोजित कार्यों और बांध/नहर को हानि होने के सम्बन्धित आशंका किए जाने का कोई कारण नहीं है।

रानीगंज कोलफील्ड

5676. **श्री अनिल बसु** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में रानीगंज कोलफील्ड के अस्थिर क्षेत्रों के बारे में कोई प्रारम्भिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समस्या को हल करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० द्वारा एक शीर्षस्थ निगरानी समिति खान सुरक्षा के भूतपूर्व महानिदेशक, श्री एच० बी० घोष की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं : जिला मजिस्ट्रेट-बर्द्धमान, ए० डी० एम०, आसनसोल, स्थानीय सांसद तथा विधान सभा सदस्य और इसमें केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, सी० एम० आर० एस० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। यह समिति रानीगंज कोयला क्षेत्रों में असुरक्षित क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति का अध्ययन कर रही है। इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

नेवेली लिग्नाइट निगम

5677. **डा० पी० वल्लल पेरूमन** : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में आशय पत्र जारी किए जाने के बाद ठेकों की तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों में और संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी ठेके में एल० डी० क्लाज को समाप्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा टी० एस०—दो प्रथम चरण 3×210 मेगावाट के सभी ठेकों की राशि कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) किसी भी खरीद संविदा के तकनीकी और वाणिज्यिक पैरामीटरों तथा एल० डी० का निर्धारीकरण किए जाने की कारंवाई नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ही आती है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की भूमिका, विदेशी विनिमय को जारी कराए जाने और उपक्रम के लिए अपेक्षित अन्य विधिक स्वीकृति दिलाए जाने तक ही सीमित है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कथित कदाचार

5678. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद में किए गए कथित कदाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कारंवाई की है;

(ग) विभाग द्वारा जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 के दौरान खरीदे गए अतिरिक्त कलपुर्जों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस खरीद पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ङ) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के इस विभाग द्वारा पुराने अतिरिक्त पुर्जों के निपटान में कोई कदाचार पाया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) जनवरी, 1991 में कोयला मंत्रालय में अन्य बातों के अलावा, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के परिवहन प्रभाग में अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद के सम्बन्ध में कदाचार होने का एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के प्रबंधन को इस मामले में जांच किए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस उद्देश्य के लिए ने० लि० का० ने एक तथ्यपरक समिति का गठन किया था। यह समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी जैसा कि उपर्युक्त संदर्भ में आभासी कदाचार होने का आरोप लगाया गया था।

(ग) 1-1-1988 से 31-12-1991 की अवधि के लिए, सामान्य अनुरक्षण संबंधी कलपुर्जों के अलावा, निम्नलिखित बड़े कलपुर्जे परिवहन विभाग द्वारा खरीदे गए :

गियर्स बॉक्स	एसेम्बली	30 सं०
इंजन एसेम्बली		31 सं०
फ्रंट एक्सेल एसेम्बली		28 सं०
रियर एक्सेल एसेम्बली		29 सं०

(घ) 1-1-1988 से 31-12-1991 के 4 वर्ष की अवधि के दौरान कुल 703.61 लाख रुपए की खरीद की गई। जिसके सी० एम० ई० ब्रांच और डी० डब्ल्यू० सी० ब्रांच की खरीद शामिल है।

(ङ) परिवहन विभाग द्वारा पुराने अतिरिक्त कलपुर्जों का निपटारा किए जाने के मामले में कोई कदाचार नहीं पाया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

5679. **श्री एच० डी० देवगौडा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान संख्या क्या है और प्रत्येक उपक्रम में कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) इस समय राज्य में मझोले और बड़े औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 31-3-1991 को, जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 16 उद्यम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। 31-3-1991 को ऐसे प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 31-3-1991 को कर्नाटक राज्य में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली केन्द्रीय सरकार की केवल एक ही परियोजना थी, जो कार्यान्वयनाधीन है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	किया गया पूंजीनिवेश
1	2	3
1.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	223.41
2.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	297.29
3.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	99.88
4.	एच० एम० टी० (इंटरनेशनल) लिमिटेड	14.70
5.	एच० एम० टी० लिमिटेड	273.33
6.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	529.88
7.	इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	587.08
8.	कर्नाटक एण्टीबॉयोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	6.45
9.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड	640.80
10.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	48.36

1	2	3
11.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लिमिटेड	207.27
12.	भारतीय मसाला व्यापार निगम लिमिटेड	1.50
13.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	16.91
14.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	3.20
15.	विजयनगर स्टील लिमिटेड	10.50
16.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	120.79

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का आवंटन

5680. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यवार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शीर्ष-वार कितनी धन-राशि आवंटित की गई है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्राप्ति क्या रही ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत शीर्षवार तथा राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। 1990-91 के दौरान वर्षवार व्यय संलग्न विवरण-III में दिया गया है। 1990-91 के दौरान व्यय के राज्यवार ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में विगत दो वर्षों (1989-90 तथा 1990-91) दौरान निर्धारित तथा प्राप्ति लक्ष्य संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1990-91 के लिए अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र	शिक्षा प्राथमिक	शिक्षा प्रौढ़	ग्रामीण स्वास्थ्य	ग्रामीण जलापूर्ति	ग्रामीण स्वच्छता	ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्रामीण सड़कें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2566	367.00	690.00	2950.00	50.00	...	1000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1176	77.00	205.00	400.00	15.00	200	700.00
3.	असम	3211	423.00	1100.00	2730.00	14.00	550	1240.00
4.	बिहार	7850	1250.00	2750.00	3190.00	100.00	2000	7500.00
5.	गोवा	290	40.00	110.00	210.00	125.00	...	15.00
6.	गुजरात	933	350.00	1036.00	4450.00	250.00	...	702.00
7.	हरियाणा	1500	...	900.00	3000.00	50.00	...	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1393	78.00	541.00	2535.00	45.00	...	1145.00
9.	जम्मू व कश्मीर	2350	114.00	1575.00	2570.00	0.00	...	478.00
10.	कर्नाटक	1511	259.00	2200.00	2138.00	53.00	...	1562.00
11.	केरल	162	...	510.00	3495.00	45.00	2000	1250.00
12.	मध्य प्रदेश	8094	500.00	3050.00	4000.00	50.00	...	1328.00
13.	महाराष्ट्र	1598	110.00	4615.00	8046.00	54.00	...	1380.00
14.	मणिपुर	430	40.00	249.00	650.00	25.00	700	450.00
15.	मेघालय	764	67.00	405.00	800.00	30.00	190	215.00
16.	मिजोरम	290	28.00	188.00	543.00	10.00	400	700.00

17. नागालैंड	237	20.00	160.00	560.00	10.00	...	65.00
18. उड़ीसा	3171	291.00	1200.00	2176.00	100.00	800	1680.00
19. पंजाब	500	50.00	667.50	1923.00	177.00	...	0.00
20. राजस्थान	2248	88.00	1600.00	4200.00	0.00	635	1700.00
21. सिक्किम	430	8.00	130.00	360.00	10.00	...	489.00
22. तमिलनाडु	1914	345.00	1825.00	4462.00	10.00	...	2300.00
23. त्रिपुरा	800	44.00	280.00	600.00	20.00	170	770.00
24. उत्तर प्रदेश	8990	475.00	5400.00	8400.00	400.00	2900	12800.00
25. पं० बंगाल	1849	425.00	1730.00	2030.00	40.00	920	1200.00
26. अंडमान व निकोबार द्वीप	335	6.00	240.00	150.00	20.00	...	250 00
27. चण्डीगढ़	133	0.64	23.25	0.00	0.00	...	...
28. दादर व नागर हवेली	50	2.00	16.00	20.00	0.00	...	16.00
29. दिल्ली	3059	34.00	...	300.00	30.00	...	...
30. दमन व दीव	32	2.00	23.95	64.00	0.00	...	...
31. लक्षद्वीप	23	2.50	75.00	51.00	5.00	...	...
32. पांडिचेरी	326	6.00	57.15	39.60	10.00	...	110.00
33. एन० ई० सी०	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (रा०/ सं० रा० क्षे०)	58215	5512.14	33551.85	67042.60	1748.00	11465	41045.00
केन्द्र	26100	9600.00	160.00	42300.00	2000.00	0	0
कुल जोड़	84315	15112.14	33711.85	109342.60	3748.00	11465.00	41045.00

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/सं० रा० क्षेत्र	ग्रामीण आवास	शहरी गंदी बस्तियों का सुधार	पोषाहार	ग्रामीण घरेलू: उन्नत चूल्हे	ग्रामीण घरेलू: ग्रामीण ईंधन काष्ठ वनरोपण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	जोड़
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	4000.00	908.00	165.00	...	100.00	0.00	12796.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	...	128.00	4.00	5.00	52.00	3012.00
3.	असम	325.00	35.00	600.00	3.00	70.00	40.00	10341.00
4.	बिहार	200.00	200.00	1187.00	...	200.00	300.00	26787.00
5.	गोवा	10.00	1.00	9.00	...	10.00	8.00	828.00
6.	गुजरात	1050.00	100.00	6386.00	4.91	10.00	19.00	15290.00
7.	हरियाणा	100.00	110.00	212.00	...	120.00	0.00	5992.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5.00	50.00	225.00	...	225.00	57.00	6299.00
9.	जम्मू व कश्मीर	...	60.00	70.00	0.50	50.00	109.00	7376.50
10.	कर्नाटक	1500.00	726.00	400.00	...	148.00	0.00	10497.00
11.	केरल	220.00	50.00	62.00	...	25.00	10.00	5829.00
12.	मध्य प्रदेश	800.00	264.00	785.00	25.00	0.00	0.00	20896.00
13.	महाराष्ट्र	65.00	1000.00	500.00	...	97.00	0.00	17465.00
14.	मणिपुर	...	17.00	21.00	2.50	150.00	20.00	2764.50
15.	मेघालय	33.00	40.00	25.00	2.50	50.00	8.00	2629.50
16.	मिजोरम	16.00	5 00	100.00	..	100.00	32.00	2412.00

17. नागालैंड	...	...	154.00@	1.00@	100.00	30.00	1337.00
18. उड़ीसा	235.00	100.00	600.00	2.50	240.00	5.00	10600.50
19. पंजाब	32.55	165.00	...	...	0.00	0.00	3515.05
20. राजस्थान	225.00	400.00	127.00	...	120.00	45.00	11388.00
21. सिक्किम	15.00	6.00	40.00	5.00	40.00	11.00	1544.00
22. तमिलनाडु	450.00	270.00	6155.00	...	80.00	5.00	17816.00
23. त्रिपुरा	121.00	35.00	680.00**	3.00**	60.00	35.00	3618.00
24. उत्तर प्रदेश	3355.00	790.00	736.00	...	144.00	74.00	44464.00
25. पं० बंगाल	84.00	885.00	2607.00	1.00	50.00	11.00	11832.00
26. अंडमान व निकोबार द्वीप	20.00	20.00	14.00	2.35	...	0.00	1057.35
27. चण्डीगढ़	...	...	2.00	...	...	5.00	163.89
28. दादर व नगर हवेली	..	...	6.00	0.94	...	0.00	110.94
29. दिल्ली	15.00	200.00	270.00	...	...	5.00	3913.00
30. दमन व दीव	3.16	2.00	6.00	...	...	0.00	133.11
31. लक्षद्वीप	...	...	2.41	...	...	0.00	158.91
32. पांडिचेरी	35.00	30.00	17.00*	1.00*	...	9.00	640.75
33. एम० ई० सी०	...	...	...	5.00	...	...	5.00
जोड़ (रा०/सं० रा० क्षे०)	12964.71	6529.00	22291.41	64.20	2194.00	890.00	263512.91
केन्द्र	0	0	0	1250.00	200.00	255.00	81865.00
कुल जोड़	12964.71	6529.00	22291.41	1314.20	2394.00	1145.00	345377.91

*ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत।

**बायोगैस की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 7 लाख तथा उन्नत चूल्हे के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए।

@उन्नत चूल्हों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।

विवरण-II

1991-92 के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षा प्रारम्भिक	शिक्षा प्रौढ़	ग्रामीण स्वास्थ्य	ग्रामीण जल आपूर्ति	ग्रामीण स्वच्छता	ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्रामीण सड़कें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2000.00	195.00	693.00	2715.00	50.00		550.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2065.00	88.00	263.00	800.00	40.00	220.00	1000.00
3.	असम	5740.00	300.00	1550.00	3065.00	50.00	700.00	2000.00
4.	बिहार	8800.00	1200.00	4564.00	5024.00	80.00	885.00	8500.00
5.	गोवा	392.00	40.00	257.00	434.00	100.00		
6.	गुजरात	1604.00	300.00	1240.00	4700.00	400.00		700.00
7.	हरियाणा	1740.00	100.00	1150.00	2500.00	150.00		5.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2000.00	50.00	775.00	3700.00	72.00		1200.00
9.	जम्मू व कश्मीर	7000.00	111.00	1440.00	7425.00	5.00		500.00
10.	कर्नाटक	3084.00	332.00	1812.00	3325.00	415.00		2100.00
11.	केरल	164.00	25.00	650.00	3149.30	80.00		
12.	मध्य प्रदेश	7759.00	550.00	3574.00	3312.00	200.00	2000.00	1080.00
13.	महाराष्ट्र	2533.00	287.00	3968.00	11233.00	100.00		1300.00
14.	मणिपुर	543.00	65.00	200.00	709.00	100.00	800.00	950.00
15.	मेघालय	1118.00	89.00	380.00	1105.00	34.50	480.00	265.00
16.	मिजोरम	445.00	15.00	250.00	724.00	3.00	550.00	800.00
17.	नागालैंड	500.00	27.00	150.00	577.00	20.00		1100.00

18. उड़ीसा	2770.00	310.00	1005.00	2800.00	100.00	800.00	2701.00
19. पंजाब	1539.00	101.00	1344.00	2540.00	175.00		
20. राजस्थान	4174.00	115.00	2079.00	4548.00	40.00	1000.00	2200.00
21. सिक्किम	615.00	5.00	195.00	400.00	20.00		595.00
22. तमिलनाडु	5300.00	345.00	2772.00	3900.00	200.00		1150.00
23. त्रिपुरा	1182.00	58.00	384.00	680.00	20.00	107.00	850.00
24. उत्तर प्रदेश	8110.00	340.00	4270.00	8234.00	500.00	3875.00	11034.00
25. पश्चिम बंगाल	2900.00	450.00	2056.00	2110.50	40.00	1020.00	800.00
26. अं० व० नि० द्वीपसमूह	355.00	5.00	161.00	330.00	40.00		33.00
27. चण्डीगढ़	165.00	5.00	68.00	0.00	0.00		33.00
28. दा० व० न० हवेली	119.00	2.50	26.00	45.00	0.00		
29. दिल्ली	4450.00	40.00		77.00	0.00		
30. दमन व दीव	59.77	2.25	34.00	300.00	10.00		
31. लक्षद्वीप	18.00	3.00	40.00	53.00	15.00		
32. पांडिचेरी	400.00	8.00	200.00	63.00	10.00		
जोड़ (रा० व सं० रा० क्षे०)	74942.77	13754.75	3690.00	75523.80	3049.50	12437.00	41446.00
केन्द्र	28730.00	4820.00	75.00	75800.00	3759.00		
कुल जोड़	103672.77	17574.75	37665.00	151323.80	6808.50	12437.00	41446.00

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण आवास	शहरी गंदी बस्तियों का सुधार	पोषाहार	ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा: उन्नत चूल्हे	ग्रामीण घरेलू कुकिंग ऊर्जा: ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	जोड़
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	3625.00	276.00	390.00		250.00		10744.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00		375.00		40.00	62.00	5053.00
3.	असम	515.00	35.00	620.00		120.00	43.00	14738.00
4.	बिहार	293.00	430.00	1460.00		350.00	291.00	31877.00
5.	गोवा	12.00		50.00		5.00	12.00	1302.00
6.	गुजरात	1305.00	100.00	5100.00		160 00	115.00	15724.00
7.	हरियाणा	155.00	120.00	300.00		250.00	0.00	6670.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	48.00	225.00		140.00	366.00	8594.00
9.	जम्मू व कश्मीर	20.00	60.00	378.00		80.00	116.00	7115.00
10.	कर्नाटक	2060.00	625.00	950.00		325.00	175.00	15203.00
11.	केरल	270.00	30.00	174.00		50.00	10.00	4582.30
12.	मध्य प्रदेश	670.00	344.00	1293.00		240.00	0.00	21022.00
13.	महाराष्ट्र	45100	1250.00	518.00		250 00	0.00	21900 00
14.	मणिपुर		20.00	180.00		200.00	35.00	3802.00
15.	मेघालय	25.00	40.00	161.00		60.00	13.00	4070.50
16.	मिजोरम	58.00	20.00	115.00		280.00	34.00	3294.00

17. नागालैंड			173.00		30.00	20.00	2597.00
18. उड़ीसा	235.00	77.00	344.00		275.00	20.00	11437.00
19. पंजाब	53.00	200.00	300.00		175.00	20.00	6447.00
20. राजस्थान	306.00	320.00	348.00		320.00	134.00	15584.00
21. सिक्किम	20.00	10.00	109.00		50.00	20.00	2050.00
22. तमिलनाडु	450.00	235.00	7010.00		120.00	53.00	21535.00
23. त्रिपुरा	77.00	40.00	638.00		60..00	13.00	4089.00
24. उत्तर प्रदेश	1973.00	755.00	754.00		350.00	0.00	4045.00
25. पश्चिम बंगाल	100.00	450.00	2440 00		140.00	12.00	12518.50
26. अं० व० नि० द्वीपसमूह	10.00	20.00	43.00			75.00	1072.00
27. चण्डीगढ़			3.00			8.00	282.00
28. दादर व नगर हवेली			19.00			0.50	212.00
29. दिल्ली	3.00	2.00	800.00		10.00	18.00	5400.00
30. दमन व दीव	15.00	800.00	13.00			2.00	1236.80
31. लक्षद्वीप			8.00			0.00	135.00
32. पांडिचेरी	70.00	35.00	115.00			13.00	911.00
जोड़ (रा०/सं० रा० क्षे०)	12891.00	6342.00	25406.00		4320.00	1678.50	301491.30
केन्द्र			328.00	1700.00	4320.00	320.00	1[illegible]6715.20
कुल जोड़	12891.00	6342.00	25734.00	1700.00	8640.00	1998.50	428206.50

× 180 लाख रु० केन्द्र सरकार के साझा मांस आवंटन के लिए आरक्षण के रूप में दिए जा चुके हैं।

विवरण-III

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के अन्तर्गत योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	एम० एन० पी० घटक	1990-91 व्यय	1991-92 अनुमोदित परिव्यय
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	843.15	1036.73
2.	प्रौढ़ शिक्षा	151.12	178.75
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	269.71	376.05
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति	1093.77	1513.74
5.	ग्रामीण सड़कें	422.92	414.46
6.	ग्रामीण आवास	119.86	128.91
7.	ग्रामीण विद्युतीकरण	114.65	124.37
8.	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	73.38	63.42
9.	पोषाहार	215.06	257.34
10.	ग्रामीण घरेलू रसोई ऊर्जा		
	(i) उन्नत चूल्हा	11.78	17.00
	(ii) ग्रामीण ईंधन काष्ठ वनरोपण स्कीम	40.95	86.40
11.	ग्रामीण स्वच्छता	29.23	68.08
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	24.10	16.82
	जोड़	3409.68	4282.07

विवरण-IV

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०) के तहत वास्तविक प्रगति

क्र० सं०	एम० एन० पी० घटक	यूनिट	1989-90		1990-91	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	प्राथमिक शिक्षा	लाख सं०	60.22	46.20	57.73	57.73
2.	प्रौढ़ शिक्षा	लाख सं०	119.55	105.35	173.33	116.57
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य					
	(i) उप-केन्द्र	संख्या	14502	8934	4877	496
	(ii) प्रा० स्वा० केन्द्र	संख्या	3578	1489	1396	1648
	(iii) सा० स्वा० केन्द्र	संख्या	207	177	281	76
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति	गांवों की संख्या	50,874	54,180	38,288	37,699
5.	ग्रामीण सड़कें					
	(I) जनसंख्या समूह 1000.1500		1340	1285	1103	812
	(ii) जनसंख्या समूह 1500-अधिक		2133	1699	1084	1173
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण					
	(i) विद्युतीकृत गांव	संख्या	4800	6781	5120	5120
	(ii) शक्तिचालित पम्पसैट	संख्या	6400	9554	9200	9200
7.	ग्रामीण आवास					
	(i) आवास स्थल	ला० सं०	5.35	8.68	5.76	7.74
	(ii) निर्माण सहायता	,, ,,	3.53	4.11	3.27	4.24
8.	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार	,, ,,	17.01	20.56	15.40	19.34
9.	पोषाहार					
	(i) एस०एन०पी० (कुल कवरेज)	मि० सं०	22.87	13.81	23.72	15.40
	(ii) एम०एन०पी० (कुल कवरेज)	,, ,,	21.10	21.10	21.50	21.32
10.	ग्रामीण घरेलू रसोई ऊर्जा					
	(i) उन्नत चूल्हा	ला० सं०	18.00	21.99	18.27	19.88
	(ii) ग्रामीण ईंधन काष्ठ वनरोपण स्कीम	ह० हैक्टेयर	73.48	53.96	60.00	60.00
11.	ग्रामीण स्वच्छता	ला० सं०	0.99	0.41	1.18	0.60
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	उ० दर० दुकान सं०	2438	4242	1887	2427

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

5681. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया था;

(ख) उक्त तिथि को उनके पास कुल कितनी कार्य-पूंजी थी;

(ग) उस तिथि तक उन पर स्वदेशी तथा विदेशी ऋण की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी ऋणों पर मूल धन तथा ब्याज के रूप में और यदि कोई रायल्टी व सेवा-शुल्क का भुगतान किया जाना है तो उस रूप में विदेशों को कुल कितना धन भेजा गया; और

(ङ) उन उपक्रमों ने वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) 31-3-1991 तक की जानकारी नीचे दी गई है :—

	(करोड़ रुपयों में)
कुल पूंजी निवेश	113233.68
कुल कार्यचालन पूंजी	40666.04
बकाया ऋण	
—स्वदेशी	52598.03
—विदेशी	17601.24
—कुल	70199.27

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान, केवल जिस अवधि के जानकारी उपलब्ध है, विदेशी पार्टियों को किये गये ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 1883 करोड़ रुपए है जबकि विदेशी ऋणों पर लगे ब्याज की राशि 1338.60 करोड़ रुपये है तथा इस अवधि के दौरान राजस्व (रायल्टी) तथा सेवा-शुल्कों के रूप में 245.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने 2367.74 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है।

[हिन्दी]

यूरेनियम का खनन

5682. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग के पश्चिमी खासी पहाड़ी क्षेत्र में यूरेनियम के भारी भंडार मिले हैं;

(ख) क्या जन विरोध के कारण खनन कार्यों को बंद कर दिया गया है;

(ग) क्या देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम का खनन आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो यूरेनियम खनन जारी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) अयस्कों का संभाव्यता संबंधी अध्ययन प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर करने के लिए परीक्षणात्मक खनन कार्य शुरू कर दिया गया है। खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा पारित संकल्प के अनुसरण में, विभाग को उस क्षेत्र में आगे कार्य बन्द करने के बारे में एक नोटिस दिया गया है। चूंकि खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही परीक्षणात्मक खनन संबंधी कार्य शुरू किया गया था इसलिए इस मामले को परिषद के साथ उठाया जा रहा है ताकि प्रायोगिक संयंत्र संबंधी अध्ययन कार्य पूरा किया जा सके।

(ग) जी, हां।

(घ) यूरेनियम का वाणिज्यिक स्तर पर खनन करने का काम ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार होने तथा परियोजना संबंधी संस्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इस समय जो कार्य किए जा रहे हैं वे परियोजना के लिए तकनीकी सम्भाव्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े इकट्ठे करने के संबंध में हैं। इस मामले को खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद और मेघालय सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

सुपर बाजार में अनियमितताएं

5683. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली में स्थित सुपर बाजार की कुछ शाखाओं में बरती जा रही कथित अनियमितताओं की जांच करने के संबंध में कुछ संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों/श्रमिक संघों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी हां, सरकार और सुपर बाजार के प्रबंधकों को संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों से कुछ शाखाओं में कुछ बेईमान कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। ये शिकायतें आमतौर पर, पामोलीन की चोरबाजारी, चोरी और माल की कमी, ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूलने, शाखाओं को सप्लाई किए गए बार-दाना का पूरा-पूरा हिसाब न देने, बिना कैशमीमो के माल बेचने, ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करने आदि के बारे में हैं। सुपर बाजार में एक सतर्कता अधिकारी के प्रभार में एक पूरा सतर्कता विभाग कार्य कर रहा है और शिकायत की जांच करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं तथा चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के रूप में कड़ी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

राशन कार्डों का दुरुपयोग

5684. श्री वी० कृष्णा राव :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उपयोग में न लाए गए राशन कार्डों के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों में कितने प्रतिशत चावल और गेहूं बिना बिका रह जाता है;

(ग) क्या बिना बिके हुए चावल और गेहूं के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों में हेराफेरी की जाती है; और

(घ) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे जाली/झूठे राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए नियमित तथा लगातार कार्रवाई करें, ताकि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तु अन्यत्र न भेजी जा सके। इस मंत्रालय द्वारा वितरण के लिए आगे की अवधि के वास्ते ले जाए गए अवितरित खाद्यान्नों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण में कदाचारों को रोकने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के तंत्र द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं तथा अचानक जांच की जाती है।

राज्यों से भेजी गयी पेयजल की परियोजनाएं

5685. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :
श्री अन्ना जोशी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री आनन्द अहिरवार :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गयी पेयजल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है :

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) राज्यों को रिलीज की जाने वाली केन्द्रीय सहायता परियोजनावार आधार पर नहीं दी जाती है। यह केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के आबंटन के मानदण्ड और मिनी-मिशन परियोजनाओं, उप-मिशन गतिविधियों, जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना आदि के लिए लागू निधियों के पैटर्न पर आधारित होती है। 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज की गई निधियां

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.098	26.177	27.138
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.518	5.197	3.178
3.	असम	15.500	10.770	13.700
4.	बिहार	28.698	24.477	24.478
5.	गोआ	0.318	1.057	1.588
6.	गुजरात	12.082	18.327	18.108
7.	हरियाणा	7.641	6.463	7.238
8.	हिमाचल प्रदेश	7.208	8.057	8.348
9.	जम्मू व कश्मीर	25.253	15.307	17.280
10.	कर्नाटक	29.168	24.355	24.288
11.	केरल	9.780	11.260	31.910
12.	मध्य प्रदेश	33.378	21.584	32.998
13.	महाराष्ट्र	25.794	35.854	34.400
14.	मणिपुर	3.498	3.357	3.118
15.	मेघालय	4.268	6.198	4.738
16.	मिजोरम	2.356	2.167	1.328
17.	नागालैंड	7.223	5.527	3.818

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	12.907	21.621	13.968
19.	पंजाब	10.156	5.337	5.278
20.	राजस्थान	44.618	42.587	42.868
21.	सिक्किम	4.564	7.787	3.918
22.	तमिलनाडु	25.348	21,987	20.478
23.	त्रिपुरा	4.405	2.530	4.200
24.	उत्तर प्रदेश	53.478	46.507	47.718
25.	पश्चिम बंगाल	19.679	14.211	12.298
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0,468	0.887	0.238
27.	दमन व दीव	0.100	0.528	2.400
28.	लक्षद्वीप	1.268	0.00	0.00
29.	पांडिचेरी	1.238	0.130	0.40
30.	दिल्ली	0.065	0.130	0.070
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
	योग	420.075	390.376	391.488

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले

5686. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारियों पर आय से अधिक सम्पत्ति रखने के कारण उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) इनमें से कितने मामलों में न्यायालय में चालान दायर किए गए और कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखने के आरोपों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 14 मामले दर्ज किए।

(ख) इन 14 मामलों में से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक मामला भारी शास्ति के उद्देश्य से विभागीय कार्रवाई के लिए तथा एक मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजा। अभी तक चालान किसी भी मामले में दायर नहीं किया गया है।

शहरी विकास कार्यक्रम

5687. श्री राम नारायण बैरवा :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नगरों में गंदी बस्तियों की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कब से और किन-किन शहरों में इसे कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) क्या इसे सभी नगरों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) शहरों में मलिन बस्तियों का सुधार विस्तृत रूप से शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार (ई० आई० यू० एस०) की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर चुने गए शहरों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शहरी मूलभूत सेवाएं/निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रचलित होती हैं जिसके अन्तर्गत कम आय शहरी परिवेशों में परिवेशीय समितियों के माध्यम से सामाजिक सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां दी जाती हैं।

(ग) और (घ) मामले पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ई० आई० यू० एस० (I) अरुणाचल प्रदेश (II) नागालैंड राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (I) चंडीगढ़ (II) दादरा और नागर हवेली (III) दमन और दीव (IV) लक्षद्वीप के प्रचालन में नहीं है चूंकि इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की कोई बड़ी समस्या नहीं है। शहरी मूलभूत सेवाएं/निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं के सम्बन्ध में इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कस्बों/मलिन बस्ती पाकिटों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन स्वयं चुनते हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जोधपुर में लम्बित मामले

5688. श्री राम नारायण बैरवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जोधपुर के पास कर्मचारियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु किसी समयबद्ध कार्य योजना के क्रियान्वयन का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले 3 वर्षों से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जोधपुर न्यायपीठ में कर्मचारियों के लंबित मामलों की संख्या 1890 है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायपीठों में लम्बित मामलों की निगरानी सरकार द्वारा आवधिक विवरणियों के माध्यम से की जाती है, लम्बित मामलों का निपटान शीघ्र करने के उद्देश्य से जोधपुर न्यायपीठ में प्रशासनिक सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बाल और महिला श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन

5689. **श्री जार्ज फर्नांडीज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया ट्रेड यूनियन्स फेडरेशन ने देश के बाल और महिला श्रमिकों की कार्य दशा की जांच करने के लिए सरकार से एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) श्रम मन्त्रालय को हाल ही में आल इण्डिया ट्रेड यूनियन्स फेडरेशन से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता सूची

5691. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी श्रेणियों (मध्य आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता आय वर्ग आदि) की प्राथमिकता सूचियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई हैं; और

(ख) यदि हां, श्रेणी-वार ऐसे आवेदकों की संख्या कितनी है जिनके नाम प्राथमिकता सूची में शामिल किये जा सकें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अम्बेडकर आवास योजना में 20,000 फ्लैटों के आबंटन पर विचार किया गया है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कुल 38,018 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे :

श्रेणी		आवेदन पत्रों की संख्या
मध्यम आय वर्ग		7,193
निम्न आय वर्ग		20,903
जनता		9,922
	योग :	38,018

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लिए 10,000 व्यक्तियों और जनता श्रेणी फ्लैटों के लिए 3,000 व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के लिए 7,000 व्यक्तियों को अभी पंजीकृत किया जाना है।

[अनुवाद]

हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी

5692. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, छेहरता के कुछ कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन ने कहा है कि उन्होंने छेहरता में नियमित कर्मचारियों की छंटनी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, उनके निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया था कि अमृतसर एकक में लगाए गए अनियत कामगारों को हटा दिया जाए। किन्तु इस निर्णय को फिलहाल लागू न करने का निर्णय किया गया है। संघों को आश्वासन दिया गया है कि यदि वे उक्त एकक का उत्पादन उस स्तर तक बढ़ाते हैं जिससे ऐसे अनियत कामगारों को नौकरी पर रखने का औचित्य सिद्ध हो सके तो प्रबंधक उन्हें सहर्ष स्थायी आधार पर खपा सकेंगे।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

5693. श्री चित्त बसु :
श्री रवि राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के लगभग पचास रुग्ण उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को निर्देशित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को निर्देशित करने के पूर्व प्रत्येक उपक्रम के संबंध में सरकार, प्रबन्धक और श्रमिक यूनियनों से युक्त त्रिपक्षीय बातचीत की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) 1990-91 तक उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों को उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजा जाना अपेक्षित है। इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) विशेष त्रिपक्षीय समिति ने क्षेत्रीय औद्योगिक समितियों के माध्यम से एकक स्तर के अध्ययनों के लिए 6 क्षेत्रों को हाथ में लेने का निर्णय किया है, जबकि कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में एकक स्तरीय विचार-विमर्श पहले ही आरम्भ हो चुका है और अन्य उद्योगों के बारे में शीघ्र ही विचार-विमर्श शुरू होने की संभावना है। इन समितियों के निष्कर्षों से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के तहत योजनाएं तैयार करने में सुविधा होगी।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक उद्यमों की राज्यवार सूची

क्रम सं० राज्य/सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. सदर्न पेस्टीसाइड्स लि०

असम

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम

बिहार

3. भारत रिफेक्ट्रीज लि०
4. हैवी इंजीनियरिंग कारपो० लि०

गुजरात

5. नेटेका (गुजरात) लि०

हरियाणा

6. इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०

कर्नाटक

7. भारत गोल्ड माइन्स लि०
8. विजयम इण्डस्ट्रीज लि०

9. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
10. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०

केरल

11. कोचीन शिपयार्ड लि०

मध्य प्रदेश

12. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०

महाराष्ट्र

13. महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स लि०
14. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
15. राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि०
16. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
17. नेटेका (महाराष्ट्र साउथ) लि०

नागालैंड

18. नागालैंड पल्प एंड पेपर मिल्स लि०

उड़ीसा

19. उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०

उत्तर प्रदेश

20. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
21. भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि०
22. स्कूटर्स इण्डिया लि०
23. टेनरी एंड फुटवियर कारपो० लि०
24. ब्रिटिश इण्डिया कारपो० लि०
25. कानपुर टेक्सटाइल्स लि०
26. एल्गिन मिल्स लि०
27. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०
28. यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

पश्चिम बंगाल

29. इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०
30. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०

31. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
32. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनीकल इंजीनियर्स लि०
33. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०
34. माइनिंग एण्ड मशीनरी कारपो० लि०
35. वेबर्ड इण्डिया लि०
36. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
37. बीको लॉरी लि०
38. भारतीय साईकिल निगम लि०
39. हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०
40. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि०
41. नेशनल जूट मैन्यु० कारपो० लि०
42. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
43. बर्ड्स, जूट एण्ड एक्सपोर्ट कारपो०
44. भारतीय टायर निगम लि०
45. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
46. नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि०
47. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम
48. बंगाल इम्युनिटी लि०

दिल्ली

49. भारतीय उर्वरक निगम लि०
50. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो०
51. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
52. सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि०
53. राष्ट्रीय बीज निगम लि०
54. इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम लि०

सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

5694. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खर्च में कमी करने के लिए सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि पर रोक लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) सामान्यत: सेवा काल में वृद्धि की मंजूरी नहीं दी जाती है। यह केवल विशिष्ट तथा आपवादिक परिस्थितियों में लोकहित में दी जाती है। यह पद्धति जारी है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय न्यास

5695. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित अपशिष्ट प्रबन्धन (कूड़ा करकट को ईंधन-गुटिकाओं में परिवर्तित करने और सार्वजनिक जन सुविधाओं के रख-रखाव) का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या तन्त्र स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या इस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा और उसे आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) स्वदेश में ही निर्मित संयंत्र का प्रयोग करते हुए नगरीय कूड़े-कचरे को ईंधन टिक्कियों में बदलने तथा व्यापक रूप से अनुकरण और निर्माण किए जाने योग्य शौचालय ब्लाकों को स्थापित करने के लिए मुम्बई में एक प्रायोगिक परियोजना चल रही है। इस प्रायोगिक परियोजना को इस इरादे से आरम्भ किया गया था कि यदि इस अवधारणा की तकनीकी व्यवहार्यता और व्यापक प्रयोग के लिए इसकी क्षमता सिद्ध हो जाती है तो मुम्बई नगर और देश की ऐसी समस्याओं वाले अन्य कस्बों और शहरों को भी एक नवीन प्रबन्ध तन्त्र के तहत शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

मुम्बई शहर के लिए आरम्भ की गई एकीकृत अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रायोगिक परियोजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है। मुम्बई शहर के लिए आरम्भ की गई एकीकृत अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रायोगिक परियोजना के परिणामों का बाकायदा मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद इसके विस्तार और इसके कार्यान्वयन के लिए समुचित संगठन तंत्र के स्थापित किए जाने के मामले पर विचार किया जाएगा।

परियोजना के लिए अनेक उप-प्रणालियां निजी क्षेत्र से भी ली गई हैं।

अनाज के मूल्य

5696. **श्री नानी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत छः महीनों के दौरान अनाज के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अनाजों में मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 14-3-1992 को समाप्त गत 6 महीनों के दौरान अनाजों के थोक मूल्य सूचकांकों में हुई प्रतिशत वृद्धि का विवरण अनुबन्ध पर दिया गया है।

(ख) गत छः महीनों के दौरान अनाजों के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि का कारण बाजार में अनाजों की कम निवल उपलब्धता, सरकार द्वारा कम वसूली, गेहूं, चावल के न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्यों में वृद्धि होना तथा ढुलाई लागतों में वृद्धि होना आदि को माना जा सकता है।

(ग) देश में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के रूप में न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्यों में काफी वृद्धि की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए खाद्यान्न के आबंटन में वृद्धि की गई है। भारतीय खाद्य निगम को 1991 के चौथी तिमाही के दौरान, जब गेहूं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई थी, खुले बाजार में तुलनात्मक रूप से सस्ती दर पर गेहूं बेचने की अनुमति दी गई थी। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप गत कुछ सप्ताहों में अनाज के मूल्यों में गिरावट का रुख दिखाई देने लगा है।

विवरण

14-3-92 को समाप्त गत 6 महीनों के दौरान (14-9-91 से 14-3-92 तक समाप्त होने वाले सप्ताहों के बीच) अनाजों के थोक मूल्य सूचकांकों में हुई प्रतिशत वृद्धि

वस्तु	प्रतिशत वृद्धि
अनाज	+16.7
चावल	+10.9
गेहूं	+21.7
ज्वार	+28.7
बाजरा	+76.2
मक्का	+13.0
जौ	+14.9
रागी	+16.1

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय।

इंडियन साइन्स कांग्रेस की बैठक में परिवार नियोजन पर चर्चा

5697. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हुई इंडियन साइंस कांग्रेस की पिछली बैठक में परिवार नियोजन विषय पर चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी हां। 3 से 8 जनवरी, 1992 को बड़ोदरा में आयोजित पिछली भारतीय विज्ञान कांग्रेस में परिवार नियोजन के विषय पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन से विज्ञान कांग्रेस की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। इन सिफारिशों के प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए गठित अन्तर मंत्रालयी टास्कफोर्स के माध्यम से उन पर विचार किया जाएगा ताकि संबंधित विभागों और एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

असम में गैस क्रेकर काम्पलैक्स

5698. श्री प्रबीन डेका :
श्री वासिम कुली :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम औद्योगिक विकास निगम को असम में एक गैस क्रेकर काम्पलैक्स की स्थापना करने हेतु कोई आशय पत्र जारी गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां। असम राज्य औद्योगिक विकास निगम (ए० एस० आई० डी० सी०) को 25-1-1991 को एक आशयपत्र जारी किया गया है।

(ख) इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ए० एस० आई० डी० सी० ने अभी परियोजना के मुख्य प्रोमोटर का चयन और निर्णय करना है। परियोजना से संबंधित काम प्रोमोटर के चयन, विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने और वित्त व्यवस्था करने आदि के बाद ही शुरू हो सकता है।

दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी की स्थिति

5699. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आजादपुर सब्जी मण्डी की स्थिति दयनीय है जैसा कि दिनांक 13 जनवरी, 1992 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 13 जनवरी, 1992 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित रिपोर्ट में ट्रैफिक की भीड़-भाड़, अवैध कब्जों, गंदगीपूर्ण वातावरण, जल तथा बिजली की अपर्याप्त सप्लाई आदि से सम्बन्धित कुछेक समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। ये समस्याएं मुख्यत: पिछले वर्षों में बाजार आवक की मात्रा में हो रही निरन्तर वृद्धि की वजह से पैदा हुई हैं। तथापि, स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि रिपोर्ट में बताई गई है।

(ग) कृषि उपज विपणन समिति द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं :

1. नई फल मण्डी (एन० एफ० एम०) चरण-2 का विकास करने का ठेका पहले ही दिया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में काफी प्रगति हो गयी है। मानसून से पहले लगभग 10,000 वर्गमीटर के एक अतिरिक्त नीलामी स्तर के विकसित हो जाने तथा व्यापारियों को उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, नई फल मण्डी चरण-I में सीमेंट गोदाम क्षेत्र विकास कार्य भी प्रगति पर है तथा इससे 1700 वर्गमीटर नीलामी स्थल और उपलब्ध हो सकेगा।

2. केला व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पूरे क्षेत्र में रोड़ी बिछाकर केला साइडिंग में सुधार किया गया है।

3. अत्यधिक व्यस्त समय के दौरान ट्रैफिक को कम करने के उद्देश्य से ट्रकों को आवाजाही को नियमित किया जा रहा है। ट्रकों को केवल समूहों में ही प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए जहांगीरपुरी में एक अस्थायी चैकपोस्ट स्थापित की गयी हैं। दोषी ट्रक मालिकों का चालान किया जाता है।

4. विभिन्न बाजार कार्मिकों को लाइसेंस दिल्ली राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जारी किए जाते हैं। फल एवं सब्जी व्यापार एसोसिएशन के परिसंघ के साथ सलाह मशविरा करके लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया जा रहा है ताकि उनकी उचित कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

5. अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष स्कवाडों का गठन किया गया है। रेहड़ियों/खोमचों को हटाने के लिए रोज अभियान चलाया जा रहा है। चलते-फिरते विक्रेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निकासी के स्थान की तरफ अवैध कब्जा की गयी जमीन के काफी बड़े हिस्से को खाली करवा लिया गया है और बाड़ लगा दी गयी है।

6. गलियों/उप गलियों/ढलाओं को रोजाना साफ किया जा रहा है तथा प्रत्येक रविवार को जब मण्डी सामान्यत: ट्रैफिक से मुक्त रहती है विशेष सफाई अभियान चलाए

जाते हैं। कूड़ा-करकट उठाने वाले वाहनों को सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए मैसर्स स्कार्ट लिमिटेड को ठेका दिया गया है। सभी सीवरों तथा जल निकासी नालों को कार्यशील बना दिया गया है।

7. सड़क की सभी बत्तियों को ठीक किया गया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। डेसू से भी बिजली के अतिरिक्त भार को मंजूर करने का अनुरोध किया गया है।

8. 13 जल कुटियों/प्याऊओं को पूरी तरह से क्रियाशील बना दिया गया है। अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर कृषि उपज विपणन समिति विशेषकर गर्मी के मौसम के दौरान जल की ट्रौलियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है।

[हिन्दी]

विज्ञान भवन में सुरक्षा उपकरणों का लगाया जाना

5700. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी स्थित विज्ञान भवन सुरक्षा उपकरण न लगाए जाने के कारण अप्रयुक्त पड़ा है; और;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस समय विज्ञान भवन का नवीकरण हो रहा है और पुनरुद्धार/नवीकरण कार्य को अप्रैल, 1993 तक पूरा करने की योजना है। इसे देखते हुए, भवन सुरक्षा उपकरण न लगाए जाने के कारण अप्रयुक्त पड़े रहने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बौद्धिक सम्पदा पर पेरिस सम्मेलन

5701. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के महानिदेशक ने सरकार से पेरिस सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन भारत सरकार से यह अनुरोध करता रहा है कि वह बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन से शामिल हो। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सामान्य भविष्य निधि से धनराशि निकालना

5702. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अपनी सामान्य भविष्य निधि से धन-राशि निकालने/अग्रिम लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

समाप्त किए गए विभागों के कर्मचारियों को खपाना

5703. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभागों के नाम क्या है; जिनमें उन विभागों के कर्मचारियों को अब तक खपा लिया गया है, जिन्हें सरकार की आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप समाप्त कर दिया गया है;

(ख) अभी भी कुल कितने कर्मचारियों को खपाया जाना बाकी है; और

(ग) सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) अब तक विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग, कार्यालय के समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप उसके कर्मचारियों को पुनर्नियोजन के लिए अधिशेष सैल को अभ्यर्पित किया गया है। इस तरह अधिकांश अभ्यर्पित कर्मचारियों को भारतीय मौसम विज्ञान में विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना आयकर कार्यालय इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यालयों की उपयुक्त रिक्तियों में संविलियत करने के लिए नामित कर दिया गया है। इस तरह नामित कर्मचारियों के संविलियन तथा शेष कर्मचारियों के नामांकन/संविलियन संबंधी मामलों पर अधिशेष स्टाफ पुनर्नियोजन योजना के अन्तर्गत कारंवाई की जा रही है। अधिशेष कर्मचारी उस समय तक अपने वेतन तथा भत्ते प्राप्त करते रहेंगे जब तक उनका नए कार्यालयों में संविलियन नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को ऋण

5704. **डा० लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने वित्तीय संसाधनों का विकेन्द्रीकरण करने तथा उन्हें जनसंख्या और पिछड़ेपन के आधार पर ऋण देने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार से ऋण उगाहने का भी प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। कई राज्य सरकारों ने दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में वित्तीय संसाधनों के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा अपने दिए गये विचारों में उनकी जनसंख्या तथा पिछड़ेपन की कतिपय अधिभार के आधार पर राज्यों को ऋण अनुदान देने के लिए प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। उ० प्र० राज्य सहित सभी राज्य सरकारें अपनी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए बाजार से ऋण लेती हैं। योजना आयोग समान आधार पर तथा अंशत: पिछड़ेपन के आधार पर, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य को सहायता मिलती है, राज्यवार आवंटन करता है।

अन्त्योदय कार्यक्रम

5705. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अन्त्योदय कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षवार प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) इस समय अन्त्योदय कार्यक्रम केवल हिमाचल प्रदेश में ही कार्यान्वित किया जा रहा है जहां यह 1990-91 के दौरान शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत गरीब से भी गरीब को प्राथमिकता आधार पर सहायता देने जैसे अन्त्योदय दृष्टिकोण को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्ध में निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश को अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है क्योंकि यह राज्य क्षेत्रक में आता है।

[अनुवाद]

राजस्थान को ऋण/अनुदान

5706. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को ऋण/अनुदान देने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की कसौटी क्या है;

(ख) क्या गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को ऋण/अनुदान देने सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता पद्धति राजस्थान के अनुकूल नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त प्रयोजन के लिए राजस्थान को विशेष श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विशेष श्रेणी राज्यों के लिए फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता का ऋण/अनुदान अनुपात 10:90 है तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह 70:30 है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। राजस्थान सहित गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में योजना व्यय के अनुमानित राजस्व हिस्सा प्रदान करने के लिए 30 प्रतिशत के अनुदान अनुपात को अनुमोदित किया गया था जबकि विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 90 प्रतिशत के अनुदान अनुपात को उनके कमजोर संसाधन आधार को देखते हुए अनुमोदित किया गया था। चूंकि राजस्थान राज्य के सामने विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा सामना की जा रही अड़चनें नहीं हैं, इसलिए राजस्थान को विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके। अब श्री वसुदेव आचार्य बोलेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बिहार के एक विधायक की हत्या का मामला कल सदन में उठाया गया था। हम सबने इसे घटना की निंदा की थी। लेकिन त्रिपुरा विधान सभा में क्या हुआ ? एक विधायक को पीटा गया। उन्हें विधान सभा भवन में कांग्रेस (इ) के विधायकों द्वारा उन पर हमला किया गया था। यह निन्दनीय है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री वसुदेव आचार्य जी आप पहले मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, क्या यही लोकतन्त्र है ? विधायकों को पीटा जाता है और उस पर हमला किया जाता है।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिए।

श्री वसुदेव आचार्य : कल उस मामले को उठाने के लिए आपने 15 मिनट का समय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम यहां पर विधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा कर सकते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : मुख्य मन्त्री ने उसे उकसाया। त्रिपुरा में लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है। उस मामले को उठाने के लिए कल आपने 15 मिनट का समय दिया, जब विधान सभा में ही विधायकों को पीटा जाता है, तो हम चुप्पी क्यों साधे हुए हैं ? मुख्य मन्त्री ने इसको उकसाया है। त्रिपुरा में लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : त्रिपुरा में लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। विधायकों को पीटा गया है। उन पर हमला किया जाता है। त्रिपुरा में कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है।···(व्यवधान)···मुख्य मन्त्री ने इसे बढ़ावा दिया है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी लोग एक साथ बात करने के इच्छुक हैं ? श्री वसुदेव आचार्य जी जब मैं खड़ा हूं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बैठ जाएं। क्या आप सभी लोग एक साथ बोलना चाहते हैं ? यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हों, तो मैं आपको अनुमति दूंगा। यदि आप लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो मैं एक-एक करके उसके लिए भी अनुमति दूंगा। सबसे पहले आप मुझे यह बताएं कि माना कि यदि पश्चिम बंगाल विधान सभा में कुछ हुआ है तो क्या मैं उस पर यहां चर्चा करने की अनुमति दूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) **:** यदि आप इसकी अनुमति देंगे तो उसकी भी अनुमति दी जानी चाहिए !···(व्यवधान)···

श्री वसुदेव आचार्य : विधायकों की हत्या की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) **:** अध्यक्ष महोदय, 30 मार्च को उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव के साथ इस वक्त जो अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में अफवाहें फैली हुई हैं, वस्तुस्थिति देखने के लिए हम लोग अयोध्या जा रहे थे। वहां से 70 किलोमीटर पहले राम स्नेही घाट पर पुलिस ने हमको रोका और हम लोगों पर लाठी चार्ज किया।···(व्यवधान)··· मैं केवल यह कहने जा रहा था कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कानून की बात नहीं मानती, पंचायत की बात नहीं मानती। कानून के जानकार लोगों के मन में तरह-तरह की भ्रान्तियां फैल रही हैं।···(व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, लगभग 250 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा, जिसमें महिलाएं भी थीं। महिलाओं को पुरुष पुलिस कांस्टेबल्स ने मारा। हम शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी गाड़ी से अयोध्या केवल वस्तुस्थिति देखने के लिए जा रहे थे। हम न मन्दिर को तोड़ने के लिए जा रहे थे और न ही मस्जिद को तोड़ने के लिए जा रहे थे।

इसी तरह से जितने भी संसद सदस्य वहां घटना स्थल को देखने के लिए गए किसी को भी जाने नहीं दिया गया। मैं गृह मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय दल, जो 7 अप्रैल को वहां भेज रहे हैं उसे जल्दी भेजा जाए अन्यथा यह आशंका है कि निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। साथ ही, मैं गृह जी से मांग करता हूं कि यह नूराकुश्ती बन्द करें और वहां की सरकार को भंग करें तथा मन्दिर और मस्जिद दोनों की रक्षा करें।··(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं जब खड़ा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकांत जेना जी मैं आपको चेतावनी देता हूं। आप अपनी कुर्सि-

मानी केवल तभी दिखाते हैं जब मैं खड़ा होता हूं। जब मैं खड़ा न हूं तब आप ये सब बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अन्यथा आप स्वयं सभा को नियंत्रित करें।

एक सदस्य ने कहा कि उस पर हमला किया गया है। हमें उसकी बात सुनने दो। जब वह कुछ कह रहे हैं, कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आप पहले ही देख चुके है कि इस तरह के मामले सदन में आते हैं। हम उन्हें जटिल नहीं बनाते हैं बल्कि उनका समाधान करते हैं। माना कि एक या दो सदस्य आकर मुझसे कहते हैं कि उन पर हमला किया गया है तो मैं निश्चित रूप से उनकी बात सुनना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शान्तिपूर्वक सड़क द्वारा अयोध्या में जो मन्दिर गिराए गए हैं और मस्जिद की विवादित जमीन पर कब्जा किया गया है, उस स्थिति को देखने के लिए अयोध्या जा रहे थे। हम लोगों के ऊपर अयोध्या से 60 किलोमीटर पहले ही बराबर लाठीचार्ज कराया गया। दसियों लाठियां हमारे बदन के ऊपर पड़ी हैं। माननीय सदस्य, श्री छोटे सिंह यादव के हाथ में काफी चोटें आयी हैं और हमारे करीब 150 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। यह सब इसलिए किया गया है कि वहां पर जो इनके कारनामे हैं हम लोग उन कारनामों को न देख सकें। वी० पी० सिंह जी जा रहे थे उनको जाने नहीं दिया गया, अजित सिंह जी जा रहे थे उनको भी जाने नहीं दिया गया। हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री श्री मुलायम सिंह या कोई भी माननीय सदस्य इस लोक सभा का उनके कारनामों को वहां देखना चाहता है, वह देख नहीं सकता। अपने कारनामों को छिपाने के लिए हम लोगों पर बेतहाशा लाठी चार्ज कराया गया। हमारे बहुत से सदस्य भी घायल हुए हैं। 10 एम० एल० एज० को चोटें आयी हैं, 150 लोग घायल हुए हैं।

वहां के डी० एम० ने कहा है कि हमने लाठी चार्ज का कोई आदेश नहीं दिया। यह जो घटना हुई है यह नियोजित ढंग से हुई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हाऊस का संसदीय दल वहां भेजने का फैसला किया गया है उसको जल्दी भेजना चाहिए। वहां की सरकार जिन तथ्यों को छिपा रही है, उनके कारनामे सामने आने चाहिए तथा वहां की सरकार को भंग करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि 7 अप्रैल से पहले ही उस संसदीय दल को भेजा जाए तथा सारी घटना पर कड़ी कार्यवाही करें।···(व्यवधान)···

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, जब श्री मुलायम सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने निहत्थे लोगों को और सात संतों को गोली से भुनवाया था और वे अब वहां पर विरोध करने के लिए जा रहे थे। इसको देखते हुए वहां के लोगों में बड़ी टैन्शन थी। अगर वे चले जाते तो संघर्ष इतना तीव्र होता तो उसको बचाना मुश्किल था इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जाने से रोका और रोकने पर उनके लोगों ने पुलिस से हाथापाई की और पत्थर भी फेंके। दस पुलिस वाले जख्मी हुए और पुलिस वालों से हाथापाई करने में हो सकता है इन लोगों को हल्की चोटें आई हों। मैं, स्वयं अयोध्या इसके पहले गया था और वहां पर इतनी टैन्शन थी कि झगड़े को रोकने के डर से राज्य सरकार ने इन लोगों को वहां रोका था इसलिए इनको रोकना उचित था···(व्यवधान)···

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : ···(व्यवधान)···बिहार में कांस्टीच्युशनल ब्रेकडाउन हो गया है···(व्यवधान) वहां के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहां की स्थिति

गम्भीर है और वहां के विश्वविद्यालयों में तनाव है···(व्यवधान) वहां के मुख्य मन्त्री अपने साथियों के साथ घर के अन्दर बन्द हैं और जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। श्री हेमन्त साही को गोली नहीं लगी है, वे अपराधकर्मी हैं और अस्पताल के अन्दर छिपे हुए हैं, ऐसा वक्तव्य वहां के मंत्री ने दिया है। यह समाचार नवभारत टाइम्स में आया है। वहां के मुख्य मन्त्री को त्याग पत्र देना चाहिए। वहां पर हत्याएं हो रही हैं। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए··· (व्यवधान)···

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के मामले रोज-रोज इस तरफ से सदन में उठाए जाते हैं। बिहार में पहले भी हत्याएं हुई हैं और एम० एल० ए० की भी हत्या हुई है।···(व्यवधान)···उस समय श्री त्रिलोकी हरिजन को घर में घुसकर मारा गया। 1988 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्री निर्मल महतो को टाटानगर में गोली मार दी गई। उस राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने इस मामले को नहीं उठाया। कृष्णा प्रधान रांची में है तो उन्होंने उरांव के एक लड़के का जमीन के मामले में मर्डर कर दिया था। 302 में केस दर्ज किया गया था। उस समय रांची के आई० जी० श्री एल० बी० सिंह थे तो उन्होंने बरी कर दिया और केस को फाइनल करा दिया। इसी प्रकार फादर एन्थोनी जो कि एक्स एम० पी० थे उनका मर्डर कर दिया गया था।···(व्यवधान) 45 सालों से हत्याएं हो रही हैं लेकिन किसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया······(व्यवधान) गरीब लोगों को जेलों में डाला जा रहा है······ (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अब श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो घटना घटी जिस पर कल से इस सदन में चर्चा चल रही है। मैं घटना स्थल का मुआयना करके अभी कल शाम को यहां आया हूं। कल माननीय सदस्या, चाहे इस पक्ष की हों या उस पक्ष की हों वे अभी तक घटना स्थल पर नहीं गई हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य बोले, पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी तथ्य का उल्लेख करे। क्योंकि सदन में जानबूझकर सेंटीमेंट्स को एक्सप्लायट किया जाता है, ऐसी परम्परा नहीं होनी चाहिए। जो सच्ची घटना है, घटना की स्थिति मैं बता देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की घटना की जितनी भी निन्दा की जाए वह की जानी चाहिए। इससे सदन भी सहमत होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, गरौल में जो हुआ हम लोग कहते हैं कि आप सर्वदलीय समिति भेज दें, हम लोग तैयार हैं। माननीय सदस्या कृष्णा साही और श्रीमती रीता वर्मा को उसका सदस्य बनाया जाए। ऐसी सर्व-दलीय समिति बनाकर जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा।

घटना यह है कि गरौल अंचल में 28 मार्च 1992 तारीख को हृटिया इनायत पंचायत है उस इनायत पंचायत में नगर हाट की नीलामी होनी थी···

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन में बोल रहे हैं, कोर्ट में नहीं बता रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, घटना सुनने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गरौल अंचल के हाट और मेले के लिए इनायत पंचायत नगर की हाट की नीलामी थी। 25 मार्च, 1992 को अंचलाधिकारी ने नोटिस जारी किया था कि 28 मार्च, 1992 को इसकी नीलामी होगी। पिछले वर्ष भी इस नीलामी की तारीख तय हुई थी। पिछले साल रघुनाथ साही ने इस नीलामी को लिया था। इस बार रघुनाथ साहू जेल में है, क्योंकि पिछले चुनाव के समय तीन आदमियों की वहां हत्या हुई थी जिसके चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पाया और उसके बेटे मुन्ना साही को नीलामी देने के लिए माननीय विधायक हेमन्त शाही प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में 28 तारीख को 11 बजे अंचलाधिकारी को हेमन्त शाही ने अपने घर बुलाया···

अध्यक्ष महोदय : सारा विवरण देने की जरूरत नहीं है···

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : सुनने क्यों नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई कोर्ट में आप नहीं बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, संक्षेप में बोलें। कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। जब वह अंचलाधिकारी दो घंटे तक उनके घर पर रहा··· (व्यवधान) ···प्रखंड उप प्रमुख की गाड़ी से गया तो वहां उससे कहा कि नीलामी बन्द कर दो। अंचलाधिकारी ने कहा कि यह मेरे अधिकार में नहीं है, डी० सी० एस० आर० से अधिकार लेना पड़ेगा। उसके बाद तीन बजे अंचल कार्यालय में तीन बजे डाक की कार्यवाही शुरू कर दी गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, अन्यथा मैं इसे कार्यवाही से बाहर निकाल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वहां अचानक हेमन्त शाही जो अंगरक्षक के साथ तथा तीन अन्य व्यक्तियों के साथ आये। अंचल कार्यालय में बरामदा पर श्री अरुण कुमार राय थे। अंचल कार्यालय में निगोशियन्स चल रहा था। उसी क्रम में अरुण कुमार राय से कहा कि ये लोग कौन हैं, क्यों यहां आ गये, मारो इसको, गोली चलाना शुरू हुआ और घटनास्थल पर ही अरुण कुमार राय, जय मंगल राय, सरयुग साहनी मारे गए, दो आदमी आज भी पी० एम० सी०एम० पटना अस्पताल में जीवन-मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इसी प्रकार विधायक हेमन्त शाही भी गोली से घायल हुए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात समाप्त नहीं करते हैं तो मैं इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न करने के लिए कहने वाला हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो तथ्य हैं, मैं इस तथ्य से भागना नहीं चाहता। सच को कहना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोल दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक कांस्परेसी हो रही है। जानबूझकर गैर-जिम्मेदाराना बयान हो रहा है इस सदन में। इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। आज भी पटना अस्पताल में दो आदमी जीवन-मौत से संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह का जघन्य अपराध इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई पर राजनैतिक रोटी सेंकने का काम होगा, पॉलिटकल कलर देने का काम होगा। इस समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। खून-खून है, चाहे अमीर का खून हुआ हो, चाहे गरीब का हुआ है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच सर्वदलीय समिति करे और आज ही इस सदन में इसका आश्वासन दें। (व्यवधान) सांच को आंच क्या। कराइए उच्च स्तरीय जांच, बिहार सरकार जांच के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी···

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज जो श्रीमती कृष्णा साही···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल वही कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाए जो कि श्री बूटा सिंह कहें।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि 31 मार्च, 1992 तक शेड्यूल्स कॉस्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राईब्स की जितनी भी वैकेंसीज हैं, उनको भर दिया जाएगा और भारत सरकार की तरफ से इस सदन के सामने एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। मान्यवर, 31 मार्च, 1992 समाप्त हो गया है। अभी तक भारत सरकार की तरफ से, जो शेड्यूल्ड कॉस्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राईब्स का जो बैकलॉग था, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं आया है। इसी दौरान 104 अण्डर सैकेट्रीज को रिवर्ट करके सैक्शन आफिसर बना दिया गया है। यह बहुत ही इल्लीगल अनकांस्टीट्यूशनल स्टेप लिया गया है। इससे 104 आफिसर्स शेड्यूल्ड कॉस्ट और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के घर बैठे हैं और वे दफ्तरों में नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर या तो नियम 193 के अन्तर्गत डिस्कशन करें या हमारा एक कालिंग अटेंशन एडमिट करें और भारत सरकार को आप डायरेक्शन्स दें कि इसके बारे में इस सदन के सामने पूरे विस्तार से स्टेटमेंट दें ताकि सदन और देश को पता चले कि बैकलॉग की वैकेन्सीज पूरी हो चुकी है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह कल्याण मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन के विपरीत है। इसीलिए यह प्रश्न उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री हरि किशोर जी···

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। बिहार के सवाल पर अभी श्रीमती कृष्णा साही ने कहा कि बिहार के मुख्य मन्त्री अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल यहां पर गृह मन्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारा सम्पर्क नहीं हो रहा है। इन सब बातों पर टी० वी० पर जिस प्रकार से प्रचार हुआ है, जिस प्रकार से संसद की समीक्षा का कवरेज और आज श्रीमती कृष्णा साही ने जिस प्रकार से उठाया है, यह इस बात के लिए है कि एक कांस्परैसी हो रही है बिहार की सरकार को डिसमिस करने के लिए। गृह मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट आ चुकी है। बिहार की सरकार ने पूरे तथ्यों की जानकारी दे दी है लेकिन एकतरफा प्रचार करके एक वातावरण बिहार सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है मीडिया की ओर से। हम इसकी निन्दा करते हैं और कृष्णा साही को चुनौती देते हैं कि बिहार के मुख्य मंत्री सरेआम हर जगह कार्यक्रमों में जा रहे हैं। अगर कोई घरों में बन्द है, तो कांग्रेस (आई) के लोग बन्द हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र में हिम्मत है तो आयें, आकर वहां देखें। मुख्य मंत्री ने खुद बैरोल में 29 तारीख को जाकर स्थिति को देखा है। तो इस तरह का पूरा का पूरा वातावरण इस सदन में इस्तेमाल किया जा रहा है एक राज्य सरकार को बरखास्त करने के लिए। हम इसको चेतावनी देते हैं कि इस पूरे मामले को किस प्रकार से सदन में और सदन के बाहर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जानबूझकर बिहार में कांग्रेस के लोग कॉस्ट-वार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वहां कास्टवाद पैदा करना चाहते हैं। यह बहुत निन्दनीय है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का मौका दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य लोग भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

देखिए, यह रोज का मामला है। आप सब लोग सदन में बैठकर देख रहे हैं। इस प्रकार से होगा तो कैसे चलेगा। इस प्रकार की बात से हमें कोई मदद नहीं होती है।

श्री सूर्या सिंह : अध्यक्ष जी, आप मेरे प्रश्न के ऊपर कुछ कहिए। यह बहुत जरूरी है।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बारे में यहां डिस्कस नहीं हो सकता। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, पहली बार यह हुआ है··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप राज्य के मामलों को उठाने की अनुमति कब तक देंगे ?··· (व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे किसी मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा जिस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन सभी दलों के नेताओं को अपने सदस्यों को कहना होगा कि इस तरह के मामले न उठाए जाएं और यदि वे उठाते हैं तो नेताओं को उन्हें यह कहना होगा कि इस मामले को नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि आप अपने सदस्यों को इस तरह के मामले उठाने की अनुमति दे रहे हैं और ऐसे समय में अध्यक्ष से यह अपेक्षा रखते हैं कि अध्यक्ष उन्हें बोलने से रोके, तो वह ठीक नहीं होगा। उन्हें बोलने के रोकने के लिए मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है। वास्तव में मेरे पास कोई मशीनरी नहीं है। सदन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यह है······

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी टिप्पणी से सहमत हूं। हमारी तरफ से और सभी पक्षों की तरफ से गलती है परन्तु आपको अडिग रहना होगा।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं अडिग रहूंगा। मैं अकेले अडिग नहीं रह सकता। यह पूरा सदन हम सबका है। यदि मैं दृढ़ होता हूं, तो आपको इस बात की प्रशंसा करनी होगी। आपको सहयोग करना होगा। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे लिए सबसे आसान बात यह होगी कि मैं कहूं कि कोई आकर इस कुर्सी पर बैठ जाए और मैं अन्दर आ जाऊं। तब यह चलता रहेगा। यह हो रहा है और आप सब लोग इसके साक्षी हैं। हम सबकी आंखों के सामने यह सब हो रहा है और हम सब इसके चश्मदीद गवाह हैं। यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो आप मुझे ऐसी बातों को नियन्त्रित कर पाने में असमर्थ पाएंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। एक तो जहां तक हमारे साथी ने कहा है, मैं समझता हूं कि भारत सरकार की तरफ से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट

को या बिहार सरकार को डीस्टेबलाइज करने का कोई कदम नहीं उठना चाहिए और वह उठेगा तो उसका अन्जाम बुरा होगा। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे साथी बूटा सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला इस सदन के सामने रखा है और कल हम लोग, ऑल पार्टीज एम-पीज की बैठक हुई थी···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं थोड़े में बोल देता हूं। उन्होंने जो कहा है उसके बारे में मैं चेम्बर में चर्चा करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। उसके ऊपर लम्बे भाषण की जरूरत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : एक मिनट सुन लीजिए। आखिर हम भी तो पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव हैं। हमें भी अपनी बात को रखने का अधिकार है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अब देखिए, इस मामले को कैसे हल करेंगे ? आप बताइए।

[अनुवाद]

ठीक है, अब आप बोलिए।···(व्यवधान)···

निर्मल कांति चटर्जी : यह सदन से सम्बन्धित है।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपको याद है कि मैंने इसी सदन में इसी विषय पर प्रश्न पूछा था और आप चेयर पर थे। सीताराम केसरी जी वहां पर थे।···(व्यवधान)··· मैंने कहा था कि बैकलॉग पूरा होगा ? उन्होंने कहा था कि हो जाएगा। मैंने पूछा था कि आपके पास कोई मैजिक है तो उन्होंने कहा था कि मैजिक की छड़ी है। 31 मार्च पूरा हो गया। आप सदन में इस पर डिस्कशन कराएंगे, मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद 47 साल के बाद भी और बाबा साहब अम्बेडकर के सेन्टेनरी ईयर समाप्त होने तक भी जो बैकलॉग था, वह पूरा नहीं हुआ, उल्टे जो अधिकारी थे, उनको डिमोट किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है और मेरा चार्ज है सरकार के ऊपर, कि जो काम हमने थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया था, यह जो अपने आपको क्रांतिकारी कहने वाली सरकार है, उसने पीछे हटाने का काम किया है। मार्ग्रेट अल्वा जी यहां बैठी हैं, उच्च मिनिस्टर हैं, इनको पता तक नहीं है। इन्होंने कहा सेन्टेनरी कमेटी में कि मैंने कभी वायदा नहीं किया है। कैबिनेट मिनिस्टर कहता है कि मैं घोषणा करता हूं, और मार्ग्रेट अल्वा जी कहती हैं कि मैंने इसका एश्योरेंस नहीं दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि 31 मार्च समाप्त हो गया। सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करे कि कितना बैकलॉग है, कितना शॉर्टफॉल है और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके पास हमने 193, 184 से लेकर कॉलिंग अटेन्शन तक हम लोगों ने दिया है। आप किसी भी प्रस्ताव के अन्तर्गत सदन में इसकी चर्चा करवाइए। हम चाहते हैं कि जब सदन में चर्चा हो तो प्रधान मन्त्री उसका जवाब दें, प्रधान मन्त्री यहां रहें क्योंकि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन का मामला है। उनके साथ इस तरह खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम इस मामले पर अब तक धैर्य के साथ रहे हैं, पूरे सदन में, एक बार भी हमने सदन में इस मामले को नहीं उठाया है क्योंकि चेयर की तरफ से आपने हमेशा कहा है, पिछली बार आपने कहा था कि बार-बार इसे नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने नहीं उठाया। आज हम आपसे आग्रह करते हैं

कि आप इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर सदन में इस पर बहस कराइये, चर्चा कराइए।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : माननीय बूटा सिंह जी ने जो मामला यहां पर उठाया है, उसके बारे में सारा सदन जानता है। इसी मामले को लेकर पिछले साल 4 और 5 अक्तूबर को माननीय प्रधान मंत्री ने सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें कुछ निर्णय लिए गए। शैड्यूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बैकलॉग का सवाल सिर्फ केन्द्र सरकार तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें सारे राज्यों का योगदान होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी मुख्यमंत्रियों ने वहां पर वायदा किया था कि 31 मार्च, 1992 तक इसे पूरा किया जाएगा। आज जरूरत है कि केन्द्र सरकार तो इस बैकलॉग को पूरा करे ही, साथ-साथ राज्यों में भी इनका जो बैकलॉग है, शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स का, वह भी पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस विषय पर पूरी चर्चा होना बहुत आवश्यक है, सदन के अन्दर यह चर्चा हो, ऐसा हम चाहते हैं। इस विषय पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर प्रधान मंत्री जी ने यह जानने की कोशिश की कि किस तरह का काम राज्य स्तर पर हुआ है, किस तरह बैकलॉग को पूरा करने का काम राज्य स्तर पर हुआ है। इस बारे में फिर से पूछताछ करके सदन के सामने पूरी समीक्षा रखा जाना बहुत आवश्यक है। हम मांग करते हैं क्योंकि इस विषय की गंभीरता को सभी अच्छी तरह जानते हैं, इस विषय पर, सदन के सभी दलों की ओर से सहमति प्रकट की गई है। बाकी सदस्यों ने राष्ट्रपति निवास पर एक भारी मोर्चा लगाया था। यदि यह काम नहीं होता है तो फिर सारे सदस्यों को, आगे किस तरह से रणनीति बनानी है, उसे तय करना जरूरी हो जायेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस विषय पर सदन में चर्चा कराइए।

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष जी, मैं भी इस मामले पर बोलना चाहता हूं, मुझे भी अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, जब सभी बोल रहे हैं तो आपको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, वह मौका मैं आपको दूंगा। आप भी बोलिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, अभी माननीय बूटा सिंह जी ने जिस बात को यहां उठाया, रामविलास जी ने और वासनिक जी ने जो भावना व्यक्त की, वह भावना केवल इनकी ही नहीं है, सभी सदस्यों की भावना इन्होंने व्यक्त की है। यह सवाल केवल हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति का ही नहीं है, बल्कि यह मसला पूरे सदन का है जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं। हम समझते हैं कि पार्टियों की रेखा इसमें नहीं है और ऐसा एक्सप्रेस भी हुआ है। इस बारे में खाली आंकड़े आ जायें, बहस हो जाए, मान्यवर, उससे हमें संतोष नहीं होगा। आपने इशारा किया, मैं नहीं उठा लेकिन हमें लगा कि इसमें यदि कुछ आंकड़े आ गए, बहस तो इतने दिनों से होती आयी है, अब कुछ ठोस कदम, लेजिस्लेशन इस सदन से निकले, इसके बारे में। पिछले बैकलॉग पर ही अगर हम यहां बहस करेंगे, आगे बैकलॉग न हो, इसके लिए कुछ उपाय नहीं करेंगे, इस संबंध में पूरी बहस होना ज्यादा जरूरी है। यदि हम कहें कि पीछे जो बैकलॉग हुआ, वह क्यों हुआ, लेकिन आगे बैकलॉग न हो, हम लोगों को यह सोचकर बहस करनी चाहिए। इस तरह का एक कानून यहां बनना चाहिए जैसे बिहार में एक विधान वहां के मुख्य मंत्री ने बनाया है कि अगर कोई अधिकारी इसे पूरा नहीं करता तो उसे तीन महीने की सजा और जुर्माना होगा, उसी आधार पर, मैं समझता हूं कि हम कोई प्रयास करें तथा आगे

बैकलॉग नहीं होगा। मान्यवर, मैं इसमें और समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि सदन इस मामले में एक स्वर से सहमत है। यदि इस पर कोई ठोस कदम यहां से निकले तो वह बाबा साहेब की स्मृति में, श्रद्धांजलि के रूप में बहुत बड़ी चीज होगी। अन्य मार्गों पर जाने की बजाए, यदि एक इनैक्टमेंट उनके नाम पर इस तरह का हो जाए तो वह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि बूटा सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह बहुत गंभीर है और उससे भी ज्यादा गंभीर वह हैं, जिस पहलू की ओर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक अण्डर सेक्रेटरी या ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों को डिमोट करके सैक्शन आफिसर बना सकता है।

श्री बूटा सिंह : 104 लोगों को डिमोट किया गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह वास्तव में बहुत ही दुखद और गंभीर मामला है और इसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अभी जब हम सदन में डिमांड्स फार ग्रांट्स डिस्कस करने जाएंगे तो उसमें अलग-अलग मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स आती हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट होगी उसमें इस पहलू पर हमको विस्तार से जानकारी दी जाएगी क्योंकि यह वर्ष इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि डा० अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष है और यह इस कारण भी महत्वपूर्ण है कि सभी मुख्य मंत्रियों को बुला कर के प्रधान मंत्री जी ने एक निर्णय किया कि 31 मार्च तक हम सारा बैकलॉग पूरा कर लेंगे, तो इस संदर्भ में क्या हुआ है ? शायद होम मिनिस्ट्री या वैलफेयर मिनिस्ट्री हमको कुछ जानकारी दे सकती है। अगर मान लिया जाए कि उस रिपोर्ट में इसके बारे में पूरे तथ्य नहीं हैं, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि जब भी आप इस पर बहस करवाने का निर्णय करें, तो उससे पूर्व इस बारे में विस्तृत जानकारी इस सदन को दे दी जाए, ताकि ठीक प्रकार से हम उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष जी, मुझे खेद है जब कोई विधायक की हत्या कहीं भी होती है, किसी भी राज्य में होती है या जब किसी सांसद के ऊपर लाठी लगती है। (**व्यवधान**)

कहीं किसी जगह में जब कोई सांसद जाता है, तो रुकावट आती है, पार्टी वे में इस पर चर्चा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला इतना गंभीर है कि जब किसी विधायक की गोली से हत्या हो जाती है, जब वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकते हैं, जब सांसद जाते हैं किसी जगह में कोई चीज देखने के लिए, तो उसमें उनको रुकावट आती है, और उसके ऊपर जब पुलिस की लाठी लगती है, तो उस समय सदन के सभी पक्ष के लोगों को समझदारी के साथ इस पर सोचना चाहिए कि इसको रोकने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए और मैं समझता हूं कि देश के गृह मंत्री की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे यहां आकर के इसके ऊपर ध्यान दें कि असली बात क्या है, क्योंकि हम सब लोग इस बात के ऊपर डरे हुए हैं। हम कोई चीज देखने के लिए किसी जगह जाते हैं और अगर पुलिस आकर के लाठी मार दे या ऊपर आ जाए, यह बात ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो बात बूटा सिंह जी ने उठाई है कि 104 अण्डर सेक्रेटरीज को उतार कर के सैक्शन ऑफीसर बना दिया गया है, तो यह इस सरकार के लिए सबसे बड़ी कलंक की बात है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस सदन में आएं और इस बारे में सदन को बताएं।

वैसे गृह मंत्रालय में दो मंत्री हैं, लेकिन इस समय यहां पर एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मौके पर किसी न किसी मंत्री को जो गृह मंत्रालय का कार्य देखते हैं, यहां उपस्थित रहना चाहिए ताकि जब भी ऐसे मसले उठें तो उनके बारे में वे स्पष्टीकरण दे सकें।

मैं निवेदन करूंगा कि जो वरिष्ठ मंत्रीगण यहां अभी उपस्थित हैं, वे इस बात पर नोटिस लें और गृह मंत्री जी को बताएं कि वे यहां आकर के इस पर बयान दें और कांग्रेस पार्टी ने कम से कम इनके लिए जो कार्यक्रम आजादी से पहले और बाद में बनाए हैं और संविधान में जो प्रावधान किए हैं, उनकी रक्षा हो। अगर आज संविधान के प्रोविजन की पालना नहीं होती है और वे पूरे नहीं होते हैं, तो यह शर्म और शंका की बात है। यह सभी पक्षों के लिए शंका की बात है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी यहां आएं और इसके ऊपर स्पष्टीकरण दें।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, बकाया रिक्त पदों को भरने के बारे में जिक्र किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब, क्या यह एक चर्चा से कम है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम कुछ समय टिप्पणी करने में व्यतीत कर रहे हैं और चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं और बारम्बार हमें यह बताया गया है कि देश की स्थिति खराब है हम सभी को इस भार में हाथ बटाना है। हम सब जानते हैं कि जब हम ऐसी अभिव्यक्तियां करते हैं कि हम सभी को इस भार में हाथ बटाना है, तो हमारा यही अर्थ होता है कि गरीब, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसमें समाज के अन्य वर्गों की अपेक्षा अधिक हाथ बटाना है। महोदय, हम जानते हैं कि बेरोजगारी है और बेरोजगारी का बैकलॉग भी घटने की बजाय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। और वित्त मंत्री तो यह भी नहीं कहते हैं कि वे कम-से-कम उतने ही लोगों को रोजगार दे पायेंगे, जितने कि वे स्वयं इस वर्ष केवल श्रमिक-बाजार में लगाने का प्रस्ताव करते हैं। अब, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में यह स्थिति बहुत ही विवादजनक है। यह आश्वासन दिया गया था कि इस वित्त वर्ष से पहले मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है। मैं श्री बूटा सिंह को बधाई देता हूं कि वे कम-से-कम ध्यान तो आकर्षित कराने में सफल हुए हैं······

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों का भी ध्यान रखें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं तो आपका भी सम्मान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने सभा का ध्यान आकर्षित करने का साहस किया है कि सभा में बड़े निष्ठापूर्वक ढंग से एक आश्वासन दिया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया है। इसलिए सभा के सभी सदस्यों की ओर से हम यह मांग करते हैं कि बैकलॉग को पूरा करने के बारे

में वर्तमान स्थिति पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कौन से कदम तत्काल उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो या तीन सदस्यों को इस तरफ तथा दो या तीन सदस्यों को उस तरफ से बोलने की अनुमति दे रहा हूं। इस चर्चा से जो एक शंका पैदा हो सकती है, पहले मैं उसको दूर कर दूं। जब माननीय सदस्यों ने मुझे कहा, तो मैंने उनको बताया कि हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। सभा में इसे मुद्दा न बनाया जाये। वैसे सभा में इस पर चर्चा हो सकती है और इस पर चर्चा किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है। इस पर किस तरह से चर्चा की जानी है, इसके बारे में हम निर्णय ले लेंगे। ऐसी बातों को सभा के बीच लाने की कोई परम्परा नहीं है। इन बातों को करने का भी एक तरीका है। आपको सूचना देनी चाहिए और सूचना देने के बाद ही हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दिल में दुख है, उनको कहने का आपने जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस क्षेत्र में जितने भी प्रधान मन्त्री आए, सबने आरक्षित स्थानों को पूरा भरने का आश्वासन दिया लेकिन आरक्षित स्थानों को भरा नहीं गया और प्रधान मन्त्री बदलते गए। हर दैनिक समाचार-पत्र में यह हैडलाइंस आती हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षित स्थानों को भरा जाएगा। 3-3 बार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बाद भी उनकी उसमें भर्ती नहीं की जाती है। उसके बाद उस स्थान को जनरल कर देते हैं। ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नौकरी पाने से वंचित रह जाते हैं। वर्ग "सी" और "डी" में तो उनकी भर्ती कर दी जाती है। लेकिन वर्ग "ए" और "बी" के रिक्त स्थानों में इनकी नियुक्ति नहीं होती है। 31 मार्च तो खत्म हो गया है। मैं आशा रखता हूं कि अप्रैल महीने के अन्त तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त स्थानों को भर दिया जाएगा। बी० ए० , एम० ए० और एल० एल० बी० पढ़े-लिखे नवयुवक आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं और बहुत परेशान हैं। कुछ नवयुवकों ने नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या भी कर ली है। अगर इनकी कहीं नियुक्ति होती भी है तो उनको परेशान करने के लिए दूर-दराज जगहों में भेज दिया जाता है। जहां उनको बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि आप इन सब चीजों को देखें।

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, 44 वर्षों से इस समाज के उत्थान के लिये बातें तो बहुत की गई, लेकिन कुछ किया नहीं गया। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों पर जुल्म न हों और उनको आरक्षण पूरी तरह से मिले, इनके बारे में वायदे बहुत से किए गए। यह वायदे पिछली सरकार ने भी किये थे और वर्तमान सरकार ने भी किए। सीताराम केसरी जी ने कहा कि 31 मार्च तक सारा बैकलॉग पूरा कर दिया जायेगा। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी, लेकिन सीताराम केसरी जी ने भी अंगूठा दिखा दिया। हम* से मिले। *से यहां के 106 सांसद······ (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया दूसरे मुद्दे पर आएं। राष्ट्रपति के बारे में किया गया उल्लेख कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया जायेगा।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, प्रधान मन्त्री जी ने भी एल० आई० सी० की मीटिंग बुलाई, उसमें उन्होंने वायदा किया कि हम 31 मार्च तक सारे बैकलॉग को पूरा कर देंगे लेकिन यहां स्थिति यह हो रही है कि जो जोइण्ट रैस्पोंसिबिलिटी की बात है, एक मन्त्री वायदा करते हैं, दूसरे मंत्री उसको मना कर देते हैं कि हमको तो जानकारी ही नहीं है। इस विषय को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है। मैं इस सरकार को आपके द्वारा चेतावनी देना चाहता हूं कि 44 साल से यह इन लोगों को, इस समाज को बहकाती रही है लेकिन अब यह नहीं चलेगा।

आपको मालूम है कि यहां के अनुसूचित जाति के सभी सांसद, चाहे वह किसी भी दल से सम्बंधित हों, इस सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि इस समाज के उत्थान के लिए और बैकलॉग को पूरा करने का वचन पूरा करने के लिए वह काम करे लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बजाय बैकलॉग पूरा करने के अनुसूचित जाति के 104 अण्डर सैक्रेट्रीज को सैक्सन आफिसर के पद पर बाबा साहब की सैन्टीनरी वर्ष में, शताब्दी वर्ष में रिवर्ट कर दिया गया। हम इस वर्ष को न्याय वर्ष के रूप में मना रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा अन्याय इस वर्ष में अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहा है। कहीं डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्रों को तोड़ा जा रहा है, कहीं उन पर अत्याचार हो रहा है। यह न्याय वर्ष मनाना लोगों की आंखों का धोखा है, यह उनकी आंखों में एक तरह की धूल झोंकना है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं है, जैसे 44 साल से हमें बहकाते रहे हैं। अब दलित वर्ग के नौजवानों को इस ऑगस्ट हाउस और इस सरकार पर कोई भरोसा नहीं रहा है। अगर जल्दी कदम नहीं उठाए गए तो असन्तोष की ज्वाला भड़क रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि राष्ट्र किसी और समस्या में पड़ जाय।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इस पर व्हाइट पेपर जारी करे और उन 104 लोगों को फिर अण्डर सैक्रेटरी बनाए और बैकलॉग को पूरा करे और इस सम्बन्ध में पूरी चर्चा कराएं।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, मैंने चर्चा पर ध्यान दिया है। मैं दो मुद्दे स्पष्ट कर देना चाहती हूं। पहला मुद्दा रिक्त पदों को भरने के बारे में है।

रिक्त पदों को भरने के लिए प्रथम भर्ती-अभियान राजीव जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और राजीव गांधी की सरकार ने पहली बार 50,000 रिक्तियों को भरा था। उसके बाद इनको भरने के लिए दो विशेष-भर्ती अभियान चलाये गए हैं। दूसरा अभियान 1989-1990 में चलाया गया था और तीसरा चल रहा है। सत्ता में आने के तुरन्त बाद हमने तीसरा अभियान शुरू किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बैकलॉग का अर्थ क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मुझे अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दें। (व्यवधान)

आप अलग से चर्चा करने दें। मैं इस पर नहीं आऊंगी। मेरा कहना है कि बैकलॉग को पूरा करने के लिए पदों की संख्या का पता लगा लिया गया है और इसके बारे में कार्य चल रहा है।

श्री राम विलास पासवान : आप प्रभारी मन्त्री हैं। क्या आपको पता है कि बैकलॉग कितना है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : इसके लिए आप मुझे सूचना दें (व्यवधान)

मैं कहना चाहती हूं कि जहां तक 31 मार्च का सम्बन्ध है, इस सभा में माननीय कल्याण मन्त्री ने एक आश्वासन दिया है और आज प्रथम अप्रैल है। आंकड़े एकत्रित करने और आपको सही स्थिति बताने में थोड़ा समय लगेगा। केवल एक दिन में सारे देश के सभी कार्यालयों से आंकड़े एकत्रित कर पाना मेरे लिए सम्भव नहीं है। अभियान जारी है। आपको हमें सभी आंकड़े प्रस्तुत करने और फिर सभा में वक्तव्य देने के लिए समय देना चाहिए। यह एक मुद्दा है।

श्री तरित बरन तोपदार (बैरकपुर) : 31 मार्च की तिथि दी गई थी।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : 31 मार्च की तिथि-अभियान पूरा करने की थी, न कि आंकड़े प्रस्तुत करने की। मैं भी आखिर एक इंसान हूं। मैं एक ही दिन में इसे नहीं कर सकती।

दूसरा मुद्दा मैं स्पष्ट करना चाहती हूं वह पदावनत किए गए 104 अनुभाग अधिकारियों के बारे में प्रश्न है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूं।

श्री राम विलास पासवान : वे अवर-सचिव थे, न कि अनुभाग अधिकारी।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : हां, अवर-सचिव। महोदय, हमने पदोन्नतियां की थीं। उन्हें पदोन्नत किया गया था और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निदेश पर किया गया था।

श्री राम विलास पासवान : आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। यह मन्त्रालय द्वारा दिए गए निदेश हैं, न कि सर्वोच्च न्यायालय के। (व्यवधान) आप* बोल रही हैं।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : ऐसा मत कहिये कि मैं···बोल रही हूं। मैं सच बोल रही हूं।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं अपनी बात कह चुकी हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत कर रही हूं। हम सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा गए थे और कहा था कि यद्यपि हमने एक सूची निकाल दी है, हमें पदोन्नतियां

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

करते समय 22 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इसमें शामिल करना है।

उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक न्यायालय के समक्ष हमारी सूची निकालने के लिए लम्बित है, कोई अन्य पदोन्नति नहीं की जायेगी। और पहले आप इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का मामला निबटाएं और फिर न्यायालय में दोबारा अपील करें। अतः हमें उनकी पदावनती करनी पड़ी और न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों कि उन्हें (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी) सूची को बहाल किए बिना पदोन्नत न किया जाए, को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। यह सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती।

महोदय, मैं पुनः कह दूं कि मुझे सभा का······करने की आदत नहीं है और मैंने यथावत तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। उसे छोड़िये। सब कुछ सही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथेश्वर राव।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनावश्यक ही बहस न करें। केवल वही कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा जो श्री राव कह रहे हैं।

(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्तुत किया है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश में कोई गलत धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

माननीय मन्त्री महोदय ने सर्वोच्च न्यायालय के जिस फैसले का उल्लेख किया है, उसका 104 अधिकारियों की पदोन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं है। सर्वोच्च-न्यायालय के फैसले में यही कहा गया है कि सरकार को आगे के लिए मापदण्ड निर्धारित करने चाहिएं, ताकि अधिकारियों को गुण-दोषों के आधार पर चुना जा सके, लेकिन जिन अधिकारियों का चयन किया जा चुका है, वे इससे प्रभावित नहीं होने चाहिएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम इन 104 अधिकारियों के रास्ते में बाधा न डालें।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, अब यह एक अति गम्भीर मामला है। सभा

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलि नहीं किया गया।

में एक मामला उठाया गया था। यह मामला इतना गम्भीर है, जिसमें जनसंख्या का एक वर्ग, जिसका सदियों से शोषण और दमन किया गया है और कुछ पदोन्नतियां की गई थीं। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को उन पदोन्नतियों को करने अथवा न करने में क्या कठिनाई है। माननीय मन्त्री महोदय ने यहां एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर अटकी हुई हैं। माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने, जो कि देश के काफी लम्बे समय तक गृह मन्त्री रहे हैं, और श्री राम विलास पासवान ने भी इसका विरोध किया था। इस मामले को ज्यों का त्यों नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि यह मामला सारे देश को एक बहुत ही गलत संकेत देगा। आखिरकार, आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? विशेषकर सत्ता पक्ष का संसद में इस प्रकार का व्यवहार लोगों के मन में, जो कि पहले ही संवेदनशील और आन्दोलित हैं, काफी आशंका और भ्रम पैदा करेगा। यदि आप त्रिपुरा से तमिलनाडु तक देखें, तो आपको समूचा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अशान्त दिखाई देगा। क्या आप उन्हें और अधिक अशांत और हिंसा पर उतारू बनाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर करना चाहते हैं? सरकार को जिम्मेदारानापूर्ण एक वक्तव्य देना चाहिए। मैं माननीय संसाधन विकास मन्त्री से, वरिष्ठ मन्त्री होने के नाते, अनुरोध करूंगा कि कम-से-कम इन मामलों में वह हस्तक्षेप करें। यह किसी दल का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास अन्य मंत्रालयों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है, सायं तक, वह स्थिति स्पष्ट कर दें। नीतीश कुमार का मामला लें। उन्होंने अभी-अभी कुछ कहा है। कल से बिहार के मामले पर चर्चा की जा रही है। मैं मामले की गुणावगुणों पर नहीं जाऊंगा। गृह मंत्री इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। अफवाहें उड़ रही हैं। एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन गृह मंत्री न तो तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं और न ही कोई बयान दे रहे हैं। क्या एक संवेदनशील मुद्दे से निपटने का यही तरीका है? इस कारण कल बिहार में दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए सरकार द्वारा इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जो मैं विषय से हटकर रख रहा हूं वह यह है कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें पीटा गया है। मेरे मित्र श्री मदन लाल खुराना ने कहा कि उनके विरुद्ध भ्रम पैदा किया गया है। मैं उन सब चीजों के सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस सदस्य को, विपक्ष के नेता को अपने कक्ष में बुलाकर इस बात की तहकीकात करें कि आखिर में हुआ क्या है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। उन्होंने मुझे दिखाया था। मैंने उनसे कहा था, आप अपना वस्त्र नहीं उतारें।

श्री चन्द्र शेखर : वे यहां भी ऐसा करने लगे थे। मैंने उन्हें रोका। मैं दूसरे सदस्यों की परवाह नहीं करता, क्या हमारा व्यवहार करने का यही तरीका है? यह सरकारी पक्ष का मामला नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कल इसके सम्बन्ध में हमें बता रहे थे। मैंने कहा कि हमें एक दूसरे को कुछ धैर्य एवं गम्भीरता से सुनना चाहिए।

एक सदस्य को पुलिस ने पीटा। यह सही हुआ है या गलत, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर वह यहां आता है और अचानक कुछ लोग उछलकर कहना शुरू कर दें कि

वह निन्दित कर रहा है। तो ठीक है, यदि आज यहां ऐसा हो सकता है तो कल आप भी उसी स्थिति में पड़ सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इस सम्बन्ध में आप कृपया अपने चैंबर में तथ्य और जानकारी मंगवाकर समस्या का समाधान करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

देखिए, जब हम बोलने के लिए खड़े हैं तो कृपा करके आप सुन तो लीजिए। अगर एक कोई विषय उठा है तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। एक स्टेमेंट एक मेम्बर की तरफ से आया है, दूसरा माननीया मन्त्री जी ने कहा है कि यह-यह फैक्ट्स हैं। अब यह सही है, यह हमें देखना है, तो इसके लिए रूल्स हैं और उस रूल्स के तहत हम देख सकते हैं कि नियम क्या हैं। परंतु इसके साथ हमें यह भी चीज ध्यान में रखनी है कि यह मेटर उनको बिना नोटिस दिए उठाया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब अगर आप बार-बार बोलेंगे तो फिर उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैं जानता हूं कि अगर चन्द्र शेखर जैसे सीनियर मेम्बर ने कोई बात यहां पर उठाई है तो उसकी तह तक हम जरूर जाएंगे। मैं दूसरे मेम्बर्स को कहूंगा कि किन लोगों को डिमोट किया है उनके नाम दे दीजिए और मिनिस्टर को कहूंगा कि किन लोगों के सम्बन्ध में केस है, उनके नाम दे दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अभी जैसे चन्द्र शेखर जी ने कहा, उसमें मेरा कहना यह है कि उस सदस्य को लाठी मारी, नहीं मारी, मैं उस समय नहीं था लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पट्टी बांध करके वह आए हैं उसका एक्सरे करवा लिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं यह कहता हूं कि मदन लाल खुराना जी, जो बात करते हैं, असत्य करते हैं।

[अनुवाद]

यह असंगत है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इसको एक्सपंज कराया जाना चाहिए, यह बहुत

गंभीर मामला है। (व्यवधान) एक आदमी जो घायल है, वह अपने जख्म को दिखला रहा है और यह कहते हैं कि एक्सरे होना चाहिए, यह मदन लाल खुराना जैसे सीनियर मेम्बर को शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय सदस्य पर ही विश्वास करूंगा। आपको उन पर सन्देह नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरा सजेशन यह है कि इस आवर के अन्दर किस प्रकार से प्रोसिडिंग चलाई जाए, उसके ऊपर एक घंटा तक डिसकशन करें, इसी आवर के अन्दर।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान तत्काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को बहुत ही कम मूल्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं जबकि बी० एफ० सी० तम्बाकू केवल आंध्र प्रदेश में ही उगाया जाता है।

इस समय 75 प्रतिशत बी० एफ० सी० तम्बाकू आंध्र प्रदेश में उगाया जा रहा है। माननीय वाणिज्य मंत्री भी यहां मौजूद हैं। कुछ दिन पहले वह गुंटूर भी गए थे जहां उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया था कि उन्हें इसका यथोचित मूल्य दिया जाएगा और किसी भी सूरत में यह पिछले वर्ष मिले मूल्य के मुकाबले कम नहीं होगा।

पूर्ववर्ती यू० एस० एस० आर० के राज्यों ने अपने यहां 28 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू की आवश्यकता बतायी है लेकिन अभी सिर्फ 13 मिलियन कि० ग्रा० के लिए ही आर्डर दिए गए हैं। इसी कम आर्डर के कारण तम्बाकू के मूल्यों में गिरावट आयी है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें केवल 8 से 9 रुपये का अन्तर है।

मेरा सरकार से आग्रह है 15 मिलियन कि० ग्रा० तम्बाकू के आर्डर भी निर्यातकों से मिलें कि वह शीघ्र ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि शेष जिससे किसानों को अपने तम्बाकू के ऊंचे दाम मिलने में सहायता मिलेगी।

माननीय मन्त्री स्वयं वहां मौजूद थे और उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया था कि वह इस मौसम के दौरान नीलामी स्थलों पर आयेंगे।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार तथा वाणिज्य मन्त्री से सदन में इस सम्बन्ध में बयान जारी करने और आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को इस संकट से बचाने का आग्रह करता हूं।

1.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, लगता है कि सरकार को स्वीडन से कुछ विशेष प्रेम हो गया है। बोफोर्स का मामला अभी चल रहा है, जिसके बारे में आज भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे बोफोर्स कांड की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुखद बात यह है कि यहां के सार्वजनिक उद्यम बी० एच० ई० एल० तथा चितरंजन लोको-मोटिव कारखानों को आर्डर न देकर भारत सरकार का रेलवे मन्त्रालय और ऊर्जा मन्त्रालय स्वीडन की एक फर्म आशियन ब्राउन बावेरी को तड़ातड़ आर्डर दे रही है। इस सम्बन्ध में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि रेलवे मंत्रालय ने बी० एच० ई० एल० को 6000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव सप्लाई करने का आर्डर नहीं दिया, जबकि रेलवे बोर्ड की तकनीकी समिति ने इस काम के लिए बी० एच० ई० एल० को उपयुक्त पाया था, लेकिन यह आर्डर स्वीडन की इस कम्पनी को दिया गया है। इसी तरह से स्वीडन की इस कम्पनी को एन० टी० पी० सी० ने 1800 करोड़ रुपए का गैस टर्बाइन सप्लाई करने का आर्डर दिया, इसका क्या कारण है, जबकि उद्योग मन्त्री ने स्वयं कहा है और बार-बार ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि बी० एच० ई० एल० के पास बहुत कम आर्डर बचे हैं। यह किस साजिश के तहत किया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आर्डर न देकर उनको सिक करा दिया जाएगा या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई कंडीशंस के तहत यह काम हो रहा है या दिल्ली के बाजारों में जो अफवाहें फैली हुई हैं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तथ्य क्या हैं, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस सम्बन्ध में पहले ही सूचना दे चुका हूं। यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। (व्यवधान) इस मुद्दे पर अब राज्य सभा में बहस हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री गुमान मल लोढ़ा को बोलने की अनुमति दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : रेल-इंजनों की खरीददारी सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। आज राज्य सभा में इन इंजनों के आयात के प्रश्न पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। आप जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं आएगा। कृपया आप बैठ जाइए। बहुत हो चुका।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक अत्यन्त

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हूं। पिछले दिनों सूचना एवं प्रसारण मन्त्री श्री अजीत पांजा जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि रामानन्द सागर द्वारा निर्मित "कृष्ण" सीरियल की 3000 सीरियलों के साथ स्क्रीनिंग चल रही है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी इसके बारे में भी निर्णय करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब पता लगा है कि माननीय मन्त्री महोदय के मन्त्रालय से बहुत पहले एक पत्र जा चुका है, जिसमें भगवान कृष्ण के महत्वपूर्ण सीरियल को अनुमति नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय इस धारावाहिक को भारत में ही नहीं विश्व के कई देशों में दिखाया जा रहा है। गीता के उपदेशों और कृष्ण के जीवन से विश्व के करोड़ों व्यक्ति प्रभावित रहे हैं, और प्रभावित रहेंगे, यह चिरस्थायी सत्य है। अध्यक्ष महोदय इस सीरियल को रोक दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस सदन को गुमराह किया है, इसके लिए विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, यह अलग प्रश्न है, परन्तु मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह भारत की 80 करोड़ जनता की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अतः कृष्ण सीरियल को अलाऊ करने की परमीशन दी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारियों के पुनर्नियोजन से सम्बन्धित नीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके अन्तर्गत उन्हें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया था।

महोदय, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एक सनसनीखेज समाचार आया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के महानिदेशक एवं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार** ने अपना इस्तीफा रक्षा मंत्री को सौंप दिया है और उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के मसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान में सेवा-ग्रहण करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन भी किया है।

पूरा देश यह जानकर स्तब्ध रह गया है कि आखिर किन कारणों से** ने, जोकि 10 वर्षों संवेदनशील रक्षा संगठन के अधिभारी और देश के रक्षा अनुसंधान के गुप्त रहस्य के संसर्गी रहे हैं, अचानक पद छोड़ने का कठोर फैसला कर लिया है।** इससे पहले भी भारतीय उद्योगपति भारत सरकार के वरिष्ठ आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारियों तथा सचिवों से संपर्क साधते रहे हैं और उनके सेवानिवृत होने के शीघ्र बाद ही उन्हें अपने संस्थानों में पुनर्नियुक्त करके देश के आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करते रहे हैं। यही कारण है कि भारत की जनता को देश के एक प्रतिशत स्वार्थी तत्वों द्वारा लूटा जाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उक्त अधिकारी के पूर्व-कालिक विवरण, उनका वर्तमान व्यवहार और रक्षा कर्मियों के पदोन्नतियों में उनकी भूमिका की जांच करे।** के कृत्यों के फलस्वरूप रक्षा कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह सब नियम-विरुद्ध है। आप उस व्यक्ति का जिक्र यहां कर रहे हैं जो

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यहां सदन में मौजूद नहीं हैं। आप उनका नाम नहीं ले सकते। ऐसा करने की अनुमति नहीं है। आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं रिकार्ड का अध्ययन करने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखने के बाद सोचूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए।

श्री विजयराघवन।

***श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) :** अध्यक्ष महोदय, मैं सभा और सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघाट की गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 1985 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने पालघाट का दौरा किया था तो उन्होंने यह अनुभव किया कि यह जिला जो पश्चिमी घाट का वर्षा से अछूता क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और तदनुरूप उन्होंने पालघाट के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन की मंजूरी दी थी और साथ में 4 करोड़ रुपये आवंटित किए।

मिशन का कार्य 31 मार्च यानि कल समाप्त हो गया। यद्यपि मिशन के तहत कई कार्यक्रमों को केरल की एल० टी०एफ० सरकार के उदासीन रवैय्ये के कारण लागू नहीं किया जा सका, यह मिशन पालघाट के लिए अति आवश्यक है। आज अलायुर, इलापुल्ली, वड़ाकरप्पाती, इरुतेमपत्ती आदि क्षेत्र में पेय जल की भारी कमी है। मिशन के तहत प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। इस मिशन के तहत अब तक 1500 से अधिक नलकूप ही लगाए जा सके हैं और हैंडपम्पों के मरम्मत के लिए बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब तक 315 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं और शेष 87 लाख रुपए किए जाने शेष हैं।

अत: मिशन की कार्य अवधि को बढ़ाना अति आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वह आवश्यक निर्देश जारी करे। महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में आप उन्हें आवश्यक निर्देश दें।

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे ज्ञात है कि सरकार ने कुछ समय पहले मेरठ-हस्तिनापुर-गंज होते हुए बिजनौर तक एक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे करवाया था, किन्तु अब सरकार उसे समाप्त करने का विचार कर रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से तथा रेल मंत्री से मांग करता हूं कि इसको रद्द न किया जाए बल्कि इसको बिजनौर से आगे ले जाते हुए धामपुर तक तथा वहां से कालागढ़ तक ले जाया जाए। क्योंकि इससे मेरठ, मुज्जफरनगर तथा बिजनौर आदि जिलों के विकास को गति मिलेगी। कालागढ़ औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और यहां पर बिजली, पानी तथा भवन इत्यादि काफी मात्रा में हैं। यहां पर भारी संख्या में भवन बने हुए हैं और यहां की

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जमीन भी बहुत अच्छी किस्म की है। उन खाली भवनों में आजकल चोर, डकैत, जानवर तथा आतंकवादी छिपते हैं। यह क्षेत्र केवल परिवहन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यदि यहां पर ये रेल लाइन बिछ जाती है तो बहुत से उद्योगपति वहां पर उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। जिस कारण से बेरोजगारी भी कम होगी तथा क्षेत्र का विकास भी होगा।

अत: इस रेल लाइन को रद्द न करते हुए कालागढ़ तक बढ़ाया जाए, यह मेरी सरकार से मांग है। दिनांक 29-3-92 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी भी इस लाइन को देखने आए थे। (व्यवधान)

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष महोदय, केरल के 60 गैंग-मैन्स को नौकरी से निकाल दिया गया है और वे लोग धरने पर बैठे हुए हैं। सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल ने इनको काम पर लेने के लिए 12 जनवरी, 1992 को फैसला दे दिया, लेकिन अभी तक उनको काम पर नहीं लिया जा रहा है। वे बोट क्लब पर बच्चों और औरतों के साथ बैठे हुए हैं। मैं, रेल मन्त्री से आग्रह करूंगा कि उनके विषय में कुछ कहें और उनको काम पर जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, आज उड़ीसा दिवस है। यह संतोष की बात है कि सी० आई० एल० (कोल इंडिया लि०) के अन्तर्गत एक सहायक कोल कम्पनी की स्थापना करने सम्बन्धी बहुत दिनों से चली आ रही उड़ीसा सरकार की मांग को भारत सरकार ने पूरा कर दिया हैं। वहां आज से कार्य आरम्भ हो गया है। भारत सरकार और विशेषकर प्रधान मंत्री और कोयला मंत्री को धन्यवाद देते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि दो कोयला डिवीजनों को इब घाटी और तलचर, प्रत्येक में एक-एक नई कम्पनी चालू की जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड मामले की समिति को रिपोर्ट हिंदी में भी थी जबकि तीस तारीख को अंग्रेजी में रखी गई। उसको दूरदर्शन में प्रसारित किया गया है। यह दूरदर्शन नहीं बल्कि दुरुपयोग दर्शन है। उस रिपोर्ट को समिति के 19 मैम्बरों ने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरे पार्ट को रिपोर्ट को प्रसारित किया गया जबकि दूसरा पक्ष छूट गया है। इसको दूरदर्शन पर प्रसारित करें।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री सूरज मंडल : इलैक्ट्रोनिक मीडिया ने लोगों को कन्फ्यूज कर दिया है। (व्यवधान)

———

1.08 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :

(1) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1710/92]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 1992 जो 11 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 94(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1711/92]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना तथा झारखंड मामलों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री एम० एम० जैकब की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या यू-14011/160/89-दिल्ली जो 5 दिसम्बर, 1991 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू-141011/160/89-दिल्ली (1) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) झारखंड मामलों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1712/92]

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : प्रो० पी० जे० कुरियन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1713/92]

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1714/92]

हिन्दुस्तान ओरगनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : मैं हिन्दुस्तान ओरगनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1715/92]

1992-93 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदानों की मांगें

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1716/92]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और उद्योग मन्त्रालय तथा भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1717/92]

(2) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1718/92]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के वर्ष 1992-93 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1992-93 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1719/92]

1.10 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

1.11 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.12 म० प०

प्राक्कलन समिति

चौदहवां प्रतिवेदन
और
पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) —औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड सम्बन्धी प्राक्कलन समिति के (नौवीं लोक सभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी चौदहवां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मन्त्रालय—वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, उड़ीसा राज्य 1936 में बना था। क्या मैं यह प्रस्ताव कर सकता हूं कि यह सभा उड़ीसा दिवस के उपलक्ष्य पर उड़ीसा की जनता को शुभकामनाएं भेजें ?

1.15 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए पम्बाई नदी को तम्बरावरम और वेनाई नदियों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री आर० अनुबकोडी आदित्यन(तिरुचेन्दुर) : महोदय, तिरुचेन्दूर, सात्तेनकुलम, हुंगानेरी, राधापुरम तालुक पीने के पानी की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं और लाखों लोगों को पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो गया है। इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की अत्याधिक कमी है और इस जल में खारापन भी है।

प्रत्येक वर्ष केरल के सीमावर्ती जिलों से छह सौ टी० एम० सी० पानी अचनकोली और पंबई नदियों से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए आखिकार सागर में जा गिरता है और इस प्रकार बेकार चला जाता है। पंबई नदी से, 110 टी० एम० सी० अतिरिक्त जल में से कम से कम 25 टी० एम० सी० जल को तंबारम और वागई नदियों से जोड़कर इसका प्रवाह बदला जा सकता

है जिससे न केवल सेंथाकुलम तिरूचेन्दर, नगनातेरी और राधापुरम को पीने का पानी मिल सकेगा अपितु देश के दक्षिणी भाग के जिले चिदम्बरनर, कन्याकुमारी, रामनाद आदि भी लाभान्वित हो सकेंगे।

कुछ समय पूर्व उन क्षेत्रों का, जहां पेयजल की कमी है, सर्वेक्षण करने और प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने जाने माने लोगों की एक समिति का गठन किया था। अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शीघ्र ही इस मामले पर ध्यान दें और पंबई नदी के अतिरिक्त जल की दिशा को मोड़े जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी मिल सके।

(दो) तुंगभद्रा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने और इसके लिए धन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : तुंगभद्रा नदी पर प्रस्तावित पुल जिन चार जिलों को जोड़ेगा वे हैं, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, धारवाड़ और रायपुर, और इससे अस्सी किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। यह पुल राज्य राजमार्ग से भी जुड़ता है जो एक महत्वपूर्ण सड़क हैं और इससे चार जिलों के लोगों को लाभ पहुंचता है जिसमें बेल्लारी जिला भी शामिल है। माननीय जल-भूतल परिवहन मंत्री ने इस कार्य को चालू वर्ष में प्रारम्भ करने के लिए राजकीय कोष या केन्द्रीय आरक्षित निधि में से सहायता लेने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही केन्द्रीय आरक्षित निधि कार्यक्रम में से ही कोई धन उपलब्ध कराया गया है। अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस पुल के निर्माण की अनुमति चालू वर्ष में ही मिल जाए और केन्द्रीय आरक्षित विधि कार्यक्रम के अंतर्गत धन भी उपलब्ध करा दिया जाए।

(तीन) असम में लीलाबाड़ी के लिए बोइंग विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री बालिन कुली (लखीमपुर) : इस समय वायुदूत की सेवाएं गुवाहाटी और लीलाबारी, लखीमपुर के बीच उपलब्ध हैं। लेकिन यह सेवा बहुत अनियमित है। कभी यह चालू होती है और कभी नहीं जिसके फलस्वरूप यात्रियों को विशेषकर संसद सदस्यों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि ऐन मौके पर बिना किसी पूर्व सूचना, उड़ान रद्द कर दी जाती है, जिसके कारण वे गुवाहाटी से मिलने वाली उड़ान को नहीं पकड़ पाते हैं। इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता का पूर्ति हेतु बोईंग सेवाओं का शुरू किया जाना बहुत आवश्यक है। यह इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।

अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि लीलाबारी आसाम के लिए शीघ्र ही बोईंग सेवा शुरू करें।

(चार) टेलीफोन के बिलों को हिन्दी में तैयार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : भारत सरकार की यह नीति रही है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का अधिकतम काम हिन्दी में हो। एक समय था

जब टेलीफोन के बिल हाथ से बनाए जाते थे। सरकार की नीति के अनुसरण में अनेक कार्यालयों में ऐच्छिक हाथ से हिन्दी में बनाए जाने लगे। फिर जब ये बिल एड्रमा मशीन द्वारा बनने आरम्भ हुए तब फिर से बिल अंग्रेजी बनने लगे क्योंकि उस समय उस मशीन की प्लेटें अंग्रेजी में बनती थीं। बाद में सार्वजनिक संस्थाओं के आग्रह से तथा सरकार के प्रयत्नों से भी उन प्लेटों को हिंदी में बनवाने की व्यवस्था हुई। परिणामस्वरूप जिन कार्यालयों में उस मशीन की प्लेटें हिन्दी में बनवाने की व्यवस्था हुई। वहां टेलीफोन बिल फिर से हिन्दी में बनने लगे। कम्प्यूटर के आगमन के पश्चात् गंगा फिर उल्टी बहने लगी। यह कह कर कि कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिन्दी को हटाकर बिल फिर से अंग्रेजी में बनाए जाने लगे। यह स्थिति अब भी जारी है।

भारत सरकार यह नीति निर्णय ले चुकी है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक यंत्र इस प्रकार के होने चाहिए कि उनमें देवनागरी लिपि का भी प्रयोग हो सके। देश में अब ऐसे कम्प्यूटर बनाए जा रहे हैं जिनमें हिन्दी में काम हो सकता है। फिर भी हिन्दी भाषी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को परेशानी भी होती है तथा यह स्थिति सरकार की भाषा नीति के प्रतिकूल भी है। हमने जब इस बात की ओर दिल्ली के महानगर टेलीफोन निगम लि० का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने अपने उत्तर में यह सूचित किया है।

> "इस कार्यालय में टेलीफोन के बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए जाते हैं क्योंकि हिन्दी भाषा में कम्प्यूटर प्रणाली अभी विकसित/उपलब्ध नहीं है इसलिए हिन्दी में टेलीफोन के बिल तैयार करना असम्भव है।"

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस तथ्य का पता लगाया जाए, क्या टेलीफोन के बिल हिन्दी में तैयार किए जाना सचमुच "असम्भव" है। संभवतः अन्य देशों में टेलीफोन के बिल अरबी, रूसी, चीनी, जापानी, हीब्रू आदि भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। यदि ऐसा उन देशों में हो सकता है तो भारत में इस प्रकार के बिलों को हिन्दी में तैयार किया जाना चाहिए।

(पांच) पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के सैकड़ों पर्यटन स्थल हैं किन्तु समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण ये ध्वस्त होते जा रहे हैं। यदि इन्हें भी अमृतसर जैसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग उपलब्ध होता तो अवश्यमेव यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करता और प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित किया जा सकता था। बिहार ही एक ऐसा अद्वितीय प्रदेश है जहां 23 बुद्धिस्ट देशों की मिनिस्ट्री है। बिहार का बोधगया, वैशाली, पटना, बुद्ध, जैन तथा सिख धर्मों का तीर्थ-स्थल है। साथ ही ऐतिहासिक महत्व का भी स्थान है। उत्तरी बिहार में भी कम्हिारा पाटा का मंदिर, सोनपुर का गजग्राह क्षेत्र प्रथम गणतंत्र की स्थली वैशाली, प्राचीनतम नालन्दा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा राजगीर मुंगेर के गर्मपानी के स्रोत इत्यादि अनेकानेक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल हैं। परन्तु यातायात की सेवा की कमी होने से पर्यटन का विकास नहीं हो पाता जिससे बिहारवासियों को तो आर्थिक तथा सांस्कृतिक हानि होती ही है, देश को भी इन पर्यटन केन्द्रों से उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा का लाभ नही हो पाता है। बिहार के केवल दो शहर पटना तथा रांची ही वायु सेवा से जुड़ा है तथा ये हवाई पट्टियां अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की नहीं हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार के पर्यटन के महत्व को देखते हुए पटना हवाई अड्डा को विश्व बैंक की मदद से अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही मुजफ्फरपुर शहर को भी हवाई सेवा से जोड़ने की कृपा करें।

(छ:) पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के आवेदनकर्ताओं को गैस के और अधिक कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में व्याप्त खाना पकाने की गैस कनेक्शनों की भारी कमी की ओर दिलाना चाहूंगा। समूचे राज्य में वर्ष 1985 से खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। आजकल डीलर खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शनों की बुकिंग मात्र इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

इस समस्या के हल हेतु मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करूंगा कि वह एल० पी० जी० गैस डीलरों की संख्या बढ़ाए जिससे शीघ्र ही राज्य में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों हेतु आए आवेदनों पर जल्द ही कनेक्शन दिए जा सकें। उन्हें डीलरों को खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन बुकिंग करने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी करने चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल में खाना पकाने की गैस की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम किया जाए।

(सात) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, वन एवं पर्यावरण विभाग, मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डेजर्ट) डेवलपमेंट प्रोग्राम के अधीन भिन्न-भिन्न राज्यों में अनेक योजनाएं चला रहा है और कुछ राज्यों में ऐसी योजनाएं चलाने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में वृक्षों की कटाई के कारण भूमि का कटाव बहुत अधिक बढ़ गया है और इस जिले में से बहने वाली स्वां नदी में जिसमें कि छोटी-छोटी और 73 नदियां शामिल होती हैं, हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है जिससे जान-माल की हानि तो होती ही है, साथ-साथ हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि रेत से भर जाती है और लहलहाती फसलें बह जाती हैं। इस भीषण बाढ़ के कारण जहां एक ओर जान-माल तथा भूमि की हानि होती है वहीं दूसरी ओर इस सारे क्षेत्र का पर्यावरण भी विकृत हो रहा है।

यदि वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जाए और इस कार्यक्रम के अधीन वहां योजना चलाई जाए तो इससे जहां एक ओर बढ़ता हुआ मरुस्थल रुकेगा वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपयों की होने वाली जान-माल की हानि से बचा जा सकेगा तथा 28,000 हैक्टेयर योग्य भूमि को इस स्वां नदी तथा इसके साथ लगने वाली छोटी-छोटी 73 नदियों में बाढ़

के कारण मरुस्थल बनी हुई है, उसका उपजाऊ भूमि के तौर पर विकास किया जा सकता है। इस भूमि में इतना गन्ना और मूंगफली पैदा होगी जिसके आधार पर चीनी की मिलें तथा वनस्पति घी की मिल वहां स्थापित की जा सकती है तथा पर्यावरण भी ठीक हो सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेकर डेजर्ट डेवलपमेंट स्कीम के तहत अधिक से अधिक सहायता दी जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों का हानि से बचाया जा सके तथा देश के अन्य अनेक भागों को अन्न भी प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.25 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म० प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.27 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.27 म० प०
पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री एम० एम० जैकब वक्तव्य देंगे।

2.28 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(एक) फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद में हुआ बम विस्फोट

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, फैजाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश सरकार को टैलीफोन द्वारा सूचित किया है कि 31 मार्च, 1992 की प्रातः लगभग पौने पांच बजे, फैजाबाद शहर के कसाईबाड़ा मौहल्ले की एक पुरानी मस्जिद में जिसकी मरम्मत की जा रही थी, एक बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट के कारण मस्जिद के पिछले भाग की दीवार में एक छेद हो गया तथा मस्जिद की छत और अन्य दीवारों पर दरारें आ गईं। आस-पास के 3 मकानों में भी दरारें आ गईं। दो व्यक्तियों को मामूली चोटें पहुंचीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि इस सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया जा रहा है। अभी यह कहा जाना सम्भव नहीं है कि बम किसी व्यक्ति द्वारा फेंका गया अथवा यह मस्जिद में घटना घटित होने से पहले रखा हुआ था। इसमें आतंकवादियों का हाथ प्रतीत नहीं होता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया गया है।

घटना के तुरन्त बाद एक वर्ग के लोगों में कुछ असन्तोष व्याप्त था और उन्होंने मांग की कि अपराधियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाए।

जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस द्वारा गश्त लगाई जा रही है।

फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि बम विस्फोट की घटना के बाद मस्जिद में 60-65 व्यक्तियों द्वारा सामान्य रूप से नमाज पढ़ी गई। इस घटना के कारण वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव परिलक्षित नहीं होता। जिला प्रशासन ने स्थानीय जनता को यह आश्वासन भी दिया है कि अभियुक्तों का पता लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच, मस्जिद के प्रबन्धकों के परामर्श से मस्जिद को जो क्षति पहुंची है, उसकी मरम्मत का कार्य कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

2.30 म० प०

(दो) बोफोर्स मामले की जांच में हुई प्रगति

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, पिछले कुछ दिनों से कई माननीय सदस्यों ने बोफोर्स सौदे के जांच कार्य में हुई प्रगति की नवीनतम स्थिति और विशेषकर फरवरी, 1992 में स्वीडन के समाचार पत्रों में प्रकाशित कतिपय रिपोर्टों और फिर हमारे यहां के समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के संदर्भ में नवीनतम स्थिति जाननी चाही है। यह आशंका व्यक्त की गई है कि जांच-कार्य के सम्बन्ध में आगे गंभीरता से कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मैं इस सम्मान्य सदन को मामले की नवीनतम स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को सही तथ्यों की जानकारी हो सके। तथापि यहां यह उल्लेखनीय है कि यह मामला भारत और विदेशों के न्यायालयों में विचाराधीन है।

जैसा कि इस सम्मान्य सदन को विदित है बोफोर्स सौदे की जांच का काम अब भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के ही पास है। ब्यूरो ने 8 नवम्बर, 1988 को प्रारम्भिक जांच के लिए इस मामले को दर्ज किया था। सम्मान्य सदन को स्मरण होगा कि 20 फरवरी, 1989 को भारत सरकार और संघीय स्विस सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आपराधिक मामलों में दोनों सरकारें एक दूसरे की मदद करेंगी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि फरवरी, 1989 और अक्तूबर, 1989 में स्विस प्राधिकारियों को दो अनुरोध-पत्र भेजे गए थे। तत्पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 22 फरवरी, 1990 को यह मामला विधिवत रूप से दर्ज किया।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले को स्विस और स्वीडन के प्राधिकारियों के साथ उठाकर, जांच पड़ताल में उनकी सहायता मांगी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इन प्रयासों से स्विस प्राधिकारियों ने 26 जनवरी, 1990 को स्विस बैंक के कुछ खातों पर रोक लगा दी। 7 फरवरी, 1990 को दिल्ली के एक विशेष न्यायाधीश ने अनुरोध-पत्र जारी किया जो स्विस प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया। जेनेवा और ज्यूरिख में मामले की जांच करने वाले न्यायाधीशों ने अनुरोध-पत्र स्वीकार कर लिए। उसके बाद ज्यूरिख और जेनेवा के कंटोनल न्यायालयों में कुछ पार्टियों ने अपील दायर की। अब मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि स्विटजरलैण्ड और भारत के न्यायालयों में इस मामले में आगे क्या प्रगति हुई और स्वीडन को इस मामले में मदद देने के लिए क्या अनुरोध किया गया।

ज्यूरिख : ज्यूरिख के कंटोनल न्यायालय ने वह अपील खारीज कर दी जो उसके यहां दर्ज करायी गई थी। परिणामत: मैसर्स बोफोर्स से राशि प्राप्त करने वालों में से एक, मैसर्स ए० ई० सर्विसेज लि०, के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और लाभ प्राप्तकर्ताओं ने स्विटरलैण्ड के संघीय न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की। वह अपील भी 13 नवम्बर, 1990 को खारिज कर दी गई। उसके बाद 13 दिसम्बर, 1990 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ज्यूरिख के नोर्डफिनान्ज बैंक में मैसर्स ए० ई० सर्विसेज लिमिटेड के बैंक खाते से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कीं। तत्पश्चात् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्विस प्राधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस खाते के लाभ-प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए और आगे जांच-पड़ताल करें।

जेनेवा : जेनेवा में कुछ खातों पर रोक लगाए जाने के विरुद्ध कुछ प्रभावित पार्टियों ने जेनेवा के कंटोनल न्यायालय में 9 अप्रैल, 1990 को अपोल (अपीलें) दर्ज कराई। इन मामलों का भारत के न्यायालयों में दायर की गई अपीलों से सम्बन्ध था, जिसका कि मैं बाद में उल्लेख करूंगा। जेनेवा के न्यायालयों में अपील सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई और न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अनुरोध-पत्र में पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए 60 दिन का समय दिया और अनन्तिम उपाय के रूप में खातों पर रोक जारी रखी। 30 अगस्त, 1990 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्विस प्राधिकारियों को संशोधित अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसे मामले की जांच कर रहे न्यायाधीश ने 19 सितम्बर, 1990 को सही पाया। उस आदेश के विरुद्ध कुछ प्रभावित पार्टियों द्वारा अपील दायर किए जाने पर जेनेवा के कंटोनल अपील दण्ड न्यायालय ने 23 जनवरी, 1991 को एक आदेश जारी करके अनुरोध पत्र पर विचार करना तब तक के लिए रोक दिया था, जब तक कि भारतीय न्यायिक प्राधिकारी अपना निर्णय घोषित नहीं कर देते। स्विस कानून के अन्तर्गत कोई भी विदेशी सरकार या उसके अधिवक्ता को सम्बन्धित स्विस न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार नहीं है। फिर भी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्विस संघीय सरकार के न्याय और पुलिस विभाग, बर्न में हमारे दूतावास और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील के माध्यम से इस मामले को स्विस प्राधिकारियों के साथ उठाए हुए हैं, ताकि अनिर्णीत अपीलों पर शीघ्र निर्णय प्राप्त हो सकें।

भारत : 18 अगस्त, 1990 को भारत में श्री एच० एस० चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन दायर की जिसमें उन्होंने बोफोर्स सौदे के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट और भारतीय न्यायालयों द्वारा जारी किए गए अनुरोध पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की। कुछ राजनीतिक दल भी उच्च न्यायालय में दायर उक्त मामले में पक्षकार बन गए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 दिसम्बर, 1990 को श्री एच० एस० चौधरी और अन्य पक्षकारों की याचिका को रद्द कर दिया, परन्तु साथ ही मामले को देखते हुए न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को और भारत सरकार को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्यों न रद्द कर दिया जाए।

न्यायालय के उक्त आदेश पर विभिन्न राजनीतिक दलों, श्री एच० एस० चौधरी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो/भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में 8 क्रिमिनल अपीलें और एक रिट याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 27 अगस्त, 1991 के अपने आदेश में इन पर अपना निर्णय दिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की क्रिमिनल अपील को छोड़कर शेष सभी अपीलों को इस

आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं को इस मामले में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अपील को मंजूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इससे सूचना रिपोर्ट और अनुरोध-पत्र पर कोई असर नहीं पड़ता और इन पर कानून के अनुसार आगे कार्रवाई जारी रखी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिए जाने के तुरन्त बाद स्विस प्राधिकारियों को इस बारे में बर्न में हमारे दूतावास के माध्यम से 30 अगस्त, 1991 को तदनुसार सूचित कर दिया गया। बाद में 12 सितम्बर, 1991 को उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिए बर्न में हमारे दूतावास को भेजी गई, ताकि वह उन्हें आगे स्विस प्राधिकारियों को भेज सकें। हमारे दूतावास ने इस आदेश को उसके फ्रेंच अनुवाद के साथ स्विस संघीय सरकार के न्याय एवं पुलिस विभाग को 19 सितम्बर, 1991 को दे दिया और फिर उस विभाग ने उसे जेनेवा में बोफोर्स सौदे के सम्बन्ध में जांच करने वाले न्यायाधीश को 23 सितम्बर, 1991 को दिया, ताकि इस सम्बन्ध में न्यायिक कार्रवाई फिर से जारी की जा सके।

इस बीच 12 सितम्बर, 1991 को श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दायर की, जिसमें उच्चतम न्यायालय से यह प्रार्थना की गई कि वे इस मामले में अपना ब्योरेवार निर्णय अभी रोक दें। उच्चतम न्यायालय ने उनकी यह याचिका रद्द कर दी। तथापि श्री चड्ढा ने 9 सितम्बर, 1991 को दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका दायर कर रखी थी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके आधार पर की गई कार्रवाई तथा उसके अन्तर्गत जारी आदेशों को, जिनमें अनुरोध पत्र भी शामिल थे, रद्द करने और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले में और आगे जांच-पड़ताल करने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया था। उनकी यह रिट याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई और उस पर अभी फैसला किया जाना है। तथापि, न्यायालय ने इस मामले में की जा रही जांच-पड़ताल को स्थगित कर देने का आदेश नहीं दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त, 1991 के उच्चतम न्यायालय के आदेश की एक प्रति बर्न में हमारे राजदूत को भेजते समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के बाद श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने तथा जांच को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अनुरोध पत्रों पर श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा द्वारा दायर की गई किसी नई याचिका से किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जेनेवा कंटोनल न्यायालय में चल रही कार्रवाई पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह भी बताया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच स्थगित करने के आदेश नहीं दिए हैं। जेनेवा में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिवक्ता मिस्टर मार्क बोनांट को तदनुसार सूचित कर दिया गया और मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए 17 सितम्बर, 1991 को श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका की प्रति उन्हें भेज दी गई।

स्वीडन में जांच-कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए 2 अप्रैल, 1990 को स्वीडन के प्राधिकारियों को अनुरोध पत्र भेजा गया। स्वीडिश प्राधिकारियों द्वारा 24 मई, 1990 को स्वी-

डिश नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट की पूरी प्रति केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस अनुरोध के साथ दे दी गई कि उसके वर्गीकृत भाग की गोपनीयता बनाए रखी जाए। 26 मई, 1990 को स्वीडन की सरकार को इस बात से अवगत करवाया गया था कि भारत सरकार उक्त रिपोर्ट का समस्त पाठ संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है। भारत में स्वीडन के राजदूत ने यह सूचित किया कि स्वीडन की सरकार ने भारत सरकार की स्थिति को गम्भीरता से लिया है क्योंकि स्वीडन के गोपनीयता सम्बन्धी कानून के अनुसार रिपोर्ट का वर्गीकृत भाग अभी भी गुप्त रखा गया है। स्वीडन की सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया था कि यदि भारत सरकार रिपोर्ट के गोपनीय भाग का प्रचारित करने का आग्रह करेगी तो वह इसे विश्वासघात का एक गम्भीर मामला मानेगी, जिससे निःसन्देह स्वीडन की सरकार अन्य वर्गीकृत अथवा संवेदनशील दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएगी जो भारत सरकार ने उससे मांगे हैं। तदनुसार भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी वचनबद्धता का निर्वाह करने का निर्णय लिया।

अनुरोध पत्रों की जांच करने के बाद स्वीडन की सरकार ने 14 जून, 1991 को अपने इस निर्णय से अवगत कराया कि मिस्टर लार्स रिंगबर्ग, डिस्ट्रिक्ट प्रासीक्यूटर, स्टॉकहोम द्वारा प्राथमिक जांच कार्य पुनः शुरू किए जाने के लिए वे सहमत नहीं हैं। तत्पश्चात्, स्टॉकहोम में हमारे अधिवक्ता से विचार-विमर्श करने के बाद डिस्ट्रिक्ट प्रासीक्यूटर के उक्त निर्णय के खिलाफ 2 मार्च, 1992 को एक अपील दायर की गई। स्वीडन के प्रॉसीक्यूटर जनरल ने 10 मार्च, 1992 को यह अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि मामले को पुनः उठाने के औचित्य को सिद्ध करते हुए कोई नए तथ्य सामने नहीं लाए गए हैं।

जहां तक इस आशंका का सम्बन्ध है कि सरकार जांच-कार्य में बाधा डाल रही है और सरकार ने मामले पर आगे कार्रवाई न करने के लिए स्वीडन के प्राधिकारियों को कोई संकेत कर दिया है, सरकार इन सभी आरोपों का जोरदार शब्दों में खण्डन करती है। वास्तव में 23 मार्च, 1992 को जब सर्वप्रथम एक भारतीय समाचार-पत्र में यह सूचना प्रकाशित हुई कि स्वीडन के प्राधिकारियों से बोफोर्स जांच बन्द करने के लिए कहा गया है, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्विस संघीय सरकार के न्याय और पुलिस विभाग को 24 मार्च, 1992 और 26 मार्च, 1992 को निम्नलिखित आशय के पत्र भेजें :

(1) जांच कार्य जारी रखने में पूरी रुचि लेने के लिए कहा गया तथा यह भी अनुरोध किया गया कि वे इस मामले पर कंटोनल न्यायालय और स्वीडन के अन्य स्विस प्राधिकारियों के साथ तत्परता से कार्रवाई करें।

(2) पुनः यह स्पष्ट किया गया कि : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने 27 अगस्त, 1991 के आदेश के तहत यह मत व्यक्त किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और अनुरोध पत्रों पर श्री डब्ल्यू० एन० चड्ढा द्वारा दायर की गई याचिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उससे उच्च न्यायालय में श्री चड्ढा की अनिर्णीत याचिका से जेनेवा कंटोनल न्यायालय में चल रही जांच पर भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, (ख) यह भी स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय ने भी जांच-कार्य को स्थगित करने के आदेश नहीं दिए हैं, (ग) इस बीच समय बीतने और भारत में राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद स्वीडन के

प्राधिकारी के जांच-कार्य में तत्परता से सहायता देने के बारे में भारत सरकार के अनुरोध में कोई परिवर्तन नहीं आया है, (च) भारत सरकार स्वीडन के प्राधिकारियों से बोफोर्स के मामले में तत्परता से सहायता देने का आग्रह बराबर करती आ रही है।

इस प्रकार आप देखेंगे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में निरन्तर तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। इस वर्ष फरवरी में स्विटजरलैण्ड की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने वहां के विदेश मंत्री को जो नोट दिया था, उसके बारे में उनके द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य से माननीय सदस्य अवगत हैं। विदेश मंत्री ने पहले ही इस सम्बन्ध में अपनी ओर से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए सदन के समक्ष खेद प्रकट कर दिया था। अतः इस मामले में सरकार की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। सरकार अपने इस इरादे पर दृढ़ है कि इस मामले पर न्यायसम्मत कार्रवाई ही की जाएगी और जांच करने वाली एजेंसी कानून के अनुसार ही कार्रवाई करेगी।

———

2.40 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

बोफोर्स तोप सौदे की जांच

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे। श्री अमल दत्त बोलेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, रक्षा मन्त्री द्वारा अभी-अभी 20 मिनट का जो वक्तव्य दिया गया है, दुर्भाग्यवश उसके फायदे से हमें अवगत नहीं कराया गया है। तिथियों की संख्या तथा तथ्य सम्बन्धी आंकड़े बताए तो गए हैं, लेकिन वह जो कर सकते थे, वह नहीं किया गया। जैसे भारत सरकार का इस विषय में क्या दृष्टिकोण रहा है, इससे अवगत होने का हमें लाभ नहीं दिया गया।

हमें संदेह है और इन्हीं सन्देहों की वजह से, हम सभा में चर्चा कर रहे हैं, अपनी आवाज इतनी उठा रहे हैं, जितनी संभव हो सकती है। और यह सब सभा के नियमों और प्रावधानों के अधीन कर रहे हैं। मुझे इस तथ्य का उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि रक्षा मन्त्री को सभा में जो वक्तव्य देने के लिए अनुमति दी गई थी, वह सभा के नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। ठीक इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा आरम्भ करता, उन्हें इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए अनुमति दे दी गई।

यह सभा के नियमों और प्रावधानों को ताक पर रखने के बराबर है। सत्य से हमें अवगत कराकर तथा उक्त वक्तव्य की अग्रिम प्रतिलिपि हमें देकर यह स्थिति संभाली जा सकती थी। मैं अब अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह रक्षा मन्त्री को उन सभी दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखने को कहें जिनका और जिनके तथ्यों का उन्होंने अपने वक्तव्य में हवाला दिया है। यह नियमों के अधीन है और वह वैसा करने के लिए बाध्यकर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मान लिया जाए कि रक्षा मन्त्री ने अपना वक्तव्य नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में आप बिना उनके वक्तव्य जारी किए ही बोलते।

श्री अमल दत्त : यही कारण है कि मैंने कहा है कि यदि वह ऐसा वक्तव्य पहले ही जारी कर देते तो कदाचित वह इन परिणामों से बच सकते थे। सभा में नियमों को ताक पर रख कर बोलने का यह अनिवार्य परिणाम है। अब हमारा अधिकार बनता है कि हम उनसे कहें कि सभा पटल पर वह उन सभी दस्तावेजों को रख दें और वह ऐसा करने के लिए बाध्य भी हैं। (व्यवधान) उन्होंने इन सभी दस्तावेजों का हवाला दिया है। इन दस्तावेजों से ही तो उद्धरण दिया गया है। उन्होंने प्रत्येक दस्तावेज से प्रसंग उद्धृत किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त, आप वक्तव्य ले सकते हैं, आप यह रेखांकित करें कि किन दस्तावेजो से उन्होंने क्या प्रसंग उद्धृत किया है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : वह कहते रहे हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने 23 मार्च को लिखे पत्र में निवेदन किया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सत्य है। आप जानते हैं कि नियम 193 के अधीन आप चर्चा आरंभ करें और वह आपको जवाब देंगे। वह कदाचित सोच रहे थे कि इससे आपको इस विषय पर चर्चा करने में मदद मिलेगी और इसलिए उन्होंने एक वक्तव्य फिर दिया है। आपको इस पर चर्चा करने की अनुमति है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : यह आप पर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। आप सभा के विशेषाधिकार के रक्षक हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैंने आपको यह बात बताई थी कि यदि वे उन्हें सभा पटल पर रखते हैं तो उससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यह सभा का नियम है। यदि आप इससे हट जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके हकदार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप अपना भाषण दें आप दस्तावेज अपने पास रखिए और जिससे उन्होंने उद्धृत किया है उसे रेखांकित कीजिए। मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : इस आश्वासन के आधार पर अब मैं आगे बढ़ता हूं।··· (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने जो निवेदन किया है, हमारी राय यह है कि यह निवेदन पहले नहीं आना चाहिए था। अब जब निवेदन हो गया है तो आप जानते हैं कि यह बहस किस सन्दर्भ में आज करने का मौका दिया है। जिस दस्तावेज को लेकर, कागज को लेकर, आप चाहे जो उसका नाम रखें, लेकिन विदेश मन्त्री का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा स्वीकार हो गया, वह दस्तावेज अब तक इस सदन

के सामने नहीं आता, तब तक सरकार की किसी भी बात पर हम लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए अब माननीय सदस्य श्री अमल दत्ता जी ने कहा कि रक्षा मन्त्री जी को बयान के साथ-साथ उससे जुड़े हुए सारे दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखने चाहिए, वहीं मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि जिस दस्तावेज को लेकर पिछले कुछ दिनों से इस सदन में विवाद चल रहा है, जिसके लिए विदेश मन्त्री जी का इस्तीफा भी हुआ है, वह दस्तावेज हम लोगों के हाथों में आना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष जी जो अन्य जानकारी रक्षा मन्त्री जी हम लोगों को दे सकते हैं, वह जानकारी भी यहां पर आनी चाहिए थी, वरना यह बहस जो चीजें हो चुकी हैं, पिछले कई दिनों से, कई सालों से जो चर्चा हो चुकी है, वहीं तक यह चर्चा सीमित रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नोटिस भी दिया है, कल जो मैंने नोटिस दिया था, आज का नोटिस भी आपको मिला होगा।

अध्यक्ष महोदय : आज का तो मिला है, कल कितने बजे दिया था ?

श्री आर्ज फर्नान्डीज : मैंने तो समय पर दिया था, आपको नहीं मिला तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कल 10 बजे पहुंचा दिया था, आपके पास पहुंचा भी था, इसकी भी मैंने जांच की है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो मैंने आपको नोटिस दिया है, उसके साथ मैंने एक चिट्ठी भी लिख कर भेजी है जिसमें यह कहा है कि 193 के अन्तर्गत जो बहस अभी होनी है, उसके साथ 184 के हमारे प्रस्ताव को भी साथ ले लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहूंगा कि यह किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री आर्ज फर्नान्डीज : यह नियम 184 के अन्तर्गत है।

अध्यक्ष महोदय : और नियम 193 और 184 के अन्तर्गत चर्चा साथ-साथ चलनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था कहां है ?

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, नियम तो सदन का काम ठीक तरह से करने के वास्ते हैं, अगर कोई नियम बाधा बन जाता है,··· (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, वही मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, प्वाइंट आफ आर्डर एक-एक कीजिए। पहला प्वाइंट आफ आर्डर डाकूमैंट के बारे में है। दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं कि आपने 184 के नीचे तो सूचना दी है वह ले सकते हैं।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : उसमें मेरा कहना यह है कि नियम इस सदन की प्रक्रिया को, सदन में बहस को और जिस मकसद को लेकर बहस है उस मकसद को पूरा करने के वास्ते है। अगर कहीं एकाध नियम बाधा बन जाता है तो मैं आपका ध्यान नियम 388 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सहमति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलंबित कर दिया जाए और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वह प्रासंगिक नियम समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।"

[हिन्दी]

मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि ये दोनों प्रस्ताव आपके सामने हैं। इन दोनों प्रस्तावों की इच्छा इतनी है नहीं, 193 के अन्तर्गत आपके पास नोटिस है और मेरा 184 के अन्तर्गत जो नोटिस है, इन दोनों का उद्देश्य है कि बहस हो, इसका कुछ निचोड़ निकले और जिस मुद्दे को लेकर समूचा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग आज परेशान हैं, अनेक लोग देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, हिन्दुस्तान के विदेश मन्त्री का इस्तीफा आज सारी दुनिया के अखबारों में छप कर आया है। विदेश मन्त्री अपने पद की गरिमा को न समझते हुए क्या-क्या काम कर रहे हैं, इसके ऊपर उनका इस्तीफा हो जाता है, तब सारी दुनिया इस सदन और हमारे देश की ओर देख रही है। मेरा जो प्रस्ताव है उसको अगर आप पढ़ेंगे, इसमें वही चीजें हैं जो 193 की बहस के चलते हम निकाल सकते हैं। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, इस वक्त आप हमें इजाजत दें कि इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा जाए। अगर आप बाद में रखवाना चाहते हैं तो वैसे होगा, मैं यह आप के ऊपर छोड़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप जैसा चाहें वैसा करें।

श्री जार्ज फर्नांडीज : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : डिसक्शन के बाद रख लें।

श्री जार्ज फर्नांडीज : ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन पहले मुद्दे पर आपने कुछ नहीं कहा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, व्यवस्था के प्रश्न को जो कुछ संविधान, कानून, नियमों और परम्पराओं में दिया गया है, उससे जोड़ना होगा, आपने संविधान, नियम और परम्परा के किसी भी प्रावधान को उद्धृत नहीं किया है, अब आप कहते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री ने वक्तव्य में यदि दस्तावेजों को उद्धृत किया है, तो उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने उद्धृत किया है······यह दस्तावेजों का उल्लेख नहीं है, तो उन्हें ये दस्तावेज सभा पटल पर रखने होंगे। यदि उन्होंने उद्धृत नहीं किया है और दस्तावेजों से निष्कर्ष निकाला है और उस निष्कर्ष के आधार पर वक्तव्य दिया है तो उन्हें इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। मुझे यही लगता है कि रक्षा मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कुछ उद्धृत किया है। अतः मैं नहीं समझता हूं कि यह व्यवस्था के इस प्रश्न पर लागू होगा, जहां तक दूसरे दस्तावेज का सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कृपया इसे सरल न बनाएं। मन्त्री जी ने दस्तावेज में इसकी व्याख्या की है।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दस्तावेज को सभा पटल पर क्यों रखा जाए ? इसलिए कि प्रत्येक शब्द, वाक्य, अर्द्धविराम को इससे मिलाया जाए और यह देखा जाए कि यह सही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इसका एक तकनीकी पहलू है। ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा आप उनसे पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसे नहीं। मुझे निर्णय करने दो। अब यह कानून का प्रश्न है। यदि कोई अन्य व्यवस्था है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : इस पर हम बाद में विचार करेंगे।

[हिंदी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। बोफोर्स का मामला जो इस समय उठा वह हमारे पूर्व विदेश मन्त्री द्वारा दिए गए नोट को लेकर उठा। सदन में यह मांग की गयी कि उस नोट को सदन को दिखाया जाए। उस नोट को सदन के पटल पर रखा जाए। हमें बताया जाए कौन-सा नोट था और उसमें क्या लिखा था, वह कहां से आया था, किसने विदेश मन्त्री को दिया था। रक्षा मन्त्री इन सारे प्रश्नों पर ऐसा मौन धारण करके बैठे हैं,···

मेरी समझ में नहीं आता कि उनका मौन भंग कराने के लिए किस उर्वशी को लाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका निर्णय चाहता हूं। यह सारी बहस अपना अर्थ खो देगी। यह बहस सार्थक नहीं होगी, अगर उस नोट के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आता। रक्षा मन्त्री से कहा जाए, उस नोट पर प्रकाश डालें।

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : नोट की बात यहां कही गई है। भूतपूर्व विदेश मन्त्री जी ने कहा है कि नोट की प्रति उनके पास नहीं है। एक ही कापी उनके पास थी और वह उन्होंने स्वीडन के फारेन मिनिस्टर को दी है और आज गवर्नमेंट के पास इसकी कापी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह एक गम्भीर मामला है। माननीय रक्षा मन्त्री ने अभी-अभी जो कुछ कहा है उसका मतलब है कि भूतपूर्व विदेश मन्त्री को उस नोट की विषय वस्तु की कोई जानकारी नहीं है जो उन्होंने स्विटजरलैंड के विदेश मन्त्री को दिया था और उन्होंने कहा कि उस नोट की प्रति अब उपलब्ध नहीं है। उन्हें केवल यह नोट देने के लिए कहा गया था, मैं भूतपूर्व विदेश मन्त्री द्वारा कल राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप हमें बताएं और हम आपको सुनने के बाद घर चले जाएं तो पूरी चर्चा निष्फल होगी। प्रश्न यह है कि आपने किस तरह से इसे कार्य-सूची में दर्ज किया है।

इसमें कहा गया है कि नियम 193 के अन्तर्गत बोफोर्स तोप सौदे की छानबीन के सम्बन्ध में ताजा स्थिति पर चर्चा। इनमें न्यायालय के वे मामले भी शामिल हैं जिन पर अभी विचार करना शेष है, और विदेश मन्त्री जी ने इस्तीफा देने से पहले, राज्य सभा में कहा था कि भारत में कोर्ट में लम्बित मामलों की स्थिति से सम्बन्धित यह नोट उन्हें एक वकील ने दिया था। इसका ये मतलब है कि वह यह जानते थे कि ये नोट भारत में लम्बित न्यायालय के मामलों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में ही ये पूरी चर्चा हुई थी कि किस तरह से यह कार्य किया गया। हमें उससे कैसे वंचित रखा गया ? वह नोट भारत में कोर्ट में लम्बित मामलों की स्थिति से सम्बन्धित है। क्या वो जांच-पड़ताल से सम्बन्धित है अथवा नहीं ?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : राज्य सभा में भी इसका जिक्र किया था। तब भूतपूर्व विदेश मन्त्री जी ने यह कहा था कि मेरे पास एक ही कापी थी और मैंने वह कापी वहां पर विदेश मन्त्री को दे दी है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जिस वकील ने वह नोट सौंपा था, उनका परिचय किसी ने करवाया होगा। आप उनके पास जाकर एक प्रति ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाडवाजी जी को अनुमति दे रहा हूं और उसके बाद श्री अमल दत्त जी को अनुमति दूंगा।

श्री अमल दत्त : यदि हर छोटी बात पर हर एक नेता बोलता रहेगा और उसके बाद रक्षा मन्त्री जवाब देंगे तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहां और कई विषयों पर बात करना है। मुझे अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री अमल दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि 1987 में, पहली बार मुझे और उस समय के सभा के मेरे सहयोगियों को 'बोफोर्स की जानकारी प्राप्त हुई थी। अप्रैल, 1987 से पहले, हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब अप्रैल, 1992 चल रहा है। हर वर्ष हम बोफोर्स पर कोई न कोई चर्चा करते रहे हैं। हमने कई घंटे, इस पर चर्चा की है। पांच वर्ष बाद, हम फिर से उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ? क्या सरकार हमें यह बता सकी कि इसमें हमने कहां तक सफलता प्राप्त की है ? उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को भेजा गया है, वह व्यक्ति वहां पर चला गया है और न जाने क्या-क्या कहा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वे कौन लोग हैं जिन्हें कमीशन मिला था। अब तो ये बात किसी से भी नहीं छिपी है कि कमीशन लिया और दिया गया है।

3.00 म० प०

संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले में रिपोर्ट दी थी, इसके बावजूद भी विपक्ष ने इसमें भाग नहीं लिया था। यह एक सच्चाई है।··· (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : उसमें भाग लेने से आपको किसने रोका था ? हां, आपने स्वयं ही अपने आपको रोका था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं, कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि उन सदस्यों के नाम जो कुछ कह रहे हैं, मेरे पास, सूची में है। यदि उन्हें कुछ कहना है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन, हमें एक-दूसरे के भाषण में रुकावट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे न तो हमें कोई लाभ होगा और न ही हम उन मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या मैं सभी सदस्यों से ये अनुरोध कर सकता हूं कि कोई भी सदस्य बीच में रुकावट डालकर सदस्यों को परेशान न करें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आपका भी नाम है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं किसी को भी उत्तेजित नहीं करना चाहता। (व्यवधान) मैं आशा करता हूं कि चर्चा के दौरान अनावश्यक उत्तेजना उत्पन्न नहीं होगी। मैं किसी को भी उत्तेजित नहीं करना चाहता और मुझे भी कोई उत्तेजित करने की कोशिश न करे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री अमल दत्त : महोदय, इस मामले में क्या हुआ था ? इसी बीच हमसे ये कहा गया था कि आठवीं लोक सभा में, 1988-89 के बीच यह संभव नहीं होगा। जब संयुक्त संसदीय समिति जांच-पड़ताल के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कमीशन दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि संसदीय समिति द्वारा इसका पता इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि केवल स्वीडन सरकार ही इसकी जांच कर रही थी और वे उन व्यक्तियों का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वे वाणिज्यिक गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 'बोफोर्स' एक कम्पनी थी और स्वीडिश सरकार उन व्यक्तियों के नाम बताने की स्थिति में नहीं थी, जिन्होंने रिश्वत या कमीशन लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि "ठीक है, हम इसके आगे नहीं जा सकते।" लेकिन हमने संसद में इसका विरोध किया कि सरकार को, सी॰ बी॰ आई॰ या विभिन्न जांच-पड़ताल एजेन्सियों के माध्यम से, जो कि सरकार के नियन्त्रण में हैं, कमीशन प्राप्त करने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए क्योंकि हमसे इस सभा में बार-बार कहा गया था कि सरकार ने, एजेंटों की नियुक्ति पर और उन्हें किसी भी रक्षा सम्बन्धी सौदे में कमीशन देने पर स्पष्ट रूप से निषेध लगा दिया।

दिसम्बर, 1984 में यह मामला उठाया गया और इस प्रकार का निषेध जारी किया गया। 1985 में इसे बार-बार दोहराया गया। ये बातें सभा में कही गई थीं। अतः सरकारी माध्यमों द्वारा इस बात की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करवाने की मांग करना कि कमीशन प्राप्त करने वाले कौन थे, इस सभा और विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में ही आता था। उस समय पहली बार यह सारी बात सामने आई। यह स्पष्ट था कि स्विस-बैंकों में धनराशियां जमा की गई हैं। हमें तत्कालीन सरकार द्वारा यह बताया गया था कि स्विस-बैंकों से यह पता लगाना असम्भव है कि किसी खाते का धारक कौन है क्योंकि उनके गोपनीयता बनाए रखने के कानून बड़े कठोर हैं और इतनी अधिक ग्राहक-गोपनीयता रखी जाती है कि एक विदेशी सरकार को तो क्या वे अपनी ही

सरकार को कभी भी यह नहीं बताएंगे कि खाते का धारक कौन है, किसके खाते में यह धनराशियां जमा की गयी हैं। हमें प्राप्त जानकारी से हो कुछ खातों के नाम पता चले हैं, जिनमें धनराशियां जमा हुई थीं परन्तु, सभा में इस प्रकार के वक्तव्य से, सरकार किसी प्रकार इसे प्रमाणित कर दिया है और हम जानते हैं कि सी० बी० आई० अथवा अन्य सरकारी अभिकरणों ने स्विस सरकार को कुछ पत्र लिखे थे, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। यह अपेक्षा की जाती है कि यह सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न हो। मंत्रिमंडलीय सरकार के प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार, मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश का शासन चलाने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करें। लेकिन इस सभा के पास, स्विस सरकार को उस समय क्या सूचना भेजी गयी थी, को जानने का कोई तरीका हीं नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने भारत सरकार जैसी एक सरकार के अनुरोध को ठुकराने की कृपा की थी। जब तक सरकार हमारे सम्मुख यह प्रस्तुत नहीं करती कि क्या अनुरोध किया गया था—उसमें क्या रहस्य छिपा था—तब तक हमारे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसके थोड़े ही समय बाद, 1990 में, हमें पता चला और आज का वक्तव्य भी यही बताता है कि सी० बी० आई० ने नियमित मामला दर्ज करा दिया था। मैं यह विवरण दिए गए वक्तव्य में से उद्धृत कर रहा हूं। हमने पाया है कि 22 जनवरी, 1990 को सी० बी० आई० द्वारा एक मामला दर्ज करवाया गया था। नियमित मामला दर्ज करवाने के चार दिन के भीतर ही, यह मामला स्विस सरकार के जांचकर्ता-दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसने सभी स्विस बैंक खाते—एक ज्यूरिच में और पांच खाते जनेवा में—जब्त करने के आदेश दिए। यह असाधारण बात है। मंत्री महोदय अब कहते हैं कि एक नियमित मामला दर्ज कर दिया गया था।

बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे पहला अनुरोध, बिना किसी मामले के दर्ज करवाए अथवा कोई अनियमित मामला जिस पर स्विस सरकार ने ध्यान देना उचित न समझा हो, किया गया था। यह स्पष्ट है। अतः, सरकार ने जो कार्य अपने हाथ में लिया था, उसे पूरा करने में अपने कर्तव्य को निभाया है अथवा नहीं इस पर बहस करने के लिए हमें उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। ये तथ्य जानना उचित होगा। मुझे यह जानकारी समाचार-पत्रों और समाचार-पत्रिकाओं से ही मिली है। सरकार कैसे कार्य कर रही है और विशेषकर बोफोर्स जैसे मामले के जांच-पड़ताल के मामले में, जिसने कम से कम 1989 के चुनावों में पार्टियों के चुनावी भाग्य को निर्धारित किया था, के बारे में जानने का क्या संसद के सदस्यों का यही तरीका है। मुझे विश्वास है कि यदि संसद में इन सभी दलों के नेता इस पर सोचना आरम्भ कर दें, तो उन्हें इस संसदीय प्रणाली की अपर्याप्तता और विशेष तौर पर हमारी संसद में हमारी सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध न करवाने से सरकार से संबंधित मामले पर चर्चा करने में हम कितने असमर्थ अयोग्य होते हैं, का पता लग जाएगा। सरकार कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। ऐसा किसी भी संसदीय प्रणाली अथवा किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में नहीं होता है।

पश्चिमी देशों में एक कहावत है। वे कहते हैं कि उगते सूर्य में सरकार। सभी कुछ साफ-साफ होना ही चाहिए। यह सरकार सब कुछ छुपाती है। यहां तक कि स्विस-सरकार को पत्र भी भेजे गए हैं। जब संसद में बहस चल रही होती है, तब सदस्यों को यह जानने का अधिकार नहीं है। हम कैसे कहने जा रहे हैं? हम क्या कहने जा रहे हैं? केवल एक वक्तव्य पढ़ दिया जाता है, हमें विश्वास करना पड़ता है कि जो कुछ भी उसमें कहा गया है, वह सही है। यह तो समझो

की बात है। सी० बी० आई० ने स्विस-सरकार को क्या करने के लिए कहा है, यह तो वक्तव्य देने वाले व्यक्ति के समझने की बात है। क्या हमको उसी के मार्गदर्शन में चलना है अथवा क्या हम सभा-पटल पर रखे गये दस्तावेजों के आधार पर हमारे अपने ही फैसलों को प्रयोग करने की अनुमति है? इसका आपको निर्णय करना ही चाहिए। मैं प्रत्येक दल और सभी दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें। इस प्रभुसत्ता-सम्पन्न संसद में हम इन बातों पर कब तक बहस करते रहेंगे और इस प्रकार की अनावश्यक बहस में भारत की गरीब जनता का करोड़ों रुपया बेकार करते रहेंगे ?

आज, मैं किस आधार पर बहस कर रहा हूं। इस वक्तव्य के सिवाय, उन्होंने हमें दिया ही क्या है ? वक्तव्य के आरम्भ में, यह कहा गया था कि क्योंकि जानकारी दी जा चुकी है, अतः, यह जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छी बात है; मैं उसकी सराहना करता हूं। यह जानकारी हमें बताए गए सभी दस्तावेजों सहित पहले ही दी जानी चाहिए थी। इस देश के खातिर, भारत के खातिर, उन लोगों की खातिर जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें यह जानकारी प्राप्त करने का हक है। यह कोई मेरा अहम् नहीं है कि मैं सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करूं। ऐसा इस कारण से नहीं है। अतः, बहुत-सी बातें की जानी हैं। इस प्रकार की संसदीय-प्रक्रिया में, हम सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। यह तो केवल हंसी-मजाक के लिए है। यह लोकतंत्र नहीं है। कई देशों में ऐसी संसदें हैं जहां पर सैकड़ों वर्षों से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और हमने अपनी इच्छा से उस स्थिति को स्वीकार किया है। महोदय, हमने देखा है कि इस चमत्कार की शुरुआत के साथ ही अदालतों से मुकदमे दायर किए गए हैं। चार दिन के अन्दर ही सभी खातों को बन्द कर दिया गया। जेनेवा स्थित पांच खातों के सम्बन्ध में पत्र भेजे गए और ऐसा करने में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने यह पता कर लिया था कि एक और भी खाता है जिसके बारे में उससे पूर्व कुछ भी नहीं बताया गया था। मैं जनवरी-फरवरी, 1990 की बात कर रहा हूं। सी० बी० आई० के सूचना स्रोत भी उस हद तक अक्षम हो गए थे। छठे खाते के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता था कि खातेधारी का नाम भी कोई नहीं जानता है परन्तु उन्होंने किसी प्रकार से उस खाते को भी बन्द करवा दिया। स्विस अधिकारियों ने भी इस अनुरोध को मान लिया कि इन व्यक्तियों में से यदि किसी के भी नाम पर कोई खाता है तो उस खाते को भी बन्द कर दिया जाए और वहां पर एक ऐसा खाता मौजूद है जिसमें बड़ी धनराशि जमा है और जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं और यदि मेरी बात गलत निकलेगी तो इसका मुझे अफसोस होगा। यह राशि कई सौ करोड़ों रुपए की है जो कि बोफोर्स द्वारा दिए गए कमीशन से कई गुना अधिक है और उनकी कल्पना से भी कहीं बहुत अधिक है। जानकारी यह है। इस समय क्या हो रहा है ? ज़ूरिक अदालत की कार्रवाई से कुछ नतीजा नहीं निकला। ऐसा इसलिए हुआ कि उस खाते में से पैसा निकाल लिया गया। इसके लिए अपील की गई थी। परन्तु अपील पर उत्साहपूर्वक भी कार्रवाई हो सकती है और इसकी अनदेखी भी की जा सकती है। मैं नहीं जानता कि ज़ूरिक अदालत में वास्तव में क्या हुआ था। परन्तु प्रान्तीय अदालत ने इस मामले को तुरन्त निपटा दिया। तत्पश्चात् इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया और संघीय अदालत ने 7-8 दिन के अन्दर ही इस मामले को निपटा दिया। अतः अब उस खाते के बारे में सूचना यह मिली है कि उसमें 50 मिलियन स्विस फ्रांक अथवा लगभग 8, 9 करोड़ रुपए जमा है। उस खाते में जमा करने के पश्चात् एक सप्ताह के बाद ही उस धनराशि

को वहां से निकालकर जेनेवा बैंक के एक खाते में जमा कर दिया गया था जो कि बोल्यूयर्ड निवेश अथवा पनामा की एक कंपनी से संबंधित था। अत: जेनेवा में स्थित पांच-छ: खाते ही अब मुख्य विषय-बिन्दु हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? सी० बी० आई० इस मामले की छानबीन तब तक करती रही जब तक कि न्यायालय में दायर मुकदमों से प्रान्तीय न्यायालय की कार्यवाही ठप्प नहीं पड़ गयी। भारतीय न्यायालय ने जेनेवा में स्थित प्रान्तीय न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालना शुरू कर दिया।

दो घटनाओं का सिलसिला आरम्भ हुआ। एक तो यह कि यहां पर अदालत में मुकदमे दायर होने शुरू हुए। श्री एच० एस० चौधरी, जो जनता के हित में मुकदमा लड़ते हैं, ने एक मुकदमा दायर किया और वह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ समय तक चला। यह मुकदमा 17 अगस्त को दायर किया गया था और 19 दिसम्बर तक यह चला। इस मामले के बारे में उस दौरान अनेक समाचार शीर्षक हुए क्योंकि जिस असाधारण तरीके से पीठासीन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चावला जी ने अपने अवकाश ग्रहण करने के दो दिन पूर्व इस मुकदमे को बर्खास्त कर दिया था और सी० बी० आई० के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्यों न रद्द कर दिया जाए। तत्पश्चात् 23 जनवरी, 1991 को इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया और उच्चतम न्यायालय ने 23 अगस्त, 1991 तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। यह लगभग आठ माह तक उच्चतम न्यायालय के अधीन रहा। उस अवधि के दौरान प्रान्तीय न्यायालय में बिल्कुल इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रान्तीय न्यायालय ने ध्यान दिया था। मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है कि कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दिल्ली में विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अथवा याचना पत्र के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कोई स्टे-आदेश नहीं दिया। परन्तु फिर भी जेनेवा की प्रान्तीय अदालत में इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि उस समय इस मामले को टालने के लिए कैसे और क्या-क्या प्रयत्न किए जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सी० बी० आई० का छिन्न-भिन्न होना, जो पहले शुरू हुआ था, अभी पूरा नहीं हुआ है।

इसी दौरान सरकार ने एक दूसरा कार्य शुरू कर दिया। पहला कदम तो यह कि इस मुकदमे की कार्यवाही टल जाए। वास्तव में एच० एस० चौधरी के मुकदमे की सम्पूर्ण कार्यवाही, जिसे न्यायाधीश श्री चावला की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अत्यन्त घृणितपूर्ण कार्यवाही प्रतीत होती है। सरकार ने इस मुकदमे को जिस गलत ढंग से चलाया, उससे स्पष्ट है कि सरकारी वकील वास्तव में याचिका-दाता के लिए ही बहस कर रहे थे।

सरकार ने दूसरा कदम यह उठाया कि सी०बी० आई० के दो संयुक्त निदेशकों, जो बोफोर्स मामले का कार्य संभाल रहे थे, को हटा दिया गया। जब वहां पर दो व्यक्ति पहले ही कार्यरत थे तब एक व्यक्ति का स्थानांतरण इस आधार पर किया गया कि दो की आवश्यकता नहीं है और इस काम के लिए एक ही काफी है। अत: उन्हें पदच्युत कर दिया गया। अत: दूसरे व्यक्ति का स्थानांतरण कर दिया गया क्योंकि वह अपने मूल संवर्ग में वापस जाना चाहता था। अतएव जिन दो अधिकारियों को सी० बी० आई० के इस मामले की जांच इत्यादि का काम सौंपा गया था उन्हें एक वर्ष पश्चात् ही हटा दिया गया जबकि सी० बी० आई० में पांच वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की गयी थी।

तत्पश्चात् एक और व्यक्ति उपस्थित हुआ। उन्हें पहले भी लाया गया था और उन्हें कई संवेदनशील मामले सौंपे गए थे। उन्हें बोफोर्स मामले का काम सौंपा गया है। मैं इस अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहता। परन्तु दुर्भाग्य से उनका दूसरा नाम है "सरकारी मुकदमों में सरकार के रक्षक।" मामलों को रफा-दफा करने में वह काफी माहिर हैं। अतः इस व्यक्ति के पास इस समय बोफोर्स मामले का कार्यभार है।

एच० एस० चौधरी के मुकदमे पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय देने के तुरन्त पश्चात् न केवल इसकी सूचना और प्रमाणित प्रतिलिपियां ही स्विस अधिकारियों को भेजी गई बल्कि विन चड्ढा द्वारा दायर याचिका को भी उच्चतम न्यायालय द्वारा बर्खास्त करने के दस दिन के अन्दर ही भेज दिया गया। रक्षा मंत्री चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि उस समय सी० बी० आई० ने यही कहा था कि न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया था और इसी लिए जेनेवा की प्रान्तीय अदालत से मामले पर कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया गया था। हम यह सब नहीं जानते। हम चाहेंगे कि हमें पूरी तरह आश्वस्त किया जाए कि सी० बी० आई० अथवा सरकार ने याचिका के साथ-साथ ही ऐसी सूचना भी वहां भेजी थी। जब न्यायालय ने कोई स्थगन-आदेश जारी नहीं किए और जब जेनेवा कैन्टोनल कोर्ट में मामले की प्रक्रिया को रोकने का कोई इरादा नहीं था तो याचिका क्यों भेजी गयी, इसके कारण के बारे में भी हम अपनी तसल्ली चाहते हैं। यदि प्रक्रिया यही है तो एक स्विस काउन्सल भी है। वे प्रमाणित करेंगे कि प्रक्रिया क्या है। वे प्रमाणित करेंगे कि यदि भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी मामला लंबित है तब कैन्टोनल कोर्ट कार्यवाही नहीं कर सकती। यदि कैन्टोनल कोर्ट में इस तरह की प्रथा व प्रक्रिया है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। किन्तु ऐसी प्रक्रिया नहीं हो सकती। भारत में हजारों न्यायालय हैं। लगभग 20 उच्च न्यायालय और सैकड़ों जिला न्यायालय हैं। लगभग 340 जिले हैं। किसी जगह कोई भी व्यक्ति मुकद्दमा दर्ज कर सकता है और कैन्टोनल कोर्ट तत्काल ही अपना कार्यकरण रोक देती है। इस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन यदि भारत सरकार के सी० बी० आई० विभाग के उच्चाधिकारी, जिनसे सच्चाई को ढूंढ निकालने तथा स्विस एथोरिटीज व स्विस कोर्ट की तमाम प्रक्रिया का पता लगाने की अपेक्षा की जाती है, अपनी जांच प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं—यदि वे उस याचिका को भेजते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे ऐसा नहीं चाहते कि न्यायालय आगे कोई कार्रवाई करे। अतः ऐसा ही हुआ है। स्वीडन के विदेश कार्यालय के इंटरनेशनल लॉ आफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के चीफ श्री स्मिट को बार-बार जानकारी उपलब्ध करायी गयी, बार-बार अनुरोध किया गया है। वे भारत सरकार की ओर से स्वीडन में मुकद्दमा लड़ रहे हैं। मैं इस महानुभाव का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि समाचार-पत्रों में इनका नाम छपा है। वे एक सरकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारियों से दूरभाष पर तथा अन्य माध्यमों से इनके पास बहुत से अनुरोध आए हैं कि मुकदमे की पैरवी न की जाए क्योंकि मुकदमे को चलाने में भारत सरकार की कोई रुचि नहीं है। यहां तक रिपोर्ट मिली है कि इस महानुभाव ने अब सभी अनुरोधकर्ताओं के नाम भी लिखे हैं। उनका कहना है कि जिस-जिस व्यक्ति ने इसे अनुरोध किया, उनके नाम और जो कुछ कहा गया, वह सभी जानकारी उन्हें पता है। इस प्रकार स्थिति यह है कि भारत सरकार की सहमति से लोग ऐसा करते रहे हैं। भारत में अदालती मुकद्दमों को अलक्षणीय कर दिया जाता है, उनका अवमान किया जाता है। उन्हें निपटाया जा सकता था। श्री चड्ढा ने जो मुकद्दमा दर्ज किया था, उस पर

त्वरित कार्रवाई करवाने की दिशा में सरकार ने क्या किया है ? गत सितम्बर से वे इस मुकदमे को लटकाए हुए हैं। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को अन्तरित करने की दिशा में भी वे कई रास्ते अपना सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी किस्म के जनहित के एक मुकदमे को रद्द कर दिया गया है।

3.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

भारतीय उच्च न्यायालय में मुकदमे की स्थिति के बारे में जब श्री सोलंकी ने स्विस विदेश मंत्री को एक नोट लिखा तो दोनों सदनों में हंगामा खड़ा हो गया था। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि मुकदमे की पैरवी न की जाए। आज समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि वहां के न्याय विभाग को कैन्टोनल कोर्ट्स से स्पष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है कि इसकी पैरवी न की जाए। यदि बात ऐसी है तो इससे सरकार के कार्यों की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। सरकार ने कई तरीकों से ऐसा करने का प्रयत्न किया है। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि मामला यहां तक पहुंच गया है कि जेनेवा में कैन्टोनल कोर्ट अधीर हो रही है। अब हमने एक आदेश दिया है जिससे सभी दस्तावेजों का खुलासा किया जाएगा; सभी खाता धारकों के नाम बताएं जाएंगे।

अब यदि मुकदमे में और देर की जाती है तो इससे हमें क्या लाभ होगा। मुकदमे की सुनवाई 3 अप्रैल को निश्चित हुई है। आज पहली अप्रैल है। यदि अब मुकदमा स्थगित हो जाता है तो यह दो माह के लिए स्थगित नहीं होगा, बल्कि 6 महीनों के लिए स्थगित हो जाएगा क्योंकि अदालतों की छुट्टियां हो रही हैं। यहां के मुकदमे के प्रभारी अधिकारी निश्चित रूप से यह जानते हैं। इसलिए वे यह चाहते हैं कि मुकदमा स्थगित हो जाए। मेरे विचार से उस नोट के कारण और उस नोट पर हुई कार्रवाई के कारण मुकदमा निश्चित तौर से स्थगित हो जाएगा।

भारत में सी० बी० आई० तथा दूसरे अधिकारियों द्वारा दूरभाष अथवा अन्य संदेशों के माध्यम से बातचीत के प्रकटीकरण के कारण मुकदमे का महत्व कम हुआ है। अब सी०बी०आई० ने डी० एस० पी० के रैंक के एक व्यक्ति श्री मल्होत्रा को संयुक्त-निदेशक के रैंक के एक व्यक्ति के स्थान पर स्विस अधिकारियों से मिलने के लिए भेजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्विस अधिकारियों ने इस अधिकारी से यह कहा है कि भारत सरकार से एक सरकारी पत्र लाएं जिसमें कहा गया हो कि भारत सरकार मुकदमे पर त्वरित पैरवी चाहती है। यद्यपि यह बात मार्च के प्रथम सप्ताह में कही गई थी लेकिन भारत सरकार ने अभी तक भी पत्र नहीं लिखा है। यह बड़ी विचित्र बात है। मैं नहीं जानता कि रक्षा मंत्री जी सी० बी० आई० की ओर से क्यों बोलते हैं। प्रधान मंत्री जी के अतिरिक्त एक अन्य मंत्री भी सी० बी० आई० के प्रभारी हैं। जब उस अधिकारी ने सरकार से एक सरकारी पत्र भेजने के बारे में कहा तो एक अर्द्ध-शासकीय पत्र भेजा गया जिसमें मुकदमे को जारी रखने का अनुरोध किया गया जिसका अभिप्राय है—मुकदमे में विलम्ब करना। दूसरा अर्द्धशासकीय पत्र भी लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार इस मामले का शीघ्रता से निपटारा चाहती है। इस प्रकार, अब तक जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था, वह सत्य ही सिद्ध हुई है।

3.26 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

भूतपूर्व विदेश मंत्री ने सदन में वक्तव्य देते हुए यह कहा था कि उन्हें इस बात का कुछ पता नहीं है कि नोट में क्या लिखा था। वे तो केवल यह जानते हैं कि वह नोट भारत में बोफोर्स के सम्बन्ध में मुकदमे के दर्जे के बारे में था। यह नोट किसने उनको दिया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इस बात का उन्हें पता नहीं है कि यह नोट उन्हें दिल्ली में दिया गया अथवा जेनेवा में। उस दिन सदन में अत्यधिक खलबली मची थी। उसी दिन से हम यह सुझाव देते रहे कि सरकार को वह नोट सभा पटल पर रखना चाहिए। किन्तु हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई। और अब दूसरे मंत्री जी यह कहते हैं कि उनके पास उस नोट की प्रतिलिपि नहीं है। पहले मंत्री यह कह सकते थे कि उनके पास प्रतिलिपि नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तब हमने सरकार से कहा कि स्विस अधिकारियों से उस नोट की एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के बारे में अनुरोध किया जाए। आज प्रतिलिपि तैयार करने में केवल एक मिनट लगता है। आप प्रतिलिपि संबंधी अपनी आवश्यकता को फैक्स के माध्यम से तुरन्त पूरा कर सकते हैं। यह केवल 5 पृष्ठों का नोट है और इसकी प्रतिलिपि तैयार करने में केवल एक मिनट ही लगता है। स्पष्टतः वे तथ्यों को दबाना चाहते हैं, नोट को दबाना चाहते हैं। यह सम्भव है कि वकील के नाम का पता न हो लेकिन एक व्यक्ति जो कि सर्व-विख्यात है, सरकार में जिनका बहुत ही दबदबा है, उनके नाम का तो आसानी से पता चल सकता है। वे हमें नाम क्यों नहीं बता सकते? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सरकार में बहुत ही दबदबा है; उनका नाम नहीं लिया जा सकता और इसलिए इसे दबा दिया जाना चाहिए अथवा वह सरकार से बाहर कोई व्यक्ति है जो कि न्यायालय की प्रक्रिया में अपना दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा है। वास्तव में कुछ नाम तो सर्वविदित हैं।

वास्तव में, कागजों से ऐसा पता चला है। मैं नहीं जानता कि क्या वे इसे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। कैन्टोनल कोर्ट द्वारा अस्वीकार की गई एक अपील के माध्यम से हिन्दूजा बन्धुओं में से एक के नाम का पता चला है। ऐसा इसलिए पता चला है क्योंकि वे नाम काटना भूल गये थे। यद्यपि हम गैर-सरकारी तौर पर कई नामों को जानते हैं, एक का नाम तो हमें भलीभांति ज्ञात है। लेकिन हम इसके बारे में बता नहीं सकते और हमें बताना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जोकि वहां न्यायालय पर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें ऐसे प्रभाव को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने केवल गलती करके ही अनुचित नहीं किया अपितु भूल करके भी गलती की है। यह इनकी स्थिति है। उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

आज ऐसे सभी कागजात केवल बैंकों के पास ही नहीं हैं। खाता धारकों के नाम क्या हैं और इनके खाते में कितनी राशि जमा है—कितना जमा किया गया, कितना निकाला गया और आज शेष राशि क्या है, यह बात केवल बैंक ही नहीं जानते। 1988-89 वर्ष में यहां की सरकार को यह विश्वास था कि स्विस बैंकों में सब कुछ गुप्त रहता है। सत्ता पक्ष को यह पता होना चाहिए कि यह सूचना अब न्यायालय के पास उपलब्ध है। उन्हें यह पता है कि यह कागजात किसके पास हैं। यह कागजात स्विस सरकार के अधिकारियों के पास हैं जो कि वहां की अदालतों भारत सरकार की ओर से इस मुकदमे की वकालत कर रहे हैं। बहुत से लोग इस बातों के बारे में

जानते हैं। अब सरकार मुकदमे के प्रति अरुचि दर्शाते हुए इस बात की कोशिश कर रही है कि उन्हें किसी तरह से 3 अथवा 6 की कार्यवाही का पता चल जाए अथवा यह मुकदमा स्थगित हो जाए तो यह अक्तूबर तक टल जाएगा। इस बीच सभी खातों के चलन पर लगी रोक हटा ली जाएगी। सैकड़ों करोड़ रुपया बाहर चला जाएगा।

महोदय, एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए। जो लोग इस मुकदमे को उठा रहे हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि यह धन वास्तव में भारत का है। यह न तो हमारा धन है और न ही उनका। यह देश का धन है। यदि भारत से धन चला जाए तो एक दिन देश को पता चल जाएगा कि यह धन वहां किसके खाते में था। यह धन अब केवल बैंक द्वारा गुप्त खातों में ही नहीं है। अब यह कई स्थानों पर चला गया है। अब उन्हें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी क्षण स्वीडन से तथ्यों की जानकारी मिल सकती है। हाल ही में बोफोर्स कम्पनी के एक बहुत बड़े स्रोत से बहुत-सी बातों का पता चला है। पहले इस स्रोत ने कुछ भी संकेत देने से मना कर दिया था यद्यपि उसे उसके नाम को गुप्त रखने की बात भी कही गई थी। अम्बकमी दायरे में उनकी स्थिति बहुत ही ऊंची है। उसने कहा है कि अब उसका नाम नहीं लिया जा सकता और एक दिन वह इस बात का रहस्योद्घाटन कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि इस बात को हुए 6 वर्ष बीत चुके हैं। स्वीडन के आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत अब उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सकता जो इस कमीशन के देने के लिए उत्तरदायी थे। यदि स्वीडन के कानून के अन्तर्गत कमीशन को अपराध के रूप में व्याख्या की जाती है, तो भी वे पकड़ से बाहर हैं। वह सत्र भी बीत चुका है। इसलिए अब वे इसको बता सकते हैं। इसका पता चल जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार इस धन को वापस लेने की अपनी कार्यवाही को गम्भीरता से लेती है अथवा नहीं। अब भी वे इसे दबाना चाहते हैं। इस बात का तो पता चल ही जाना है। अब हम इस सरकार पर और अधिक भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि खातों में लेन-देन नहीं होना चाहिए। हमें इस देश के निर्धन लोगों के कल्याण के लिए धनराशि वापिस लेनी चाहिए। कुछ षड्यंत्र-कारियों ने यह धन देश से छीना है।

सभापति महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है। अब कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्त : मैंने बहुत अधिक समय नहीं लिया। आप घंटी क्यों बजा रहे हैं? मैंने 3-00 बजे बोलना शुरू किया है।

सभापति महोदय : और भी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। आप कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्त : सरकार को चाहिए कि वह इस सभा को यह आश्वासन दे कि केवल रक्षा मंत्री द्वारा बताए गए कागजात ही नहीं, बल्कि इससे सम्बन्धित सभी कागजातों को सभा-पटल पर रखा जाएगा। एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख हो। वह वक्तव्य पर्याप्त नहीं है।

केवल एक मंत्री ही इसका उत्तरदायित्व ले रहे हैं, सम्पूर्ण सरकार को श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके भाग्य का

फसला केवल एक चुनाव में, बोफोर्स के आधार पर हुआ है, बोफोर्स विवाद फिर से शुरू हो गया है और यह विवाद अगले चुनाव तक चलता रहेगा। अतः उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम बोफोर्स विवाद से उन्हें फिर से उसी दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, जैसा कि 1989 में हुआ था। (व्यवधान) जब कोई विदेशी हमसे कहते हैं कि आपकी सरकार उन लोगों को पकड़ने में रुचि नहीं रखती है, जिन्होंने बहुत-सा धन लिया है, तो हमें शर्मिन्दगी महसूस होती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जो उस सरकार के अधीन रहते हुए शर्मिन्दगी न महसूस करता हो, जो घूस या कमीशन लेने के जुर्म को स्वीकार नहीं करना चाहती और उस व्यक्ति से रुपए वापस नहीं लेना चाहती जिसने यह धन लिया था। सरकार उन्हें सजा भी नहीं देना चाहती। सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए इस सभा के प्रति बाध्य है। उसे वह स्पष्टीकरण देना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पवन कुमार बंसल।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जैना (कटक) : नोट का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह चर्चा नोट के बिना कैसे चलेगी ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : हम चर्चा जारी रखेंगे।

श्री श्रीकान्त जैना : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय हम बोफोर्स की जांच पर चर्चा कर रहे हैं। कल विदेश मन्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने किस आधार पर इस्तीफा दिया है ? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है ? उन्होंने स्विटजरलैंड के विदेश मन्त्री को एक नोट सौंपा था। सभा यह जानना चाहती है कि वो नोट क्या है ? उस नोट के तथ्य क्या हैं ? विदेश मन्त्री को किसने नोट सौंपा था ? स्वीटजरलैंड के विदेश मन्त्री को नोट सौंपने का अधिकार, हमारे विदेश मन्त्री को किसने दिया था ? हम केवल यही सब बातें जानना चाहते हैं।

अब, रक्षा मन्त्री जी कहते हैं कि उनके पास नोट की कापी नहीं है। उन्हें स्विस सरकार से वह प्रति लाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। आप इन प्रश्नों को अपने चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जैना : स्विस सरकार के विदेश मन्त्री को किसने नोट सौंपा था ? उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ? हमारे विदेश मन्त्री को इस सभा में आकर, इन प्रश्नों को स्पष्ट करने दीजिए। उसके बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : एक मिनट। व्यवस्था के प्रश्न को बार-बार मत उठाइए। उसी व्यवस्था के प्रश्न को बार-बार उठाने नहीं दिया जाएगा।

मैंने इस पत्र के विषय में पहले ही कहा था कि व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप चर्चा जारी रख सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जैना : क्यों नहीं ? सरकार जान-बूझकर सच्चाई को दबा रही है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : किस नियम का अतिक्रमण किया गया ? किसी भी नियम का अतिक्रमण नहीं हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पहले मेरी व्यवस्था के प्रश्न को सुनिए। (व्यवधान) हम यह चर्चा कैसे जारी रख सकते हैं, जबकि नोट उपलब्ध नहीं है ?

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : ठीक छह वर्ष पहले, अप्रैल, 1987 में, स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया था कि 155 मि० मि० 'हावीट्जर गन' की खरीद में घूस दी गई थी। (व्यवधान)

अब आप आज फिर वही मुद्दा उठा रहे हैं, तो हमारा ध्यान पांच वर्ष पहले घटी घटनाओं की ओर जाता है। महोदय, ईमानदारी और सच्चाई के प्रति भारत की जनता के लगाव और जोश के कारण इस समाचार ने देश में सभी का ध्यान आकर्षित किया था। सरकार अपनी ओर से भी इसके प्रति चिन्तित थी, क्योंकि विश्व के प्रवृत्त आचरण के विपरीत तत्कालीन सरकार ने उस समय यह आश्वासन दिया था कि इस 'ठेके' में कोई भी मध्यस्थ शामिल नहीं होगा और सप्लाईकर्ताओं से सीधी बातचीत हुई थी।

यह समाचार उस समय आया था, जब विपक्ष के मेरे दोस्त पूर्णतः अस्त-व्यस्त स्थिति में थे। वे पिछले चुनावों के मौके पर प्रहार करने की मुद्रा बनाए हुए थे और वास्तव में सरकार पर किसी भी तरह वार करने के लिए अवसर ढूंढ रहे थे। यह समाचार उन्हें भगवान के वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। उन्होंने सोचा कि इसके सहारे वे यहां टिक सकेंगे।

मेरे पास, उसके बाद के वर्षों का विवरण है। आठवीं लोक सभा के दौरान हमारे मित्र यदा-कदा सभा में उद्‌भूत हुए थे और बोफोर्स मुद्दे पर वाद-विवाद के दौरान सभा ग्यारह बार स्थगित हुई थी और स्थगन का समय था चार घण्टे और इकतालिस मिनट। वाद-विवाद के लिए 64 घण्टों से अधिक समय लिया गया था।

एक माननीय सदस्य : अतः, हमें और अधिक समय नहीं लेना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनिए।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री पवन कुमार बंसल : लोकतन्त्र की समृद्धता के प्रति चिन्तित सरकार ने, जिसका जिक्र श्री अमल दत्त ने किया था, अपने अधिकार का सही उपयोग करते हुए इस मुद्दे की जांच करने के लिए विपक्ष के संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बात को भांप कर कि समिति के जांच से विपक्ष को कोई लाभ नहीं होगा, वे इस मांग से हट गए।

फिर भी, संयुक्त संसदीय समिति ने अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ किया और समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तीन मामलों में भुगतान किया गया। ऐसे कुछ तथ्य जुटाने के लिए कई एजेन्सियों को विदेश भेजा गया था, जिसके सहारे समिति अपना काम सुगमता से कर सके, पर इन सबके बावजूद वहां पर प्रमाण न मिलने के कारण उनके प्रयास विफल हो गए। फिर भी, सरकार ने उस मामले को वहीं पर खत्म नहीं किया।

उस समय की कांग्रेस सरकार ने अपराध प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया और उसका पालन करते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामलों को दर्ज किया, जैसा कि माननीय रक्षा मन्त्री जी के वक्तव्य में उल्लेख किया गया। स्वीट्जरलैंड और स्वीडन, दोनों को अनुरोध-पत्र भेजे गए।

मैं नहीं जानता कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री अमल दत्त जी वास्तव में वहां के कोर्टों की कार्य-विधि के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन हमें माननीय रक्षा मन्त्री जी के वक्तव्य से यह ज्ञात होता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सरकार, मैं भारत सरकार कह रहा हूं, केवल कांग्रेस सरकार ही नहीं, भारत सरकार ने भी उस विषय पर जांच कार्य आगे बढ़ाया। अब तक कई असंख्य कठिनाइयां और अड़चनें उत्पन्न हुई फिर भी यह विषय चल रहा है।

यदि मैं संक्षिप्त में वह सब कुछ कह दूं जो सरकार कर रही है तो इससे यह एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि अनुरोध पत्रों की अस्वीकृति के बाद, यदि आज कांग्रेस सरकार इस विषय में सुस्ती दिखाना चाहती तो वह इस संदर्भ में अपील दर्ज नहीं करती।

हमें माननीय रक्षा मंत्री जी के बयान से यह ज्ञात हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया तो उसके बाद 30 अगस्त, 1991 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बर्न स्थित हमारे दूतावास को सूचित किया था कि यह मामला जारी रखा जा सकता है। उसके बाद 12 सितम्बर, 1991 को सी० बी० आई० ने बर्न स्थित हमारे दूतावास के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री जी ने स्वीटजरलैंड के विदेश मंत्री को कुछ दस्तावेज, कुछ पत्र सौंपने में मेरे विचार से जो बर्नस्थित लापरवाही तथा अबोध भूल दर्शायी, उसके कुछ ज्यादा ही अर्थ लगाये जा रहे हैं।

महोदय, मैं आदरपूर्वक पुनः कहता हूं कि यदि भारत सरकार का इरादा कार्यवाही को रोकना होता तो कोई सरकारी पत्र नहीं भेजा जाता। मैं सरकारी बहस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि श्री अमल दत्त जी के पास कोई कारण नहीं है कि वह उक्त पत्र को सरकारी पत्र न कह कर अर्ध सरकारी कहें। इस पत्र को भेजने के पीछे भारत सरकार के पास इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं था कि वह वहां की सरकार पर यह जोर डाले कि हम कार्यवाही को जारी रखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद, 24 और 26 मार्च को वहां के अधिकारियों को, जांच जारी रखने के प्रति भारत सरकार की उत्सुकता की सूचना दी गई थी।

महोदय, वहां पर जांच कैसे हो रही है, कौन-सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है यह हमारे बस में नहीं है। हमारे लिए तो यह बात महत्वपूर्ण है कि इस विषय में हमारी सरकार का क्या इरादा है। इसलिए तो मैं पिछले पांच वर्षों के पहले की बात कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी समय अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं पायी गयी है। वास्तव में यह कहने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य विशेष नहीं है। लेकिन यह मामला यहां पर फिर से उछाला गया है। और अन्त में मेरे वरिष्ठ साथी श्री अमल दत्त के भाषण समाप्त होने पर ही उसे दूसरी ओर के मेरे मित्रों के इस

इरादे का पता चला कि वे यह मामला अगले आम चुनावों तक चालू रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1984 में कांग्रेस की जबरदस्त जीत से विपक्ष विस्मित रह गयी थी जबकि यह मामला तब भी उठाया गया था।

महोदय, हम जानते हैं कि सरकार उस मामले में ईमानदार रही है। उस वर्ष हरियाणा के चुनाव के समय हमारे मित्रों की यह बात सुनना हमारे लिए कठिन व दुखदायी था कि तोपें घटिया किस्म की थीं। हरियाणा के उन ग्रामीण लोगों को जिनके पुत्र, पिता सेना में जाते हैं, उनसे हमारे मित्रों ने कहा कि उन्हें निम्न दर्जे के तोपों के साथ भेजा गया है। उनका उद्देश्य देश में अस्तव्यस्तता फैलाना, सरकार को गिराना, और जनता के मन में ये भावना लाना था कि सरकार देश के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। फिर भी जनता का उत्साह भंग नहीं हुआ।

महोदय, मेरे माननीय वरिष्ठ साथी श्री जसवन्त सिंह जी ने, रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में उन तोपों की कार्य क्षमता का निरीक्षण किया था। मैं तत्संबंधी विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : हमारा ऐसा मन्शा नहीं था।

श्री पवन कुमार बंसल : लेकिन वह इस बात से मुकर नहीं सकते हैं कि उन्होंने ही यह कहा था कि तोपें अपेक्षित स्तर की हैं। (**व्यवधान**) सरकार पर प्रहार होता रहा।

कुछ जनता भ्रमित भी हुई थी क्योंकि वह सामूहिक अभियान चार-पांच वर्ष तक चलता रहा था। जांच भी काफी समय तक चलती रही क्योंकि हमें विदेश से कोई निष्कर्ष नहीं मिले थे। इसी बीच चुनाव हुए। और जनता के सामने शायद वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जैसा कि मैंने पहले कहा, जनता ईमानदारी और सच्चाई के प्रति बहुत सजग रहती है, और यह भारतीय जनता की विशिष्टता है। उस समय वे किसी प्रकार उस ओर के हमारे मित्रों के बहकावे में आ गए। उन्होंने कांग्रेस को सत्ताहीन कर दिया। मैं इस संदर्भ में श्री वी० पी० सिंह जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री का पदभार ग्रहण करने के पहले, शायद 1988 में, यदि मुझे ठीक याद है तो, उन्होंने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाला था और कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि घूस से किसको लाभ पहुंचा है। उसके बाद, उनको देश के प्रधान मन्त्री बनने का सुअवसर मिला। वह मामला जारी रहा, चलता रहा उनके पास जो कुछ जानकारी थी, उसको उजागर करने में उन्हें कोई रुकावट नहीं थी। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : महोदय, वाद-विवाद के बीच में बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से श्री जार्ज फर्नांडीज जी को बोलना था। लेकिन, यह कह देना सच नहीं है कि हमारी सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा। चार दिनों के भीतर ही हमने स्विस सरकार के खाते प्राप्त कर लिए थे। यह प्रमाणित कर दिया गया था कि एई सर्विसेज को घूस दी गयी थी। वे दस्तावेज सरकार के हाथ में हैं, और वह कह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं मिला (**व्यवधान**) लेखा-परीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना चाहिए। आप जाइए और उस रिपोर्ट को पढ़िए। (**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं ये नहीं कहना चाहता कि श्री वी० पी० सिंह जी को कोई जानकारी नहीं मिली थी। (**व्यवधान**) संयुक्त संसदीय समिति ने एई सर्विसेज के बारे में रिपोर्ट दी थी और जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब 13 दिसम्बर, 1990 को सी० बी० आई०

को एई सर्विसेज के बैंक खातों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां मिली थीं। उन दस्तावेजों के सहारे क्या किया गया ? ये या तो वी० पी० सिंह जी बता सकेंगे या उनके पुराने साथी बता सकेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमें वे कोर्ट से मिले थे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इस तरह के कथोपकथन की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : वे क्या आरोप लगा रहे हैं ? वह तो बेकार की बातें कर रहे हैं। …(व्यवधान)…

सभापति महोदय : कृपया शोर मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनके पास सभी कागजात थे। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैंने श्री वी० पी० सिंह जी को उत्तेजित करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं हर वाक्य पर वक्ता को रोके जाने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि कोई उत्तर देना चाहता है तो वो अन्त में उत्तर दे सकता है। उन्हें बोलने दीजिए और अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे श्री वी० पी० सिंह क्रोधित हो जाएं। मैंने सिर्फ एक सच्चाई का बयान किया था कि 13 दिसम्बर, 1990 को भारत सरकार को एई सर्विसेज के बैंक खाते से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई थीं। मैं आगे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि उसमें कोई दोषारोपण की बात थी तो, उस समय की सरकार को चाहिए था कि वह जनता को इसके बारे में बताती। मैं इसी विषय पर माननीय सदस्यों की याद को ताजा करना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह जी…(व्यवधान)…

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं केवल माननीय सदस्यों की याद को ताजा करने के लिए यह कहना चाहता हूं कि स्वयं श्री वी० पी० सिंह जी ने ही उस समय के वित्त मंत्री के रूप में हाविट्जर बन्दुकों के संबंध में मूल्य वार्ता समिति के कार्यवाही को स्वीकृति दी थी। यह बात रिकार्ड में है। वे हमारे वित्त मंत्री थे। (व्यवधान) हां, लेकिन उन्होंने ही उस संबंध में अपनी स्वीकृति दी थी और उन्होंने ही अपने हस्ताक्षर भी किए थे…(व्यवधान)…

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने कमीशन पर भी हस्ताक्षर किए थे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं नहीं जानता। मैंने ऐसा नहीं कहा।

इस मामले को बिना रुकावट के चलना रखने हेतु इस सरकार ने जो कुछ भी किया है वह हमारी सरकार के ही हित में है। विपक्ष ही इस मामले में विलम्ब करने के पक्ष में थे। वे संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना चाहते थे और उसके बाद वे इस बात से छूट गए क्योंकि वे सरकार पर अपना प्रहार जारी रखना चाहते थे। आज फिर विपक्ष अपने आपको कमजोर स्थिति में पा रही है क्योंकि सरकार उन महत्वपूर्ण नीति निर्णयों पर काम कर रही है जिसका लोगों ने स्वागत किया है। विपक्ष ये जानतीहै कि सरकार···(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उस लैटर की बात कीजिए न। फाइनांस मिनिस्टर को क्यों निकाला, यह बताइए न। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें एक अच्छी और शांतिपूर्ण चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इस तरह के व्यवधानों के कारण हम अपनी चर्चा जारी नहीं रख सकते। जब भी आपकी बारी आएगी, आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा कुछ कहता हो जो आपको पसंद नहीं, तो आपको बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उन्हें किसी सदस्य के द्वारा कही गयी किसी बात में केवल इसीलिए व्यवधान नहीं डालना चाहिए कि उन्हें वह बात पसंद नहीं है।

4.00 म० प०

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय रक्षा मन्त्री ने हमें सूचित किया है कि स्वीडन की सरकार ने 14 जून के अनुरोध पत्र की जांच करने के बाद हमें अपने निर्णय से अवगत करा दिया था जिसमें उसमें श्री लार्स रींगबर्ग जिला अभियोजक के द्वारा की गयी प्रारम्भिक जांच-पड़ताल को फिर से शुरू करवाने में अपनी असहमति व्यक्त की थी। अगर सरकार का ध्येय इस मुद्दे को वहीं खत्म करने का होता···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आप फिर व्यवधान डाल रहे हैं। इस तरह लगातार टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करना नियमानुकूल नहीं है। मैं नियम पढ़कर बताऊं?

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : उपरोक्त जिला अभियोजक के निर्णय के विरुद्ध 2 मार्च, 1992 को अपील दायर की गयी थी जिसे 10 मार्च को खारिज कर दिया गया था। हमने ऐसा कोई भी उपयुक्त मंच नहीं छोड़ा जिसमें इस मुद्दे को सरकार द्वारा उठाया जा सकता हो। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने, जिन्होंने बहस शुरू की थी, कैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में

लंबित मुकदमे की ओर इंगित करते हुए यह कहा है कि सरकार विलंब की नीति अपना रही है। बल्कि इसके विपरीत जैसा कि स्पष्ट है कि सरकार ने विदेश के प्राधिकारियों को यह सूचित करने में जरा भी देर नहीं की कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक सूचना रपट को अवैध नहीं ठहराया है, तथा विन चड्ढा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई नई अर्जी में कोई स्थगन-आदेश नहीं जारी किए गए हैं। जिसका अर्थ यही है कि मामला आगे जारी रहना चाहिए। अब अगर न्यायालय में उस अर्जी के ऊपर निर्णय लेने में देर लग रही है, तो सरकार का इसमें क्या दोष है?

कई अवसरों पर हमारे साथियों ने अत्यधिक जोर देकर सरकार पर न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। अब वे ही यहां कह रहे हैं कि सरकार ने इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द खारिज करवाने का इसके उपर निर्णय दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार फिर मैं जोर देकर कहता हूं कि सरकार ने उच्च न्यायालय के द्वारा इस मामले में स्थगन आदेश जारी करने से इन्कार कर देने के निर्णय को सूचित करने में कोई देरी नहीं की। मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को समझने में असमर्थ हूं और मुख्यत: इसी कारण यह कहने की अनुमति चाहता हूं ये मुद्दे बार-बार किसी स्वार्थपूर्ण अभिप्राय से उठाए जाते हैं।

माननीय विदेश मंत्री दूसरे दिन यहां आए और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैं यह कह देता हूं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। श्री सोलंकी ने त्याग-पत्र देने से पहले सदन में आकर यह कहा था कि मुझसे कुछ गलती हुई है।

[अनुवाद]

मैं प्रतिपक्षी साथियों को यह सिद्ध करने के लिए चुनौती देता हूं कि सरकार की किसी भी कार्यवाई या बयान से, जिसमें इस सदन के गरिमा या देश के प्रतिष्ठा या इस मामले की कार्रवाई के विरुद्ध कोई समझौता किया गया है।

आखिर बोफोर्स मामले में आरोप क्या है? यही कि इसमें रिश्वत देने का आरोप है। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में की गयी कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि सरकार ने अपना कर्तव्य निभाने में कोई कोताही नहीं की। आज, चूंकि कहीं कोई मामूली-सी चूक हो गयी, जिसके कारण श्री सोलंकी लोकतंत्र के उच्च परंपराओं के प्रति सम्मान दर्शाते हुए जिसकी दुहाई हमारे प्रतिपक्षी साथी दे रहे थे, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। उनके इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

महोदय, वे फिर इस तरह की टोका-टाकी···(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरे अनुमति के बगैर कहे गए किसी भी शब्द को रिकार्ड नहीं किया जाए।

(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : उनके इस तरह की टोका-टाकी के कारण मुझे कहना पड़ रहा है

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि यह विषय सिर्फ सरकार के विरुद्ध झूठे और आधारहीन आरोप लगाने के लिए ही उठाया जाता है जैसा कि उन्होंने 1986 में किया था। यह एक आधारहीन पुरानी कहानी है, जिसके बारे में इस देश के लोग जानते हैं। लेकिन महोदय, हमारे प्रतिपक्षी सदस्यों के चिर परिचित रिकार्ड के कारण इस देश के लोग गुमराह नहीं होंगे। वे जानते हैं कि उन्हें पहले भी गुमराह किया जा चुका है, इसलिए वे अब गुमराह नहीं होंगे। वे जानते हैं कि कैसे देश को घाटा उठाना पड़ा था जब एयर बस 320 का उपयोग बन्द किया गया था। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप नियम 349 का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं जिसके अनुसार आप कार्यवाही में व्यवधान नहीं डाल सकते। कृपया इस प्रकार लगातार टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : अगर इस देश के लोगों को सरकार की किसी कार्रवाई से कष्ट उठाना पड़ा है तो वह एयर-बस 320 को जमीन पर ही पड़े रहने देने के निर्णय से हुआ, जिससे 180 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। महोदय, और अगर देश के लोगों को वास्तव में घाटा हुआ है तो इस प्रतिष्ठित सदन तथा दूसरे सदन के बहुमूल्य समय को इस तरह के आधारहीन मुद्दों के उठाने में नष्ट करने से हुआ है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई रनिंग कमेंट्री न करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक महत्वहीन मुद्दे को लोगों के दिमाग में संदेह भरने की खातिर जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। लेकिन यह एक पुरानी कहानी है। इस तरह के भ्रामक दौर से देशवासी पहले ही गुजर चुके हैं। पूरे पांच साल तक वे केवल बोफोर्स का ही नाम सुनते रहे। लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। हमारे विपक्षी साथियों की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने दावा किया कि 15 दिनों के भीतर लोगों के सामने सत्य ला दिया जायेगा। 11 महीने बीत गये, दो सरकारें गिर गईं, लेकिन कुछ नहीं निकला। नई सरकार इस सम्बन्ध में पूर्ण ईमानदार है क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता लाना चाहती है और सत्य को सामने लाना चाहती है और इन्हीं लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह आगे बढ़ रही है। हम भी सत्य को जानने के लिए उतना ही उत्सुक हैं जितना कि वे। सरकार सत्य को बिल्कुल छुपाना नहीं चाहती, यह जल्द से जल्द इस मामले को समाप्त करना चाहती है। इसलिए हम स्विटजरलैंड से आवश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, हमने माननीय रक्षा मन्त्री के बयान से शुरू हुई बहस को सुना और मैंने अपने पुराने साथी श्री पवन कुमार बंसल को भी सुना है।

महोदय, माननीय रक्षा मन्त्री के बोलने के पूर्व हमारे और सरकार के बीच विचार-विमर्श हुआ था। जिसके बारे मे मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यह उपयोगी सिद्ध हुआ था। इस सम्बन्ध में सरकार के द्वारा की गई पहल की मैं प्रशंसा करता हूं। तो भी मैं अपने अच्छे दोस्त माननीय रक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने की सलाह देना चाहूंगा और ऐसा मैं सिर्फ उन्हीं से उनके प्रति निजी आदर-भाव से कर रहा हूं।

बोफोर्स का मुद्दा एक बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक सुलझायें। यह विष का एक प्याला है जिसके साथ कई लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की

परन्तु सभी को निरपवाद रूप से इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। माननीय रक्षा मन्त्री के लिए आपके लिए यह एक नई चीज है। पिछले पांच-छः वर्षों के दौरान इस पर हुए हंगामे से आप अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैं उन्हें इस मामले को सावधानी से सुलझाने के लिए कह रहा हूं।

महोदया, मैं श्री पवन कुमार बंसल के द्वारा कही गयी बातों के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने कल हुई बहस के बारे में अफसोस जाहिर किया है। दुर्भाग्य से वह उस लड़ाई को लड़ रहे थे जो बहुत पहले ही खतम हो चुकी है और उन्होंने हम पर आवश्यकता से अधिक मुद्दे को उछालने का आरोप लगाया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमने क्या अधिक उछाला है। संसद के सामने निश्चित रूप से एक बार फिर बोफोर्स का मुद्दा उठ गया है और अगर हमने अनुपात से अधिक मामले को उछाला है तो मैं उस अनुपात के बारे में क्या कहू कि जिसके तहत इस सरकार के विदेश मंत्री को अवमाननापूर्ण परिस्थिति में त्याग-पत्र देना पड़ा है। अत: मैं विशेष रूप से माननीय विदेश मंत्री की उनके द्वारा दिखाई गई स्पष्टवादिता के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा। यह बोफोर्स प्रकरण के इतिहास में पहला अवसर है जब किसी मंत्री ने सत्य प्रकट किया है। यह स्थिति मुझे विडम्बनापूर्ण नजर आती है कि बोफोर्स के सम्बन्ध में सत्य बोलने वाले दंडित किए जा रहे हैं और सत्य को छिपाने वाले वर्षों से सत्ता पक्ष की शोभा बढ़ा रहे है। यह विडम्बना है। इसीलिए मैं माननीय विदेश मंत्री द्वारा ईमानदारी से दिये गए स्पष्ट वक्तव्य का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं। अपनी इस स्पष्टवादिता और ईमानदारी के बावजूद वास्तव में, दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने भोलेपन, सरलता तथा मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी की भावना की पूर्ण कमी का अत्यन्त दुखद प्रदर्शन किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधान मन्त्री सभा में उपस्थित नहीं हैं। विदेश मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे समय में प्रधान मन्त्री की सदन में उपस्थिति लाजिमी है जिससे कि वे हमारी चिन्ता और विचारों से अवगत हो सकें और साथ ही वह इस बहस में अपने विचार प्रकट कर सकें। प्रधान मन्त्री भी इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। यह कोई कनिष्ठ मन्त्री का मामला नहीं है जिसकी भारतीय शासन के महत्वपूर्ण मामलों में खास जबाबदेही नहीं होती, बल्कि उनके कैबिनेट के विदेश मंत्री ने इस्तीफा दिया है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री सायं 4.30 बजे के बाद आ रहे हैं और वे भी बहस में शामिल होंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के द्वारा हमें सूचित किया गया है कि माननीय प्रधान मन्त्री 4.30 बजे बहस में हिस्सा लेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : वे 4.30 के बाद किसी भी क्षण आयेंगे और बहस में शामिल होंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं इस विशेष बहस की संदर्भीय संबद्धता को संक्षेप में पुन: स्थापित करने का प्रयास कर रहा हू, जिस पर संसद में फिर से बहस चालू हो गयी है। इसमें सदर्भों का एक सिलसिला है और मुझे खुशी है कि श्री पवन कुमार बंसल ने अपने भाषण के अन्त में इसकी ओर इंगित किया है। यह सिलसिला सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को फिर से स्थापित करने के संदर्भ में है। यह कार्यकारिणी की विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व को पुनर्स्थापित करने के सम्बन्ध में है और विधायिका के अन्दर भी सत्ता पक्ष की जबाबदेही हम विपक्ष में बैठने वालों के प्रति पुनःनिर्धारित करने के संदर्भ में है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि इस

संदर्भ का एक पहलू है भारत के हितों की रक्षा का उच्च उद्देश्य और इस दुखद बोफोर्स कांड के पूरे प्रकरण से भारत देश का हित जुड़ा हुआ है। चूंकि इनके द्वारा इन संदर्भों की अवहेलना की जाती है इसलिए ये बार-बार प्रकट हो जाते हैं और ये तब तक प्रकट होते रहेंगे जब तक कि बोफोर्स से संबंधित अनेक सवालों का जवाब नहीं दे दिया जाता। इसका दूसरा पहलू बिल्कुल समयानुकूल है।

मैं मूल पाप पर नहीं जाना चाहूंगा और न ही स्वीडिश रेडियो के प्रसारण पर जाऊंगा। बल्कि मैं केवल जनता दल के शासन के अन्तिम दौर से शुरू करूंगा और कल घटना चक्र पर आकर खत्म करूंगा अर्थात् मैं दिसम्बर, 1990 से बाद के घटनाक्रम को लूंगा। और साथ ही श्री पवन कुमार बंसल के द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों के जवाब भी संक्षेप में दूंगा। मैं जानता हूं कि सत्ता पक्ष के दूसरे वक्ता भी इन मुद्दों को उठायेंगे क्योंकि वे अनगिनत रूप से कई बार इसे उठा चुके हैं। ये मुख्यतः तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि बोफोर्स कोई मुद्दा है ही नहीं जिसे हम विपक्षी सदस्य अनावश्यक रूप से उठाते रहते हैं। हालांकि श्री पवन कुमार बंसल ने तो हम पर झूठ बोलने तक का आरोप लगाया है। अन्यथा थोड़े नियंत्रित रूप में उनके आरोपों की संख्या इस सम्बन्ध में दो ही हैं। पहला यह कि हम इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं और दूसरा जैसा कि उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप अब तक कुछ नहीं निकला। तीसरा जो हमेशा कहा जाता है कि माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस सम्बन्ध में कुछ क्यों नहीं किया जबकि उनके पास अवसर था। इन सबका उत्तर बहुत ही संक्षेप और सरल है।

इस सन्दर्भ में बहुत सारी बातें हुई। 'हॉवित्जर तोप' की खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। एक मोटी रकम अवैध तरीके से दी गई। यह कहना गलत है कि इसमें कुछ नहीं निकला। इसमें बहुत कुछ निकला है।

जहां तक श्री वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ करने या न करने का सम्बन्ध है, हमारे और उनके बीच अब और पहले चाहे कुछ भी राजनीतिक मतभेद रहे हों मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस सम्बन्ध में सत्य की ओर कदम बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की थी।

मैं इस सम्बन्ध में सत्ता पक्ष को सावधान करना चाहूंगा कि उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक मन्त्री की बलि चढ़ाकर वे बोफोर्स समस्या का समाधान कर लेंगे। कृपया विदेश मंत्री के इस्तीफे से यह भ्रमजाल बनाने की कोशिश न करें कि सरकार ने बोफोर्स के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। इस तरह न तो सदन को और न ही जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। सत्य को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता।

इस घटनाक्रम में, मैं संक्षेप में दिसम्बर, 1990 से अब तक हुई घटनाओं की स्थिति का बखान करना चाहूंगा। मैं कुछ दिए गए निर्णयों के बारे में ही बात करूंगा। उन घटनाओं के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त नहीं करूंगा। 6 दिसम्बर, 1990 को भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को अधिकृत रूप से सूचित किया कि सी० बी० आई० की प्राथमिकी रिपोर्ट में "किसी अपराध का जिक्र नहीं है।" उक्त तिथि को जो सरकार सत्ता में थी उसे आपका समर्थन प्राप्त था और तत्कालीन महाधिवक्ता की नियुक्ति भी आपके दबाव में की गयी थी।

उसके बाद आपने देश के प्रधान विधि अधिकारी के पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति की जो बोफोर्स मामले के मुख्य अभियुक्त को कानूनी सलाह दे चुके थे। और वे आज हमारे महा-न्यायवादी हैं। इस प्रकार आज भी वह हमारे प्रधान विधि अधिकारी हैं। यह नियुक्ति उनके द्वारा समर्थित सरकार के समय में हुई थी।

उनके द्वारा समर्थित तत्कालीन विधि मंत्री उस सरकार के गठन में उत्प्रेरक का कार्य कर रहे थे बल्कि वे आज भी विभिन्न पक्षों के सदस्यों को दल-बदल करवाने की खातिर उत्प्रेरक के रूप में आपके द्वारा नियोजित हैं।

तत्कालीन विधि मन्त्री ने 9 दिसम्बर, 1990 को बोफोर्स मामले की जांच कर रहे सी० बी० आई० के मुख्य अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की थी। उस सरकार और विधि मन्त्री को आपका समर्थन प्राप्त था।

मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और मुझे खेद है कि माननीय प्रधान मंत्री और बलिया क्षेत्र के संसद सदस्य इस समय यहां मौजूद नहीं हैं। उस सदस्य ने प्रधान मन्त्री के रूप में सार्वजनिक रूप से कहा था कि बोफोर्स मामले की जांच के लिए एक उप-निरीक्षक ही काफी है। और आपके द्वारा ऐसी सरकार को समर्थन दिया जा रहा था। यह शर्म की बात है।

किसी को किसी से निजी स्तर पर मतान्तर हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा उनसे मतभेद है। यद्यपि मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं। लेकिन मुझे दुख है कि मैं उनसे इस संबंध में सहमत नहीं हो सकता।

प्रधान मन्त्री या सरकार के द्वारा दिए गए ऐसे बयान से बेहद क्षति होती है। इस तरह से सिर्फ सब इंस्पेक्टर को ही नहीं बल्कि रक्षा मन्त्रालय और सी० बी० आई० के सभी अधिकारियों या कहिये कि देश के सभी सम्बद्ध अधिकारियों को एक संदेश भेज दीजिए कि सरकार की उस मामले में कोई रुचि नहीं है। वे लोग भी उस सरकार के हिस्सा थे।

मैं बहुत ही हिचकिचाहट के साथ उसके बाद होने वाले घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूं। उस सरकार का पतन हुआ, चुनाव संपन्न हुआ और एक बहुत ही दुखद घटना घटी। देश के पूर्व प्रधान मन्त्री को युवावस्था में ही जिनके आगे उज्ज्वल राजनैतिक भविष्य था उनकी छल-पूर्वक हत्या करके उन्हें हमसे छीन लिया गया।

शिवगंगा क्षेत्र के माननीय सदस्य अपने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि उनकी याद में बोफोर्स मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। उसी सदस्य ने जो गृह राज्य मन्त्री के पद पर कार्य कर चुके हैं, स्विटजरलैंड सरकार को अनुरोध पत्र द्वारा यहां तक सुझाव दे डाला कि इस सम्बन्ध में बरती गई अनियमितता न तो अवैध धोखा और न ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। यह महज एक कर अपवंचना की घटना थी। यह सब लिखित रूप में है। आपकी सरकार ने यह किया।

इन सब कार्यों के लिए हम सब दोषी नहीं हैं। जब हम इन वास्तविक घटनाओं का जिक्र करते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। यह सब इन घटनाओं के पीछे सामूहिक वातावरण का परिणाम है जिसे इन्होंने अक्तूबर 1991 में तैयार किया। अब तो इन्हीं की सरकार है। बोफोर्स के मामले में सबसे सहला कार्य जो उस कुशल अधिकारी को हटाने का किया जिन्हें पूर्व विधि मंत्री ने पद-

स्थापित किया था। मैं उन अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता जो यहां मौजूद नहीं हैं। अक्तूबर, 1991 में इन्होंने उन्हें उनके बोफोर्स मामले की तत्परता और कुशलता से जांच करने के एवज में पद से हटा दिया।

कुछ ही महीने के बाद जनवरी, 1992 में इन्होंने दूसरे अधिकारी को हटा दिया जिसकी नियुक्ति इन्होंने ही की थी।

[अनुवाद]

आप केवल एक को पद से हटाकर संतुष्ट नहीं हुए। आपने दूसरे को नियुक्त किया। हम अब जनवरी, 1992 में पहुंच गए हैं। फरवरी के प्रारम्भ में, स्वीटजरलैण्ड में, डेवास का प्रसिद्ध सम्मेलन होगा। एक और छः फरवरी के बीच कई मंत्री और अधिकारी डेवास जाएंगे जिनमें माननीय प्रधान मंत्री जी भी शामिल हैं। डेवास में ही भूतपूर्व विदेश मंत्री ने इन पत्रों को सौंपा था, जिसकी चर्चा मैं अभी करने वाला हूं।

मैं अब 17 फरवरी, 1992 डेवास सम्मेलन के बाद की चर्चा करूंगा। मैं जो कुछ अब कह रहा हूं उसमें कुछ दम है। 17 फरवरी, 1992 को स्टाकहोम के "डेजेंस नैहटर" में एक रिपोर्ट छपी थी। मैंने उसके बारे में उल्लेख किया था। मुझे फिर से उसी को दोहराते हुए दुख हो रहा है। आप जानबूझकर उस रिपोर्ट में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें आपका कुछ लाभ होगा। आप भारत के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री व आपकी पार्टी के भूतपूर्व नेता का गुणगान करते रहते हैं। फिर भी, उनकी छवि को बनाए रखने के लिए ये आप पर निर्भर है कि आप उस रिपोर्ट पर ध्यान दें क्योंकि उसमें नाम बदल दिया गया था। उस रिपोर्ट को स्वीकृति दिलाने के लिए आपको कुछ करना चाहिए था। पर आपने नहीं किया। एक योजनाबद्ध अनपकारी बयान जारी किया गया है। मैं नहीं जानता कि सरकार ने, भारत सरकार के किस अधिकार का प्रयोग करते हुए सी०बी०आई० को इस रिपोर्ट की जांच का निर्देश दिया है। सी० बी० आई० निरन्तर उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। नए सिरे से देखने से क्या हाथ लगेगा। इसी सन्दर्भ में, मैं जोर देना चाहता हूं, क्योंकि 1 और 6 के बीच डेवास सम्मेलन है। 17 फरवरी, 1992 को "डेजेन्स नैहटर" की रिपोर्ट आई थी। "डेजेन्स नैहटर" की रिपोर्ट के बाद, फरवरी 1992 में मामले की जांच हेतु, सी० बी० आई० की प्रस्तावित स्वीट्जरलैंड की यात्रा को आपने, आपकी सरकार ने स्थगित कर दिया था, किसी और सरकार ने नहीं। इसलिए आप हमसे ये नहीं कह सकते कि आप उस मामले की जांच पूरे उत्साह के साथ करा रहे हैं। ये पिछले वर्षों या पिछले दिन के युद्ध की बात नहीं है। मैं फरवरी, 1992 की बात कर रहा हूं। फरवरी 1992 में ही आपके सी० बी० आई० के दल को स्वीट्जरलैंड जाना था। विदेश मंत्री के वहां जाने के बाद आपने यात्रा रद्द कर दी। आपने "डेजेंस नैहटर" के रिपोर्ट के आने के बाद स्वीट्जरलैंड की यात्रा रद्द कर दी थी। भारत सरकार के ये कहने के बावजूद कि आप "डेजेंस नैहटर" के रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया, उसी के अनुसार चलेंगे, आपने यात्रा रद्द कर दी। अगस्त 1991 और फरवरी 1992 के बीच, स्टाकहोम में नियुक्त हमारे अटार्नी श्री गन्नर बर्ग सरकार से परामर्श मांगते रहे हैं, निर्देश मांगते रहे हैं। लेकिन कोई भी आशापूर्ण निर्देश नहीं दिए गए। जैसा कि पहले के प्रवक्ताओं ने उल्लेख किया है, आपने सी० बी० आई० के संयुक्त निर्देशक को स्वीडन के पब्लिक प्रासीक्यूटर से मिलने भेजने की अपेक्षा, सी० बी० आई०

के डी० एस० पी० को वहां भेजने का निर्णय किया। शायद, उस सन्दर्भ में, माननीय प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर जी की सलाह को गम्भीरता से लिया गया था। (व्यवधान)

वह एस० पी० थे। मैं स्वयं इसमें सुधार करूंगा। हमें यह सूचना मिली थी कि 24 और 26 मार्च के बीच, सी० बी० आई० ने दो या तीन पत्र भेजे थे। मैं इस पर आपसे बाद में प्रश्न करूंगा। अब हम सोलंकी के दुखद प्रसंग को लेंगे। मैं जब ये कह रहा हूं तो ऐसा कहते हुए मुझे उत्साह या उमंग नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि माननीय श्री माधव सिंह सोलंकी जी, उस स्थिति के शिकार हुए जो कि बोफोर्स के मामलों में कई सालों से बनी हुई थी। क्या उनके शिकार बनने से सारा मामला निपट गया है। मैं इसे बहुत दु:ख के साथ कह रहा हूं। यह सब कुछ उन प्रमाणित अपराधियों के, काले कारतूत करने वालों के हित को सुरक्षित रखने के लिए किया गया जो पिछले छह वर्षों से भारत पर आक्षेप लगाते आ रहे हैं और जिन्होंने भारत की स्थिति को संवरने से रोका है। वे लोग हंसी उड़ाते रहे हैं। और वे भारत के संविधान की हंसी उड़ाना जारी रखे हुए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि उनको मजबूत करने में हमारा भी हाथ था। यदि आपके मन में जनता के हित की चिन्ता है तो कृपया आपने जैसा कहा कि "उसमें कुछ भी नहीं है, हम मिथ्यावादी हैं", इस बात की गंभीरता बताइए, क्योंकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने दूसरे दिन व्यापक छिनिकवाद के विषय में जो वक्तव्य दिया था, उसके कारण माधव सिंह सोलंकी को इस्तीफा देना पड़ा था। इस छिनिकवाद ने भारत को क्षीण कर दिया। यह भी बोफोर्स वाद-विवाद के सम्बन्धित भाग है।

श्री माधव सिंह सोलंकी जी की इस दुखद घटना से तीन पहलू जुड़े हुए हैं और उनका सरल एवं संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। पहला पहलू इस रहस्यमय वकील का है। अब वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे उनका नाम नहीं जानते हैं। माननीय श्री माधव सिंह सोलंकी कहते हैं, "वे नहीं जानते कि वह वकील कौन है।" कल मैंने कहा था कि वह वकील भारतीय है। मुझे खेद है कि उसी बात को दोहराने में, मैंने सभा का समय व्यर्थ किया। आप कैसे कह सकते हैं कि वह व्यक्ति वकील है? किस आधार पर आप कहते हैं कि वह वकील है। क्या यह संभव नहीं है कि वह कोई जासूस है? क्या वह खुफिया विभाग का आदमी नहीं हो सकता? क्या वो बिजनैस एक्जीक्यूटिव नहीं हो सकता है जो कि वकील होने का नाटक कर रहा हो? इस तथाकथित वकील का परिचय भारत के विदेश मंत्री से किसने करवाया था? श्री माधव सिंह सोलंकी जी, जब स्विट्जरलैण्ड के विदेश मंत्री से मिलने के लिए सरकारी दौरे पर दावोस गए थे, तब वे उस सुन्दर शहर 'बर्ने' की यात्रा पर गुजरात के एक नागरिक के रूप में पर्यटन के लिए नहीं गए थे। वे केवल आपके प्रतिनिधि बनकर नहीं जा रहे हैं, सही माने में वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं और यदि कोई उनसे कहता है कि "क्या क, ख, ग से आपकी भेंट होगी। वे बोफोर्स से सम्बन्धित कोई कागजात देंगे?" वह व्यक्ति कौन था जिसने उस वकील का परिचय माधव सिंह सोलंकी जी से करवाया था? हमें इसको जानने का अधिकार है। शुरू में रक्षा मंत्री जी ने जो घोषणात्मक प्रारम्भिक बयान दिया था उसमें इस रहस्यमय वकील या उस व्यक्ति का जिसने हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री से परिचय करवाया था, उल्लेख नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि यह ठीक नहीं है। ऐसा हुआ नहीं होगा, और यहां तक कि मुझ जैसे साधारण सांसद के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक परिचय-पत्र लिखता है तो मैं उसे पूरी

तरह से पढ़ लेता हूं। उसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा या पढ़ने की कोशिश करूंगा, भले ही मेरे पास वक्त की कमी हो। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के उस व्यक्ति के साथ बैठूंगा और दो मिनट ही क्यों न हो, बात करूंगा। पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस तथाकथित रहस्यमय बनाम वकील या वकील न हो या जो भी हो, उनके और श्री माधव सिंह सोलंकी जी के बीच क्या बातचीत हुई? उन्होंने श्री माधव सिंह सोलंकी जी से क्या कहा था? श्री माधव सिंह सोलंकी जी की क्या प्रतिक्रिया थी? उस भद्र पुरुष ने, जो भले ही भद्र पुरुष नहीं थे या जो कुछ भी हो, श्री माधव सिंह सोलंकी जी को यह पत्र देते समय क्या कहा था? टाइप किए हुए पांच कागज हैं। ये टाइप किए हुए पांच कागज क्या हैं और किसने इसे टाइप किया था? मैं सरकार की कठिनाई जानता हूं। मेरे वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सही कहा है कि ज्ञापन कहां है? सरकार को यह नेक सलाह दी जाती है कि, प्रेस में इस ज्ञापन के प्रकाशित होने से पहले, संसद में इसे प्रस्तुत करें और मैं कठिनाई को जानता हूं। मैं भी उनकी कठिनाई में शामिल हूं। कृपया भारत के लिए शर्मनाक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। ये वो दस्तावेज हैं जिसे उन परिस्थितियों में, मैंने जिसका जिक्र अभी किया था, हमारे विदेश मंत्री ने स्वीट्जरलैण्ड के विदेश मंत्री को सौंपा था। और हमारे मंत्री अब कहते हैं कि "मेरे पास इनकी प्रति नहीं है।" हमारी सरकार, स्वीट्जरलैण्ड सरकार के पास क्या मुंह लेकर जाएगी और कहेगी कि "नमस्कार। क्या हमें एक प्रति भेजेंगे, क्योंकि हमारी प्रति गुम हो गई है?" मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। कृपया, आप जारी रखें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं स्थिति को समझता हूं और एक भारतीय होने के नाते मैं अपमानित महसूस करता हूं। मैं तब भी अपमानित महसूस करूंगा यदि भारत सरकार स्वीट्जरलैण्ड सरकार से कहेगी कि हमारे पास प्रति नहीं है या हमने प्रति खो दी है, या वे जाकर कहेंगी कि भूतपूर्व विदेश मंत्री ने जो कुछ किया या नहीं किया, क्या आप हमें उसकी एक प्रति भेजेंगे। यह अपमानजनक है। बेशक यह उनके लिए भी अपमानजनक है। लेकिन यदि ये उनके लिए अपमानजनक है तो हमारे लिए भी उतना ही अपमानजनक ही है। लेकिन उन्होंने हम सबका अपमान किया है। और मैं सत्ता पक्ष से इस पर गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह हम सबका अपमान है। यह कोई हर्ष की बात नहीं है। इसमें हर्ष की क्या बात होगी? हमें हर्ष कैसे होगा, जब वे हमारा भारतीयों के रूप में सबके सामने अपमान हो रहा है और हमारी हंसी उड़ायी जा रही है? और हमारा केवल इसी बात पर उपहास नहीं किया जाता है बल्कि हमारा उपहास इसलिए भी किया जाता है कि हमारा नाम भ्रष्टाचार के साथ जुड़ गया है और हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे हमें बहुत दुःख होता है।

महोदय, एक क्षण के लिए उन घटना क्रम पर ध्यान दीजिए। मुझे यह अपमानजनक महसूस हुआ कि आज के समाचार-पत्रों में स्वीट्जरलैंड सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता कहते हैं कि "हां, हमें वैसा दस्तावेज प्राप्त हुआ है।" और वे ये कहना जारी रखते हैं कि उन दस्तावेजों में एक विनती की गई या कुछ ऐसा ही कहा गया था कि बोफोर्स की जांच को धीरे से चलाएं। हम नहीं जानते हैं। हमें तो स्वीट्जरलैण्ड के प्रवक्ता की बातों पर ही निर्भर होना पड़ेगा कि हमने

उन्हें बता दिया था। मैंने इसका उल्लेख किया है और कृपया तिथियों पर ध्यान दीजिए।

1 फरवरी के दिन यह दस्तावेज बरने में, या जहां भी हो, स्विट्जरलैंड के विदेश मन्त्री को सौंपा गया था। 17 फरवरी को स्टॉकहोम मे 'डेजेन्स नैहटर' रिपोर्ट आती है और 18 व 19 फरवरी को यहां दिल्ली की जनता को भी इसकी जानकारी हो जाती है। 23 मार्च के दिन, समाचार पत्र में यह रिपोर्ट छपती है, और 24 मार्च को अन्त में, माननीय रक्षा मंत्री ने जो संभावित तिथि बताई थी, उस दिन, भारत सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। 1 फरवरी और 24 मार्च के बीच आठ सप्ताह बीत गए।

क्या यह भारत सरकार का सुझाव है कि विदेश मंत्री ने इस घटना के बारे में किसी स्तर पर किसी को भी सूचित नहीं किया ? अगर वास्तव में सरकार का यही कहना है कि इन सात या आठ सप्ताहों के दौरान विदेश मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक भी सरकारी ज्ञापन या टिप्पण नहीं भेजा तो मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। तथापि, इस पर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा क्योंकि यह तो अपने आप मे ही स्पष्ट है। मैं इसके अन्य संभावित परिणामों के पहलुओं की ओर इशारा करना चाहता हूं। हालांकि मुझे इस शब्द के प्रयोग करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, यद्यपि श्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि यह एक अनजाने में की गई भूल थी। मैं उनके द्वारा व्यक्त किए गए शब्द ही इस्तेमाल करना चाहूंगा, उससे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अगर अनजाने में ही पूर्व विदेश मंत्री ने ऐसा किया है, तो इसके परिणाम क्या होंगे। मुझे ज्यादा जानकार लोगों ने बताया है कि अगर यह धनराशि विमुक्त हो जाती है तो भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की कतिपय धाराएं विदेश मन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने या उसमें शामिल होने के आरोप में लागू की जा सकती हैं। इस तरफ भी सरकार को अपने विचार प्रकट करने चाहिए।

दूसरे, मुझे फिर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय विदेश मन्त्री ने अपने द्वारा दोनों सदनों को दिए गए लिखित बयान में भी गलत जानकारी दी है। सदन में, हमें इसके स्पष्टीकरण के बारे में प्रश्न करने का अवसर नहीं मिला है।

मैं यहां इस सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। पहला अनुरोध पत्र के बारे में है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो गणराज्य प्रमुख के तरफ से भारत सरकार के प्राधिकार से जारी किया गया है। इस पत्र के जारी करने के पीछे भारत की सारी जनता का आभार छिपा होता है। तत्कालीन विदेश मंत्री इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे कि इस तरह के अनुरोध पत्र स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा दूसरे अन्य देशों को भेजा गया था। इसकी जानकारी होने के बावजूद भी अगर उन्होंने स्विट्जरलैण्ड सरकार को कोई ज्ञापन दिया, चाहे वह ज्ञापन बिना हस्ताक्षर के ही क्यों न रहा हो, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस देश के कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने भारतीय गणराज्य की इच्छाओं का उल्लंघन किया है। इसके परिणाम अपेक्षित हैं।

दूसरी बात भी अनुरोध पत्र के सम्बन्ध में ही है। उन्होंने (विदेश मन्त्री ने) वास्तव में में गलतबयानी की है। मैं सदन का समय उनके द्वारा दिए गए बयान को दुहराने में बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्होने कहा था कि विदेश मंत्रालय को बोफोर्स मामले से कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे दु:ख है कि उनका यह बयान नितान्त गलत है। मुझे खुशी होगी अगर सरकार मेरी गलती को सुधार दे। वास्तव में, अनुरोध पत्र दूसरे देशों की सरकार को बिना विदेश मंत्रालय के परामर्श

से जारी ही नहीं किया जाता, बल्कि वह इस मंत्रालय के माध्यम से ही जारी किया जाता है। अगर मैं गलत हूं तो सुधार किया जा सकता है।

मैं एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुझे माननीय विदेश मन्त्री के बारे में सिर्फ एक या दो स्पष्टीकरण और चाहिए। उसके बाद योच के साथ सुझाव मैं रखना चाहूंगा। ये स्पष्टीकरण बृहत श्रेणी के हैं, अतः मैं उन सबको सूचीबद्ध नहीं करूंगा। ये प्रश्न मुख्यतः इनके द्वारा सदन को अभी दिए गए वक्तव्य के कारण उभरे हैं। इन्होंने विभिन्न अवसरों पर, मैं उन अवसरों को दुहराने में सदन का समय व्यर्थ नहीं करूंगा, कहा है कि कुछ लोग हमेशा ही इस संबंध में अपील दायर करते रहे हैं चाहे मामले की सुनवाई ज्यूरिच में हो या जेनेवा के 'कैन्टूनल कोर्ट' या किसी अन्य न्यायालय में। उन लोगों के नाम बताने में इनको शर्मिन्दगी क्यों महसूस हो रही है। अगर ये उन लोगों का नाम जानते हैं, तो इन्हें हमें भी बताना चाहिए कि अमुक लोगों के विरुद्ध अपील दायर की गई है। मुझे उन सभी लोगों की सूची नहीं चाहिए। अब ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं।

कुछ अनुशंसाएं, सुझाव और कुछ आवश्यक कदमों के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार को इन पर कार्यवाही करनी चाहिए, मैं एक या दो वाक्यों में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक बार फिर उबाऊ तरीके से दुहराता हूं कि सरकार को सभी रहस्यमय पहलुओं को साफ करना चाहिए, उसे उस वकील या कोई अन्य व्यक्ति का नाम जिसने यह कहकर उन्हें अपना परिचय दिया, उसके साथ हुए बातचीत का ब्यौरा और वह रहस्यमयी ज्ञापन जो इस समय उपलब्ध नहीं है।

दूसरा, यह मेरा मत है जिसे मैं सरकार के समक्ष रखता हू कि उसे "विभागीय" और "मंत्री स्तर" पर किये गए कार्य के अन्तर को स्पष्ट करना चाहिए। माननीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो विभागीय तौर पर हरकत में आ गया है और कुछ पत्र आदि भी प्रेषित कर चुका है। आशय और स्थिति में बदलाव आ जाता है जब विदेश मंत्री किसी दूसरे देश में पहुंचकर अनौपचारिक रूप से ही सही कोई दस्तावेज वहां के विदेश मंत्री को सौंपता है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह कहना काफी नहीं है कि चूंकि केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो द्वारा ऐसे पत्र भेजे जा चुके हैं, इसलिए यह मामला यहीं खत्म हो जाता है। मेरा सरकार से यही कहना है कि कोई भी औपचारिक सूचना विदेश मंत्रालय के मार्फत ही भेजी जानी चाहिए (भेजी जाती है) और उसे स्पष्ट करना चाहिए कि भारत सरकार का उस ज्ञापन में उल्लेखित विषयों से कुछ भी लेना-देना नहीं है और वह एक असावधानी से की गई गलती थी।

महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह कार्यवाही शीघ्र करे और इसे निर्णय करे ताकि जेनेवा के कैन्टूनल कोर्ट में 3 अप्रैल के मुकदमे की तारीख को भारत सरकार के किसी स्पष्ट अनुदेशों के अभाव में स्थगित न करना पड़े।

मेरी सरकार से अपील है कि इस मामले में धन प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम कुछ भी हों लेकिन कम से कम दो व्यक्तियों की पहचान तो सुनिश्चित और स्पष्ट हो चुकी है जिसमें से एक है बोफोर्स के एजेंट, श्री विन चड्ढा जिसे सजा देने के लिए या उसकी सम्पत्ति के कुर्की के लिए या दूसरी अन्य कार्यवाही के लिए सरकार कानून के अन्तर्गत मौजूदा अनेक तरीकों

का इस्तेमाल कर सकती है। मैं अगर गलत नहीं हूं, तो सरकार इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही नहीं कर रही है।

दूसरे श्री हिंदुजा भी इस मामले में शामिल हैं, यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। वस्तुतः उन्हीं के प्रतिनिधियों एवं वकीलों ने स्विटज़रलैंड के 'फेडरल कोर्ट्स' के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की है। अगर वे आधिकारिक धन-प्राप्तकर्ता नहीं हैं और स्वच्छन्दतापूर्वक रह रहे हैं, तो वह अपने आप में एक गलत प्रक्रिया है। इन दो अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही होनी ही चाहिए। स्विटजरलैंड के गुप्त खाते को प्रकाश में लाने का आश्वासन देने का सरकार से अनुरोध है।

एक और सुझाव, बोफोर्स के बारे में जो दबाव डालने वाले लोग हैं, उन्हें फिर से उजागर किया जाना चाहिए। हमारे हितों का संबंध अभी भी उनसे है। यह कार्यनिपुणता और प्रवीणतापूर्वक हो सके, सरकार की जिम्मेदारी है। यह निश्चित रूप से रक्षा मन्त्रालय के हाथ में है। कृपया उन अधिकारियों को फिर से इस कार्य पर तैनात किया जाए जिन्होंने बोफोर्स मामले की जांच में अपनी सफलता का प्रदर्शन किया था।

अन्त में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संसद में एक स्वर और सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित करें कि "यह सदन बोफोर्स हथियार के खरीददारी से जुड़े हुए गम्भीर मुद्दों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का आह्वान करती है और इनकी जांच से जुड़े सभी एजेंसियों को शीघ्रता से कार्य निपटाने की निर्देश देती है ताकि इससे सम्बन्धित तथ्य लोगों के सामने जल्द से जल्द रखे जा सकें।"

इस नौ सूत्री-फार्मूला में काट-छांट की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने खातिर, इस देश के खातिर और कानूनी नियम की मूल्यों की बहाली के खातिर इस दिशा में कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, सत्ताधारी दल के लोगों ने और विशेष कर माननीय बंसल ने एक प्रश्न पूछा है—वी० पी० सिंह की सरकार ने ग्यारह महीनों में क्या किया था? मैं इस प्रश्न का जवाब देने के पहले, एक उल्टा प्रश्न पूछना चाहता हूं। वी० पी० सिंह की सरकार ने ग्यारह महीनों में जो कुछ भी किया, अगर वह नहीं किया होता, तो आज क्या स्थिति रहती? इसी को लेकर आप लोग घूमते, यह आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : व्हाइट हो गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : काला है।

अध्यक्ष जी, इसमें आप लोगों ने निष्कर्ष निकाले थे, मैं इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने नहीं जाऊंगा, टिप्पणियां तो पिछले कई सालों में हो चुकी हैं। इसमें जो आपने निष्कर्ष निकाले थे, उन निष्कर्षों पर आप आज भी डटे रहते। रक्षा मंत्री का बयान जो इस सदन के अन्दर आ गया, जिसमें हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, स्वीडन में क्या कर रहे हैं, हिन्दुस्तान की अदालतों में क्या कर रहे हैं, स्विटज़रलैंड में क्या कर रहे हैं—ये सारी बातें आ गई थीं। वी० पी० सिंह की सर-

कार ने आज आपके इस बयान के देने तक जो काम किया, मैं चाहूंगा, अध्यक्ष जी, कि सत्ताधारी दल के लोग सबसे पहले अपने ख्याल में रखने का काम करें, क्योंकि कुछ बिना सोचे बोलने की जब बात होती है, उसके नतीजे कभी-कभी बहुत खराब हो जाते हैं।

यह आपकी जो जे० पी० सी० की रिपोर्ट है, मैं इसको कोई लम्बा पढ़ने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज के संदर्भ में, इस बहस के संदर्भ में, रक्षा मन्त्री के बयान और विदेश मन्त्री के इस्तीफे के संदर्भ में दो जुमले, जो कि समिति का कन्क्लयुजन है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसका एक कन्क्लुजन है—

[अनुवाद]

"ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चल सके कि बोफोर्स तोपों की खरीद की प्रक्रिया में कोई दलाल भी शामिल था, इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है जिससे किसी को कमीशन अथवा रिश्वत दिए जाने के आरोप को सिद्ध किया जा सके। इसलिए, किसी भारतीय अथवा भारतीय कम्पनी, चाहे वह भारत का निवासी हो अथवा न हो, को भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता विशेषकर उन हालात में जबकि इसके विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा।"

आगे कहते हैं—

"किसी दलाल के विद्यमान होने तथा/अथवा कमीशन को भुगतान किए जाने की आशंका मात्र ही बोफोर्स के साथ किए गए ठेके को समाप्त करने अथवा बोफोर्स द्वारा तीन विदेशी कम्पनियों को किए गए भुगतान को सरकार को वापस करने हेतु, दावे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। भारत के महान्यायवादी का भी यही विचार है।

इस बात को प्रमाणित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि बोफोर्स द्वारा कुल एस०ई० के 319.4 मिलियन के भुगतान से किसी भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ है।

भारतीय ठेके को प्राप्त करने के लिए बोफोर्स द्वारा किए गए अन्य किसी भुगतान का भी कोई प्रमाण नहीं है।"

[हिन्दी]

यह आपकी रिपोर्ट है और इसी को लेकर आज भी इस सदन में आप खड़े होते हैं, यह कहने के लिए बोफोर्स का मामला इसके अन्दर रखा है। इसलिए मैं फिर एक बात दोहराता हूं—आपको यहां तक पहुंचाने का काम वी० पी० सिंह की सरकार ने ही किया। कैसे किया ? सबसे पहले, जनवरी 22, 1990 को एफ० आई० आर० फाइल किया था, जो कि 60 पेज का था। जिसमें नाम दिए, जितने संभव थे उतने नाम दिए। जितनी जानकारी हासिल करना संभव था, उतनी जानकारी दी। 26-1-90 को स्विटजरलैंड ने मिनिस्टर आफ जस्टिस ने छः एकाउन्ट्स···

एक माननीय सदस्य : जब्त किए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब्त नहीं किए फ्रीज किए—अब जो भी आप इसको कहिए। मगर उसको इस्तेमाल करने से रोक लगाने का काम किया। जिसमें एक था—एईज सर्विस का;

तीन थे—मोरेस्को के जिनके नाम थे—लोट्स, ट्यूलिप और मोंट-ब्लैंक। इनको करते वक्त एक झूठा एकाउन्ट मिल गया, जिसको इस्तेमाल करने से रोक लगाने के लिए स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने यह कहा कि एक एकाउन्ट मिला है, जिसके बारे में आप लोगों के एफ० आई० आर० में कोई जिक्र नहीं है और जो नाम आप लोगों ने दिए हैं वह नाम भी कहीं मिलते-जुलते नहीं हैं और फिर बोले कि कोई और नाम अगर आप लोगों के पास है वे दे देंगे, तो फिर इस पर भी कार्यवाही हो सकती है; तो मात्र तीन नाम बताए गए थे और वह बताने पर यह नहीं पूछा गया कि कौन-सा नाम क्या है और न मैं इधर बताऊंगा कि कौन से नाम थे लेकिन केवल तीन नाम बताए गए थे और उन तीन नामों में से एक कोई एक नाम को उन लोगों ने पहचान लिया और उस एकाउन्ट पर रोक लगाई है, जो यहां बोफोर्स के एकाउन्ट का हम लोग हिसाब लगाते हैं इससे काफी ज्यादा रकम के वे एकाउंट हैं, यानी केवल बोफोर्स के ही मामले तक सीमित नहीं है, बहुत आगे पहुंच चुका है, कई जगहों तक पहुंच चुका है और उस पर भी रोक लगाने का काम वी० पी० सिंह के सरकार के चलते हो गया।

फिर 9 मई, 1990 को ज्यूरी की अदालत ने, ज्यूरी के केंटोनल अदालत ने यह तय किया कि ए० ई० सर्विसिस के जो भी दस्तावेज हैं वह भारत सरकार को दिए जाएं, इस पर अपील हो गया, अपील का फैसला भी हो गया 13 नवम्बर को और 7 नवम्बर को हम लोग यहां से हटा दिए गए और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या हुआ और जब मैंने पूछा कि 13 नवम्बर, 1990 के ज्यूरी के उस फैसले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह फैसला, स्विटजरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने और जो दस्तावेज आपके हाथों में आए हैं उन दस्तावेजों में क्या लिखा है, उन दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के लिए आप क्यों तैयार नहीं हैं, इसका जवाब आप हमको देने का काम करें।

फिर जेनेवा में 3 जुलाई को केंटोनल कोर्ट ने यहां जो लेटर रोगेटरी दिए थे उसको लेकर एक आपत्ति उठाई और आपत्ति क्या उठाई, आपत्ति यह उठाई कि अंग्रेजी का फ्रांसीसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था उसमें कुछ टैक्नीकल गलतियां थीं, उसको दुरुस्त करके दिया गया और जब जेनेवा के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील आ गया कि जेनेवा के इस मामले को लेकर, इस लेटर रोगेटरी को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला आ गया, जिसमें श्री एच० पी० हिन्दुजा का नाम भी सामने आ गया, यानी अब हम लोग ए० ई० सर्विसिज से आगे बढ़कर मोरेस्को पर पहुंच गए और फिर सवाल आता है स्वेंस्का का, अब उस पर वह किसका एकाउन्ट है यह कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी सारी जानकारी आप लोगों के पास है और सदन में उन सारी बातों को मैं रखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि जो बहस हो चुकी है और जो बातें इतिहास में जमा हैं, कोई भी लाइब्रेरी में जाकर उनको उठा सकता है इसलिए उसकी चर्चा मैं यहां पर फिर से नहीं छेड़ना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं जानना चाहूंगा, सरकार से कि एक स्वेंस्का कम्पनी है और सारी दुनिया में यह बात कही जाती है कि बिन चड्ढा की यह कम्पनी है, तीन महिलाएं इस कम्पनी की डायरेक्टर हैं, पनामा में इसका कार्यालय है। तीन महिलाओं के बारे में आपकी इस किताब में लिखा है, जे० पी० सी० की रिपोर्ट में लिखा है :

[अनुवाद]

वे ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है।

[हिन्दी]

उनके पास कुछ नहीं है ।

[अनुवाद]

इसलिए, वे तीन महिलाएं हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है।

[हिन्दी]

और उन्हीं का कहना है कि हमारा एक पोस्ट-बाक्स मात्र है बाकी हमारे पास कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

वे तीन महिलाएं हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है लेकिन एक पोस्ट बॉक्स जरूर है।

[हिन्दी]

उनको मिलता है 269.1 मिलियन क्रोनर कमीशन या उसको जो भी नाम से पुकारिए और रुपए में होता है 135 करोड़ रुपया, आज के अगर रुपए का और क्रोनर का हिसाब जोड़ें, तो आज सुबह की अखबारें कहती हैं कि 5.3 रुपया, एक क्रोनर है, 135 करोड़ रुपए होता है। (व्यवधान)

5.00 म० प०

हां, तब तो और ज्यादा हो जाएगा ।

सभापति महोदय, एई सर्विसेस के दो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो डायरेक्टरों की जो पूंजी है, एक डायरेक्टर की पूंजी है एक ब्रिटिश पाउण्ड, इंगलिश पाउण्ड, आज की अखबारों के हिसाब से 44 रुपए और दूसरे का भी है 44 रुपया, एक और पाउण्ड, और बाकी जो उसके 98 शेयर हैं वे ऐसी ही हांगकांग की एक बेनामी कम्पनी के नाम हैं। उसके नाम दिखाया गया ए० ई० सर्विसस, 252.3 मिलियन क्रोनर्स, यानी आज के हिसाब से 126 करोड़ रुपया। तीसरा है मोरेस्को, जिसका मैंने जिक्र किया है, उसके हिसाब में है 252.3 मिलियन क्रोनर्स, यानी 126 करोड़ रुपया। यदि वह कुछ जोड़ने की बात करेंगे, रुपयों में क्रोनर्स के मुकाबले तो 400 करोड़ रुपए का हिसाब होता है। अब इसमें से मैं जानता हूं कि सारा रुपया नहीं दिया है, लेकिन कितना दिया है, कितना नहीं दिया है, उसका पूरा हिसाब जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक यह था कि 1990 तक पैसा दिया जाएगा और 1987 में स्वीडिश रेडियो ने इस बात को लाने का काम किया और स्वीडिश तथा हिन्दुस्तान, दोनों देशों की अखबारों ने इसको रखने का काम किया। जिन अखबारों के प्रति आपको नफरत है, क्योंकि उन्होंने मुद्दे को उठाया, उन लोगों का नाम रखने का काम आप लोग करते हो, आपको डीस्टेबलाइज करने के लिए यह मुद्दा उठाया गया, ऐसा आप कहते हो, जो उन लोगों ने इन सवालों को उठाया। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार 225 करोड़ रुपया आज के हिसाब से जा चुका है और 175 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है, आज के हिसाब से। माफ करिए, मैं आज के एक्सचेंज के हिसाब से जोड़ता हूं, ताकि अन्दाज हो जाए, क्योंकि पैसा अभी भी स्विस बैंकों में, स्वीडिश बैंकों में जमा है। मामला जिस तरह से हम लोग हल करना चाहते हैं, उस तरह से हल नहीं होगा, जो संसद में जिस प्रकार की बातें कहीं, अगर

उनकी बातें सरकार की नीति बन गईं तो फिर जब पैसा हिन्दुस्तान आ जाएगा तो 225 करोड़ रुपया आज जो मिला है वह 225 करोड़ बनकर आ जाएगा और उसके साथ 175 करोड़ और मिलकर आ जाएगा, या जहां कहीं भी जाएगा। तो इस तरह से जो सवाल पूछते हैं कि पैसा कहां गया और उसका क्या हुआ, तो यहां पर उसका उत्तर है। इससे अधिक मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आज जो बहस के लिए यह मुद्दा आया है, मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अपने निवेदन की शुरूआत की है—

[अनुवाद]

> "पिछले कुछ दिनों में, अनेक माननीय सदस्यों ने बोफोर्स मामले की जांच के संबंध में नवीनतम स्थिति को जानना चाहा है विशेषकर कुछ रिपोर्टों के संदर्भ में जो कि फरवरी, 1992 में स्वीडन के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई और तत्पश्चात् हमारे समाचार-पत्रों में।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आमतौर पर अखबारों के बारे में यहां पर जिक्र करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने अखबारों से ही शुरू किया है। यानी अखबारें जो कहती हैं, उनमें भी जान होती है, दम होता है, सच्चाई होती है, जिसकी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए और उससे अनेक चीजें बन-बिगड़ सकती हैं, इस बात को आपने मान लिया है, इसकी मुझे खुशी है। इसलिए सभापति महोदय, उस अखबार के जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखी, उसका विशेषतौर पर यहां पर नाम लेना चाहता हूं, एण्डरसन, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, उन्होंने इस सवाल को फिर एक बार स्वीडन से छेड़ने का काम किया और जब बंसल जी यह कहते हैं कि यह सब बिगाड़ने की एक राजनीतिक साजिश है तो एंडरसन जो स्वीडन के एक वजनदार अखबार डेगन्स नेहीटर के पत्रकार हैं, उनका मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार, हिन्दुस्तान की राजनीति, उस दल या इस दल से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, न कोई झगड़ा है। स्वीडन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा मात्र नहीं होती है, खूब लिखा जाता है। शायद सदन को मालूम नहीं होता, 1000 पन्ने की रिपोर्ट स्वीडिश भाषा में इस मामले को लेकर तैयार है और वह किताब यहां पर है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में हो गया और मैं चाहूंगा कि जब यह चर्चा हो, क्लासीफाइड, इस किताब को लेकर, हिलरी वैस्टैंडर ने यह किताब एक साल पहले लिखी, स्वीडिश भाषा में लिखी, अभी अनुवाद होकर हिन्दुस्तान में यह प्रकाशित हो चुकी है, हम चाहेंगे कि लोग इसे पढ़ें। इसलिए पढ़ें ताकि जो प्रश्न इसमें छेड़े गए हैं, जो बातें इसमें उठायी गयी हैं, उनका जवाब देने का काम सभी लोग करें। वर्ना जो बहस होती है, उस बहस को कोई दिशा नहीं मिलेगी, वर्ना तो तथ्य एक के बाद एक इस बोफोर्स के मामले को लेकर, इसके साथ जुड़े हुए अन्य मामलों को लेकर आने लग जायेंगे तो फिर हम लोग भी परेशानी में पड़ जायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि जब एक प्रश्न की चर्चा होती है, सोच समझकर उसका विवाद भी चले और उनमें उठे हुए प्रश्नों का यहां पर जवाब देने का भी काम हो जाए।

सभापति महोदय, यह जो रक्षा मंत्री जी का निवेदन यहां पर है इसी के कुछ जुमले हैं, जिन पर हम उनसे कुछ खुलासा, कुछ सफाई चाहेंगे। उनके अपने कथन के अनुसार पिछले सात

महीनों में आपकी सरकार ने इस मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। अगस्त और सितंबर, पिछले साल के आखिर में वह प्रस्ताव वहां गया, स्विस बैंकों के सामने और अगस्त तथा सितम्बर के बाद आपकी किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई। अभी जो किसी डी० एस० पी० को आपने वहां पर भेजा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस डी० एस० पी० ने वहां जाकर क्या बातें कहीं, क्या सवालों को छेड़ा, किस-किस से उन्होंने बातों की, इसको लेकर बहुत विवाद है। मैं रक्षा मंत्री जी से विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि अखबारों का जिक्र करना आपने शुरू किया है, स्टेट्समैन के पहले पन्ने पर 25 मार्च और 26 मार्च को आपके डी० एस० पी० द्वारा वहां जाकर की हुई बातों और स्विटजरलैंड के अधिकारी द्वारा उनको मिला हुआ जवाब और स्टेट्समैन के सी० आर० ईरानी की जो जानकारी इन दोनों की बातों के बारे में और वहां के काम के बारे में मिली है अगर उसे भी आप ध्यान में लाने का काम करें तो फिर मामला कितना गम्भीर है और कहां तक आपने पिछले सात महीनों में मेहनत की है, जो आज इस बयान में आप हमें बताना चाहते हैं, वह स्पष्ट हो जाएगा आपको भी और समूचे सदन को भी।

5.08 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष जी, इसमें जो दूसरा जुमला है, जिसको लेकर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है स्विटजरलैंड के अधिकारियों के पास जब आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेज दिया तो वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला भेजने के बाद इसमें कौन-सा तुक था कि विन चड्ढा नाम का एक ऐसा व्यक्ति, जिसको अगर आज हिन्दुस्तान में कानून काम में लाया जाता, जेल के अन्दर बैठना चाहिए था, उस आदमी ने अनेक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके इस देश में कानून, इस देश की अदालत, हर चीज को गैर-इस्तेमाल करके समय मारने का, समय काटने का प्रयास चलाया है।...

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ राय जी सो रहे हैं।...... (व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप ऊर्जा मन्त्री में कुछ ऊर्जा डालिए।

अध्यक्ष महोदय : वे उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन क्या वे ऐसा कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : मैं रक्षा मंत्री से इस बात का खुलासा चाहूंगा कि आपको क्यों जरूरत पड़ी कि सरकार की तरफ से इस दस्तावेज को आपने स्वीटजरलैंड के अधिकारियों को भेजने का काम किया। आप उनको क्या बताना चाहते हैं। आपने इसमें लिखा है कि हमारी तरफ से उनको कहा गया है कि मुकदमे को हम लोग पूरी गम्भीरता के साथ चलाना चाहते हैं। लेकिन, आपको सरकार ने कभी यह बात नहीं कही कि इसको कबूल क्यों नहीं करते हैं। आपके सी० बी० आई० के अधिकारी चाहे एस० पी०, डी० एस० पी० जो भी हों, स्वीडन के कानून

मंत्री, वहां के एटोरनी जनरल और वहां के तमाम अधिकारियों को अपनी तरफ से यह कहते हैं कि हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत गम्भीर हैं। लेकिन आपकी सरकार सात महीनों में चुप नहीं बैठती है। आप बिन चड्डा की पेटीशन भेजकर बताना चाहते हैं कि अगर आप इस मामले को आहिस्ता-आहिस्ता चलायेंगे जैसा हिन्दुस्तान में प्रयास चल रहा है। इसमें कोई भी एक अन्तिम निर्णय न हो तो हमको इस पर आपत्ति नहीं होगी। मेरा आरोप है कि चाहे जो भी बातें हों, यहां रखें। लेकिन इनकी नीयत इस मामले में हमारा जहां तक समझ है, मुझे साफ नजर नहीं आती है। इसका अन्तिम सबूत यह है जो विदेश मंत्री के इस्तीफे से हम लोगों को मिल गया है। हम प्रधान मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मंत्री सचमुच में चाहते हैं कि हम लोग इस बात पर विश्वास रखें कि उनके भूतपूर्व विदेश मंत्री, जिनको हमारे रक्षा मंत्री ने अभी भी विदेश मंत्री बना रखा है, भले ही आपने उनको निकाल दिया है, वे अभी भी विदेश मंत्री कहकर पुकार रहे हैं।

[अनुवाद]

वह कहते हैं :

"माननीय सदस्य विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से अवगत हैं। विदेश मंत्री पहले ही मैंने सोचा उनका इस्तीफा—मामले पर अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे चुके हैं तथा सभा से खेद व्यक्त कर चुके हैं।"

रक्षा मंत्री (श्री शरद् पवार) : वह पहले था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह आज का वक्तव्य है।

[हिन्दी]

मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सचमुच उनको इस बात पर विश्वास है कि जिस व्यक्ति को अपने विश्वास में रखा, इस देश का विदेश मंत्री बनाया हिन्दुस्तान की नीतियों को दुनिया में चलाने के लिए, जिसकी बुद्धि पर विश्वास रहा, आपका विश्वासपात्र रहा और आपके वरिष्ठ साथी रहे हैं, वे डावोस जाते हैं। वहां वे स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री से मिलते हैं, मिलने के लिए जाते समय उनको कोई लिफाफा देता है कि यह भी उनके हाथ में दे दीजिए। वे वहां देते हैं और वहां से लौटकर आ जाते हैं। क्या आपको सचमुच विश्वास है। हमको परेशानी है नीयत के बारे में कि स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को आपका विदेश मंत्री एक नोट देता है कि किसी वकील ने दिया। पता नहीं उनको मालूम है कि वह वकील है। मैं रक्षा मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वे जरूर भूतपूर्व विदेश मंत्री से पूछें कि आइवाला नाम का आदमी है। आप उनको कहें तो ठीक से याद आ सकता है। चूंकि उन्होंने कहा था कि हमको याद नहीं है।

श्री शरद पवार : वह नहीं था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपने कह दिया कि वह नहीं है। लेकिन आप जांच कराकर देख लें।……(व्यवधान) आइवाला हिन्दुजा का वकील है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : वह भी भारत सरकार के एक वकील हैं जिन्होंने अब एक करोड़ से अधिक

रुपये की राशि के लिए भारत सरकार पर मुकदमा चलाया है जो भारत सरकार को उन्हें देनी है।

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : अब कुछ और जानकारी समझ में आ गई है। लेकिन हमें यह बात नहीं जंचती कि यह नोट जो गया है स्विटजरलैंड की सरकार के हाथ में, कोई ऐसा मामला है जिसको हम यहां हंसी-मजाक में हल करने का काम करें। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई जहाजों में और देश में भी घरेलू उड़ानों में जब हम लोग बैठते हैं तो काउन्टर से पूछा जाता है।

[अनुवाद]

क्या आपने अपने सामान की जांच की है? क्या यह आपका अपना सामान है? क्या आपने स्वयं इसकी जांच की है?

[हिन्दी]

यह सब पूछा जाता है। विदेश मंत्री जी को चिट्ठी दी जाती है, किसने दी, किसलिए दी, क्या काम के लिए दी, उनको कोई चीज मालूम नहीं होती है। यह हम लोगों के लिए कम से कम इस सदन के अन्दर हजम करने वाली या पीने वाली बात नहीं है, मुश्किल है इसको हजम करना। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे स्विट्जरलैंड की सरकार से तत्काल इसको मंगाने का काम करें और तत्काल एथोंटिकेट करें, क्योंकि वे एथोंटिकेट कर रहे हैं। वरना कोई और बीच में आ सकता है, कोई और वकील कहीं बीच में आकर अपनी फैक्स भेजने का काम कर सकता है। इसलिए ऐसी कोई हरकत इसमें न हो इसकी खबरदारी लेकर प्रधान मंत्री जी, आप स्विट्जरलैंड की सरकार को अभी अपने सचिवालय से फैक्स भेजकर इसको बहस पूरी होने तक मंगवाने का काम करें। बहस पूरी होने तक यह आ सकता है और क्या मामला है यह सबको मालूम हो सकता है। इसलिए एक तो यह दस्तावेज यहां आना चाहिए ताकि हम लोगों के मन में जो परेशानी हो रही है और सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाने की शंका हो रही है वह दूर हो।

अध्यक्ष जी, मुझे सरकार से इस सन्दर्भ में कहना है कि पिछले कई दिनों से आपने जो कुछ निर्णय लिये हैं इस जांच को लेकर, सबसे पहले मैं इसमें उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो इसकी जांच कर रहा था, माधवन को आपने क्यों हटाया? छुट्टी पर गये हुए आदमी को कह दिया कि बैठिये। कोई नई पोस्टिंग भी नहीं थी। और ऐसे व्यक्ति को लाकर वहां पर बिठा दिया जिनके बारे में, अब मैं यहां कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम लोग कर रहे हैं, अभी अमल दत्ताजी ने भी कह दिया कि :

[अनुवाद]

सभी तरह की जांच करने के लिए सरकारी अधिकारी···

[हिन्दी]

यानि उसको दफनाने का काम करते रहते हैं। आपने माधवन को क्यों वहां से हटा दिया? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप फिर से एक बार माधवन को उस काम को आगे बढ़ाने

की जिम्मेदारी सौंपने का काम करें और इसे सदन की राय मानकर इस काम को करें।

एक और बात मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आप यह मामला सारी अदालतों के जरिये समय काटने के रूप में कर रहे हैं। भारत के संविधान आपको मौका देता है, यह ठीक है। अनेक अदालतों में यह मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और नीचे तक की अदालतों में यह है। आपके वकील पांच-छः जगहों पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और निचली अदालतों में समय काटने के नाम पर लगे हुए हैं और इतनी पीटिशंस दाखिल करके बैठे हुए हैं और जो देश से बाहर जाकर बैठा हुआ है उसको लेकर आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अदालतों का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। जो मूल मुद्दा है जिसको हल होना चाहिए उसको हल करने से रोकने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो ये सारे मुकदमे हैं इधर-उधर हिन्दुस्तान की अदालतों में पड़े हैं इनको एक साथ डिसपोजआफ करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का या सरकार के स्तर पर निर्णय लेने का काम आप करें।

एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस बात को इरानी साहब ने अपने स्टेट्समैन में रिपोर्ट के रूप में छापा है, भारत सरकार के नाम के लिए यह ठीक नहीं है, उन्होंने स्विट्जरलैंड के बड़े अधिकारियों के नाम दिये हैं उनमें से जिनका नाम आपको मालूम है स्वीषा जैसे लोगों ने यह बताया कि हिन्दुस्तान के अकसर लोग हमें फोन करते हैं, हिन्दुस्तान के राजनैतिक नेता हमें फोन करते हैं, हमें संदेश भेजते हैं और यह कहते हैं कि आपकी सरकार नार्मली आफिशियली यह बात नहीं कह सकती है कि इसको धीमा चलाओ, इसको बैठाओ, इसको खत्म करो लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार इस चीज को चाहती है।

आपने अखबारों से बहस शुरू की है। जो अखबारों में आया है, वह आप समझ लीजिये। आपको विदेशी अखबार वाला चलता है, हिन्दुस्तानी नहीं चलता है? विदेशी अखबार में आने पर फिर यह हंगामा हो जाय तो आप बोलेंगे कि यह बड़ा भयानक हो गया। अगर अपना अखबार इसका खोज करके कोई चीज रखता है तो बुरी निगाह से रखी हुई बात नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि जिन-जिन अधिकारियों के पास टेलीफोन गये हैं, उन्होंने इसको रिकार्ड किया है। किसने किस समय किस तारीख को फोनकिया, उसका नाम और यह जानकारी पूरा रिकार्ड बन गयी है। अगर यह बात कल को फिर एक बार बहस का विषय दुनिया भर में हो जाये तो यह हमारे लिए अपने देश के लिए और अपनी सरकार के लिए शोभा देने वाली बातें नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको लेकर भी आप एक निश्चित निर्णय लेने का काम करें।

अध्यक्ष जी, हमारी सरकार से जो मांगें हैं तो उसमें कुछ बातें मैंने आपके सामने रखीं और कुछ 2-3 ठोस बातें भी प्रधान मंत्री से यहां पर कहना चाहता हूं। चूंकि मेरा नियम 184 के अन्तर्गत आपके सामने एक प्रस्ताव भी है जिस पर अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर बहस के बाद आप इसको रखना चाहेंगे तो उस वक्त इसको पेश किया जा सकता है। उस प्रस्ताव का मस्विदा क्या है, आपको मालूम है······

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आपने ही कहा है······

[अनुवाद]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : "बोफोर्स तोपों के सौदे से सम्बन्धित मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद यह सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि सरकार यह देखने के लिए तत्काल

कदम उठाए कि स्विस प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों के सम्मुख वर्तमान में लम्बित कार्यवाही पर शीघ्रता तथा पूरे जोर से काम हो ताकि सच्चाई तथा रिश्वत लेने वाले व्यक्तियों के नामों का पता चल सके। यह सभा यह भी संकल्प करती है कि प्रधान मंत्री स्विस सरकार को इस सम्बन्ध में यह संदेश भेजें कि क्या कोई संदेश अथवा पत्र-व्यवहार ...।"

[हिन्दी]

और यह केवल भूतपूर्व विदेश मंत्री ने जो दस्तावेज देने का काम किया है, वहीं तक सीमित नहीं। मेरा उन चीजों का ध्यान है कि जो यहां से टेलीफोन जाते हैं, जो अलग-अलग किस्म के विचार जाते हैं—जैसे आपके विदेश मंत्रालय के फॉरेन सेक्रेट्री ने स्वीडन के अम्बेजडर से कहा था :

[अनुवाद]

"अब समय आ गया है कि हम बोफोर्स के बारे में भूल जाएं।"

[हिन्दी]

मैं नाम नहीं लूंगा... मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, इनिशियल्स भी नहीं लूंगा, वे बोलता हैं और फिर इनके एम्बेसडर का फार्मल नोट गया है जिसे अखबारों ने छापा, इसके ऊपर बहस हो गयी, रेडियो पर आया। स्वीडन के बारे में कहा गया है कि

[अनुवाद]

"हमें भारत से दो भिन्न संकेत मिल रहे हैं।"

[हिन्दी]

एक कहता है आगे मत बढ़ो और आफिशियल कहता है कि आगे बढ़ो मगर अनऑफिशियल इंफार्मल कहता है कि आगे मत बढ़ो। तो हम चाहेंगे कि यह प्रस्ताव यहां हो जाये कि :

[अनुवाद]

"जो संदेश अथवा पत्र-व्यवहार उन्हें प्राप्त हों उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

अब जब बात हुई थी और हमारी जिस बात को ओर अभी हमारे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने यह संकेत किया कि मंत्री जी से बात हुई थी, एक नहीं अनेक मंत्री बैठे हुए थे, उनसे बात हुई थी, उसके दौरान हम लोग भी वहां बैठे हुए थे और जब यह प्रश्न आया कि इस प्रकार का प्रस्ताव यहां पर स्वीकृति के लिए रखा जाये या नहीं रखा जाये तो हमने एक बात कबूल की। अगर प्रधान मन्त्री अपने भाषण के दौरान इस बात को कुबूल करते हैं कि इस आशय का मैसेज उनकी तरफ से जाएगा, तो फिर हमें इस प्रस्ताव को यहां पर पारित करने की जरूरत नहीं है। चूंकि प्रधान मन्त्री का शब्द हमारे लिए इस प्रस्ताव के बराबर है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर उनकी तरफ से आज यहां पर सदन में इस प्रकार का स्पष्ट आश्वासन मिलता हो और यह आश्वासन स्विट्जरलैंड की सरकार को तत्काल यह सूचना जाए ताकि 3 तारीख को यह मामला जो

स्विट्जरलैंड की अदालत में आना है, और अगर तत्काल इस प्रकार का संदेश स्विट्जरलैंड को नहीं दिया जाता तो फिर 6 महीने के लिए वहां पर पड़ा रहेगा और आपको ही परेशानी होगी, हम तो चिल्लाते रहेंगे लेकिन आपकी परेशानी इसमें ज्यादा हो जाएगी।

अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा दो-तीन ठोस बातें या कहा जाए सूचना मैं देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं। पहली बात यह कि जिस हिन्दूजा का बार-बार यहां नाम आता है और जो हिन्दूजा सुप्रीम कोर्ट के कहने से स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें फंसा हुआ है, तो उस हिन्दूजा के हिन्दुस्तान में जितने भी उद्योग चल रहे हैं, उन पर तत्काल किसी न किसी प्रकार की पाबंदी लगाने का काम करना चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम होना चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी चाहेंगे कि डेगन्स नाइहिटर ने जितने ठोस आरोप लगाने का काम किया है, चूंकि यहां पर हम लोगों ने उनको बहस के लिए नहीं लिया, यहां पर उन्होंने आपके दल के बारे में भी कुछ लिखा है। उन्होंने आपके भूतपूर्व नेता के बारे में कई चीजें लिखी हैं। उन्होंने केवल बोफोर्स में क्या घट रहा है, क्यों विलम्ब हो रहा है, इतना ही नहीं लिखा, काफी खोजकर उन्होंने एक, दो नहीं, तीन लेख लिखे हैं और उनमें से एक-एक मुद्दे का जवाब आपको देना चाहिए, उस अखबार को देना चाहिए और इस देश के सामने भी देना चाहिए क्योंकि वह लिखी हुई बात केवल स्वीडिश भाषा में नहीं है, वह हिन्दी और अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में हिन्दुस्तान के लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा चुका है। सदन में आप क्या बोलेंगे, इससे बात नहीं चलेगी। उसमें से एक-एक जुमले को लेकर उसका जवाब देने का काम होना चाहिए और उसी तरह से "स्टेट्समैन" में 25-26 मार्च को जो ठोस आक्षेप या आरोप आपकी सरकार के ऊपर हैं, आपके काम के ऊपर हैं, इसके बारे में भी ठोस जवाब देने का काम करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री से अपेक्षा कर रहा हूं कि उनकी तरफ से आज इस सदन को आश्वस्त करने की बात होनी चाहिए कि जिस काम को श्री वी॰ पी॰ सिंह की सरकार ने शुरू किया था, जो पिछले 14-16 महीनों से काम धीमी गति में पड़ गया, बल्कि कहीं जगह उस पर रोक और रुकावट डालने का काम हुआ है, इस बात को आप आज आगे बढ़ने नहीं देंगे। एक विदेश मंत्री को आपने खोया है परन्तु और लोगों को खोने की परिस्थिति का निर्माण नहीं करेंगे और दुनिया के लोगों के सामने हिन्दुस्तान की और हम लोगों की जो बदनामी हो रही है, इस बदनामी से इस देश को बचाने का काम आप करेंगे। इस प्रकार का वचन और इस प्रकार के ठोस कार्यक्रमों के आश्वासन की मुझे आपसे अपेक्षा है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान से खड़े होते ही विपक्षी दलों ने जिस गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है, मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूं।

मैं यह कहते हुए अपनी बात आरम्भ करना चाहूंगा जो कि मैं समझता हूं कि आरम्भिक वक्ता श्री अमल दत्त ने अपने व्यवधान के बाद बिल्कुल इसी से ही सम्बन्धित प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि वह अप्रैल, 1987 से इस चैंबर में बैठे हुए बोफोर्स से सम्बन्धित बहस सुन रहे

हैं। उन्होंने पूछा है कि पिछले पांच वर्षों में इस सम्बन्ध में हमने कितनी प्रगति की है ?

मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। मेरे लिए यह तर्कसंगत होता, यदि मैं अपनी बात को इस बात से आरम्भ करता कि पिछली कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार के अन्तर्गत इस मामले में कितनी प्रगति हुई थी। लेकिन, इसके बजाए, आपके माध्यम से मुझे सबसे पहले श्री अमल दत्त को यह बताने दिया जाए कि श्री वी० पी० सिंह की सरकार के अन्तर्गत हमने क्या प्राप्त किया क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस मामले में कुछ प्रगति हुई थी। सबसे पहले, जनवरी, 1990 में श्री वी० पी० सिंह की सरकार इस विषय पर मूल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में कामयाब हुई। दूसरे, श्री वी० पी० सिंह सरकार ने अनुरोध पत्र भेजे जिसके परिणामस्वरूप कुछ खाते फ्रीज कर दिए गए। तीसरे, मैं माफी चाहता हूं कि मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि तीसरी उपलब्धि क्या थी क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा कुछ खाते फ्रीज करवाने की उपलब्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात् पूरा मामला ठप्प हो गया था क्योंकि श्री वी० पी० सिंह सरकार द्वारा जो अनुरोध पत्र भेजे गए थे, जेनेवा की प्रांतीय न्यायालय द्वारा उनमें कुछ त्रुटियां पाई गई थीं।

यदि श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने पूरी कुशलता के साथ कार्य किया होता जैसा कि उन्होंने पत्रों को भेजने में किया था तो शायद हमें ये अनुरोध पत्र दर्ज कर लिए गए होते और उनमें कमियां नहीं होतीं। यदि वे अधिकारी जिनके बारे में हमने प्रशंसा के ऐसे ऊंचे शब्द सुने हों, उनके पास कानूनी नाजुक मामलों तथा कूटनीति के नाजुक मामलों से निपटने की कोई थोड़ी-सी भी क्षमता होती तो उन्होंने ऐसे अनुरोध पत्र दर्ज न किए होते जिनकी कमियां खातों से लेन-देन बन्द हो जाने के पश्चात् इस मामले में आगे प्रगति के ठप्प हो जाने के लिए जिम्मेवार है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने इन अनुरोध पत्रों का मसौदा तैयार नहीं किया था। मैं श्री जसवंत सिंह से पूर्णतः सहमत हूं कि अनुरोध पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्राध्यक्ष के स्तर के व्यक्ति के नाम से तथा उसकी ओर से कानूनी कार्यवाही के बाद दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने किस तरह के अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए ? उन्होंने अनुरोध पत्र प्रस्तुत किए जिनमें कुछ बातें छोड़ दी गई थीं तथा जिनमें कुछ बातें जोड़ दी गई थीं। वे इन असाधारण सक्षम अधिकारियों की हद तक चले गए जिनके बारे में हमने सुना है। वे इस हद तक भी चले गए कि उन्होंने अनुरोध पत्रों में पेंसिल से पैन से भी नहीं, संशोधन कर दिए।

यह वी० पी० सिंह की सरकार थी कि जिसने उन अनुरोध पत्रों के खिलाफ अपील की। ये तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्पष्ट रूप से उस समय की सरकार के चहेते नहीं थे। वे विदेश के विधि न्यायालय में उस दस्तावेज को, जिसे श्री जसवन्त सिंह ने भारत के सम्मान बताया, वहां पहुंचाने में सफल हो गए जो कि बहुत असक्षम तरीके से लिखा गया था कि वह न्यायालय में टिक नहीं सका। यही कारण है कि वर्ष 1990 के दौरान यह मामला ठप्प हो गया।

हम क्या चाहते हैं ? हम इस मामले के सम्बन्ध में क्या चाहते हैं ? हम इस मामले की जटिलता को समझते हुए 1987 तथा 1989 के दौरान कार्यवाही करना चाहते थे, इस बात को समझते हुए कि विदेशों में सरकार की प्रक्रिया कितनी जटिल है, तथा विशेषकर जहां तक कि स्विट्जरलैंड में कर को छूट, धन रखने को छूट, काला धन रखने की छूट, तस्करों द्वारा धन रखने की छूट तथा माफिया धन की छूट के सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया का सम्बन्ध है। इस बात को जानते हुए कि यह कितना कठिन है, हम इस मामले में ध्यानपूर्वक कार्यवाही कर रहे थे। चूंकि

जिस तरीके से भारत सरकार बोफोर्स के मामले के संबंध में अप्रैल, 1987 तथा नवम्बर, 1989 में कार्यवाही करने में असफल रही है, मैं इस असफलता के पीछे की धारणा को भारतीय जनता के बड़े हिस्से तक पहुंचाना चाहता हूं जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 1989 में कांग्रेस सरकार गिर गई थी और श्री वी० पी० सिंह की सरकार दिसम्बर, 1989 के आरम्भ में सत्ता में आ गई थी। और वी० पी० सिंह जी के प्रधान मंत्री बनने के तीन सप्ताह के भीतर ही इस सभा में वाद-विवाद हुआ था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ बोफोर्स के विषय पर भी वाद-विवाद हुआ था। तत्कालीन विपक्ष नेता श्री राजीव गांधी जी ने सभा के समक्ष में कहा था कि वे चाहते हैं कि श्री वी० पी० सिंह जी की सरकार, इसमें सफल हो। वे वही विपक्ष नेता थे जिन पर बोफोर्स द्वारा दिए गए धन में संभावित हिस्सेदार होने का आरोप था। वे ठीक उसी स्थान पर खड़े हुए थे आज जहां पर श्री आडवाणी जी बैठे हुए हैं। उन्होंने श्री वी० पी० सिंह जी से कहा, जो उस दिन उस स्थान पर बैठे हुए थे, आज जहां पर श्री नरसिंह राव जी बैठे हुए हैं, कि मैं लोक सभा की 28 दिसंबर, 1989 की कार्यवाही के पृष्ठ 408 और 409 से उद्धृत कर रहा हूं।

"हम चाहते हैं कि आप उन लोगों का पता लगाएं जिन्होंने धन लिया था।"

जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उस समय कांग्रेस सरकार की जो भी स्थिति थी, उसमें परिवर्तन हुआ, जैसा कि सभा के समक्ष में कहा गया था। अब हम लोग अभियुक्त थे, हमारे पास अधिकार नहीं था। हम चुनाव में हार गए थे। कांग्रेस पर आरोप लगाने के आधार पर आपको जो राजनैतिक समर्थन एवं जनमत प्राप्त हुआ। हमें नहीं हुआ।

नेता ने कहा :

"हम चाहते हैं आप उन लोगों का पता लगाएं, जिन्होंने धन लिया था।"

तत्पश्चात् उन्होंने उसका कारण बताया और कहा :

"....क्योंकि जब आप उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे, तो आपने पिछले कई वर्षों से जो आरोप लगाए हैं, वह गलत साबित होंगे।"

विपक्षी दल कांग्रेस ने, कम्यूनिस्ट और भाजपा का समर्थन प्राप्त राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को यह चुनौती दी थी। श्री राजीव गांधी जी ने उनसे कहा था कि आप बोफोर्स कमीशन लेने वालों को ढूंढ निकालेंगे, इस वादे पर सत्ता में आए हैं। लेकिन क्या आप ढूंढ सके?

शायद यह केवल एक चुनावी नारा था। लेकिन कई समाचार पत्रों में श्री वी० पी० सिंह जी का बयान छपा था कि उनके मित्र श्री आर्थ फर्नान्डीज सच्चाई को बयान करेंगे। उन समाचार-पत्रों में उन्हें यह कहते बताया गया कि वे तीस दिन के अन्दर बोफोर्स कमीशन प्राप्त करने वालों को सामने लाएंगे। कुछ स्थानों पर यह बताया गया कि वे पन्द्रह दिनों के अन्दर ही सच्चाई को प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं। और एक स्थान पर ये कहते हुए बताया गया कि बोफोर्स प्राप्त कर्ता के नाम उनकी जेब में हैं। इन सबको सुनने के बाद विपक्ष नेता ने कहा, "कृपया आपके पास जो समाचार है, वो मुझे बताइए। हम ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों ने कमीशन प्राप्त किया।"

श्री राजीव गांधी जी के अनुरोध को स्वीकार करने की बजाय श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने अनुरोध-पत्र प्रस्तुत किया जो कि इतना दोषपूर्ण था जिससे भारत का नाम, श्री जसवंत

सिंह जी का नाम, राष्ट्राध्यक्ष का नाम कलंकित हो गया क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील जेनेवा में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि, यह भारत जिसकी सभ्यता 5000 वर्ष की है, उसे इतनी भी जानकारी नहीं है कि कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले अनुरोध पत्र को कैसे तैयार किया जाना चाहिए।

महोदय, विपक्ष के सदस्यों में और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में भारी अन्तर है। यह एक व्यक्ति की विश्वासनीयता से संबंधित है। वह व्यक्ति अब नहीं है। वे मेरे मित्र थे। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि श्री राजीव जी को इतिहास के समक्ष या तो निर्दोष करार दिया जाना चाहिए या उन्हें दोषी सिद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने 6 अगस्त, 1987 को इस सभा में एक बयान दिया था। वह बयान उस दिन की लोक सभा की कार्यवाही के पृष्ठ 485 में है। मैं जानता हूं कि उस बयान को नहीं मानेंगे। उस व्यक्ति का निधन हो गया। लेकिन हम विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा था, "मैं लोकतन्त्र के सर्वोच्च मंच से यह स्पष्टतया: घोषणा करता हूं कि न तो मुझे, न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को इन लेन-देन के मामलों से किसी तरह का कोई लाभ मिला है और ये एक सच्चाई है।"

मैं उसे सच्चाई मानता हूं। मैं जानता हूं कि विपक्ष सदस्यों ने संदेह व्यक्त किया है, जो कि सच्चाई नहीं हो सकती। राजीव गांधी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए राजीव गांधी जी का नाम उसी दिन लिया जा सकता है जिस दिन ये पूर्ण निर्धारण कर लिया जाएगा कि 6 अगस्त, 1987 को उन्होंने सभा के समक्ष सच कहा था अथवा वे झूठ बोल रहे थे। हम इसका जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं? इसका जवाब ढूंढने का बस एक ही तरीका है जो है इस जांच को पूरा किया जा सके, उस हद तक जितना कि हम साधारण लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि केवल एक समाचार पत्र 'डेजेन्स नैहटर' का नाम लेने से सच्चाई का पता नहीं चलेगा, जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने किया था। इस समाचार-पत्र ने विदेशी न्यायालय में यह स्वीकार किया था कि वह झूठ है। यह वही समाचार पत्र है जिसने सन्दन कोर्ट में स्वीकार किया था कि सब कुछ झूठ है क्योंकि उस समाचार-पत्र को उन अधिकारियों ने गलत सूचना दी थी जिसका गुणगान काफी समय से किया जा रहा है।

मैं अपने देश के गौरव को या अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को या अपने भूतपूर्व नेता श्री राजीव गांधी जी की प्रतिष्ठा को, जो मेरे जीवनपर्यन्त मेरे नेता रहेंगे, भले ही वे जीवित रहे अथवा नहीं, उत्तेजक समाचार-पत्र से उनकी पहचान हो, मैं इसके खिलाफ हूं, जो समाचार-पत्र अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमें कानून की प्रक्रिया के द्वारा, और उन सभी माध्यमों से जो कूटनीति ने हमें दिए हैं, उनके द्वारा ये ढूंढ निकालना चाहिए कि उस धन को किसने लिया है।

अब तक जो जांच हुई है उसके आधार पर हमें ये सूचना मिली है कि बोफोर्स से उन लोगों को भारी मात्रा में धन दिया गया था जिन्हें हम सोचते थे कि नहीं दिया जाना चाहिए। हम लाभ-ग्राहियों में से एक को जानते हैं, जो है ए० ई० सर्विसेज जो कि ज्यूरिच में स्थित है, और एक बैंक है नार्डफैनान्ज बैंक। हम उसके विषय में और अधिक नहीं जानते हैं। केवल स्वीडन ही हमें बता सकता है कि उस धन का क्या हुआ, वह धन कहां गया। सत्ता में आने के बाद किस सरकार ने स्वीडन से अपनी जांच जारी रखने के लिए कहा था, ताकि ये पता चले कि ए० ई० सर्विसेज के नार्ड फाइनेन्ज में जमा किया गया धन का क्या हुआ? वह सरकार केवल हमारी सरकार ही हो

सकती है। वह प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव जी हैं। यह वो सरकार है जिसके विदेश मन्त्री श्री माधव सिंह सोलंकी थे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्होंने अनुचित व्यवहार किया था। इसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकायी थी वह यह था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी राजनैतिक भविष्य को अन्धकार में छोड़ दिया। मैं इसे अपने लोकतंत्र की महान परम्परा के साथ चलते हुए किया गया एक अच्छा कदम मानता हूं और मैं उन लोगों के साथ मिलकर मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहता हूं, जो कल तक इनके खून के प्यासे बने हुए थे और सब कुछ हो जाने के बाद वे ऐसा नाटक कर रहे हैं मानो, उन्हें माधव सिंह सोलंकी की स्थिति से बहुत दुःख हुआ है।

श्री माधव सिंह सोलंकी जी अपनी राजनैतिक जीवन में काफी संघर्ष करके ऊपर आए हैं। ठीक सात साल पहले, गुजरात में जैसे पहले कभी न हुआ हो, भारी मत से कांग्रेस पार्टी को जिताने के बाद वे आज ही के दिन गुजरात के मुख्य मन्त्री के पद से हट गए। वे वहां से प्रगति करते रहे। मुझे विश्वास है कि वे फिर से ऊंचे उठेंगे। लेकिन लोकतंत्र की उच्च परम्परा के अनुरूप उन्होंने एक बड़ी कीमत चुकायी है, हमारी सरकार ने भारी कीमत चुकायी है। जैसा कि किसी ने इंगित किया था, मैं समझता हूं कि वे जार्ज फर्नान्डीज थे, हमने एक मंत्री की बलि दी थी, श्री वी० पी० सिंह ने अपने सरकार की बलि दे दी थी।

अब हमें ये देखना है कि ये सरकार क्या कर रही है। इस सरकार ने भी वही एफ० आई० आर० फाइल की थी जो वी० पी० सिंह सरकार ने की थी। ये सरकार श्री लार्स रिंगबर्ग के निर्णय के खिलाफ अपील करने में सफल हुई और 2 मार्च को उनसे स्वीडन में जांच का कार्य जारी रखने के लिए कहा। कुछ अधिकारियों की स्वीडन यात्रा कुछ सप्ताह के लिए स्थगित हो गई, इसके पीछे जो षड्यंत्र था उसे श्री जसवंत सिंह जी प्रस्तुत करने वाले थे। वे सभा को इसकी सूचना देने में असफल हुए और यद्यपि वे इस मामले से संबंधित अधिकारी हैं, मैं नहीं समझता कि उनकी असफलता, उनके द्वारा हुई कोई गलती थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने हमें गुमराह करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। वे हमें ये सूचना नहीं दे सके कि अधिकारी को स्वीडन भेजने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने स्वीडन सरकार के आगे की जांच को रोकने के लिए निर्णय के विरुद्ध में अपील करने का निर्णय किया था। हमने 2 मार्च को रक्षा मंत्री के दिए गए बयान के अनुसार अपील दायर की। ये दूसरी बात है कि स्वीडन ने 10 मार्च को इस अपील को नामंजूर कर दिया। हम जोर दे रहे हैं।

मैं 1987-89 की बात कर रहा हूं। श्री वी० पी० सिंह और उनके मित्र जब विपक्ष में थे, स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो की संपूर्ण रिपोर्ट को यहां पर लाने के लिए कहते रहे। तब राजीव जी ने कहा था कि मैं स्वीडीशों से वो नहीं मांग सकता जो कि वर्गीकृत है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के प्रतिमानों के विरुद्ध होगा कि चुनाव में बोलने के लिए विदेश सरकार द्वारा हम पर विश्वास करके भेजा गया गोपनीय दस्तावेज सभा-पटल पर रखें। श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने उस दस्तावेज को प्राप्त किया। मई, 1990 में, श्री वी० पी० सिंह जी की एक प्रमुख उपलब्धि थी। उन्हें गुप्त वर्गीकृत दस्तावेज मिला था और तब उन्होंने कहा था कि वे उसे सभा-पटल पर रखेंगे। पर वे ऐसा नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि स्वीडन ने हमसे कहा था कि 'यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ेंगे, यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के

प्रतिमान को तोड़ेंगे, हम आपकी पैंट उतार लेंगे।' यदि श्री जार्ज फर्नान्डीज जी के शब्दों में लें, तो उसका यही अर्थ होगा।

महोदय, यह इसलिए क्योंकि हमें इसका अनुभव है। मैं 26 वर्षों से कूटनीतिज्ञ हूं। श्री वी० पी० सिंह ने 'पन्टा डेल एस्टा' या अन्य जगह की यात्रा की लेकिन मैं अपने जीवनकाल में कनिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका और बाद में कराची में महा वाणिज्य दूत के रूप में, और कई विदेशी सरकारों से भी मेरा संबंध रह चुका है और मैं जानता हूं कि विदेशी सरकार को कार्रवाई करने के लिए समझाना कितना कठिन होता है। यह इसलिए, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने दो चीजों पर अपना विश्वास रखा है। पहला तो श्री राजीव गांधी जी की सत्यनिष्ठा पर विश्वास किया कि वे 6 अगस्त, 1987 को सभा के समक्ष झूठ नहीं बोलेंगे, और दूसरा मुझे उनके सामर्थ्य पर विश्वास था। वे धीरे-धीरे हमें उस ओर ले जा रहे थे जहां हमें जाना था।

लेकिन दुर्भाग्यवश, श्री वी० पी० सिंह जी ने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी है। उनका खरगोश तेज दौड़ पड़ा, पर कहीं भी नहीं जा सका। हमारा कछुआ धीरे चल रहा था। उन अपराधों का पर्दाफाश करने में कुछ समय तो लगेगा कि किसका 155 एम० एम० हाविट्जर सौदे से संबंध है और किसका उस सौदे से कोई संबंध नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। किसी भी तरह की लोक निंदा में मेरी रुचि नहीं है, न ही गड़े मुर्दे को उखाड़ने का मेरा इरादा है और न ही मैं भारत के किसी शहीद की छवि धूमिल करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ सत्य जानने को इच्छुक हूं जिसे प्रकट करने के लिए श्री राजीव गांधी जी ने कहा था। मेरी रुचि तो श्री वी० पी० सिंह और उनके सभी साथियों द्वारा एक भले आदमी के चेहरे पर कीचड़ उछालने के इस गंदे खेल को रोक देने में है।

श्री श्रीकान्त जेना : लेकिन उन्होंने कांग्रेस-प्रवक्ता, श्री चन्दूलाल चन्द्राकर के उस बयान को स्पष्ट नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बोफोर्स की जांच बन्द कर देनी चाहिए। (व्यवधान) कांग्रेस के प्रवक्ता श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने यह कहा था। (व्यवधान)

चन्द्राकर जी, आपने कांग्रेस की तरफ से यह कहा था कि यह जांच बन्द कर दी जानी चाहिए। (व्यवधान) आप श्री चन्दूलाल चन्द्राकर के दृष्टिकोणों को स्पष्ट क्यों नहीं करते?

श्री बसुदेव आचार्य : आपने जो कुछ कहा, आप उसे स्पष्ट करें।

श्री श्रीकान्त जेना : आप इसे स्पष्ट क्यों नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप सदन में इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरे पास दस नाम हैं और छः बजने वाले हैं। लोग आखिर कब तक यहां बैठे रहेंगे?

श्री श्रीकान्त जेना : हम लोग कल फिर बैठेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह की बातें इतने हल्के ढंग से नहीं लें। मानव संसाधन मंत्रालय की मांगों पर चर्चा अभी बाकी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, आप यह सही नहीं कर रहे हैं। अब हम निर्णय करें कि इस

कार्य को खत्म करने के लिए हम डेढ़ घंटे और बैठेंगे। अपने भाषण देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें। अब, श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम लोग आठ बजे तक बैठेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसके कई वास्तविक पहलुओं का जिक्र किया जा चुका है, जिन्हें मैं फिर दुहराना नहीं चाहता। अभी हमने विदेश सेवा के एक पूर्व अधिकारी के भाषण को सुना जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार के द्वारा देश के इस संभवत: सबसे बड़े घोटाले में की गई जांच के रफ्तार की प्रशंसा की है। उन्होंने ऐसा कांग्रेस सरकार के कछुए की चाल से चली सच्चाई जानने के तथाकथित प्रयास के बारे में ऐसा कहा है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के 60 महीनों की अवधि में सिर्फ वी० पी० सिंह सरकार के 11 महीनों के कार्यकाल को छोड़कर कांग्रेस की ही सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सत्ता में रही है।

महोदय, माननीय रक्षा मंत्री संभवत: दूसरे बलि के बकरे बनने वाले हैं। आज, वह एक ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिनके बचाव में कोई नहीं बोलेगा। अपने महत्वपूर्ण लम्बे-चौड़े वक्तव्य में उन्होंने एक भी शब्द इस सम्बन्ध में नहीं कहा कि इस सरकार ने गत जून से लेकर अब तक इस घोटाले में धन प्राप्त करने वालों के नामों को उजागर करने से सम्बन्धित प्रश्न के समाधान के लिए क्या प्रयास किए हैं ? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इन्होंने बयान के शुरू में इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज के सम्बन्ध में हलका विवरण दिया था, जिसे जहां तक मैं समझता हूं इस उम्मीद में स्वीकृत किया गया होगा कि हमें और सारे देश को उद्वेलित करने वाले वे सारे मुद्दे दूर हो जाएंगे। पूरे देश का प्रत्येक आदमी इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में चिंतित है। उस दस्तावेज की विषय-वस्तु आखिर क्या थे। कोई अपनी जिम्मेवारी से यों ही मुक्त नहीं हो सकता। एक विदेश मंत्री से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्होंने इस दस्तावेज की तस्करी हो जाने दी होगी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा होने दिया। मैं माननीय प्रधान मन्त्री से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या वे या सरकार स्विस अधिकारियों को सौंपे गए उस दस्तावेज के बारे में जानने को उत्सुक नहीं हैं ? क्या भारत सरकार इसी ढंग से अपना कार्य चलाएगी कि हम तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा किसी देश के विदेश मंत्री को सौंपे गए दस्तावेज के बारे में पूर्णत: अनभिज्ञ रहें। उनको उस दस्तावेज की जानकारी कब मिली ? उस दस्तावेज की विषय-वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकार के प्रधान होने के नाते क्या कदम उठाए हैं ? सरकार और इस देश की प्रतिष्ठा सरकार के इस संबंध में की गई प्रतिक्रिया पर बहुत कुछ निर्भर है। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने अनुचित कार्य किया है। हम श्री सोलंकी के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। वह हमारी गलती से सरकार से बाहर नहीं हुए हैं बल्कि ऐसा उनके अपनी गलती और विवेक शून्यता के कारण हुआ है। सवाल यह है कि वर्तमान सरकार को इस विषय में जरा भी शर्म या जिम्मेदारी का अहसास है या नहीं ? उसने दस्तावेज की विषयवस्तु की जानकारी के लिए आखिर क्या कदम उठाए हैं ? भला यह कहने का क्या तात्पर्य हो सकता है कि स्विस सरकार को सूचित कर दिया गया है कि वे उस आधार पर कोई कार्रवाई न करे, यह हमारी समझ के परे है। क्या सरकार ने उस दस्तावेज की विषय-वस्तु के बारे में जाने बगैर स्विटजरलैंड को उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं करने का अनुरोध क र

किया ? यह कहने का अर्थ क्या है ? ओछेपन की भी आखिर हद होती है। हमें दूसरे पक्ष से खामखाह व्याख्यान सुनने पड़ रहे हैं मानो कि हमने ही अपराध किया हो। जब ऐसा पूरे देश के लोग मान चुके हैं कि एक मोटी रकम विभिन्न हाथों से गुजर चुकी है, तो फिर किस उद्देश्य से उसका भुगतान किया गया।

महोदय, प्रारम्भ में हमें तत्कालीन विपक्ष के नेता ने अपने बयान में यह बताया था कि इन रकमों का भुगतान उनके प्रधानमंत्रित्व काल में संभवत: उस सौदे के समापन शुल्क के रूप में किया गया था। मैं इस संबंध में विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह एक पुरानी गाथा हो चुकी है। कांग्रेस सरकार बिना दबाव के यह कतई मानने को तैयार नहीं थी कि यह एक अवैध भुगतान था। उसके बाद उनके द्वारा इसे छिपाने का अभियान चलाया गया। येन-केन-प्रकारेण इन्होंने रकम प्राप्त करने वालों के नाम दबा ही दिए। महोदय, यह एक ऊंचे दर्जे का उच्च स्तर पर किया गया षडयंत्र था। इसी कारण, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और चन्द्रशेखर शासन के द्वारा भी सभी सम्बद्ध तथ्यों को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्होंने जांच-प्रक्रिया को ही धीमा करने का प्रयास नहीं किया बल्कि इसे तोड़ने-मरोड़ने का भी कार्य किया। और यही कारण है जैसा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता श्री चन्दूलाल चन्द्राकर को यह कहने के बाद भी कि बोफोर्स की जांच बन्द कर देनी चाहिए, अब तक नहीं हटाया गया है जैसा कि श्री सी० पी० ठाकुर को एक बार हटाया गया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे बन्द कर देना चाहिए। अब हमें कांग्रेस पार्टी की नैतिकता और इसके द्वारा इस विषय में उठाए गए कदम के बारे में व्याख्यान दिया जा रहा है। कम से कम इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं है कि उनको अब तक हटाया नहीं गया है जैसा कि श्री सी० पी० ठाकुर को प्रधान मन्त्री की नजर में एक अनुचित बयान देने के कारण हटा दिया गया है।

मैं विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनकी नजर में इस देश के विदेश मंत्री द्वारा इस तरह दस्तावेज को पत्रवाहक के रूप में ढोने से सरकार की कार्यविधि की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न नहीं लग गया है। या हम यह स्वीकार कर लें कि हमारे विदेश मन्त्री इस तरह के दस्तावेज ढोने के आदी हैं जैसा कि पहले भी आरोप लग चुका है। भविष्य में दुनिया के दूसरे देश की सरकार हमारे विदेश मंत्री के द्वारा दिए गए किसी भी बयान या दस्तावेज को कैसे स्वीकार कर पायेंगे, कैसे वे निश्चित कर पायेंगे कि यह बयान या दस्तावेज अधिकृत है या अनधिकृत या कि किसी गुमनाम वकील ने उन्हें यह देने के लिए प्रेरित किया है ?

हमारा देश अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि कांग्रेस के किसी भी माननीय सदस्य ने इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा है। शुरू में ही दिए अपने भाषण में माननीय रक्षा मन्त्री ने इस विषय में कुछ नहीं कहा कि कैसे प्रधान मन्त्री या सरकार विश्व में अपनी विश्वसनीयता को कायम करने जा रहे हैं।

इन बातों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। एक वरिष्ठ मंत्री की गतिविधि के कारण यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। यह सिर्फ श्री सोलंकी का पृथक मामला नहीं है। वे एक भले आदमी हैं। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वे एक पूर्णतया सज्जन पुरुष हैं। मेरी शुभ-

कामना उनके साथ है। मुझे आशा है कि वह वापस गुजरात जायेंगे और जैसा वह चाहते हैं वह स्थान उन्हें फिर से प्राप्त होगा।

सवाल सिर्फ यही नहीं है कि विदेश मन्त्री ने किसी परिस्थिति में ऐसा कार्य किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बल्कि यह सवाल बोफोर्स से भी जुड़ा है। इसलिए मामला अधिक संदेहास्पद एवं महत्वपूर्ण हो जाता है।

6.00 म० प०

यह सब कैसे हुआ और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह सब जानने के लिए सरकार को कहीं अधिक सजग, तत्पर और सावधान होने की जरूरत है।

कल हमने एक सवाल उठाया था। मैं यह समझ सकता हूं कि एक दिन पहले तक उन्हें उस वकील का नाम मालूम नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत सारे वकील हैं जिनके नाम का इस्तेमाल इस सम्बन्ध में किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न है कि उक्त वकील को आखिर श्री माधव सिंह सोलंकी के पास लाया कौन ? वह अपने आप तो आ नहीं गया होगा उनसे यह कहने के लिए मैं अमुक वकील हूं, आप मेरे द्वारा दिए गए इस दस्तावेज को वहां के विदेश मन्त्री को दे देना। इसलिए यह साफ है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मार्फत आया होगा जिसे श्री सोलंकी अच्छी तरह जानते होंगे और जिसके अनुरोध पर ही वे उस वकील के द्वारा दिए गए पत्र को लेकर गए और उन्होंने कम से कम एक नजर तो उस पत्र पर डाली ही होगी चूंकि वह बोफोर्स से जुड़ा था। देखे बगैर वह कैसे जान गए कि वह बोफोर्स से संबंधित है ?

क्या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार स्विस सरकार को कोई चीज अनधिकृत रूप से सौंपना चाहती थी, चूंकि आधिकारिक तौर पर वह खुले रूप से ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए यह रास्ता चुना गया हो ? मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ था। इसलिए 49 महीनों में इनकी सरकार कछुए की चाल वाली नीति अपनाती रही है। बल्कि उस कछुए को भी सुला दिया गया। कछुए की चाल से यह विवाद नहीं सुलझ सकता। अगर सही दिशा में किसी भी समय कोई कदम इस संबंध में उठाए गए तो वह भी वी० पी० सिंह सरकार के छोटे से कार्यकाल के दौरान उठाए गए थे।

कृपया श्री शरद पवार के बयान पर गौर करें। फिर पता नहीं कि किस वकील के द्वारा इसे तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि वह उसका नाम जरूर जानते होंगे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया है जिसमें स्विस अधिकारियों के द्वारा श्री वी० पी० सिंह के कार्यकाल के दौरान जनवरी, 1990 में स्विस बैंक के खातों को सील कर दिया गया था।

कृपया अपने बयान के पैरा (5) को देखें जिसमें कहा गया है—

> "केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस खाते के लाभार्थियों के विवरण की जांच सुनिश्चित करने के लिए स्विस प्राधिकारियों से फिर सम्पर्क किया।"

कब और कैसे किया, इस दिशा में क्या प्रगति हुई, कहां तक पहुंच पाए हैं, इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

वैसी ही स्थिति जेनेवा के बारे में भी है।

उसी प्रकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो लम्बित पड़ी अपीलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्विस फेडरल कोर्ट आफ जस्टिस और पुलिस, बर्न में स्थित हमारे दूतावास और अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से प्रयास कर रही है। लेकिन स्थिति क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है।

पुन:, 'कवर-अप आप्रेशन' अभी भी पूरे ओर-शोर से चल रहा है। मुझे पता नहीं है। चर्चा के दौरान श्री शरद पंवार कभी भी यहां उपस्थित नहीं रहे। आपने ऐसा कार्य क्यों किया।

इसके अलावा जहां तक भारतीय न्यायालयों का संबंध है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। श्री जसवंत सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि न्यायिक कार्यवाही के शुरू करने के बावजूद भी सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। भारत सरकार से जो वकील था, वही वकील याचिकादाता की ओर से भी था। वह इन मामलों को दबाना चाहता था। सरकार और जिन लोगों पर यह आरोप लगाया गया था, के बीच लगभग एक खुली मिलीभगत, एक खुला सहयोग चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : वे दूतावासों में सरकारी भोजों में भाग ले रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक सी० बी० आई० से स्विस के न्यायिक संघीय-विभाग से मार्च, 1992 के पत्राचार का संबंध है, मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्राचार किस स्तर पर भेजा गया है। किसी अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया ? हमारी जानकारी के अनुसार यह सही है कि जब तक भारत-सरकार द्वारा 3 अप्रैल, यानि परसों, स्विस सरकार को, जो संदेश भेजा जाना है, जब तक इस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता है, क्या पुन: यह मामला अनिश्चित-समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा ? क्या यह सही है ? यदि मेरी सूचना गलत है, तो मैं सरकार से स्पष्टीकरण मांगता हूं और वह मुझे सही जानकारी दे। यदि भारत सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है, तो फिर संदेह है कि जिन खातों को जब्त किया गया था, पुन: तीन अप्रैल से चालू हो जाएंगे। इन्हें बहाल कर दिया जाएगा। वे पुन: बहाल हो जाएंगे। अत:, इससे किसको लाभ होगा ? ये वो लोग हैं, जिन्होंने गैर-कानूनी रूप से उस रकम को वहां जमा कर रखा था। यह अति गम्भीर स्थितियां हैं, जिन्हें वर्तमान सरकार ने पैदा किया है। मैं आरोप लगाता हूं कि इस सरकार की सच्चाई जानने की कोई मंशा नहीं है। यह सरकार मामले को आगे पीछे कर रही है। एक भी तो तथ्य उद्घाटित नहीं किया गया है। ऐसी असाधारण स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। विदेश मंत्री के पद के एक व्यक्ति ने इस मामले को दबाने के लिए इस स्थिति का उपयोग किया। उसने स्वीकार किया है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है; उसका मंत्रालय बोफोर्स मामले की जांच-पड़ताल से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद भी वह स्विस के मंत्री को प्रतिवेदन भेज रहा था। मैंने उस दिन सभा में यह पूछा था कि जब उन्होंने दस्तावेज उन्हें सौंपे तो तब उसे उन्होंने क्या कहा था; उन्होंने स्विस के विदेश मंत्री को क्या बताया था ? क्या उन्होंने ऐसा बताया था, "मेरे पास यह एक कागज है, कृपया इसे अपने पास रखें।" उन्होंने अवश्य ही बोफोर्स मामले के बारे में कुछ कहा होगा। उन्होंने क्या कहा था ? क्या प्रधान मंत्री को यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि विदेश मन्त्री ने अपने सहयोगी द्वारा जब वह दस्तावेज वहां सौंपे, तो क्या कहा था ? (व्यवधान) अतः इस मामले को, जैसा कि श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा है, गंदे कार्य में संलिप्त होना नहीं माना जा सकता है। मैं न तो प्रतिष्ठा को निरुत्साहित करता हूं और न ही प्रतिष्ठावान किसी व्यक्ति की आलोचना ही करता हूं। अत:, अपने आप ही वह अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित कर देगा। मैं उसकी ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रशंसा करता हू। लेकिन प्रतिष्ठा के खातिर

हमें राष्ट्रीय हितों से अभिमुख नहीं होना चाहिए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उन नामों के सिवाय कोई भी 'अ', 'ब' अथवा 'स', जिन लोगों के नाम पहले ही सामने आ गए हैं और दूसरे वो हैं जो बोफोर्स मामले के उत्तरदायी हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के विषय में नहीं कह रहा हूं। मैं इतना गैर-जिम्मेदाराना पक्ष नहीं अपनाने जा रहा हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि अब यह देश मामले की जांच करवा रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि सरकार बोफोर्स सौदे में कमीशन प्राप्त करने वालों के नाम जानना चाहती है। अन्यथा, जांच करवाने की जरूरत ही नहीं थी। प्रश्न यह है क्या यह जांच उचित तरीके से की गई है ? क्या यह जांच इस मामले में जितनी जल्द-बाजी की जरूरत थी, उतनी तीव्रता से निष्ठापूर्वक और गम्भीरता से करवाई गई है। इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। यह हमारा मुख्य आरोप है। हमने कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता से यह सुना है कि इसे बन्द कर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : मुझे एक स्पष्टीकरण देना है, शायद, जो भद्र पुरुष ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने जो कुछ मैंने कहा था, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं है। पत्रकारों के एक प्रश्न का उत्तर देते समय, मैंने ऐसा पाया कि यदि यह ऐसा ही है, तो इसे किया जा सकता है। शायद, 'यदि' शब्द का अर्थ समझे नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हिंदी में बोलिए, हम अंग्रेजी नहीं समझते हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं जानता हूं कि आप अंग्रेजी समझते हैं, आप अंग्रेजी जानने वाले "अंग्रेजीदां" हैं, लेकिन पहले जब तीन व्यक्तियों ने कहा, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं समझता था कि कम से कम आप गंभीर होंगे और यह जानते होंगे। मैंने इसमें "इफ" कहा था, अभी भी आपको ख्याल न हो तो अखबार पढ़ लीजिए।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासात) : आपकी अनुमति से, क्या मैं आपका ध्यान जो कुछ उन्होंने कहा है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत ही कम और सीमित है। बहुत से सदस्यों ने बोलना है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके अनुसार मैं 'यदि' शब्द का अर्थ नहीं समझा हूं। मुझे आशा है कि आप उन्हें बोलने का समय देंगे। मुझे विश्वास है कि श्री चित्त बसु के पास दस्तावेज है। अत:, जो कुछ हम कह रहे हैं, वह सही है। हमने देखा है कि जब ऐसे संकेत मिले जा रहे होते हैं, सी० बी० आई० के जांचकर्ता अधिकारी को बार-बार बदला गया है। जो व्यक्ति इस मामले को देख रहे होते हैं, जब वे जांच कर रहे होते हैं तथा काफी प्रगति कर ली होती है, कुछ हासिल कर लिया होता है, एक परिणाम पर पहुंचने वाले होते हैं, उन्हें हटा दिया गया है। कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जून, 1991 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई, हमें, इस देश की जनता को और संसद

को इस बारे में की गयी प्रगति के बारे में नहीं बताया गया है। हम कुछ नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर, स्थिति असाधारण है। मैं स्विस प्रैस सहित अपनी प्रैस को बधाई देता हूं। हमारी प्रैस ने इन तथ्यों को उद्‌घाटित किया। स्टेट्समैन, इण्डियन एक्सप्रेस तथा अन्य समाचार पत्रों के मुख्य पत्रकारों ने जांच-पड़ताल की है। उन्होंने इस मामले में सच्चाई जानने के प्रयास किए हैं। यदि यह सत्य नहीं है, उन्हें लोगों, पत्रकारों, समाचारपत्रों और संसद-सदस्यों की आलोचना करने तथा कोसने की बजाय इसे साबित करने दें। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? यदि श्री वी० पी० सिंह की सरकार ग्यारह महीनों में ये सभी बातें नहीं कर पायी, तो हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने 49 महीनों में क्या किया है। अत:, हमारी चिन्ता यह है कि क्या इस सरकार की सच्चाई का पता लगाने की राजनैतिक इच्छा है। वे सच्चाई जानने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इससे नामों का उद्‌घाटित होने के बारे में एक गंभीर भय है, जिन्हें वे प्रकट नहीं होने देना चाहेंगे। अत:, सरकार की इस सारे देश को यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस दस्तावेज का क्या हुआ, वह वकील कौन था, वह व्यक्ति कौन था जिसके विदेश मंत्री से संबंध थे ? हम यह जानना चाहते हैं कि जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, जांच करवाने के उद्देश्य से तब से इसने दिन-प्रति दिन क्या कदम उठाए हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रक्षा मंत्री महोदय का इस बारे में बहुत विस्तृत और आंकड़ों सहित दिए गए विवरण के लिए धन्यवाद देता हूं, जो कि बोफोर्स तोप सौदे की जांच के बारे में अद्यतन स्थिति पर शुरू की गयी चर्चा हेतु अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

निर्भीक, कानून के प्रकाण्ड विद्वानों और विपक्ष के कठोर प्रहारों वाले बुलन्द आवाज में भाषणों को सुन कर जिन्होंने पिछले पांच वर्षों से जो कुछ हो रहा है, को दोहराने के सिवाय तथ्यों पर बहुत कम प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में मैं सी० बी० आई० को बधाई देता हूं जिसने विपक्ष के मेरे माननीय साथी द्वारा बतायी गयी और उद्धृत की गयी रुकावटों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उनके तथाकथित शीर्षस्थ अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है तथा इस संगठन का बीड़ा उठाने और संचालकों में फेर-बदल किया गया है, एक सराहनीय कार्य किया है।

मुझे याद है कि 1961 से ही, सी० बी० आई० सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने का प्रशंसा योग्य कार्य करती आ रही है। माननीय श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, जोकि अब राज्यपाल हैं, श्री लोकनाथ मिश्रा, जोकि राज्य सभा के माननीय सदस्य थे और अब एक राज्यपाल भी हैं; श्री हरि-विष्णु कामथ जो कि इस सभा के एक प्रतिष्ठित सदस्य थे और श्री पी० के० देव, जिन्होंने सी० बी० आई० की भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट के अनुसार मेरे राज्य उड़ीसा के ही एक निर्भीक नेता, जो कि उस वर्ष मुख्य मंत्री भी थे और आज भी मुख्य मंत्री हैं, को नतमस्तक होते देखा है। सी० बी० आई० एक सराहनीय कार्य करती आ रही है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने हमें अपने वक्तव्य में बताया है कि 8 नवम्बर, 1988 से यह कितनी तेजी से इस मामले में संलग्न थी। मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री श्रीकांत जेना—जो कि मुस्कुरा रहे हैं—श्री सोमनाथ चटर्जी और मेरे बहुत ही अच्छे सैनिक मित्र मेजर जसवंत सिंह काफी लम्बे समय से उलझे हुए थे और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी देखा है कि इसने चार दिन की अवधि में स्विस-सरकार से वह जानकारी प्राप्त कर ली थी जिस पर राजीव गांधी की सरकार कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ रही थी।

जैसा कि श्री अमल दत्त ने कहा है···(व्यवधान)···क्या आप मुझे बोलने देंगे ? जब 1987 में यह मामला संसद में उठाया गया था, आप उस समय इस सभा के सदस्य नहीं थे। मुझे श्री अमल दत्त के वक्तव्य से वास्तव में बड़ा दुःख पहुंचा है। श्री अमल दत्त ने कहा है कि वह प्रथम अवसर था, जब उन्होंने 1987 में बोफोर्स के बारे में सुना था। डायमण्ड हॉरबर से निर्वाचित उनसे पूर्व के सदस्य, स्वर्गीय कैप्टन ज्योतिर्मय बसु ने वायु सेना के तोप अधिकारी के रूप में बड़ी बहादुरी के साथ 1937-38 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया था। मैं सन् 1987 में बोफोर्स के बारे में उनकी इतनी अल्प जानकारी पर हैरान हूं कि उन्होंने बोफोर्स का नाम नहीं सुना। श्री अमल दत्त क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि राजीव गांधी सरकार को कोई सूचना नहीं मिल सकी थी तथा स्विस अधिकारियों तथा स्विस सरकार की व्यावसायिक गोपनीयताओं तथा गोपनीयता के कड़े कानूनों के कारण उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकी। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की उपलब्धियों का काफी गुणगान कर रहे थे।

वास्तव में यह राजीव गांधी सरकार थी जिसने 20 फरवरी, 1989 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार तथा स्विस संघीय सरकार के बीच आपराधिक मामलों पर आपसी सहायता आदान-प्रदान करने के कारण चार दिनों में ही श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बारे में सूचना प्राप्त कर सके। आज, उसी समझौते के कारण हम इस मामले पर सभा में बहस कर रहे हैं अन्यथा हम फरवरी, 1989 से पिछले तीन वर्षों से पूर्णतः अंधेरे में ही रहते।

अब यह बात सामने आ गयी है, जब श्री अमल दत्त ने कहा कि अब इन संसदीय प्रक्रियाओं का कोई अर्थ नहीं है, तो यह लोकतंत्र नहीं है और बोफोर्स का मामला अगले चुनावों तक चलेगा। यही बात सभा में नक्सलबाड़ी पर चर्चा के दौरान, 1967 में उनके नेता तथा सलाहकार स्वर्गीय श्री प्रमोद दास गुप्ता जो कि मार्क्सवादी पार्टी के महासचिव थे, ने कही थी। जब नक्सलवादियों ने साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी को नए सुधारवादी तथा साम्यवादी दल को सुधारवादी की संज्ञा दी, तब वह ऐसा समय था जब स्वर्गीय श्री प्रमोद दास गुप्ता ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं इसीलिए हमारे दो अंग हुए हैं। इससे उनकी संसदीय तुच्छता का पता चलता है। उनके सही स्वरूप का पता चलता है।

वे सभी सम्मानीय व्यक्ति हैं। वे 'जूलियस सीजर' के समय के 'ब्रूटस' के समान सज्जन व्यक्ति हैं। वे सब सम्मानीय व्यक्ति हैं और वे संसद अथवा संसदीय लोकतंत्र के आचरण में विश्वास नहीं रखते।

हमने श्री जसवन्त सिंह की बात सुनी। वे बोफोर्स के मामले को सावधानीपूर्वक निपटाना चाहते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। मैं स्वयं 1971 की लड़ाई के दौरान वायु सेना में तोप चालक था। मुझे बोफोर्स तथा वायुयान तोपों को चलाने का अवसर मिला था और हमने अनेक पाकिस्तानी वायुयानों को गिराया।

जो कोई भी बोफोर्स के मामले को देख रहा है उसे भी सावधानी बरतनी चाहिए और जो बोफोर्स के सामने खड़ा है उसे भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान आज सायचिन में हार की स्थिति में है।

श्री जसवन्त सिंह ने हमारे लोगों के हैरान कर देने वाले भोलेपन के बारे में भी उल्लेख किया है। म उनसे सहमत हूं। जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब हमारे विद्वान मार्क्सवादी मित्रों ने बोफोर्स के मामले का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह तथा स्वर्गीय राजीव गांधी

के बीच चल रहे झगड़े संबंधी मामले को चुनावों में इस्तेमाल किया। वे संसद में बोफोर्स के मामले में जुटे रहे। उस समय बोफोर्स का मामला संसद में सबसे अधिक चर्चित विषय था। लेकिन हरियाणा में बोफोर्स के मामले का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणा में प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति सेना में है अथवा प्रत्येक घर में कम से कम एक भूतपूर्व सैनिक है। सन् 1987 में हरियाणा में 8½ लाख भूतपूर्व सैनिक थे। इसलिए इस मामले ने हरियाणा में वोटदाताओं को प्रभावित किया।

आज, आप कुछ लोगों को कुछ समय तक, कई लोगों को अधिक समय तक बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन हर समय सभी लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। भारत के लोगों ने यह खेल देखा है। बोफोर्स के मामले को अगले चुनावों तक जारी रखने के लिए पूरी शक्ति के साथ चिल्लाने वाले मेरे मित्रों की मजबूत कोशिशों के बावजूद 1991 में लोगों का निर्णय तथा आदेश स्पष्ट था। मेरे माननीय मित्र विदेशी पत्रिकाओं तथा विदेशी पत्रों से बहुत अधिक उदाहरण दे रहे हैं। मैं उन मामलों पर उनसे बहस नहीं करना चाहूंगा।

मैं यहां उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कही है। वे श्री माधव सिंह सोलंकी की भूमिका पर अर्थपूर्ण क्रोध कर रहे थे। मेरा विचार है कि श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री अमल दत्त वकील हैं। वे दोनों इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि किस तरह से जांच का कार्य कछुए की चाल की भांति धीरे चल रहा है। वे तथा श्री अमल दत्त यह अच्छी तरह से जानते हैं जैसा कि मैं जानता हूं, हम एक साधारण मामले के बारे में जानते हैं जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 12 वर्ष का समय ले लिया, जिसके बारे में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। श्री सोमनाथ चटर्जी इस विशेष मामले के बारे में जानते हैं जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं तथा इसी तरह से श्री अमल दत्त भी जानते हैं। मैं इस समय सभा को इस मामले में विश्वास में नहीं लेना चाहूंगा।

यदि श्री अमल दत्त, जिन्होंने ज्यूरिच तथा जेनेवा में इन टेलीफोन करने वालों का प्रमाण दिया था, वे नामों तथा समय तथा टेलीफोन कॉलों के नम्बरों के बारे में भी बताया होता, तो मैं समझता कि सभा तथा देश दोनों को उनकी सूचना के प्रमाणीकरण से लाभ पहुंचता तथा साथ ही इस सभा के माननीय सदस्यों को भी लाभ पहुंचता जिनके बारे में समझा जाता है कि वे स्विटजरलैंड तथा स्वीडिश अधिकारियों को गुप्त रूप से टेलीफोन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मात्र यह कहने के कि यह एक छलावा तथा षडयंत्र है। यह छल कौन कर रहा है और यह षडयंत्र कौन रच रहा है, यह प्रश्न उन्होंने प्रत्येक की कल्पना पर छोड़ दिया है।

माननीय रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में हमें तीन पहलुओं के बारे में बताया है। पहला है स्वीडन, जो कि नवीनतम है, जहां स्वीडिश अधिकारियों ने 10 मार्च, 1992 की अपील को नामंजूर कर दिया इस आधार पर कि इस मामले पर पुनः विचार करने को उचित सिद्ध करने के लिए कोई नए तथ्य सामने नहीं लाए गए हैं। दूसरा है स्विटजरलैंड। मैं एक क्षण के लिए यह सोच रहा हूं कि मेरे विपक्ष के माननीय मित्र पिछले दो अथवा तीन दिनों में बोफोर्स के मामले पर बहस करने के इच्छुक क्यों हैं या क्यों थे। क्योंकि 3 अप्रैल को स्विस न्यायालय अपने सम्मुख लंबित मामले का निर्णय देने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि यह यहां की जा रही बहस तथा प्रभावशाली भाषणों द्वारा उस न्यायालय को प्रभावित करने तथा उसमें उलझाने की कोशिश करने

का मुनासिब तरीका नहीं है। आप हंस सकते हैं, यह बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। यह एक गंभीर मामला है जिसमें हमारे देश का आदर तथा सम्मान जुड़ा हुआ है।

हम कम से कम यह कर सकते हैं कि इस मामले को दृढ़ता से निपटाएं। जैसा कि हमारी सरकार द्वारा यह देखने के लिए अनुपालन किया गया था कि न केवल भारत के नाम, बल्कि युवा राजीव गांधी के नाम, जो कि सार्वजनिक जीवन में स्पष्टता लाना चाहते थे, जो कि हमें 21वीं शताब्दी तक ले जाना चाहते थे, पर कलंक न लगे। बाकी आशंकाएं आने वाले समय के लिए रख दी जाएं जैसा कि माननीय श्री जसवन्त सिंह ने कहा है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा में पांच वर्ष से एक ही अथवा अन्य अवसर पर, बार-बार बोफोर्स के मामले पर ही बहस हो रही है। नामों को घसीटा जा रहा है, अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, विशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, पूरा चुनाव प्रचार बोफोर्स के नाम तथा गलत सूचनाओं द्वारा चल रहा है। हम एक बार फिर इस बात से सहमत हुए हैं कि सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इसलिए, यदि आज कुछ सदस्य खड़े होकर यह कहते हैं कि हम इस तरफ के सदस्य सच्चाई जानने के इच्छुक नहीं हैं और केवल वही लोग हैं यदि मैं कहूं कि सच्चाई के पक्ष में बोलने वाले जो कि मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे शायद सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकेगा। इसलिए दलों पर ध्यान दिए बिना मैं यह कहना चाहूंगी कि इन मामलों को पूर्णतः इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि क्या हुआ है और क्या किया जाना चाहिए था, क्या होना था और क्या अभी किया जाना शेष है। खड़े होकर केवल यह कहना कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और यह केवल वी० पी० सिंह सरकार है जिसने कुछ किया है, मैं कहूंगी कि यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। इससे पहले कि मैं अन्य मुद्दों पर आऊं, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी।

श्री वी० पी० सिंह सरकार की पूरी अवधि के दौरान, उन्होंने इसके साथ-साथ और जो कुछ भी किया वह यह था कि जनवरी में उन्होंने स्विस अधिकारियों के द्वारा स्विस बैंक खाते से लेन-देन समाप्त करवा दिया लेकिन वह एक भिन्न मामला है। अन्यथा फरवरी '90 और अगस्त '90 के बीच, जब वे सत्ता में थे, वे केवल एक याचना पत्र ही भेज सके थे, जिसमें कमियां थीं, जिसको नामंजूर कर दिया गया था, जिसको सही किया जाना था और अन्त में जिसे अगस्त '90 में मंजूर किया गया था। जिन सब बातों पर आपने बातचीत की और जो कुछ भी आपने कहा वह यह था कि वास्तव में ठीक चुनाव प्रचार द्वारा सार्वजनिक बैठकों में पर्चे प्रस्तुत किए गए थे कि यह हैं वे नाम, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, हम इन्हें आपको दे देंगे। यह मेरी जेब में है, मेरे पॉकेट कम्प्यूटर के पास हैं और मैं इन्हें प्रस्तुत करूंगा। इन ग्यारह महीनों में क्या हुआ? कहां गए वो नाम? कहां गई वह खोजें? मैं यहां ये कहना चाहती हूं कि सी० बी० आई० के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और प्रधान मन्त्री के अधीन राज्य मन्त्री के रूप में प्रभारी होने की हैसियत से मैं उन कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहती हूं जो कि जांच करने वाले अधिकारियों के बारे में उठाए गए थे। लेकिन, उन पर आने से पहले, मैं माननीय सदस्यों को ये सूचित करना चाहूंगी कि इस मुद्दे के उठने के बाद से, अधिकारियों ने 31 बार विभिन्न देशों, विभिन्न स्थानों का दौरा किया। (व्यवधान) विभिन्न राजधानियों में, विदेश में 386 दिनों तक अधिकारियों ने जांच का कार्य किया। मैं ये भी चाहती हूं कि प्रधान मन्त्री कार्यालय में बैठे भी ब्यूरोक्रेट, इन वर्षों के साथ गए

थे, कई दलों का नेतृत्व कर रहे थे और अतिरिक्त महान्यायकर्ता भी इन दलों के साथ गए थे। इन दलों को सलाह दे रहे थे। इन सभी पर 50 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से 42 लाख रुपए विदेशी मुद्रा में खर्च हुआ था। इसमें होटल के बिल और अन्य खर्च शामिल नहीं हैं। यह शायद आपको पता लगाना होगा कि किसने कितना खर्च किया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं केवल अपने समय की ही बात नहीं कर रही हूं, मैं उस समय की बात कर रही हूं जिस अवधि में जांच चल रहा था। आज आप कह रहे हैं कि तुमने अधिकारियों को बदल दिया है अतः जांच के काम में रुकावट आ गई है। मैं ये कहना चाहती हूं कि किसी भी सरकारी संगठन में, कुछ लोगों की प्रति-नियुक्ति हुई और कुछ लोग नियमित रूप से भर्ती हुए। जब उनकी पदोन्नति होनी थी, वे अपने पदोन्नति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते और उसी तरह रहना चाहते हैं, इसलिए कि आपको उनके नाम पसन्द आते हैं। मैं, विशेषकर ये कहना चाहूंगी कि एक अधिकारी जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया है, उन्होंने मुझे लिखित रूप में मांग की कि उन्हें 'स्टेट कैडर' को वापस जाने की और पदोन्नति, जो कि उन्हें मिलने वाली थी, उसे प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। अन्यथा, वे कहते थे कि उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई।

श्री माधवन, जिनका बार-बार जिक्र किया जा रहा है, इसलिए मैं भी कह रही हूं कि श्री वी० पी० सिंह सरकार के समय मई '90 का उस अधिकारी की पदोन्नति हुई थी और उन्हें 'एकोनामिक अफेन्सेस विंग' का कार्यभार सौंपा गया। उस पद पर पदोन्नति देने के बाद उन्हें बोफोर्स की जांच को जारी रखने के लिए कहा गया क्योंकि वे भी उस दल के एक सदस्य थे। वे अन्त तक उसमें काम करते रहे। किसी दूसरे व्यक्ति को उस महत्वपूर्ण व संवेदनशील पद पर तैनात नहीं किया गया। वे बोफोर्स की जांच में पूर्णतयः शामिल थे। (व्यवधान) मैं स्पष्टीकरण दे रही हूं। आपने एक प्रश्न किया था और मैं स्पष्टीकरण दे रही हूं। इस पर आपके अपने विचार हो सकते हैं। इसका निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं केवल तथ्य बता रही हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : प्रमोशन आउट ऑफ वे था क्या ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं तो फैक्ट्स दे रही हूं। अंग्रेजी में दे रही हूं। आप जरा ट्रांसलेशन सुनिए।

[अनुवाद]

मेरा कहना ये है कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वे अगस्त तक उसी पद पर काम करते रहे। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट को यथावत रखते हुए और कार्यवाही के जारी रखने का उच्चतम न्यायालय से फैसला आया तब उसके आगे दिन-प्रति-दिन के आधार पर कुछ भी करने के लिए नहीं बचा था। इसलिए, वे स्वयं दो महीने की लम्बी छुट्टी पर ये कहते हुए गए कि एक लम्बे समय से उनका व्यक्तिगत काम रुका हुआ है। उन्होंने दो महीनों की छुट्टी मांगी। वे छुट्टी पर गए। फिर वे वापस लौट आए। जब वे वापस आए तब उनसे अनुरोध किया गया कि वे 'एकोनॉमिक अफेन्सस डिवीजन' में उसी पद पर काम करें, जिस पर उनकी नियुक्ति श्री वी० पी० सिंह सरकार द्वारा मई, 1990 में हुई थी। हमने उन्हें शिफ्ट नहीं किया। वो उसी पद पर थे। चूंकि वहां पर दो संयुक्त निदेशक थे जो कि समान रैंक के थे, अतः ये महसूस किया गया कि एक अधि-

कारी उस पद पर रहें और दूसरे अधिकारी एकोनॉमिक आफेन्सेस डिवीजन में काम करें। यह एक आन्तरिक व्यवस्था थी। मैं कह सकती हूं कि हममें से किसी को भी उन्हें पदोन्नति या शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये उन ही का पद था जिसकी मांग उन्होंने की थी। इसलिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि इन दो अधिकारियों की पोस्टिंग और प्रमोशन साधारण तौर पर हुई।

आपने कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई विदेश की यात्रा का भी उल्लेख किया है। दल का काम जारी है, वह भी विभिन्न स्तरों पर। अभी भी उसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक कर रहे हैं। आप किसी को उत्तरदायी व्यक्ति कहते हो या किसी को एक अच्छा काम करने वाला कहते हो। आपका मूल्यांकन समाचार-पत्रों के रिपोर्ट पर आश्रित हो सकता है या अन्य किसी पर भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास अभी भी वही दक्ष दल है। मैं केवल संक्षिप्त में कह सकती हूं क्योंकि कोर्ट जांच का ब्योरा मेरे साथियों के साथ होगा जो इस काम में मुझसे ज्यादा योग्य है। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूंगी कि जहां तक हमारे सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का प्रश्न है, अगस्त, 1991 से जब उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को यथास्थिति रखा था, तब से कई कदम उठाए गए। हमने निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील भी दर्ज करावा था। हम चुप रह सकते थे। लेकिन हमने अपील की। गुण-दोष के आधार पर इन अपीलों को, अपील कोर्ट ने खारिज कर दिया। कार्यवाही चल रही है, जिसके बारे में आपको फिर से बताया जाएगा। किसी भी स्थिति में, हमने या सी॰ बी॰ आई॰ ने अथवा सरकार ने कभी भी नहीं कहा कि कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए या वापस लेना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगी क्योंकि ये प्रश्न तब भी पूछा गया था जब फरवरी में प्रेस रिपोर्ट आ चुके थे, हमने विवरण प्राप्त करने के लिए वहां के वकीलों से संपर्क किया। श्री आर्ज फर्नान्डीज ने श्री एन्डरसन का उल्लेख बड़े मनोरम शब्दों में किया था कि "मेरे पास जो साधन है, उन्हें प्रकट नहीं कर सकता। वे साधन प्रकट नहीं किए जा सकते। मैं और कोई सूचना नहीं दे सकता। मैंने ये सूचना एकत्र कर ली है। ये मेरी अपनी सूचना है।" मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि एक वक्ता ने कहा था कि ये वही व्यक्ति है, जिन पर न्यायालय में मानहानि का आरोप लगा था, उन्होंने क्षमा मांगी थी, उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा गया था और कोर्ट ने फैसला दिया था कि अन्य मामले में उनके रिपोर्ट पूर्णतया: गलत थे। ये वही व्यक्ति है जिसका जिक्र करते हुए आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ राजीव गांधी जी के बारे में कहा था, वो सच है।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं। जांच करते समय आपको खुले मन से रहना चाहिए और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश बोफोर्स के मामले में, आपने इस अनुमान से जांच शुरू किया था कि कोई दोषी है। आप कई सालों से ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं, वो सही है। यह गलत रास्ता है। सच्चाई को जानने के लिए तथ्यों से ऊपर जाने के बदले आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगाती हूं कि अपने किसी व्यक्ति के चरित्र का खून किया है, किसी की विश्वसनीयता को खत्म करने की कोशिश की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका चरित्र ? (व्यवधान)

हमने किसी का नाम नहीं लिया।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं आपसे आज ये कहना चाहूंगी कि आप गलत सूचना देकर चुनाव में विजयी हुए और आप सोचते हैं कि अगला चुनाव भी आप गलत सूचना के आधार पर जीत सकोगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि अब तक भारत की जनता आपके खेल के विषय में जान गई है। उन्होंने आपको पूरी तरह से देख लिया है। इससे कोई असर नहीं होगा। यदि आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो तथ्यों का यथोचित मूल्यांकन होना चाहिए कि और ये समझ होनी चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया भारत में किया जाए अथवा विदेश में। और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि 1989 की हार से पहले, राजीव गांधी सरकार के समय स्वीट्जरलैंड के साथ एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर किया गया ताकि इन सभी मुद्दों पर मिली जानकारी में हम हिस्सेदार हो सकें। इससे पहले कोई एम० यू०ओ० नहीं था। और यदि हम सच्चाई को छुपाना चाहते थे, तो हमारा एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर करना कोई माने नहीं रखता जिससे कि हमें सूचना मिले, जांच कर सकें, और उन मामलों में सहायता मांग सकें, जो हमने शुरू किया···(व्यवधान)···हां। हम सब कुछ छुपाने के लिए करते हैं और आप सब कुछ सामने लाने के लिए करते हो। उस विषय में प्रसन्न रहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि प्रारम्भिक जांच राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हमारे सत्ता के दौरान पहला लेटर रौगेटरी जारी किया गया था। लेकिन हमारा अधियाचन पत्र आपके जैसा दोषपूर्ण नहीं था। हमारे पास काफी लोग ये देखने के लिए थे कि हमने जो कुछ किया ठीक है अथवा नहीं और हमने आपके जैसा नहीं किया।

महोदय, मैं उन विषयों पर जाना नहीं चाहती, जिससे बाद में निपटा जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि सी०बी० आई० और उन आफिसरों के दलों को हर बात के लिए दोष नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया। और मैं ये कहना चाहती हूं कि आपके सरकार ने अधिकार में आकर राज्यपालों, अध्यक्षों और हर एक को निकाल दिया था जबकि हमने ऐसा नहीं किया। जो जहां थे, वे वही पर हैं। लेकिन यदि उन्हें पदोन्नति मिलनी ही है और उन्हें जाना है तो आपको और मुझे उन्हें जहां जाना है वहां जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है भले ही आपको वे अच्छे लगते हों। वे राज्यपाल नहीं हैं, जिन्हें आप अपने खुशी के लिए नियुक्त करते हैं और निकाल देते हैं। वे वहीं पर हैं और वे वहीं पर काम कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए···(व्यवधान)···अन्त में, मैं एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगी। एक प्रश्न उठाया गया था कि उन प्रश्नों पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी···(व्यवधान)···मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जब मामला उठाया गया था, जहां तक हमारी प्रतिक्रिया का सवाल है, 25 को जो पत्र मिला था, हमने उसका उत्तर 26 मार्च को ये उल्लेख करते हुए दिया था कि हम चाहते हैं कि ये जांच जारी रहे और हम इस विषय में गम्भीर हैं। वह पत्र दूतावास और हमारे वकीलों द्वारा सीधा भेजा गया था। अतः मैं सभा को ये आश्वासन देना चाहती हूं कि हमें काम से मतलब है और हम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि सच्चाई ही बता सकती है कि हम अब तक जो कुछ कह रहे थे वह सच है और अब तक आप जो आक्षेप लगा रहे थे वो गलत था।

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इस देश की राजनीति में हुए इस शताब्दी के सबसे गंभीर कांड पर हो रहे वाद-विवाद एवं बहस का सार्थक परिणाम तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि वह चार पृष्ठों का रहस्यपूर्ण दस्तावेज जिसके कारण माननीय विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते, उनको पढ़कर ही बहस आरम्भ की जाती है। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का उनके स्पष्टवादिता के लिए जो उन्होंने उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को लिखे पत्र के संदर्भ में उठाए गए

प्रश्न के सम्बन्ध में दर्शाया था, स्वागत करता हूं। उन्होंने उस पत्र को सदन में रखा भी था। अब सत्ता पक्ष के द्वारा इस पत्र को सदन से छिपाना ही अपने आप में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है कि इसमें कुछ न कुछ संदेहास्पद है जिसे वे प्रकट नहीं करना चाहते और यही कारण है कि वे बोफोर्स-विवाद को उजागर होने से रोकने के लिए इस सम्बन्ध में चल रही कानूनी प्रक्रिया एवं अपील के दौर को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से, जो कि खुले विचारों के व्यक्ति हैं, अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उस पत्र को सदन में रखवाने की हर संभव व्यवस्था करें। इसे फैक्स के माध्यम से प्राप्त करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, इसमें सिर्फ दो या तीन मिनट लगेंगे। लेकिन इसे यहां प्रस्तुत न करना और छिपाना निश्चित रूप से सिद्ध करेगा कि वे उसको सभी से छिपा कर रखना चाहते हैं क्योंकि वह इनकी सही मंशा की पोल खोल देगा जिससे इन्हीं का नुकसान होगा और यह भी प्रकट हो जाएगा कि श्री मणि शंकर अय्यर द्वारा अपने भाषण के दौरान जो कुछ भी कहा गया वे मात्र छिलावा ही था। उन्होंने सत्य सामने लाने की बात की थी। लेकिन कैसे और किस प्रकार? इनके द्वारा उस पत्र को सभा में नहीं रखना और छिपाना ही उनके दोष का पहला और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस मामले में अपनाए गए न्यायिक प्रक्रिया के तौर तरीके से भी ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष का इसमें संलग्न व्यक्तियों से चाहे वह विन चड्ढा हो या हिंदूजा हो, मिली-भगत है।

श्री चिदम्बरम यहां उपस्थित हैं। वे एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार को इस मामले को संविधान की धारा 139(क) के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण करवाने में आखिर क्या रुकावट हुई? इस कार्य के लिए एक साधारण आवेदन ही पर्याप्त था। फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री चड्ढा द्वारा दायर किए गए अर्जी के प्रति स्विस प्राधिकारियों को क्यों भेज (स्थानांतरित किया) दिया? यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में उस आवेदन और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय जो कि वास्तव में अनोखी थी, को खारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस अर्जी को स्वीकारते समय सरकार की तरफ से उपस्थित हुए वकील के द्वारा की गई बहस के आधार पर कहा था कि उसने यह कह कर कि प्राथमिकी रिपोर्ट में किसी अपराध का जिक्र नहीं है, अर्जीदाता के मुकदमे की ही पैरवी की है। अध्यक्ष महोदय, आप भी कानून के मामले में अनुभवी हैं, क्या आपने कभी अभियोजक को यह कहते हुए सुना है कि अभियुक्त जो कह रहा है सही कह रहा है और प्राथमिकी रिपोर्ट किसी अपराध का उल्लेख नहीं है। यह इस मामले के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जिससे सत्ता पक्ष के वास्तविक मंशा का पता चलता है। यह सच है कि गत वर्षों में कांग्रेस हमेशा सत्ता में नहीं रही है लेकिन यह भी इतना ही सच है कि श्री चन्द्रशेखर सरकार को उसकी समर्थन प्राप्त थी जिसकी शासन के दौरान तत्कालीन विधि मंत्री ने एक सम्मेलन बुलाकर सी० बी० आई० के अधिकारियों को उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी-प्रक्रिया शुरू करने के लिए लताड़ा था। मैं उस सी० बी० आई० अधिकारी के नाम भी बताना चाहता हूं जिसका जिक्र अभी कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। श्री माधवन ने एक आवेदन भी दिया था जिसमें विधि मंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा उसे सी० बी० आई० जांच जारी रखने के खातिर लताड़ने के आरोप में उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति मांगी थी। ऐसी स्थिति में क्या मैं जान सकता हूं कि इसकी सी० बी० आई० द्वारा सही-सही जांच हो सके, यह मंशा किस प्रकार से थी? उनके साथ यही समस्या है।

सन् 1987 में, 16 अप्रैल, 1987 को स्वीडिश रेडियो द्वारा यह कहा गया कि 24-3-1986 के हुए समझौते की बाद में कुछ वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञों को रिश्वत दी गई थी। उसके बाद एक-एक कर कई तथ्य सामने आए। यहां तक कि भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक ने भी जो कि एक बहुत ही गरिमामय और स्वतंत्र प्राधिकार का पद है, ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी। एक के बाद अनेकों सबूत जुटा दिए गए।

अब प्रश्न सिर्फ यह रह गया है कि वे राजनीतिज्ञ और व्यवसायी कौन हैं, कौन दलाल है और कौन संचालक है, और कौन-कौन से व्यक्ति इस मामले में लिप्त हैं ? इन्हीं बातों के पता लगाने की खातिर जांच-कार्य चल रहा था। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं रहा कि रिश्वत दी गई थी, जब निःसंदेह रूप से यह साबित हो गया था कि 64 करोड़ रुपए की रिश्वत का भुगतान किया गया था। अब यह राशि 200 करोड़ से ऊपर की बताई जाती है।

विदेश मंत्री के द्वारा स्विस अधिकारियों को एक दस्तावेज भी सौंप दिया गया है। उनका यह कहना कि वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते आज का सबसे मनोरंजक विषय है। एक अनजान व्यक्ति स्विटज़रलैंड में विदेश मंत्री के हाथ में वह दस्तावेज देने के लिए इतने आसानी से नहीं सामने आ जाता। वह इतना जानते हैं कि वह एक वकील है। ऐसे में कोई यह कैसे विश्वास करेगा कि वह उस वकील का नाम जिसने उन्हें दस्तावेज दिया था, नहीं जानते। क्या इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज किसी को यों ही दिया जा सकता है ? यह विश्वास योग्य नहीं है। मुझे यह कहना पड़ रहा है कि विदेश मंत्री सच्चे और ईमानदार नहीं हैं। अपनी गलती स्वीकारते समय उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि वे उस व्यक्ति का नाम बता सकें और इस तरह यह सारा षडयंत्र ढका ही रह जाय। ऐसा करके वे सिर्फ अपने आपको जांच से बचाना चाहते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज सारा विश्व हम पर हंस रहा है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि किसी मंत्री को कोई दस्तावेज सौंपा जाए और वह उसे न पढ़े या उस व्यक्ति का नाम ही न जाने जिसने उसे सौंपा था। उन्होंने उस दस्तावेज की एक प्रति भी अपने पास नहीं रखी। इस तरह की घटना पहले कहीं नहीं हुई होगी। किसी दस्तावेज का आदान-प्रदान इस प्रकार नहीं किया जाता। इसलिए, मैं तो यह कहूंगा कि इस मामले में शुरू से ही तथ्य को छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आज, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय के बदले उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की एक प्रति भेजी थी जिसके साथ बिन चड्ढा द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अर्जी की एक प्रति भी संलग्न थी। मैं नहीं जानता कि यह अर्जी की प्रति क्यों भेजी गयी थी क्योंकि ऐसी अर्जी की प्रति भेजने का चलन सामान्य तौर पर नहीं है, हां किसी निर्णय के या स्थगन आदेश के प्रति भेजी जा सकती है। माननीय मंत्री ने ऐसा करने के जो कारण बताएं हैं, वह है कि उन्हें खास तौर पर इसके लिए सलाह दी गयी थी। जहां तक मैं समझता हूं कि उन्हें यह सलाह उस बात को छिपाने के अभिप्राय से दी गयी थी जिसका खुलासा इस तथ्य से हो चुका है :

> "यह रिपोर्ट जिसमें डा० पियरे स्किम्ड, जो कि चीफ ऑफ इण्टरनेशनल असिस्टेंस इन क्रिमनल मैटर्स ऑफ दि स्विस फेडरल पुलिस ऑफिस बर्न हैं, को कहा गया है कि भारत चाहता है कि बोफोर्स विवाद को समाप्त कर दिया जाए, बहुत ही विचलित करने वाला है। जैसा कि श्री स्किम्ड ने स्वयं कहा है कि वे इन बातों के बारे में 'जेनेवा कैन्टूनल

कोर्ट' भी यह लोगों द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रहा है, को बताएंगे। इसमें भारत के स्विस बैंक दस्तावेज की जांच के अनुरोध को खारिज करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह बोफोर्स विवाद को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है।"

इसलिए, महोदय, यह एक प्रकार की कुचेष्टा है। आज इस सम्बन्ध में हम पहली अप्रैल को इस सदन में बहस कर रहे हैं। अब तो समय ही नहीं बचा है। सत्ता पक्ष के इतने सारे सदस्यों ने भाषण दिए लेकिन किसी ने भी वास्तव में यह नहीं बताया कि इस चार पृष्ठों को अनदेखा कर देने की और इस मामले की सही-सही जांच करने के संदेश भेजे जा चुके हैं। अभी तक यह नहीं कहा जा सका है। माननीय मंत्री ने भी अपने आज के बयान में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ यह है कि वे इस मामले की जांच नहीं चाहते और न ही नामों को प्रकाश में लाना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं इससे उस पक्ष में बैठे कुछ सदस्य या उनसे संबंधित लोग खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए वे इसे बन्द करना चाहते हैं।

अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे भाषण की शुरुआत यह कहते हुए करें कि उन्होंने मामले की जांच चालू रखने, उस चार-पृष्ठी दस्तावेज को नजरअंदाज कर देने के लिए उसके फैक्स कॉपी यहां भेजने के लिए संदेश दे दिया है और वह कॉपी यहां सदन के पटल पर रख दी जाएगी। वह इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो श्री मणिशंकर अय्यर एवं दूसरों के द्वारा अपने आपको सही साबित करने के लिए दिए गए भाषण और श्री राजीव गांधी के दिवंगत आत्मा जिनके बारे में हमारा कुछ भी विवाद नहीं है, के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश बेकार जाएगी। हम किसी के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं लेकिन यहां प्रश्न राष्ट्र का है। यह सरासर राष्ट्र को बेच देने जैसी ही घटना है जिसे सहन नहीं किया जा सकता।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मेरे वरिष्ठ मित्र, श्री जसवंत सिंह ने इस मामले पर विस्तार से विचार किया है। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहूंगा ताकि मगरमच्छ के आंसू बहाने की बजाए वे तथ्यों से अवगत हो पायें। वे तीनों अधिकारी जिनको हटाया गया था उन्हें पुनः नियुक्त किया गया होगा, यदि वास्तव में उनकी जांच सही है। महोदय, क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि उन्होंने एक के बाद एक इन तीनों अधिकारियों को क्यों हटाया ?

श्री पवन कुमार बंसल : विवेकाधिकार के इस्तेमाल में भी सीमाएं तथा रुकावटें हैं, जैसा कि **उन्हें यह समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कठोर शब्द कार्यवाही वृतांत से हटा दिए जाएं।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मैं समझता हूं कि आप कटघरे में हैं। सत्ता पक्ष इस मामले में कटघरे में है। देश ने उस मुद्दे पर आपके विरुद्ध एक अभिनिर्णय दिया है। अपनी गलतियों तथा बदनामी के बाद भी आप नायक बनना चाहते हैं जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि वे तीन अधिकारी जिनको बलि का बकरा बनाया गया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो से हटा दिया गया, को उनका कार्यभार सौंपा गया होगा। आखिरकार, जुर्म क्या था ? श्री माधवन का क्या जुर्म था ? उनका स्थानांतरण क्यों किया गया ? केवल यही जुर्म था कि वे

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

सही तरीके से तथा सच्चाई से जांच कर रहे थे तथा इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि उनका क्या हुआ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए० चार्ल्स : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। यह अधिकारियों के प्रशासनिक ब्यौरे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत वह यह मांग कर रहे हैं कि कुछ अधिकारियों को पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको वह नियम दिखाना होगा जिसके अन्तर्गत आप यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती मार्गरेट अल्वा पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। आपसे पहले उन्होंने बोला है ?

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के श्री एस० डी० शर्मा, श्री माधवन और श्री आर० एन० सिंह का दल जो कि इस अपराध की जांच कर रहे थे तथा जो इन अपराधियों तथा दोषियों का पता लगाने तथा इनको कटघरे में डालने की कोशिश कर रहे थे, प्रत्येक को किसी न किसी बहाने से हटा दिया गया। वे ईमानदार थे। जो कुछ भी श्री अय्यर ने कहा है यदि उस बात में कोई सच्चाई है कि वे सच्चाई का पता लगाना चाहते थे तो आप उन्हें पहले उन्हीं पदों पर पुनः नियुक्त करें।

तत्पश्चात्, महोदय, मैं आगे यह कहूंगा कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार को स्विस प्राधिकरणों को एक संकेत भेजना चाहिए कि उस दस्तावेज पर ध्यान नहीं दिया जाना है और अगले दिन, हमें उन लोगों के नाम पता लगाने हैं तथा अपील पर मुकदमा चलाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मुझे अब 7 बजे कुछ बोलने की अनुमति देने की इस उदारता से मैं अत्यन्त प्रसन्न हूं। मैं यहां बहुत धैर्य से प्रधान मंत्री द्वारा कुछ बोले जाने का इन्तजार कर रहा हूं जो कि मुझे विश्वास है इस विवादास्पद मामले पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

इस्पात मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं भी बहुत धैर्य से आपके वक्तव्य का इन्तजार कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सबसे पहले, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य, मुझे डर है—जबकि मैं उनके विचारों को समझता हूं तथा मुझे उनसे सहानुभूति है कि वे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रति इस भावना से बंधे हैं।

जहां तक कि मैं जानता हूं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है कि पैसा उनके द्वारा लिया गया है। लेकिन इस बारे में हमने जो आरोप लगाया है वह यह है कि जिसने भी पैसा लिया है वे लोग उच्च पदों पर आसीन हैं। उन लोगों को बचाया जा रहा है। उनको वोट देने की मांग की जा रही थी। एक प्रधान मन्त्री के लिए यह कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मैं यह पूछना चाहूंगा

कि क्या जब तक स्वीडन के नेशनल आडिट ब्यूरो ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था कि हाउइटजर को खरीदने के लिए बोफोर्स द्वारा कमीशन का भुगतान किया गया है तो उस समय तक क्या इस बात का पुरजोर खंडन नहीं किया गया था कि ऐसा कोई कमीशन नहीं लिया गया, ऐसा कोई दलाल नहीं था, ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं था तथा कुछ भी नहीं हुआ। यह सब विपक्ष की खोज है। यह केवल तब हुआ जबकि नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट आने के कारण इसे मना करना संभव नहीं था, तब हम इस पूरे मामले के अगले चरण में आए।

निश्चय ही, श्री माधव सिंह सोलंकी ही बोफोर्स के पहले शिकार नहीं हैं, और मैं नहीं जानता कि इस मामले का निपटान होने तक कितने लोग और इसके शिकार होंगे।

प्रारम्भ में इसके शिकार रक्षा राज्य मन्त्री श्री अरुण सिंह हुए। निश्चय ही, उन्होंने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था। मैं नहीं समझता कि इस्तीफा देने के लिए शायद उन पर किसी ने दबाव डाला हो। लेकिन क्यों? मामला क्या था? उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हमारी संयुक्त संसदीय समिति की जांच के दौरान तथा बाद में, जब यह पाया गया कि गोपनीयता के तर्क के आधार पर यह कम्पनी पैसा लेने वाले व्यक्तियों का नाम बताने से इंकार कर रही थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सुझाव दिया कि यह गलत हो सकता है; शायद सुझाव देने का यह सही तरीका नहीं हो। यदि आपको वह नाम चाहिए, यदि भारत सरकार इन नामों को जानने की इच्छुक है, तो केवल एक तरीका यह है कि इस कंपनी के ऊंचे कार्यकारी अधिकारियों को बुलाया जाए तथा उनको कहा जाए कि जब तक कि आप पैसा लेने वालों के नाम नहीं बतायेंगे क्योंकि आखिरकार, वह पैसा जो कि दिया जाना था, कीमत का एक भाग था जो हमें आखिरकार तोप के लिए अदा करनी थी, वह कीमत हाउटजर के मूल्य में शामिल कर दी गई थी जो कि भारत सरकार की जेब से निकली। श्री अरुण सिंह ने कहा कि जब तक कि वे उनके नाम अथवा पैसा लेने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बताएंगे, उन्हें यह कहकर डराइए कि हम वह आदेश रद्द कर देंगे। आदेश को लागू नहीं किया गया था, केवल संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्री अरुण सिंह का यही अपराध था। वे विपक्ष से संबंध नहीं रखते हैं; वे सरकार से संबंध रखते हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि शायद जिस तरीके से उनके प्रस्ताव पर गौर किया गया था, वह सरकार के ऊंचे लोगों द्वारा प्राप्त किया गया था। जिसने उन्हें बिना किसी विकल्प के इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। वे पहले शिकार थे।

दूसरे शिकार स्वीडन के प्रधान मन्त्री श्री ओलोफ पॉल्मे थे। पूरे विश्वास से कोई यह नहीं कह सकता है कि उनकी हत्या किसने की और क्यों की। लेकिन, आखिर वे स्वीडन के प्रधान मंत्री थे। स्वीडन के समाचार पत्र श्री ओलोफ पॉल्मे के इस पूरे बोफोर्स सौदे के साथ संबंधों की रिपोर्टों से भरे हुए थे। उनकी हत्या कर दी गई। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि इस ठेके पर हस्ताक्षर करने के केवल तीन सप्ताह पहले यह कहा गया था कि न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भारत तथा स्वीडन के प्रधान मन्त्रियों के बीच एक समझौता हुआ था। उनके बीच एक सहमति हुई थी कि चूंकि इस विशेष ठेके के संबंध में कोई दलाल नहीं होगा, न ही किसी दलाल द्वारा कोई कार्य लिया जाएगा तो इसमें किसी प्रकार के कमीशन का प्रश्न भी नहीं होगा।

इस सभा में यही कहा गया था। मैं बार-बार उस व्यक्ति के नाम का हवाला नहीं देना चाहता जिसके प्रति यह लोग बहुत भावुक हैं। इस बारे में जटिलता थी। वे कहते हैं यदि आप नामों का उल्लेख करते हैं तो आपने चरित्र की हत्या कर दी। इस सभा में यह कहा गया था। मैं

इस सभा का सदस्य था। इस सभा में यह कहा गया था कि न्यूयार्क में दो प्रधान मन्त्री इस समझौते पर पहुंचे कि इस ठेके में कोई कमीशन नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, जहां तक कि बोफोर्स का संबंध था, हो सकता है ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बाद में, हमने यह पाया कि बोफोर्स से संबंधित रिपोर्ट, जो कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा जो बहुत विलम्ब के बाद सभा पटल पर रखी गई थी, वह रिपोर्ट जिसमें शायद नियंत्रक तथा लेखा-परीक्षक ने कहा था कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। आप उस रिपोर्ट से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि महीनों से वे रक्षा मंत्रालय से कुछ फाइलों तथा दस्तावेजों को उन्हें भेजने के लिए कह रहे थे और इसमें विलम्ब पर विलम्ब होता गया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसमें क्यों विलम्ब किया जा रहा है, अन्त में वे दस्तावेज उनके पास पहुंच गए। उन्होंने सभी उपलब्ध दस्तावेजों तथा फाइलों की जांच की थी तथा अपनी रिपोर्ट में कुछ विचित्र टिप्पणी दी थी जो कुछ इस प्रकार थी कि दो प्रधान मन्त्रियों के बीच इस प्रकार का कथित समझौता हुआ था, इस बात का उल्लेख न तो रिकार्ड में है और न ही फाइलों में। यहां तक कि दो प्रधान मंत्रियों के बीच पत्रों का विनिमय भी नहीं हुआ था। इस बात का कोई संकेत न देने के लिए कि किसी समझौते का कोई ऐसा बंधन है तथा यह कि इस समझौते में कोई दलाल तथा कमीशन नहीं था।

वास्तव में, जब नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट आई तो हम उस आधार पर इस मामले में प्रश्न पूछ रहे थे।

7.00 म० प०

हम उस आधार पर प्रश्न पूछ रहे थे और कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा था। मैं आपको याद दिला दूं कि इसी मुद्दे पर संपूर्ण विपक्ष ने इस सभा से त्याग पत्र दे दिया था। हमने यहां पर अपने स्थान छोड़ दिए। हमने त्याग पत्र दे दिया। हम बाहर निकल गए। हां, हम बाहर निकल गए। हम बाहर निकल गए, क्योंकि, हम यह नहीं कह रहे थे कि श्री राजीव गांधी ने धन लिया है। लेकिन हम यह कह रहे थे कि यह सही दृष्टिकोण नहीं है कि सरकार उन लोगों को छिपाने की कोशिश करे, जिन लोगों ने संभवतः धन लिया हो।

इसलिए, श्री ओलफ पाल्मे की हत्या, हां, हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं है, हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह उनका काम है कि वे अपने देश में इन मामलों की जांच करें, लेकिन स्वीडिश समाचार पत्रों के अनुसार, इस हत्या का बोफर्स सौदे से संबंध है।

बोफोर्स मामले के तीसरे शिकार श्री सोलंकी जी हैं। वह इसलिए भाग्यहीन हैं, क्योंकि हमारे समाचार पत्र सतर्क हैं। मैं सोचता हूं कि यदि वह यह स्वीकार नहीं करते और चुप रहते तो क्या हो जाता। और मैं यह नहीं सोचता कि यदि समाचारपत्र सतर्क नहीं होते तो वे ये स्वीकार नहीं करते। उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि समाचारपत्रों में यह समाचार आया था कि उनके पास यह स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था कि उन्होंने कुछ कागजात स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री को सौंपे थे। लेकिन उनको बेचारा निर्दोष व्यक्ति नहीं कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वह बेचारे निर्दोष व्यक्ति नहीं थे। वह इतने बड़े देश के विदेश मन्त्री थे। वह कौन-सा महापराध कर रहे हैं, यह सोचे बिना उनका ऐसा करना, ठीक नहीं लगता। यह

जानते हुए भी कि यह महापराध किसी भी मन्त्री द्वारा किए जाने वाला संपूर्ण अनौचित्यता के बराबर था।

इससे हटकर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वह नहीं जानते थे कि वह कौन व्यक्ति था, जिसने उन्हें कागजात दिए था, वह नहीं जानते थे कि कागजात में क्या लिखा था। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राज्य सभा मे उन्होंने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि ये कागजात भारत के न्यायालयों में चल रहे बोफोर्स मामलों की ताजा स्थिति से संबंधित थे। यदि उन्होंने ये कागजात नहीं पढ़े, तो वह इस बात को कैसे जानते हैं ? वह कैसे जानते हैं कि उसमें क्या है, या उसका संबंध किसके साथ है ? लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा था कि ये कागजात भारत के न्यायालयों में चल रहे बोफोर्स मामलों की ताजा स्थिति से संबंधित हैं। अत: उन्हें कम से कम इतनी तो जानकारी होगी। इसके बावजूद उन्होंने उन कागजातों को सौंपा जो कि उनका काम नहीं था। और उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वहां पर वो कागजात कैसे आए।

मैं प्रधान मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने भी कोई जांच करवाई होगी। उस नोट का लेखक कौन है ? उस नोट को किसने तैयार किया जो सोलंकी जी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री सोलंकी जी तक पहुंचा था और उन्होंने स्वीडन के विदेश मन्त्री को सौंपा था ? उस नोट को किसने लिखा था, जिससे स्वीट्जरलैंड कोर्ट को यह लगा कि हम, हमारी सरकार गम्भीर नहीं है और हम नहीं चाहते कि यह कार्यवाही तेजी से चले, बल्कि काम धीरे किया जाए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : और चौथा शिकार ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी चौथे शिकार को सामने आना है। मैं सचमुच घबरा गया हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस बोफोर्स का पूरा रहस्य खुलने तक, न जाने और कितने शिकार सामने आएंगे।

जो कुछ हुआ, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। यह सब कुछ अचानक ही हो गया। यह पूर्ण तौर पर एक चौंका देने वाला मामला था। और मुझे विश्वास है कि प्रधान मन्त्री जी भी चौंक गए होंगे। मुझे विश्वास है, प्रधान मन्त्री जी ने पिछले तीन या चार दिनों में यह जांच अवश्य कराई होगी कि यह घटना कैसे घटी। और, हां, विदेश मन्त्री के पास इस्तीफा देने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ।

इसलिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कि यह दीर्घ इतिहास वर्णन, जो कि हम सुन रहे थे, जिसका संबंध कई अवसरों पर किए गए कुछ प्रयासों से था, जो कि हमारे विचार में जांच में ढील लाने के लिए किए गए प्रयास थे। उसे मैं दोहराना नहीं चाहूंगा।

यह तो केवल एक उदाहरण है। यह आज सुबह माननीय रक्षा मंत्री के दिए गए बयान में कहा गया था। मैं, रक्षा मन्त्री के दिए हुए बयान के पृष्ठ 2 से, वहां से संशोधित अनुरोध पत्र से यह उद्धृत कर रहा हूं :

> "30 अगस्त, 1990 को सी० बी० आई० ने स्विस अधिकारियों को ये संशोधित अनुरोध पत्र सौंपा था, जो कि 19 सितम्बर, 1990 को मामले पर विचार करने वाले

न्यायाधीश द्वारा सही पाया गया था। इस आदेश से प्रभावित कतिपय पार्टियों ने अपीलें दायर की थीं।"

ये पार्टियां कौन-सी हैं ? हम यह जानते हैं कि, श्री विन चड्ढा याचिकाएं दर्ज कर रहे थे और सब कुछ हो रहा था। ये कौन-सी प्रभावित पार्टियां हैं, जिन्होंने स्वीट्जरलैंड में आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी ? हमारी सूचना के अनुसार इसमें हिन्दुजा की एक पार्टी थी। यदि यह गलत है, तो कृपया आप बता दें। आप पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लो और कहो कि यह गलत है, और वह कौन था, बताओ। यह एक अपील ही है। हमारी जानकारी यह है कि वह हिन्दुजाज में से एक थी। मैं समझता हूं कि अब कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि इस सारे मामले में निश्चित तौर पर हिन्दुजा की एक या दो पार्टियां शामिल हैं।

श्री विन चड्ढा के विषय में जितना कम कहें, उतना ही अच्छा है। वह अब चले गए। वह इस देश से चले गए। हम उनको इस देश से जाने से नहीं रोक सके, उनके पासपोर्ट को अपने कब्जे में नहीं ले सके, कुछ भी नहीं कर सके। आप उनको वापस नहीं ला सकते। आप उनको सरकार के हवाले नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए, वह चले गए।

महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमें अब ज्ञात हो चुका है कि सरकार द्वारा कभी-कभी यह आश्वासन देना ही पर्याप्त नहीं होगा कि यह जांच पूरे जोश के साथ की जाएगी और जो भी संभव होगा, किया जाएगा। हमें इसमें थोड़ा कष्ट होगा। मैं अधिकारियों की निन्दा नहीं कर रहा हूं। ऐसे कई अधिकारी होंगे, जो यह काम पूरी लगन के साथ करना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ हुआ और यहां पर उनका वर्णन किया गया, जो कि अधिकारियों के सामर्थ्य के बाहर था, और शायद वह ऊंची नीतियों के क्षेत्र के अन्तर्गत था। अत: हम इसे ठीक और अधिक उचित मानते हैं, यदि एक प्रस्ताव या संकल्प या इस तरह का कुछ भी, जिसको मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने प्रस्तुत किया था, यहां पर पारित किया जाए। मैं नहीं समझता कि सरकार इससे सहमत होगी। मुझे शब्दों की कोई चिन्ता नहीं हैं। उसके कथ्य महत्वपूर्ण हैं। सरकार को, पूरे संसद को, सभी पार्टियों को, और सरकार को, इस सभा को यह घोषणा करनी चाहिए कि हम यह संकल्प करते हैं कि इस मामले पर पूर्ण उत्साह के साथ तब तक कार्यवाही की जाएगी, जब तक कि सत्य का पता नहीं लग जाता।

उस ओर के कई वक्ताओं ने भी कहा था कि वे सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वह एक ऐसा सुस्पष्ट काम है जो हर कोई करना चाहता है चाहे आप किसी का नाम स्पष्ट करना चाहते हैं, चाहे आप उन्हें खतम कर देना चाहते हैं अथवा आप जो भी करना चाहते हैं। सच्चाई को उजागर होना ही है। यहां पर यह मामला नहीं है कि क्या श्री वी० पी० सिंह ग्यारह महीनों में अधिक अकुशल थे या कम अकुशल थे और क्या आपने शेष समय में कुशलता का आदर्श दिखाया है। इस वाद-विवाद में मेरी कोई रुचि नहीं है।

आपको सच्चाई का पता कैसे चलेगा, यदि आप इस विषय पर यूं एक दूसरे पर आरोप लगाते रहोगे ? आपको सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। यह देश के लिए अच्छा है। देश के लिए बहुत बुरी बात है कि पांच वर्ष तक एक ही विषय को यूं खींचते रहे। हमने जो सम्मिलित, संगठित, सामूहिक प्रयास नहीं किए, जो कि हमें करने चाहिए थे। जो हम अभी भी कर सकते हैं, इसका मुझे विश्वास है, ताकि यह मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दोषी जो भी हो, इससे

कोई फर्क नहीं पड़ता। दोषी श्री सोमनाथ चटर्जी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं और आप भी हो सकते हैं, पर सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। और उसी उद्देश्य से हमारा यह सुझाव है कि प्रधान मन्त्री को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए; यदि सम्पूर्ण सभा किसी तरह का प्रस्ताव या घोषणा या संकल्प लेने में एकमत होती है, जैसा कि हम पहले कई बार, कई सन्दर्भों में और कई विषयों पर एकमत हुए हैं, कि श्री सोलंकी के घटना के कारण हम बहुत चिन्तित हैं जिसकी वजह से अन्धकारपूर्ण मामला और दब गया और पूरी सभा यह चाहती है कि इस मामले पर पूरे उत्साह के साथ कार्यवाही की जाए और सारे देश के हित में इस मामले की जांच तेजी से और सफलतापूर्वक की जाए। हम भी यही चाहते हैं। और एक अन्य कोई शिकार सामने आए, इससे पहले ही यह पूरा करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह मामला जल्दी खतम नहीं होगा, तो अन्य शिकार भी उत्पन्न हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम शामिल है; सभी तरह के लोग शामिल हैं; सभी तरह के लोग, जिनका इस पूरे मामले में निहित स्वार्थ है और जो इसके लिए चिंतित हैं, वे इसमें शामिल हैं। कुछ लोग देश में होंगे और कई लोग विदेश में हैं। और, अतः हमें यह देखना चाहिए कि हमारे देश के हित में, इस मामले पर कार्यवाही और जांच जहां तक संभव हो सके, जल्द से जल्द हो और सच्चाई से हो जाए।

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूंगा।

रक्षा मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य व्यापक है और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के सत्ताहीन होने के बाद क्या हुआ और विशेषकर जून, 1991 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से क्या हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं और आप भी मुझसे सहमत होंगे कि कुछ तनाव और एक-दूसरे से कुछ झगड़ा होने के बावजूद इस वाद-विवाद का अच्छा प्रभाव होगा। अच्छे प्रभाव की शुरुआत हो गई है और मुझे विश्वास है कि सरकार यहां पर व्यक्त सभी मतों का ध्यान रखेगी। वे शायद उनसे सहमत नहीं हों। लेकिन, इसका अच्छा प्रभाव रहेगा कि यह मामला दबा हुआ नहीं है, इस पर पूर्ण उत्साह के साथ कार्यवाही की गई है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूर्णतया सहमत हूं। संसद में कोई भी वाद-विवाद होता हो तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और आज जो वाद-विवाद बिना किसी बुरे उद्देश्य से अथवा द्वेष भावना के हुआ था, उसका भी अच्छा प्रभाव रहेगा।

अब हम श्री राजीव गांधी की पिछली सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों पर ध्यान दें। यह कदम अकारण ही नहीं उठाए गए थे, न ही किसी दबाव के अन्तर्गत उठाए गए थे। यह सरकार द्वारा कार्यप्रणाली की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाए गए थे, क्योंकि यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि नियमों का पालन किया जा रहा है, और जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सजा दी जा रही है।

दिनांक 20 फरवरी, 1989 को जब स्विटजरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था तब विपक्ष में से किसी ने यह मांग नहीं की कि समझौता-ज्ञापन किया जाना चाहिए। जब पहले श्री राजीव गांधी की पिछली सरकार द्वारा विदेशों से सहायता मांगने के उद्देश्य

से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 को संशोधित किया गया था, तो विपक्ष में से किसी ने यह मांग नहीं की थी कि हमें ऐसा करना चाहिए। यह कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए निर्णय हैं, ताकि न केवल बोफोर्स मामले में केन्द्रीय जांच को आसान बनाया जा सके, बल्कि प्रत्येक अन्य मामले में, जिनमें भारत के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को, उस देश के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से सहायता लेने की जरूरत होती है।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के तीन दिन बाद पहले से तैयार एक अनुरोध पत्र स्विस सरकार को भेजा गया था। जब श्री राजीव गांधी की सरकार की अवधि पूरी होने जा रही थी तब स्विस सरकार द्वारा पहले अनुरोध पत्र के जवाब में सूचना देने से इन्कार कर देने के आधार पर एक और अनुरोध पत्र भेजा गया था। हमारे अनुरोध पत्र त्रुटिपूर्ण नहीं पाए गए थे। हमने प्रारंभिक जांच का उल्लेख भी किया था। किसी न्यायालय ने उसे रद्द नहीं किया। किसी न्यायालय ने उसमें गलती नहीं पाई। सरकार बदली और एक नई सरकार सत्ता में आई। मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कम से कम देश के इस भाग में, देश के उत्तरी भाग में उन्होंने गलत सूचना तथा जानबूझकर किए गए मिथ्या प्रचार के जरिए वोट हासिल किए। यह एक भिन्न मामला है कि अट्ठारह महीनों बाद गलत सूचना तथा मिथ्यापवाद के प्रचार के बावजूद भी वही दल चुनाव में हार गया। (व्यवधान) हमें बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम उस दयनीय दुर्दशा तक भी नहीं गए, जिसमें कि आज श्री वी०पी०सिंह हैं जो अब विपक्ष के सम्मानित नेता भी नहीं हैं। हालांकि जब हम चुनाव हार गए थे, तब भी हमारी पार्टी अकेले रूप में सबसे बड़ी पार्टी थी और जब हम चुनाव जीत गए हैं, तब भी हमारी पार्टी अकेले रूप में सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे कहने दीजिए कि यदि हम अपना कार्य संचालन ईमानदारी से करते हैं, जो हम करते ही हैं, तो हमारी पार्टी भारत में हमेशा एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही रहेगी। श्री वी० पी० सिंह बीच में टोकने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने अनेक काम किए हैं। उसकी बारीकी से गहन जांच अवश्य की जानी चाहिए। आइए देखें कि उन्होंने क्या किया था तथा विश्व को भी यह फैसला करने दें कि उस सरकार ने क्या किया था जो बेचारी केवल ग्यारह महीने ही सत्ता में रह सकी। उस सरकार ने क्या किया तथा उस सरकार ने क्या किया होता यदि वह ग्यारह महीनें से भी अधिक सत्ता में रहती। उसने इस देश का सर्वनाश कर दिया होता। लेकिन वह एक भिन्न मामला है ··(व्यवधान) आप सबने इस बारे में बोला है। इसलिए, कृपया धैर्य रखिए······ (व्यवधान) मैं केवल बोफोर्स पर बोल रहा हूं···(व्यवधान) अच्छा धन्यवाद। मैं आपकी सलाह मानता हूं। मैं बोफोर्स पर बोलूंगा।

महोदय, एक नियमित मामला ही दर्ज किया गया था और एक अनुरोध पत्र पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भेजा गया था और तत्पश्चात् वे विशेष न्यायाधीश श्री आर० सी० जैन के पास गए तथा न्यायालय द्वारा अनुरोध पत्र जारी करवाया। मैं उन्हें इसके लिए दोष नहीं देता। मेरे अनुसार, कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी अनुरोध पत्र पर्याप्त है। लेकिन यदि उन्होंने यह सोचा कि उन्हें उस अनुरोध पत्र को न्यायालय द्वारा जारी करवाकर मजबूत करना है वे ऐसा कर सकते थे। स्विस प्राधिकारियों ने क्या किया ? मेरी मित्र श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने स्विस न्यायालय द्वारा पाए गए सभी कमियों का उल्लेख नहीं किया। मैं उनमें से कुछ के उदाहरण दूंगा और मैं उनके बारे में यह बताऊंगा, कि कब भारत के अच्छा नाम, तथा विशेष न्यायाधीश के अच्छे नाम को बट्टा लगा। यह अभी की बात नहीं है लेकिन जब अनुरोध पत्र स्विस

प्राधिकारियों को दिए गए थे। स्विस न्यायालय ने यह पाया कि दस्तावेजों का अनुवाद नहीं किया गया था, दस्तावेजों को प्रमाणीकृत नहीं किया गया था तथा जिन दस्तावेजों का अनुरोध पत्र में हवाला दिया गया था, उनको अनुरोध पत्र के साथ प्रस्तुत अथवा संलग्न नहीं किया गया था। अनुरोध पत्र यह नहीं बताता कि किस अधिकार से पैरा 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 तथा 27 में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न किया गया था। दस्तावेज अस्पष्ट थे। दस्तावेज अधूरे थे जिसका अर्थ है कि या तो उनमें हेरा-फेरी की गई है अथवा वे नष्ट कर दिए गए हैं। और अन्त में उन्होंने कहा : "इससे भी बढ़ कर बात यह है कि मद 9 और 10 के बीच में एक कागज चिपकाकर जोड़ा गया है।" भारत सरकार न्यायालय को एक अनुरोध पत्र भेजती है जो यहां तक कि हस्तचालित टाइपराइटर से भी टाइप नहीं किया गया है। एक कागज मद 9 और 10 के बीच में चिपकाया गया है। यह है वह अनुरोध पत्र जो कि भारत सरकार भारतीय न्यायालय स्विस न्यायालय को भेजता है। वह कागज केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित 26-1-1990 के पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों तथा निगमित निकायों का हवाला देता है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा कि यह ऐच्छिक है कि भारतीय प्राधिकारी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। हमें कब शर्म महसूस नहीं करवाई गई ? जब एक स्विस न्यायालय ने हमसे कहा कि भारतीय प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहा कि इसलिए, यह पूछना तर्कसंगत है कि क्या यह तथ्य न्यायाधीश की जानकारी में लाए गए थे तथा यह पूछना तर्कसंगत है कि क्या किसी ऐसे भारतीय सिविल कर्मचारी के विरुद्ध, जो कि भ्रष्ट हो सकता है, कोई कार्यवाही की गई। इसलिए वह अनुरोध पत्र को, जिसमें कमियां हैं, भेजने के लिए इतना श्रेय नहीं लीजिए। यह वह अनुरोध पत्र है, एक कमियों से युक्त अनुरोध पत्र जिसके विरुद्ध एक अपील की गई और फिर दूसरी अपील, जिससे कि पिछले चौबीस महीनों से गतिरोध और बढ़ा ही है। मैं जानता हूं कि यदि श्री सोमनाथ चटर्जी केवल सिर भी हिला दें, तो इसका अर्थ है कि वे सहमत हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह सही मामले के वैधानिक पहलू की दृष्टि से सही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं वकील और न्यायालय के बारे में आपका वक्तव्य सुनने का इन्तजार कर रहा हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : मुझे उम्मीद है वह आप नहीं थे, बस।

तत्पश्चात्, महोदय, श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने कहा कि उन्होंने ज्यूरिख न्यायालय में मामले को उठाया है। ज्यूरिख न्यायालय ने 13 नवम्बर को अपील को रद्द कर दिया। 13 दिसम्बर को ए० ई० सर्विसेज के बैंक खाते से सम्बन्धित दस्तावेज भारत सरकार को दिया गया था। मैंने सुना कि श्री वी० पी० सिंह कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र था, जो उनकी सरकार ने ढूंढ निकाला है। पहली बात यह कि वह उनकी सरकार नहीं थी। उनकी सरकार 6 नवम्बर को सत्ताच्युत हो गई थी। जब दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, उस समय उनके बाद की सरकार थी, लेकिन यह एक मामूली-सी बात है। स्विस सरकार ने क्या किया, ज्यूरिख न्यायालय ने क्या किया ? उन्होंने ए० ई० सर्विसेज खाते से सम्बन्धित दस्तावेज हमारे अर्थात भारत सरकार के पास भेज दिये।

मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि यह तथ्य कि ए० ई० सर्विसेज ही 50 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के प्राप्तकर्ता थी, एक सच्चाई है, जो कि उस देश को 1987 से मालूम

है। यह सच है। वे उस रिपोर्ट को अधिक महत्व नहीं देते हैं। वे उस रिपोर्ट को सत्य नहीं मानते हैं और मैं उस बारे में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता हूं। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति अर्थात् जे० पी० सी० की रिपोर्ट, जिसकी आप आलोचना करते हैं, जिसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, जिसे आप कहते हैं कि यह औपचारिक है, उस जे० पी० सी० रिपोर्ट में पृष्ठ 170 पर पैरा 1.176 में भी इस तथ्य को रिकार्ड किया गया है कि ए० ई० सर्विसेज लाभ प्राप्तकर्ता थी जिसने 50 मिलियन स्वीडिश क्रोनर प्राप्त किए थे तथा पैरा 7.181 और 7.182 कहता है कि इस राशि को नौरदफिनाज बैंक, ज्यूरिच को अन्तरित कर दिया गया था। 13 दिसम्बर को जो कुछ भी भारत सरकार को पता चला है, वह जे० पी० सी० के रिकार्ड में जो कुछ कहा गया है, उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। वह जे० पी० सी० रिपोर्ट जिसे 'दोषी' कहा गया था। दो वर्ष बाद, जहां तक कि ज्यूरिच खाते का सम्बन्ध है, हमें उतना ज्ञान नहीं है। हम केवल श्री राजीव गांधी की सरकार के कारण ही ज्ञानवान नहीं हैं। हम श्री वी० पी० सिंह की कुशल सरकार होने के बावजूद बुद्धिमान नहीं हैं तथा उन कुशल अधिकारियों के बावजूद जिनको उन्होंने नियुक्त किया था। सच्चाई यह ही रही कि ज्यूरिच न्यायालय ने हमें उस एक खाते के बारे में कुछ नहीं बताया। यदि आप चाहते हैं कि हम मामले पर विचार करें तो हमें वास्तव में और निश्चय ही कानून के अनुसार मामले पर कार्य करना चाहिए। इसलिए, वह क्या है जो कि हमने इन आठ महीनों में किया है जिसके लिए हम पर दोषारोपण किया जा रहा है, जबकि वह सब कुछ वी० पी० सिंह की सरकार व उनकी उत्तराधिकारी सरकार ने ही किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह सरकार बेकार थी। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। वह क्या है, जो हमने पिछले आठ महीनों में किया है अथवा नहीं किया है, जिसके लिए हम पर दोषारोपण किया जा रहा है, जो न तो श्री वी० पी० सिंह की कुशल सरकार और न ही उनके बाद वाली, उनकी उत्तराधिकारी सरकार तीन वर्ष पहले रिकार्ड की गई इस 'दोषी' जे० पी० सी० रिपोर्ट से एक इंच भी अधिक पता नहीं लगा सकीं? यदि आप हमसे चाहते हैं कि हम इस ज्यूरिच के मामले में आगे कुछ करें तो कृपया बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हम मिलकर विचार कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। (व्यवधान) लेकिन आपकी ओर से कोई सुझाव नहीं आए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया हमें अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए।

श्री अमल दत्त : जे० पी० सी० की रिपोर्ट के बाद आपने क्या किया?

श्री पी० चिदम्बरम् : दूसरे, जेनेवा कोर्ट में, जिसे यह पता लगा था कि गलत अनुरोध पत्र दाखिल किया गया था, उसका अनुपालन 30 अगस्त, 1990 को किया गया। दिनांक 19 सितम्बर, 1990 को मामले पर विचार करने वाले न्यायाधीश ने यह पाया कि अब अनुरोध पत्र वैध है जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी।

श्री अमल दत्त : यह कौन-सा वर्ष था?

श्री पी० चिदम्बरम् : यह वर्ष 1990 था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह किसके द्वारा किया गया था?

श्री पी० चिदम्बरम् : हम नहीं जानते; क्योंकि वहां हम एक पार्टी नहीं हैं। (व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप वक्तव्य नहीं पढ़ते। रक्षा मन्त्री ने अपने वक्तव्य में साफ-साफ कहा है :

"स्विस कानून के अन्तर्गत विदेशी सरकार अथवा उसके वकील को यह अधिकार नहीं है कि वह सम्बन्धित स्विस न्यायालयों के सामने मामला पेश करें।"

हमें पेश होने का अधिकार नहीं है। हमारे वकील को सुनवाई देखने का भी हक नहीं है। हम केवल हमें दिए जाने वाले आदेशों का इन्तजार कर सकते हैं। जो आदेश हमें दिए गए, वह ये अनुरोध-पत्र गलत था। वह पहला आदेश है, जो कि श्री वी० पी० सिंह सरकार को मिला, एक आदेश जिसमें यह निहित था कि अनुरोध-पत्र गलत है। दूसरा आदेश, उनकी उत्तराधिकारी सरकार की अवधि में अर्थात् 23 जनवरी 1991 को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने यह कहा कि "अपील के लम्बित होने के कारण, भारतीय न्यायालय में कार्यवाही के कारण हम जांच को स्थगित कर रहे हैं।" इसका क्या अर्थ है ? दो आदेश हैं, एक आदेश जुलाई, 1990 में प्राप्त हुआ जिसमें अनुरोध-पत्र को गलत बताया गया था—क्या उसको भेजने का श्रेय आप लेना चाहते हैं, और दूसरा आदेश 23-1-1991 को प्राप्त हुआ, जिसमें जांच को इस आधार पर विलम्बित कर दिया गया बतलाया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने मामले को अपने अधिकार में ले लिया है।

ये सिर्फ दो आदेश हैं जिन्हें मैंने पूर्ववर्ती सरकार से प्राप्त किया है—मैं चाहूंगा कि श्री जसवन्त सिंह इन्हें याद करने की कोशिश करें क्योंकि मैं उन्हीं के द्वारा पहले के दिए गए भाषणों के कुछ अंश को यहां पढ़ने जा रहा हूं। एक तो अनुरोध पत्र को दोषपूर्ण करार देने के सम्बन्ध में है और दूसरे आदेश में यह कहा गया है कि लम्बित कार्यवाही को देखते हुए जांच-कार्य स्थगित किया जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। इनकी सरकार ने, जो कि बहुत ही सक्षम सरकार थी, मामले को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल दिया।

दूसरे चरण में ... (व्यवधान) वसुदेव जी कृपया सुनिये। 27 अगस्त, 1991 को अगले चरण में, उच्चतम न्यायालय ने सी०बी०आई० की अपील मंजूर कर ली तथा चौधरी की अर्जी खारिज कर दी और यह कहा कि इसका प्राथमिकी रपट पर कोई असर नहीं पड़ेगा तथा विधि के अनुसार मामले पर आगे कार्यवाही की जा सकती है। वस्तुतः, सी० बी० आई० का कार्य 27 अगस्त, 1991 के बाद ही शुरू हुआ और रक्षा मन्त्री के बयानों में भी स्पष्ट यही कहा गया है कि सी० बी० आई० ने अपना कार्य 27 अगस्त, 1991 के बाद शुरू किया जो आज तक चल रहा है।

महोदय, अब मुझे अपने प्रिय दोस्त के लाभार्थ इसे पढ़ना चाहिए, जो कि मेरा नाम लेना कभी नहीं भूलते चाहे मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं और मैं यहां उपस्थित होऊं या नहीं। इसलिए शिष्टाचार के नाते मुझे उन्हें याद करना ही चाहिए। महोदय, जहां तक मुझे याद है उन्होंने उसी जगह से जहां आज श्री वी० सी० शुक्ला बैठे हैं, 27 सितम्बर, 1989 को दिए गए अपने भाषण में बड़ी ही चतुराई से यह मांग की थी :—

श्री जसवन्त सिंह ने कहा था :

"आपको क्या करना है ? मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि शीघ्र ही—यह श्री वी० पी० सिंह सरकार के बारे में है—जल्द से जल्द स्वीडन सरकार से औपचारिक तौर पर राजनयिक अनुरोध करना चाहिए कि वह सर्वप्रथम सभी तथ्यों की जानकारी हमें दे जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।"

क्या उस सरकार ने जिसे इनका समर्थन प्राप्त था, ऐसा अनुरोध किया था ? नहीं।

"दूसरे, भारत सरकार के साथ मिलकर स्विटजरलैंड की संघीय सरकार से सारी जानकारी हमें उपलब्ध कराने तथा सभी बैंकिंग विनियमों में ढील देने के लिये संयुक्त रूप से अनुरोध करने के सम्बन्ध में था ताकि बैंक के गोपनीय कानूनों के दायरे से बाहर आकर जांच हो सके।"

क्या इनकी अपनी सरकार, इनके क्षणिक मेजबान ने यह मांग की थी ?नहीं।

"तीसरा अनुरोध स्विटजरलैंड के संघीय सरकार को फिर से सभी सम्बन्धित जानकारी जो कि वहां के बैंक में ताला बन्द थी, उपलब्ध कराने के लिये और कम से कम उन दो भारतीयों, श्री चड्ढा और श्री हिन्दूजा, जिनकी पहचान हो चुकी थी, के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाने से सम्बन्धित थी।"

क्या इसकी सरकार ने उन पर आपराधिका मुकदमा चलाया ? नहीं।

इन्होंने कहा था,

(?)

"इसके पर्याप्त सबूत हैं कि उन्होंने जनता के धन का गबन किया है। यह महज करअपवंचना का ही मामला नहीं है। मैं सरकार से दूसरी दो बातों के लिए अनुरोध और करता हूं—पहला तो श्री विन चड्ढा जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने आबूधबी में शरण ले रखी है, का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और दूसरा श्री हिन्दूजा जिस पर कई अभियोग हैं, के विरुद्ध शीघ्र ही जांच शुरू करवाई जाये।"

क्या इनकी सरकार ने ऐसा किया ? नहीं (व्यवधान) उस सरकार को इनका समर्थन प्राप्त था (व्यवधान) यह तो जग-जाहिर है जसवन्त सिंह जी की वह सरकार आपकी पार्टी और वामपंथी पार्टियों की बैसाखी के बगैर संसदीय बहुमत कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती थी। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : महोदय, आपकी अनुमति से अगर माननीय मन्त्री आधे मिनट का समय दें तो मैं कुछ अर्ज करूंगा।

मैं इन सब चीजों के लिये दोषी हूं। मैं वर्ष 1989 से ही की गई अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैं ही दोषी हूं। मेरे ही कारण और मेरे द्वारा उस स्थान से जहां इस समय श्री शुक्ला बैठे हैं, कहे द्वारा शब्दों के कारण ही बोफोर्स जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन हमारे द्वारा की गई गलतियों के इतिहास को बताने के बजाय, कृपया हमें यह बताएं कि आपने अब तक क्या किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार ने, जिसे इन्होंने समर्थन दिया था, ये तीन* दिए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं ये नाम रिकार्ड में नहीं जाने चाहिए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, अब मैं स्वीडन के बारे में······(व्यवधान) मैं स्वीडन में जांच के मामले में बहुत ही संक्षेप में बताऊंगा, इसके लिए सिर्फ एक मिनट का समय लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोच रहे हैं कि आप उनको कह रहे हैं ? वह यह समझ रहे हैं कि आप उन्हें ही सम्बोधित कर रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उन्हें सम्बोधित नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, महोदय, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं और सोमनाथ जी (व्यवधान) महोदय, स्वीडन में क्या स्थिति है। उन्होंने श्री जसवंत सिंह से सलाह नहीं ली। उन्होंने स्वीडन को लिखा (व्यवधान) कुछ देर पहले श्री वाजपेयी ने जो प्रमाणपत्र दिया है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। श्री लार्स रिंगबर्ग ने जो स्वीडन में इस मामले के क्षेत्रीय अभियोजक हैं, कई महीनों के बाद एक निर्णय लिया। मैं उसके बारे में अभी बताऊंगा। अन्त में उसने यह कह दिया कि इस मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उसे कोई तथ्य नहीं मिला। उसके बाद हमने अपील दायर की, जिसमें कुछ महीने लग गए, क्योंकि हमें दूसरा वकील ठीक कर फिर से मामले का प्रारूप तैयार करना पड़ा। इस बात में कोई दम नहीं है कि उस अपील को दायर करने में देरी होने के कारण उसे उसमें पाई गई किसी कमी के कारण खारिज कर दिया गया। उस अपील को मात्र 20 दिन पहले 10 मार्च, 1992 को महाभियोग के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए इस सरकार ने श्री लार्स रिंगबर्ग के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। हम निश्चित रूप से यह जांच करेंगे कि अन्यत्र कहीं इस सम्बन्ध में अपील दायर की जा सकती है, कहीं उससे बड़ा न्यायालय है या नहीं, जहां हम अपील कर सकते हों। हमारी क्या गलती है और हम पर क्या दोष लगाया गया है। और फिर श्री लार्स रिंगबर्ग ने कोई नई बात नहीं कही है। उसने 28 जनवरी, 1988 को क्या-क्या कहा था ? इसका उस संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी जिक्र है जिसकी आलोचना की गई थी। दिनांक 28 जनवरी, 1988 को जब हम इन लोगों के अनुसार घबरा रहे थे और अड़ंगा डाल रहे थे, तब उसने जो कहा था, वह इस प्रकार है :

> "संभावित रिश्वत-सम्बन्धी अपराधों की हमारे प्रारम्भिक जांच के समतुल्य भारत में अभी तक कोई भी न्यायिक जांच शुरू नहीं की जा सकी है।
>
> अतः इस जांच से कोई ऐसा मौखिक या लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे यह पता चल सके कि किसको और किस कारण से इस प्रकार का भुगतान किया गया है।
>
> यह देखते हुए, चूंकि इस जांच को जारी रखने से भी इस मामले से संबंधित मुकदमे के लिए कोई निर्णायक महत्व की सूचना प्राप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए प्रारम्भिक जांच को स्थगित किया जाता है।"

यह निर्णय उसने 28 जनवरी, 1988 को लिया। इसका जिक्र उस रिपोर्ट में है, जिसकी आलोचना इन्होंने यह कहकर की थी कि हम श्री लार्स रिंगबर्ग को मनाने के बारे में गम्भीर नहीं थे। तीन साल के बाद भी जब इन्होंने पूरी वाकपटुता के साथ श्री लार्स रिंगबर्ग को मनाने की कोशिश की और यहां तक कि भाजपा ने मेरे दोस्त श्री अरुण जेटली की भी सी० बी० आई० को मदद देने के लिए सेवाएं लीं। तो भी निष्कर्ष वही रहा। हमने एक अपील दायर की और महाभियोजक महोदय फिर उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अब हम क्या कर सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा कोई न्यायालय

है तो निश्चय ही हम वहां अपील दायर करेंगे। अगर ऐसा न्यायालय नहीं है तो क्या हम 'सीजर' से 'सीजर' तक दौड़ लगाएं? इसलिए, इस सरकार ने स्वीडन में जो भी संभव था, वह किया और अगर कुछ भी कानूनी रूप से संभव हुआ तो यह सरकार वैसा जरूर करेगी।

अब जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रही है। 27 अगस्त, 1991 को उच्चतम न्यायालय ने श्री एच० एस० चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया था। उसने कई राजनीतिक दलों की याचिकाओं को भी पूर्ववर्ती निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया जो कि तर्कसंगत नहीं है। उसने सी० बी० आई० की अपील मंजूर कर ली है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अवैध ठहराते हुए यह कहा कि एफ० आई० आर० अप्रभावित रहेगा और कानून के अनुसार इस पर कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सकती है। सी० बी० आई० द्वारा इस निर्णय को तुरन्त ही स्विट्जरलैंड प्रेषित कर दिया गया। उसने अपने वकील और स्विस पुलिस एवं न्याय विभाग को इससे अवगत करा दिया। अब एक प्रश्न किया गया है कि श्री विन चड्ढा की याचिका भी क्यों साथ भेजी गई है। लेकिन पूछा यह जाना चाहिए था कि यह किसके पास भेजी गई है। इसे स्विट्जरलैंड में सी० बी० आई० के वकील के पास भेजा गया था, न कि स्विस कोर्ट को, ताकि उसे भारत में चल रही कार्रवाई से पूरी तरह वाकिफ कराया जा सके। श्री एच० एस० चौधरी की याचिका खारिज हो जाने के बाद श्री विन चड्ढा ने नई याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया था। और हमने उस याचिका को अपने वकील, श्री मार्क बोनट के पास भेजा था, ताकि वह भारत में इस सम्बन्ध में चल रही कार्यवाही से पूर्णतया अवगत हो सकें। इसे स्विस कोर्ट में नहीं भेजा गया था। हमने तो अपने वकील को सूचित किया था। (व्यवधान) कृपया इस तरह के दोष न मढ़ें, जो अपने भाषण के दौरान भी आपने नहीं लगाए थे। श्री विन चड्ढा सी० बी० आई० के वकील हैं। (व्यवधान) नहीं, माफ कीजिएगा, श्री मार्क बोनट सी० बी० आई० के वकील हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे लग रहा है, जैसे मैं उस वकील को देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि वह अनाम वकील बहुत धुंधली छाया-सा दिखाई दे रही है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यदि विपक्ष के सदस्य उन लोगों के नाम लेते जिनसे वे सुपरिचित हैं, तो बहुत सम्भव है कि किसी भी समय कोई भी कोई गलती कर बैठे। वे मुझे परेशान करने में कामयाब हो गए हैं। मैं स्वीकार करता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे उसे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। गलती तो गलती है।

मार्क बोनन्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वकील हैं। विन चड्ढा ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद एक याचिका दायर की है। विन चड्ढा की याचिका पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिए गए हैं। यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ड्यूटी है कि वह अपने वकील को बताए कि इस याचिका पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिए गए हैं। कोई स्थगन आदेश नहीं दिए गए हैं। आप याचिका को पढ़े बिना वह आदेश नहीं पढ़ सकते जिसमें स्थगन आदेश नहीं दिए गए हैं। यह इसलिए कि यदि स्थगन आदेश दिए गए होते, तो आप स्थगन आदेश पढ़ते। श्री लोढा आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब कोई स्थगन आदेश नहीं है तो आप याचिका के बिना वह आदेश नहीं पढ़ सकते जिसमें कि स्थगन आदेश नहीं दिए गए हैं। इसलिए, याचिका दी गई थी और तथ्य बताते हैं कि कोई स्थगन आदेश नहीं हैं।

मुझे आपके केवल एक आरोप से सदमा पहुंचा है जो कि यहां लगाया गया है। इस आरोप के लिए एक अज्ञात स्रोत को उत्तरदायी ठहराया गया है और जो कि बहुत ही अपेक्षित पत्र 'डेगन्स नाइटहेडर' में प्रकाशित हुआ है। श्री जसवन्त सिंह अथवा श्री जार्ज फर्नान्डीस, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कि किसने कहा है, आप किस तरह से खड़े होकर कह सकते हैं कि भारत सरकार को एक बहुत ही उपेक्षित पत्र 'डैगन्स नाइटहेडर' में इस प्रकाशन का ज्ञान होना चाहिए जिसमें किसी अज्ञात स्रोत को उत्तरदायी ठहराया गया है। इस समाचार पत्र में किसी के विरुद्ध एक अपमानजनक आरोप लगाया गया है और हम जानते हैं कि परिस्थितियां क्या हैं, हम उन व्यक्तियों को जानते हैं जिन्होंने लन्दन और जेनेवा की यात्रा की है, जिन्होंने समाचार पत्र में कहानी लिखने के लिए रिपोर्टर को मनाया है। आप जानते हैं कि लंदन के न्यायालय में क्या हुआ। आप जानते हैं कि लंदन न्यायालय ने क्या निर्णय लिया। क्या आप इस पत्र में दी गई स्वीकारोक्ति वक्तव्य के बारे में जानते हैं। वे स्वीकार करते हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। मैंने एक विपक्ष के सदस्य के रूप में यह संसद में कहा था। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि यह तथ्य सही थे। उन्होंने इसके लिए उस दल को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम को उत्तरदायी ठहराया। मुझे उस समय सबसे अधिक दुःख यह था कि उच्चतम न्यायालय में मेरे साथी श्री अरुण जेटली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित सदस्य हैं, भी सांठ-गांठ में शामिल थे और वे इस दल में परामर्श देने के लिए अथवा किसी भी तरह से समाचार-पत्र में इसके प्रकाशन के लिए शामिल थे। मैं समझता हूं उनको इस दिन तक उसका अफसोस है। मैं जानता हूं, उन्हें अफसोस है। मुझे खुशी है कि उसके बाद हमेशा के लिए श्री अरुण जेटली को उस दल से निकाल दिया गया था।

लेकिन मुद्दा यह है कि सच की खोज में यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो रास्ता सही होना चाहिए। यदि आप सही तरीके से कार्य न करके उल्टे-सीधे तरीके से कार्य करना चाहते हैं तो वही होगा जो कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम के साथ हुआ है, जब उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम के द्वारा इस कहानी की रचना की अथवा जो कुछ भी था। कहानी को डैगन्स नाइटर में प्रकाशित किया गया था।

महोदय, कल यहां बताया गया था, केवल उसी समय सत्य बोला गया था जबकि श्री माधव सिंह सोलंकी ने अपना वक्तव्य दिया था। मुझे विश्वास है कि उन्होंने सच्चा वक्तव्य दिया था। मेरा विचार है कि आप सब अपने हृदय से इसे महसूस कर रहे हैं। वे एक माननीय व्यक्ति हैं और उन्होंने गलती की है और उसे कह दिया है। मैं निजी रूप से जानता हूं कि आप में से प्रत्येक उनके बारे में क्या महसूस करता है। यह एक भिन्न मामला है। मैं केवल एक बात के बारे में श्री वाजपेयी को याद दिलाना चाहता हूं। राज्य सभा में, मुझे केवल 1988 के अन्त में पहली बार बोफोर्स बहस में घसीटा गया था। इससे पहले श्री अरुण सिंह का नाम था। मैं इस मामले में 1988 के अन्त में जोड़ा गया। फरवरी, 1989 में जब मैं गृह मंत्रालय में था, एम० ओ० यू० पर हस्ताक्षर किए गए थे, याचना पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहली बार जब राज्य सभा में इस बहस में मेरा नाम जोड़ा गया था तो मैंने राजीव जी से मंजूरी लेने के बाद खड़े होकर यह कहा था कि सरकार यह स्वीकार करती है कि बोफोर्स द्वारा कुछ व्यक्तियों को पैसा दिया गया था। लेकिन आज सरकार यह नहीं जानती है कि वे पैसा लेने वाले व्यक्ति कौन हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भारतीय व्यक्ति, किसी भारतीय कम्पनी अथवा किसी भारतीय

हस्ती ने यह पैसा प्राप्त किया है। वाजपेयी जी, यदि मुझे ठीक से याद है, आपने खड़े होकर कहा था "आपने सही वक्तव्य दिया है। सरकार यह स्वीकार करती है कि बोफोर्स ने पैसों का भुगतान किया गया है"। मेरा विचार है आपने मुझे मुबारकबाद दी थी और मुझे उस बधाई के शब्द अब तक याद हैं।

बात यह है कि हम कुछ छिपा नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी समय हम कुछ गड़बड़ कर जाएं या किसी समय हम कोई भूल कर जाएं, जैसा कि सभी गड़बड़ करते हैं, तथा सभी भूल करते हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इसमें कोई विद्वेष, कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। पहले एक निशाना था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप सबने उसे निशाना बनाया था। लेकिन यह भी नहीं कहिए, कि किसी ने भी उन्हें निशाना नहीं बनाया, बाहर के सैकड़ों लोगों ने, चुनाव मंच पर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें अपना निशाना बनाया। हममें से कितने लोगों ने दुःख प्रकट किया है? हममें से कितने लोगों को दुख हुआ। आपने श्री राजीव गांधी के मरने के चार दिन बाद, उनके लिए मेरे द्वारा किए गए गुणगान का हवाला दिया है। श्री जसवंत सिंह उनके मरने के चार दिन बाद मैं और क्या कह सकता था? क्या आप चाहते हैं कि मैं यह कहता कि उन पर मुकदमा चलाना चाहिए था? क्या आप चाहते हैं कि मैं यह कहता कि उन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए थी? उनकी मृत्यु के चार दिन बाद जब श्री राजीव गांधी की प्रशंसा में मैंने पत्र लिखा था तो मैंने जो कहा था वह यह था कि राजीव गांधी के विरुद्ध बोफोर्स जांच को बन्द किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, बोफोर्स जांच बन्द की जानी चाहिए जिसने कि वह पैसा लिया था। श्री राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे खुशी है कि आज आपमें से किसी ने उनके नाम को नहीं उछाला है। हमें दुःख होता है क्योंकि मुझे विश्वास है—मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि श्री राजीव गांधी का इससे कोई लेन-देन नहीं है और जब आप लोगों ने 1987, 1988, 1989 और 1990 में उनको अपना निशाना बनाया था तो आप मुझसे क्या करने की उम्मीद करते। मैंने उनमें अच्छी तरह झांका था और उनसे पूछा था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। 'मुझे और मेरे परिवार को बोफोर्स सौदे से कुछ नहीं लेना है'। मेरा उन पर विश्वास है और रहेगा जब तक कि मैं अपनी समाधि में लीन नहीं हो जाता, जब तक कि आपको उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिल जाता। इसमें क्या गलत है? जब श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा कि आप सब इसके लिए दोषी हैं, तो इसमें क्या गलत है। मुझे विश्वास है। आप श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी पर भरोसा रखते हैं। आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भरोसा रखते हैं। मेरा श्री राजीव गांधी पर विश्वास है। मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव जी पर भरोसा रखता हूं। क्या मुझे अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा उन पर विश्वास है।

आज खोज इस बात पर की जा रही है कि पैसा लेने वाला कौन है। हम इस बात का पता लगाने के लिए वचनबद्ध हैं। (व्यवधान)

कृपया इस बात को गंभीरता से लीजिए। हम प्राप्तकर्ता का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील करता हूं। (व्यवधान)

हम प्राप्तकर्त्ता का पता लगाना चाहते हैं और यह केवल एक तरीके से हो सकता है। वह एक तरीका है कानून, वैधानिक प्रक्रिया, और वैधानिक कार्यवाही। इससे छोटा कोई रास्ता नहीं

है। कम समय लेने वाले रास्ते आपको बरबादी की तरफ ले जाएंगे। आप रक्षा मंत्री का वक्तव्य सुनेंगे। प्रधान मंत्री हस्तक्षेप करने जा रहे हैं।

हम सच का पता लगाने के लिए वचनबद्ध हैं। आइए हम मिलकर सच का पता लगाएं।

इसमें कुछ समय लग सकता है। इसमें कुछ सप्ताह अथवा महीने लग सकते हैं। हमारे रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको यह पता लगाने के लिए कितने वर्ष चाहिए ?

श्री पी० चिदम्बरम : कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को इस प्रक्रिया से प्रभावित समझते हैं और वे इसके रास्ते में हर तरह की अड़चन पैदा करेंगे। सरकार की बुद्धिमत्ता इस बात में है कि उन्हें इस बात का पता लगाना चाहिए कि कौन ऐसी अड़चनें पैदा कर रहा है और उन्हें इन अड़चनों को दूर करने और सच्चाई की जड़ तक जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपनी बात से अलग हटते हैं तब आप हमें दोष दे सकते हैं। यदि हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते तो आप हमें दोष दे सकते हैं। लेकिन स्वार्थों को इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए और मैं यह कहता हूं कि आपमें से प्रत्येक की तरह सरकार भी इस मामले का पता लगाने, सच्चाई का पता लगाने व प्रापकों को खोज पाने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन यह सारा कार्य केवल कानूनानुसार ही किया जाना है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पत्र का पता लगाने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : कृपया पत्र की विषय वस्तु का पता लगाएं। स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को भेजा गया पत्र कहां है ?

श्री सोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ शब्द बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। मैं उन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा और मैं उनकी बातों को दोहराना भी नहीं चाहता।

जब मुझे इस समाचार का पता चला कि हमारे विदेश मंत्री ने विदेश में अपने साथी को एक ज्ञापन दिया है तो वास्तव में मुझे हैरानी हुई। और फिर जब राज्य सभा में मैंने उनके उत्तर को सुना और इस सभा के बीच दिए गए उनके वक्तव्य को सुना तो वास्तव में मुझे बहुत बेचैनी हुई।

जब हम किसी शिष्टमण्डल में विदेश जाते हैं, तो विदेश मंत्रालय के अधिकारीगण हमें बताया करते हैं कि 'हमें किस ढंग से कार्य करना है। हमें एक भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि हमारे देश के हितों के विपरीत हो।' वे हमें कुछ सलाह भी देते हैं। मुझे इस बात की हैरानी है कि श्री माधव सिंह सोलंकी जो कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, स्विटजरलैंड में अपने साथी को एक प्राइवेट वकील के माध्यम से पत्र सौंप सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इसे स्वीकार भी किया है। यह प्रथम फरवरी की घटना है। लेकिन यदि यह मामला प्रेस में न आ पाता तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता और जिस उद्देश्य

से स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री को वह ज्ञापन सौंपा गया था, यह भी पूरा हो सकता था। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री माधव सिंह सोलंकी के त्याग-पत्र से यह मामला समाप्त नहीं हो जाता। इस सरकार ने, इस बात का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है। किस व्यक्ति ने यह पत्र उनको दिया। उस ज्ञापन की विषय-वस्तु क्या है? क्या सरकार उसे प्राप्त कर चुकी है? मैं माननीय प्रधान मंत्री जी अथवा माननीय रक्षा मंत्री जी से जो कि उनके बाद में बोले हैं, यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उस नोट की विषय-सामग्री क्या है? जब तक कि आप इसका स्पष्टीकरण नहीं देते, संदेह आपकी ओर संकेत करता रहेगा। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। संदेह की सुई इस सरकार की ओर इंगित रहेगी। अब श्री माधव सिंह सोलंकी को बलि का बकरा बना दिया गया। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि यह सरकार सभी बातें जानती है। इसलिए, यह आपके ही हित में है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। कृपया हमें यह बताइए कि उस नोट की विषय-सामग्री क्या है। किस व्यक्ति ने वह पत्र वहां दिया है? सरकार ने उस वकील के विरुद्ध जिसने इस सरकार की इतनी बदनामी कराई है, क्या कार्यवाही की है? यदि आप वास्तव में इस बात को अनुभव करते हैं तो आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

जब श्री मणि शंकर अय्यर और श्री पी० चिदम्बरम बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सरकार ने सच्चाई का पता लगाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मैं भी आठवीं लोक सभा का एक सदस्य हूं। मैं अभी तक उन क्षणों को भूल नहीं पाया क्योंकि तत्कालीन सरकार ने जान-बूझकर सच्चाई को दबाने का प्रयास किया। जहां तक इस बात का संबंध है, मैं यह बात कार्यवाही में कहना चाहता हूं। (व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। गोपनीयता की रक्षा करने के प्रावधानों के अधीन इस सरकार ने सच्चाई का पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया है। एक कहावत है कि मरीज मरना चाहता है और डाक्टर भी यही चाहता है कि मरीज मर जाए। जिस कम्पनी ने कमीशन दी, जिसने कुछ लोगों को घूस दी उसे छोड़ दिया गया। सरकार कहती है कि उसने बोफोर्स तथा अन्य कम्पनियों को, जो शस्त्र सप्लाई करती है, साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें कोई बिचौलिये नहीं रखने चाहिए और किसी किस्म की कमीशन नहीं देनी चाहिए। आरम्भ में आप भी सच्चाई की बात नहीं करते थे। यहां तक कि जब संयुक्त संसदीय समिति जांच प्रक्रिया कर रही थी, बहुत-सी सच्चाई को छिपा लिया गया। जब "दि हिन्दु" ने तथ्यों को उजागर किया तो इस बात का स्पष्टतः पता चल गया कि कमीशन दी गई है। इस सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? मैं माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम व उनके सहयोगियों से इस बारे में जानना चाहूंगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष ने भी यह कहा कि एक व्यक्ति जो इस समय रक्षा सचिव थे, ने तत्कालीन सरकार को सेनाध्यक्ष द्वारा दी गई इस आशय की सलाह को नहीं माना कि कमीशन के बारे में सच्चाई जानने के लिए, इस बात को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए बोफोर्स को धमकी दी जानी चाहिए कि जिन व्यक्तियों ने कमीशन ली है, उनके नाम बताये जायें। सेनाध्यक्ष ने कम्पनी को एक यह भी धमकी देनी चाही कि उसकी इस किस्म की कार्यवाही से अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा और इसलिए सरकार का यह अनुबंध उससे छीना भी जा सकता है और फिर सरकार यह अनुबंध इसे नहीं लौटाएगी। इसलिए उसे तोपें सप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सलाह तत्कालीन सेनाध्यक्ष द्वारा दी गई थी। किन्तु तत्कालीन रक्षा सचिव ने इसे स्वीकार नहीं किया और फिर बाद में रक्षा-सचिव को एक राज्य का राज्यपाल बना दिया गया।

इस ढंग से आपने उसे सम्मानित किया है; इस तरह से आपने उस व्यक्ति की सहायता की है जिसने आपके हितों को सिद्ध किया है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल में बहुत-सी चर्चायें हुई हैं जिनके बारे में वाणिज्य मंत्री ने बहुत बातें कही हैं। मैं इस सरकार से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा कि यदि वे इसके बारे में वास्तव में चिन्तित हैं, तो उन्होंने विगत कुछ महीनों में क्या किया है ? उन्होंने श्री जसवन्त सिंह के बहुत-सी बातों के बारे सुझावों के विषय में कहा है। किन्तु कमीशन पाने वालों, हिन्दुजा और विन चड्ढा के बारे में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि एक व्यक्ति देश में वित्तीय साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? अनुबंध के प्रावधानों की उल्लंघना में उन लोगों को जो धनराशि दी गई थी, इसे वापिस लेने के लिए इस सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ? अन्ततः यह भार देश की जनता को ही वहन करना है। जिस समय संयुक्त संसदीय समिति नोबल कम्पनी की जांच कर रही थी, जो कि एक निजी कम्पनी है, उस समय गोपनीयता की शर्त थी। किन्तु अब गोपनीयता की वह शर्त लागू नहीं होती। इसलिए इस सरकार को इस माह के अन्त तक सच्चाई का पता लगाने का यथासम्भव प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इस सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है।

श्री विन चड्ढा द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गयी थी, इसकी एक प्रतिलिपि के बारे में श्री लीडर ने उल्लेख किया है। क्या उनका इस तरह का इरादा नहीं है कि प्रक्रिया में विलम्ब किया जाए, जांच में देरी की जाए। वास्तव में कैन्टोनल कोर्ट ने तो अक्तूबर, 1991 में ही अपना निर्णय दे दिया होता। लेकिन इस सरकार की कुछ हरावलात्मक कार्यवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए। यह सभी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं।

श्री सोमनाथेश्वर राव वाड्डे : ये जांच को समाप्त करने व सच्चाई को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस सरकार से यह मांग करता हूं कि इस माह के अन्त होने से पूर्व सच्चाई का सीधे तौर पर पता लगाया जाए अन्यथा इस देश के अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जिन लोगों ने कमीशन ली है, वे आपराधिक कार्यवाही से बच निकलेंगे।

मैं यह भी चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री अथवा रक्षा मन्त्री की ईमानदारी के साथ उस टिप्पण की विषय-वस्तु अथवा ब्यौरा, जो कि विदेश मंत्री जी ने अपने साथी को दिया था, सदन में रखें और इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कार्यवाही की है अथवा जो कार्यवाही करना प्रस्तावित है इसके बारे में भी अवगत करायें ताकि न केवल न्याय हो सके बल्कि ऐसा प्रतीत हो कि न्याय कर दिया गया है। इन दिनों में उनकी पुरजोर कोशिश रही है कि सच्चाई को दबा दिया जाए। आप अपने नेता के प्रति वफादार हो सकते हैं। इसके प्रति हमारा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस देश के लोगों को सच्चाई के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए।

प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन जब बोफोर्स कांड सामने आया तो हमें पता चला कि सर्वोच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति भी इससे जुड़े हैं। आपको देश के लोगों के मन से इस संदेह को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम, एक अच्छी शुरुआत के लिए तो आपको

ऐसा करना ही चाहिए। हमें यकीन है कि वर्तमान प्रधान मन्त्री ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं। हम यह कामना करते हैं कि वे इन बातों को पूरा करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रेड्डय्या जी, आप पहले कही गयी बातों को दोहराए बिना अपनी बात को दो मिनट में पूरा कीजिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, मैं तेलुगूदेशम ग्रुप से सम्बन्ध रखता हूं। मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की है। इस सदन की परम्पराओं के अनुसार मर्यादावश एक दिवंगत आत्मा का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, विरोधी दल के नेताओं ने तथा सत्ता पक्ष ने हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का कहीं भी नाम नहीं लिया है और मैं इन दोनों पक्षों के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, नौ महीने बीतने के बाद केवल आज ही मैंने यह देखा है कि सदस्यों ने परम्परा और भारतीय लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को कायम रखा है।

दूसरी बात यह है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय में बैठा हूं जहां कि दोनों पक्षों ने एक-एक बात का अपने दल बल से तर्क दिया है और एक पक्ष ने 49 बातें कहीं हैं और दूसरे पक्ष ने 51 बातें कहीं हैं। और जनता की अदालत आगामी चुनावों में ही अपना निर्णय सुनायेगी।

मैं केवल एक बात ही इस सदन के कृपा ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस देश में बहुत से षड्यन्त्र घटित होते रहे हैं और एक जागरूक विरोधी पक्ष के बाद भी लगभग 50,000 करोड़ रुपया स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा करवाया गया। इससे पहले 85 करोड़ रुपये का यह बोफोर्स तोप सौदे का कोई महत्व नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें इस विषय को और कितनी देर तक खींचते रहना होगा या और दस साल तक खींचना होगा। अब एक मात्र विकल्प यह रह गया है कि स्वीटजरलैंड बैंक में जो भी खाते हैं उन्हें बन्द कर दिया जाए और इस प्रकार जो भी अनावश्यक और जटिल कानूनी कार्यवाही है उसे स्थगित किया जाए।

वे तब क्या कह रहे थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार सत्तासीन थी···और** यह क्यों नहीं किया गया। बोफोर्स मामले के पितामह श्री अरुण नेहरू थे। आपने उनसे समझौता किस तरह किया ?

अत: इस मामले के गुण-दोष में हम न उलझें, तो बेहतर होगा। कृपया खाता जब्त कर दीजिए और सारा धन वापस लाया जाए। और जहां तक संभव हो सके तो इस पूरे बोफोर्स प्रकरण को समाप्त कर दें। इसी प्रकार, कई तरह की कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें सदैव वास्तविकताओं को दिमाग में रखना होगा। सचेत विपक्ष के रहते सरकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं कर सकती। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं यह कहूंगा कि इस देश के लोग आपकी कार्यवाही को किस रूप में गलत समझ रहे हैं। दरअसल, सदन का तीन घंटे का समय खर्च करने के बाद भी कुछ भी परिणाम नहीं निकला। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक इस देश के लोग इस कार्यवाही में उलझे रहेंगे। मैं सतर्क विपक्ष से सिफारिश करता हूं कि धन लूट कर खाता जब्त करने की मांग करने की बजाय विपक्ष को शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए और भ्रष्ट मंत्रियों

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

तथा अधिकारियों को पकड़ना चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इस प्रकार राष्ट्र की सच्ची सेवा करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं कुछ मुद्दे उठाकर उन पर स्पष्टीकरण मांगूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि हमने 8 बजे तक बैठने का निश्चय किया था। अब हम कुछ और समय के लिए बैठेंगे और इस विषय पर चर्चा समाप्त कर देंगे।

श्री चित्त बसु : आप सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए और बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)

8.00 म० प०

सदन के इस तरफ से एक सुझाव दिया गया है कि इस सदन को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से विश्व समुदाय को यह दिखाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि सदन के सभी वर्ग मांग करते हैं कि सत्य को प्रकाशित किया जाए, खासकर विश्व समुदाय को प्रभावित करने के लिए कि भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती और भारत में एक जीवित प्रजातंत्र है और संसद ने इस विषय में उचित कार्यवाही की है। मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रारम्भ में क्या मैं इस सुझाव पर सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात 3 अप्रैल के महत्व को लेकर है। यदि 3 अप्रैल को सुनवाई नहीं शुरू की जाती है तो हमारे देश की प्रतिष्ठा को खतरा हो जाएगा और हमें काफी वित्तीय नुकसान भी होगा। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपने अधिवक्ताओं को तत्काल निदेश देगी कि हमारी सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इच्छुक है और उन्हें उस नोट को दरकिनार करने के लिए कहा जाए, जिसे स्विट्जरलैण्ड के विदेश मन्त्रालय को सौंपा गया था। इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो सकेगी।

स्वीडन की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आया है। उस देश में अब नया राजनैतिक माहौल बन गया है। वह सत्तासीन पार्टी जो बोफोर्स प्रकरण से जुड़े तथ्यों को छिपाने में विश्वास रखती थी, अब सत्ता से बाहर है। दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। और कई ऐसी पार्टियां सत्ता की भागीदार हैं, जिन्होंने बोफोर्स प्रकरण से जुड़े तथ्यों को उजागर करने में कोशिश की थी। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस अवसर का सदुपयोग करेगी, खासकर परिवर्तित राजनैतिक स्थितियों का और सत्य को उजागर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। खासकर यह पता करने के लिए कि किसने कमीशन खाया।

एक खबर यह है कि श्री चन्द्रशेखर के कार्यकाल के दौरान भारत के महाधिवक्ता श्री आनन्द देव गिरि को यह कहा गया था कि क्या हिन्दूजा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दूजा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दूजा के नाम को प्रथम सूचना रिपोर्ट से हटाने

की कोशिश की गई थी। क्या यह भी सत्य है कि श्री आनन्द देव गिरि पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हिन्दूजा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट से नहीं हटाया जा सकता। महोदय, इस विषय में नवीनतम स्थिति क्या है? प्रश्न यह है कि हिन्दूजा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट से अपना नाम हटाना चाहा। क्या यह सत्य है कि जिस किसी गुमनाम अधिवक्ता ने भूतपूर्व विदेश मन्त्री को जो नोट दिया था वह लंदन में हिन्दूजा की गतिविधियों का ही प्रतिफल था।

मैं अपने मित्र चन्द्राकर जी को धन्यवाद देता हूं। वह इस सदन के सिर्फ सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने उस टिप्पणी का खंडन किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं, यह 30 मार्च, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस से उद्धृत हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके सदन में दिए गए बयान पर विश्वास करेंगे या सदन के बाहर दिए गए बयान पर।

श्री चित्त बसु : उन्होंने यहां बयान दिया। यही कारण है कि मैं उन्हें ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं इण्डियन एक्सप्रेस में उनके दिए गए बयान की ओर उनका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। उन्हें इसका खंडन करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है। आप समाचार-पत्र को उद्धृत नहीं कर सकते और आपको सदन में और आपकी उपस्थिति में दिए गए उनके बयान पर भरोसा करना चाहिए।

श्री चित्त बसु : यह बिल्कुल ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इसे समझते होंगे।

श्री चित्त बसु : इसे उनके नाम से उद्धृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : उन्होंने इसका खंडन किया है? लेकिन, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे सदन के कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह इस तरह नहीं है।

श्री चित्त बसु : मैं इसे छोड़ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री चित्त बसु : मेरा अन्तिम मुद्दा यह है। यह सत्य का पता लगाने की शक्ति अधिवक्ता और गतिविधि का फल है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष को यहां पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। मैं इसे उद्धृत करना नहीं चाहता। लेकिन, यदि इस देश में सतर्क प्रेस नहीं होता, इस देश के बाहर भी यदि सतर्क प्रेस नहीं होता तो जाहिर है कि जो सत्य जनता के समक्ष उजागर हुआ है उसे कोई इस देश के अन्दर या इस देश के बाहर जान भी नहीं सकता था। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा। यदि सरकार इतना देर होने के बावजूद भी सत्य उजागर करने के प्रति ईमानदार है

की उस नोट की एक प्रतिलिपि पाने में सरकार को क्या समस्या है, जिसे स्विट्जरलैण्ड की सरकार को सौंपा गया था।

मैं सोचता हूं कि यदि वे वास्तव में ऐसा चाहते हैं तो उपलब्ध भी हो जाएगी और हम सत्य जान लेंगे। महोदय, यह जानना आवश्यक होगा कि वह गुमनाम अधिवक्ता कौन था, और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और वे कौन-सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से उसे हमारे देश के विदेश मन्त्री से मिलना पड़ा।

ये कुछेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सरकार या हमारे प्रधान मन्त्री जी को देना चाहिए था जिससे कि सत्य उजागर हो सके।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, हमने विस्तृत चर्चा की। सभी मुद्दों के उत्तर दे दिए गए हैं। स्पष्टीकरण दे दिए गए—प्रत्येक सरकार ने जो कुछ किया और भी कुछ भी उनकी उपलब्धियां रहीं, इन सभी बातों पर चर्चा की गई। मुझे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वास्तव में, मैं यह पूरी तरह से महसूस करता हूं कि पिछले दो-तीन दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसने सरकार को उलझन में डाल दिया है। इस उलझन को दूर करना होगा। बहस के दौरान दिए गए सुझावों पर ध्यान देने के बाद, मुझे पता चला है कि दो अथवा तीन मुद्दों पर कार्यवाही के लिए जोर दिया गया है। सबसे पहले यह कि हमें सरकार की तरफ से स्विट्जरलैण्ड सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि श्री सोलंकी द्वारा दिए गए टिप्पण के परिणामस्वरूप यदि कोई गलतफहमी अथवा भ्रम पैदा हो गया हो तो, उन्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी स्थिति स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट और देरी के सच का पता लगाने की कार्यवाही जारी रहे। मैं यह ध्यान रखूंगा कि अगले एक या दो घंटों तक यह संदेश भारत सरकार की ओर से स्पष्ट रूप में भेज दिया जाए। अभी भी 4½ घंटे का समय शेष है। अतः यह संदेश उनके पास समय पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे जो भी आवश्यक समझें कार्यवाही कर सकें। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह बहुत अधिक सावधानी बरतने से ही हो सकता है क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जो कि आरम्भ से ही इस मामले की जांच कर रहा है, ने पहले ही शीघ्रता से इस बारे में कार्यवाही आरम्भ कर दी है। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उनके वकील तथा अधिकारी करेंगे, वह इसी दिशा में होगा। मेरा यह करने का विचार है क्योंकि इस बीच पूर्व विदेश मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है कि उन्होंने ही एक टिप्पण उन्हें दिया था। इस टिप्पण के कारण पैदा हुए किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस संदेश को जल्द-से-जल्द प्रेषित किया जाए।

सभा के सभी वर्ग इस बात के लिए एकमत हैं कि सच का पता लगाया जाना चाहिए। मैं इसी कार्य हेतु कार्य करूंगा।

मैं यह नहीं चाहता कि यह सरकार शक के दायरे में कार्य करे। सार्वजनिक जीवन तथा सरकार में अपने लम्बे अनुभव के बाद मैं इतना समझ गया हूं कि किसी भी सरकार को कभी भी शक के दायरे में कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए, हम सभी कदम उठाएंगे। मैं माननीय सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं हूं कि इसमें कोई विलम्ब हो रहा है अथवा परिहार्य टालमटोल की जा रही है। ऐसा नहीं है। श्री चिदम्बरम् ने मुकदमे तथा मामले की व्याख्या की है। मैं समझता हूं इस बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सरकार के इरादों को स्पष्ट करने के

संबंध में संसद को तथा लोगों को संतुष्ट करना मेरा कर्त्तव्य है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रभारी मन्त्री के रूप में मैं चाहूंगा कि मुझे अब से इस मामले की प्रगति के बारे में नियमित रूप से सूचना मिलती रहे।

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को भी सूचित करते रहें।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, सभा को सूचित करने की बात कुछ अलग है क्योंकि अब तक जांच जारी है, प्रत्येक सप्ताह अथवा 15 दिन में वक्तव्य न दिए जा सकें। लेकिन यह ऐसा मामला है जिस पर चर्चा की जा सकती है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मुझे बराबर सूचना मिलती रहे और मैं वह करूंगा। इस मामले में हम एक हैं। सच का पता लगना ही चाहिए।

जहां तक कि टिप्पण का संबंध है हम उक्त सरकार को लिखेंगे। यह टिप्पण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया है, न कि एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को दिया गया है। इससे इसमें अन्तर पड़ता है। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। हम इस मामले में उक्त सरकार को लिखेंगे···(व्यवधान)··· मैं माननीय सदस्यों का उनके सुझावों के लिए आभारी हूं। मैं पूरी बहस के दौरान उपस्थित नहीं था। मैं एक बार पुनः इन भाषणों को पढ़ूंगा और यदि उनमें कुछ ऐसा है जिससे सच का पता लगाने में सरकार को मदद मिल सके, चाहे उसका उत्तर दिया गया है अथवा नहीं, उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप सभा को आश्वासन देंगे कि वह पत्र सभा-पटल पर रखा जाएगा ? (व्यवधान)

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों विशेषकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान से सुना है जिन्होंने आज की बहस में हिस्सा लिया है।

इस सभा ने मेरे सहयोगियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों को सुना है। जो कुछ भी शंकाएं रह गई थीं, वे भी माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दूर कर दी गई हैं।

आज इतनी देर से, मुद्देवार उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है।

हालांकि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है फिर भी इस सम्मानीय सभा को मैं पुनः आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार सत्य के जानने के प्रति अपनी वचनबद्धता से नहीं बदलेगी और सच का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है और दोषी पाए जाने वालों को कानून के अनुसार दण्ड दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार तथा जांच एजेंसियां तत्काल तथा प्रभावी उपाय करेंगी तथा कानून के अनुसार अपना कार्य पूरा करेगी। सरकार स्विस अदालत में लंबित न्यायिक प्रक्रिया को पूरी शक्ति और शीघ्रता से पूरा करेगी।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त इन इच्छाओं को नोट कर लिया है कि सरकार को स्विस सरकार को यह संदेश भेजना चाहिए कि पूर्व विदेश मंत्री द्वारा भेजा गया नोट किसी भी तरह

से सरकारी स्थिति को प्रभावित नहीं करता। मैंने अपने वक्तव्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 24 मार्च, 1992 और 26 मार्च, 1992 को लिखे गए पत्रों का उल्लेख किया है। फिर भी, सरकार एक बार फिर स्विस सरकार को उचित प्रकार से यह संदेश भेजेगी कि उक्त टिप्पण (पत्र) का कोई महत्व नहीं है। सरकार का इरादा स्विस न्यायालय में चल रही कार्यवाही को आगे बढ़ाने का है।

अन्त में, मैं सभा के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज के वाद-विवाद में भाग लिया। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उस नोट का क्या होगा ? क्या आप स्विस सरकार से उस नोट को वापस भेजने के लिए कहेंगे ? ···(व्यवधान)···क्या आप उस नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ?···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री आर्क फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि जो भी यहां पर भाषण हुए हैं, उनको फिर एक बार देख लेंगे, क्योंकि काफी भाषणों के समय वे यहां पर नहीं थे और उन्होंने कहा कि इस मामले को हल करने में जो भी मदद मिलेगी, उसमें वे उनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक ठोस प्रश्न है जो मेरी अपनी राय में यह जो सारी बहस हुई है, उसमें हम लोग कहां तक एक सोच के साथ आने के लिए तैयार हैं, उसको मैं कसौटी मानता हूं और वह यह है कि जिस नोट ने आपके विदेश मन्त्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, जिस नोट पर सदन के अन्दर इतनी बहस हो गई, उसके बारे में आपने इतना ही कहा है कि उसको लेने का प्रयास आप करेंगे और मुझे विश्वास है कि वह नोट आप ले पाएंगे, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब वह नोट आपके हाथ में आएगा, तब आप उसको सदन के सामने रखने का काम करेंगे, यह आपसे हमारी अपेक्षा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री को उस वकील का भी पता लगाना चाहिए जिसने आपके विदेश मन्त्री को गुमराह किया।

श्री बसुदेव आचार्य : उस वकील की पहचान होना बहुत आवश्यक है जिसने वह नोट दिया। प्रधान मन्त्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस समय मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं कि हमारी एक एजेंसी है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिस किसी भी बात का पता लगाना है, हम उसका पता लगाने के लिए उन्हें कहेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : प्रधान मन्त्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस बात का ध्यान रखेगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो किस बात का ध्यान रखेगा ? क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो उस नोट का ध्यान रखेगा ? क्या उसकी जांच करेगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जिन पर कार्यवाही होनी है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि सभा कल 2 अप्रैल, 1992 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.22 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 2 अप्रैल, 1992/13 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53